



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-माल एवं सेवा कर)
2022 की प्रतिवेदन संख्या 5

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

2022 की प्रतिवेदन संख्या 5

_____ को लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति	1-11
1.1 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप	1
1.2 संगठनात्मक संरचना	3
1.3 राजस्व प्रवृत्ति	4
1.4 निष्कर्ष	11
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	13-19
2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश	13
2.2 लेखापरीक्षा समष्टि	14
2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद	16
2.4 सीएजी की पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	18
2.5 इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया	18
अध्याय III: जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता	21-62
3.1 सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति	21
3.2 जीएसटी के तहत विवरणी की संवीक्षा	28
3.3 विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) प्रतिवेदनों के संबंध में निगरानी तंत्र	31
3.4 जीएसटी के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा	39
3.5 डीजीजीआई के अपवंचन-रोधी कार्य पद्धति	43
3.6 बकाया की वसूली	48
3.7 निष्कर्ष	60
3.8 सिफारिशों का सारांश	61
अध्याय IV: माल और सेवा कर शुद्धवर्क द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता	63-75
4.1 लेखापरीक्षा का दायरा और अनुसरण की गई पद्धति	63

विषय		पृष्ठ
4.2	कर योग्य मूल्यों और कर देयता के बीच विसंगतियों की घोषणा - जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डेटा को कैप्चर कर लिया गया	64
4.3	जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों में विसंगतियां	67
4.4	इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों में विसंगतियां	69
4.5	केंद्र या राज्यों को करदाताओं का आवंटन नहीं किया जाना	73
4.6	निष्कर्ष	74
4.7	सिफारिश	75
अध्याय V: जीएसटी के तहत प्रतिदाय दावों का प्रसंस्करण		77-166
5.1	प्रस्तावना	77
5.2	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	82
5.3	लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र, नमूना और पद्धति	83
5.4	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना	84
5.5	लेखापरीक्षा मानदंड	86
5.6	प्रणालीगत मामले	86
5.7	अनुपालन मुद्दे	112
5.8	अन्य मामले	156
5.9	राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	163
5.10	निष्कर्ष	163
5.11	सिफारिशों का सारांश	164
अध्याय VI: जीएसटी के अन्तर्गत परिवर्ती क्रेडिट		167-229
6.1	प्रस्तावना	167
6.2	इनपुट टैक्स के लिए परिवर्ती व्यवस्थाएं	167
6.3	प्रवृत्तियां तथा परिप्रेक्ष्य	169
6.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	171
6.5	लेखापरीक्षा व्यापकता और नमूना	171
6.6	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	173
6.7	लेखापरीक्षा मापदंड	174
6.8	कार्यक्षेत्र परीसीमन	174
6.9	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	178

विषय	पृष्ठ
परिशिष्ट-I: 2020-21 से पूर्व अवधि के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	231
परिशिष्ट-II: क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा वसूली के लक्ष्यों की प्राप्ति	235
परिशिष्ट-III: प्रतिदायों का भुगतान	236
परिशिष्ट-IV: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	237
शब्दावली	241

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं। इस प्रतिवेदन में मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण वाले मुद्दों पर चर्चा की गयी है। केन्द्रीय उत्पादशुल्क संग्रहणों तथा विरासतीय सेवा कर के संबंध में कुछेक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अप्रत्यक्ष करों की पूरी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं जो 2020-21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान देखे गये परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम और तम्बाकू के उत्पादों को छोड़कर), सेवाकर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) और राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्षकर जीएसटी में शामिल किए गए हैं। यह प्रतिवेदन मुख्यतः माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के मुद्दों से संबंधित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहणों तथा विरासतीय सेवा कर के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अप्रत्यक्ष करों की पूरी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन को छह अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय I में अप्रत्यक्ष करों के स्वरूप, केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संगठनात्मक ढांचे, अप्रत्यक्ष कर राजस्व में रूझानों, अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि और जीएसटी बजट अनुमानों बनाम वास्तविक प्राप्तियों की तुलना का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय II में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा संसृति, लेखापरीक्षा नमूने और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणाम का उल्लेख किया गया है। अध्याय III में सरलीकृत जीएसटी विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति; और अनुपालन सत्यापन कार्यों जैसे विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन-रोधी कार्यकलापों के संबंध में विभाग का निष्पादन; और बकाया की वसूली बताई गई है। अध्याय IV में लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी डेटा विश्लेषण के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण डेटा असंगतियों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गयी है। अध्याय V में जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान देखे गये प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर चर्चा की गयी है। अध्याय VI में जीएसटी के अन्तर्गत

परिवर्ती क्रेडिट के विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए गए हैं जो सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिवर्ती क्रेडिटों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान ध्यान में आए। जीएसटी के अन्तर्गत दावों की प्रक्रिया पर एसएससीए के संबंध में मंत्रालय ने ₹ 92.08 करोड़ के राशि मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की और फरवरी 2022 तक ₹ 52.93 करोड़ की वसूली सूचित की। परिवर्ती क्रेडिटों पर एसएससीए के संबंध में मंत्रालय ने ₹ 309.82 करोड़ के धन मूल्य की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की और मार्च 2022 तक ₹ 50.39 करोड़ की वसूली सूचित की।

प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

अध्याय 1: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण वि.व.20 की तुलना में वि.व.21 के दौरान ₹ 1,20,555 करोड़ तक (12.56 प्रतिशत) बढ़ गए। अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई), जिसमें वि.व.17 में 21.33 प्रतिशत से निरन्तर कमी होकर वि.व.20 में 1.76 प्रतिशत तक हो गयी, उसमें वि.व.21 में बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। इसके अतिरिक्त, वि.व.21 के दौरान जीडीपी अनुपात के प्रति अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि रही जब यह वि.व.20 में 4.70 प्रतिशत से बढ़कर वि.व.21 में 5.45 प्रतिशत हो गयी। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी जिसमें पूर्व वर्ष (वि.व. 20) की तुलना में क्रमशः ₹ 1,50,215 करोड़ और ₹ 25,467 करोड़ तक वृद्धि हुई।

केन्द्रीय जीएसटी कर¹ राजस्व, तथापि, वि.व.20 में ₹ 6,01,784 करोड़ से 8.34 प्रतिशत तक कम होकर वि.व.21 में ₹ 5,51,541 करोड़ रह गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय जीएसटी कर में भी वि.व.19 में 3.02 प्रतिशत और वि.व.20 में 2.95 प्रतिशत से कमी होकर वि.व.21 में 2.79 प्रतिशत रह गए।

(पैराग्राफ 1.3.1. पैराग्राफ 1.3.1.1 और पैराग्राफ 1.3.2)

¹ जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

अध्याय III: जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

अप्रत्यक्ष करों पर अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन² में लेखापरीक्षा ने जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रणाली सत्यापित प्रवाह के अन्तर्गत सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन के संबंध में की गयी प्रगति की समीक्षा की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरलीकृत विवरणी प्रणाली के रोल आउट में निरन्तर विस्तार और निर्णय करने में विलंब के कारण मूलरूप से परिकल्पित प्रणाली सत्यापित प्रवाह को जीएसटी के रोलआउट के तीन वर्षों से अधिक के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाना था। एक स्थिर तथा सरलीकृत विवरणी प्रणाली के अभाव में जीएसटी के रोल आउट का एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सरलीकृत कर अनुपालन प्रणाली को अभी प्राप्त किया जाना था। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि सरलीकृत विवरणियों के रोलआउट के लिए एक निश्चित समय सीमा नियत और कार्यान्वित की जाए क्योंकि बार-बार आस्थगन के परिणामस्वरूप विवरणी फाईल करने की प्रणाली के स्थिरीकरण में विलम्ब हो रहा था और जीएसटी ईको-सिस्टम में अनिश्चितता बनी हुई थी। 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा में सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की आगे समीक्षा की गयी और जीएसटीआर-1³, जीएसटीआर-2बी⁴ और जीएसटीआर-3बी⁵ की जुड़ाव के संबंध में और आपूर्तिकारों द्वारा घोषित आपूर्तियों के प्रति प्राप्तवर्ता करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्रतिबंधित करने के सम्बंध में महत्वपूर्ण प्रगति नोट की गयी। तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि प्रणाली सत्यापित आईटीसी प्रवाह के साथ एक गैर-हस्तक्षेपीय ई-कर प्रणाली प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त उपाय जैसे जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 के अनिवार्य फाईल

² 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

³ जीएसटीआर-1 एक जावक आपूर्ति विवरण है जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 में और सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 59 में प्रावधान किया गया है।

⁴ जीएसटीआर-2बी एक स्वतः तैयार किया गया विवरण है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण दिए जाते हैं जो जीएसटीआर-3बी में पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं।

⁵ जीएसटीआर-3बी एक स्वतः निर्धारित संक्षिप्त मासिक विवरणी होती है जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार के लिए दायी जावक आपूर्तियों और आवक आपूर्तियों का सार अभिगृहीत होता है।

करने और जीएसटी के सामान्य पोर्टल में निवारक जांचों के ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.1)

माल एवं सेवा कर पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने पाया कि कर अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देशों/मानक परिचालन क्रियाविधि के आधार पर विवरणियों की संवीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली सीबीआईसी को अभी स्थापित करनी थी। इसलिए, जीएसटी लागू करने के तीन वर्षों के बाद भी विधि द्वारा यथा अधिदेशित विभाग के एक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्य को अभी भी प्रभावी ढंग से रोल आउट किया जाना था। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि विस्तृत निर्देशों/मानक परिचालन) क्रियाविधि के आधार पर विवरणी संवीक्षा की एक जोखिम आधारित मानकीकृत प्रणाली सक्रिय रूप से विचाराधीन थी।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि विवरणी संवीक्षा की एक प्रभावी जोखिम आधारित मानकीकृत प्रणाली (विस्तृत निर्देशों/मानक परिचालन क्रियाविधि के साथ) शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वित की जानी चाहिए ताकि विधि के अनुसार मामलों के कालबाधित होने से पहले अनुपालन न करने वाले करदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त समय हो। ऐसी संवीक्षा में विवरणियों का जोखिम-आधारित चयन शामिल होना चाहिए और संवीक्षा (आयकर के संबंध में संवीक्षा निर्धारण के समान) के परिणाम भी सीबीआईसी-जीएसटी सिस्टम के माध्यम से वास्तविक समय में अभिगृहीत होने चाहिए ताकि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और स्वच्छचारिता में कमी लाई जा सके।

(पैराग्राफ 3.2)

अप्रत्यक्ष कर डेटा का अध्ययन करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने और विभिन्न हितधारकों के साथ आउटपुट का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से सीबीआईसी ने वैश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबन्धन निदेशालय (डीजीएआरएम) का गठन किया (जुलाई 2017)।

डीजीएआरएम द्वारा जीएसटीएन और डीजी (सिस्टम) से प्राप्त जीएसटी विवरणियों के डेटा पर और सीबीडीटी से प्राप्त आयकर विवरणी (आईटीआर) के डेटा पर व्यापक डेटा विश्लेषण को उपयोग में लाते हुए उच्च जोखिम वाले

करदाताओं की पहचान की जाती है। उच्च जोखिम वाले करदाताओं की सूची को कार्रवाई हेतु आँकड़ा प्रबन्धन निदेशालय (डीडीएम) के पोर्टल पर विभिन्न विश्लेषण प्रतिवेदनों के माध्यम से सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने डीजीएआरएम की प्रतिवेदनों के मानीटरिंग और फीडबैक तंत्र की जांच की और पाया कि डीजीएआरएम प्रतिवेदनों में पहचान किए गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा मानीटरिंग की कार्रवाई के लिए मैनुअल/अर्धस्वचालित तंत्र का प्रयोग उप इष्टतम है और आईटी की पूरी शक्ति का उचित ढंग से लाभ प्राप्त करने में विफल रहा है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समस्त कार्यकलाप सीबीआईसी-जीएसटी प्लेट फार्म के भाग के रूप में एंड-टू-एंड स्वचालित होने चाहिए।

(पैराग्राफ 3.3)

अध्याय IV: माल और सेवा कर शुद्धवर्क द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता

अगस्त 2021 तक करदाताओं द्वारा फाईल किए गए वि.व.2017-18 से वि.व.2019-20 तक की अवधि से संबंधित जीएसटी विवरणियों के डेटा तक लेखापरीक्षा को अभिगम फरवरी 2021 से जीएसटीएन के परिसर में प्रदान किया गया। अभिगृहीत डेटा की गुणवत्ता पर आश्वासन प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक विश्लेषण किया गया।

(पैराग्राफ 4.1)

जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए अखिल भारतीय डेटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा में करयोग्य मूल्य और घोषित कर देयता के बीच महत्वपूर्ण डेटा असंगतियां पायी गयीं। जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के बीच और जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 विवरणियों में अभिगृहीत आईटीसी के आंकड़ों के बीच भी असंगतियां पाई गईं। लेखापरीक्षा डेटा की विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर सका जोकि जीएसटी में लेखापरीक्षा अंतरदृष्टि और प्रवृत्तियों का पता लगाने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, जैसेकि कर देयता और अखिल भारतीय स्तर पर आईटीसी असंतुलन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ था।

(पैराग्राफ 4.6)

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को उपयुक्त वैधीकरण नियंत्रण (वे नियंत्रण जो अनुचित डेटा प्रविष्टि को रोकते हैं अथवा अनुचित डेटा के प्रति करदाता को सावधान करते हैं अथवा दोनों) लागू करने पर विचार करना चाहिए जो महत्वपूर्ण डेटा घटकों के संबंध में पश्च डेटा विश्लेषण द्वारा अनुपूरित हों जहां (जैसे कि कर की राशि; कर योग्यमूल्य; कर घटक जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईटीसी और कर की राशियों का वैधीकरण, वार्षिक और मासिक विवरणियों के बीच) की प्रविष्टि करदाता द्वारा की जाती है। डेटा की असंगतियों के मामलों की समीक्षा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए जीएसटीएन में एक प्रभावी समीक्षा और अनुवर्ती प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विचलनों के मामले में कर अधिकारियों को अशुद्धियों के प्रति सतर्क किया जा सकता है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 4.7)

अध्याय V: जीएसटी के तहत प्रतिदाय दावों का प्रसंस्करण

समय पर प्रतिदाय प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक आवश्यक नकदी और नकद प्रवाह उपलब्ध कराकर करदाताओं को सुविधा प्रदान की जाती है। लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक अवधि से संबंधित केन्द्रीय कर प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियागत और प्रदत्त जीएसटी प्रतिदाय दावों की जांच की। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा प्रतिदाय करने के संबंध में निश्चित प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दें पाए जिनको सम्बोधित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.3)

प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकारों द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-1 विवरणियोंके साथ करदाता द्वारा प्राप्त किए गए आईटीसी का मिलान करने के लिए और राशि प्रदत्त किए जाने के बाद डेटा विश्लेषण द्वारा कपटपूर्ण मामलों की पहचान करने के लिए एक तंत्र मौजूद है। तथापि वास्तविक समय/ लगभग वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का उपयोग करके प्रतिदाय संबंधी धोखा-धड़ी को रोकने/कम करने के लिए पर्याप्त प्रणाली मौजूद नहीं थी ताकि

प्रतिदाय संस्वीकृत करने से पहले कर संबंधी कर्मचारियों को सतर्क किया जा सके।

(पैराग्राफ 5.6.1)

लेखापरीक्षा में 34 कमिश्नरियों से प्राप्त जुलाई 2017 से सितम्बर 2019 तक (स्वचालन पूर्व) की अवधि से सम्बन्धित जीएसटी प्रतिदायों से सम्बन्धित सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (पीएफएमएस) के डेटा का विश्लेषण किया गया और भुगतान प्रक्रिया की स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ मामले को उठाया। विभाग द्वारा मिलान और निगरानी के अभाव के कारण ₹ 13.73 करोड़ की राशि के दोहरे भुगतानों के 410 दृष्टांत लेखापरीक्षा में पाए गए।

(पैराग्राफ 5.6.3)

जीएसटी के कार्यान्वयन के चार वर्ष बाद भी प्रतिदायों की समीक्षा और पश्च-लेखापरीक्षा की एक उचित प्रणाली को प्रभावी ढंग से संस्थापित नहीं किया गया था जिससे विभाग समय पर कमियों को सुधार सके।

(पैराग्राफ 5.6.4)

अनुपालन मुद्दे

लेखापरीक्षा में केन्द्रीय कर प्राधिकारियों द्वारा संसाधित 12,283 प्रतिदाय मामलों के एक जोखिम-आधारित नमूने के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों, संबंधित नियमों, क्रियाविधियों आदि के अनुपालन की जांच की गयी। लेखापरीक्षा में 522 मामले पाए गए जहां ₹ 185.28 करोड़ का अधिक/अस्वीकार्य प्रतिदाय विभिन्न कारणों से संस्वीकृत किया गया जैसे समायोजित कुल बिक्री की गलत संगणना, अपात्र संचित आईटीसी को हिसाब में लेना वे दावे जो कालबाधित हो गए थे उनको हिसाब में लेना आदि।

लेखापरीक्षा में उन प्रतिदायों मामलों की बड़ी संख्या पाई गई जहां विभाग ने प्रतिदायों की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया जिसके कारण प्रतिदाय आदेशों की पावती, अभाव जापन और संस्वीकृति जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के दृष्टांत रहे। इसके अतिरिक्त अधिकांश मामलों में विभाग ने विलम्बित प्रतिदायों के मामले में करदाताओं को ब्याज का भुगतान नहीं किया।

(पैराग्राफ 5.7)

जीएसटी प्रतिदायों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए राज्य माल एवं सेवा कर पर तदनुसूची प्रभाव परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

(पैराग्राफ 5.9)

लेखापरीक्षा ने प्रतिदाय प्रक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 12 सिफारिशों को शामिल किया है। मंत्रालय ने नौ सिफारिशों स्वीकार की हैं और बताया कि आठ सिफारिशों के संबंध में जीएसटीएन/डीजी (सिस्टम) के साथ मामला उठाया जाएगा। एक सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि मामले को क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ उठाया जाएगा और परामर्श को जारी किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग ने ₹ 52.93 करोड़ की वसूली की है।

(पैराग्राफ 5.10)

अध्याय VI: जीएसटी के अन्तर्गत परिवर्ती क्रेडिट

विरासतीय कर व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बार का प्रवाह होने के नाते परिवर्ती क्रेडिट का लाभ दोनों करदाताओं जो या तो पुराने व्यवस्था से स्थानांतरित हुए हैं या जीएसटी के अन्तर्गत नए पंजीकृत हुए हैं द्वारा उठाया जा सकता है। कुल 10.13 लाख करदाताओं ने जीएसटी अधिनियमों के अन्तर्गत ₹ 1,72,584.96 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट के लाभ का दावा किया था जिसमें से 3.46 लाख, करदाताओं के 34 प्रतिशत, सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार के अधीन थे। इन करदाताओं के परिवर्ती क्रेडिट दावे ₹ 1,34,029.23 करोड़ थे जो जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत दावा किए गए कुल परिवर्ती क्रेडिट का 78 प्रतिशत बनते थे।

(पैराग्राफ 6.3)

विभाग ने सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन के लिए 50,000 (अंतरंग⁶ डेटा सैट) उच्च मूल्य वाले परिवर्ती क्रेडिट मामलों की पहचान की थी। लेखापरीक्षा ने इन 50,000 मामलों के आँकड़ों विश्लेषण के आधार पर विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 8,514 मामलों के अखिल भारतीय नमूने का चयन किया।

⁶ अंतरंग सीबीआईसी के अधिकारियों के लिए एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है।

8,514 मामलों का नमूना आकार ₹ 82,754.77 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट को प्रदर्शित करता था और केन्द्रीय पक्ष पर कुल परिवर्ती क्रेडिट का लगभग 62 प्रतिशत बनाता था।

(पैराग्राफ 6.5)

मांग और अनुवर्तन के बावजूद, सीबीआईसी की विभागीय संरचनाओं ने 954 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप 11 प्रतिशत नमूना आकार, जो दावा किए गए परिवर्ती क्रेडिट के ₹ 6,849.68 करोड़ का द्योतक था, की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अन्य 2,209 मामलों में, जोकि दावा किए गए ₹ 19,660.72 करोड़ के क्रेडिट के द्योतक थे, आंशिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत किए गए क्योंकि क्रेडिट की पात्रता को अवधारित करने वाले सुसंगत मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिससे पर्याप्त गुंजाइश की सीमा रही। इन अभिलेखों में से मंत्रालय ने बताया कि कुछ अभिलेख और सत्यापन संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी अलग से लेखापरीक्षा की जाएगी और प्रतिवेदित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अभिलेखों के रखने में व्यापक अन्तर था और अधिकांश क्षेत्राधिकार में सत्यापित मामलों के लिए अभिलेखों का रख-रखाव अपर्याप्त था।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सत्यापित 6,999 मामलों में से 1,132 मामलों में अनियमितताएं पाईं।

(पैराग्राफ 6.8)

प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभाग ने 2018-19 के लिए प्राथमिकता के तौर पर सत्यापन के लिए शीर्ष 50,000 मामलों की पहचान की थी तथापि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था और विभाग को अभी 8,849 मामलों⁷ का सत्यापन करना था। पता लगायी गयी अनियमितताओं में वसूली की दर कम थी। प्रति क्षेत्राधिकारी मुद्दों और कुछ जोनों में केन्द्रीय कर क्षेत्राधिकार में

⁷नवम्बर 2021 तक

समन्वय के अभाव से सत्यापन करने और वसूली कार्रवाई प्रारम्भ करने में बाधा आई।

इन निष्कर्षों के मद्देनजर लेखापरीक्षा ने सिफारिशों की हैं।

- उन मामलों के लिए अभिलेख का प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना जिनके लिए परिकल्पित, विस्तृत लेखापरीक्षा जाचें पूरी नहीं की जा सकीं। इनकी लेखापरीक्षा द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी।
- क्षेत्राधिकारिक संरचनाओं में सत्यापन अभिलेखों के अपर्याप्त अनुरक्षण के मुद्दे को संबंधित करना चूँकि वे वर्तमान रूप में समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

मंत्रालय ने सत्यापन की अद्यतन प्रास्थिति उपलब्ध करायी और बताया (फरवरी 2022) की अन्य 4,770 मामलों का सत्यापन किया गया था और 4,079 मामले सत्यापन के लिए लम्बित थे, और अनियमित आईटीसी के पता लगाने में वृद्धि होकर ₹ 10,965.91 करोड़ हो गई थी जिसमें से ₹ 3,596.10 करोड़ की वसूली की गयी थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि बोर्ड परिवर्ती क्रेडिट दावों के तेजी से सत्यापन की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा था।

(पैराग्राफ 6.9.1)

अनुपालन मुद्दे

लेखापरीक्षा समीक्षा में उन विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के परिवर्ती क्रेडिट दावों में महत्वपूर्ण अनियमितताओं का खुलासा हुआ जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 की उपधाराओं, धारा 142(11) और ब्याज के भुगतान से संबंधित धारा 50(1) द्वारा विनियमित थे।

लेखापरीक्षा में ₹ 977.54 करोड़ की राशि वाले, विस्तार से जांच किए गए 7,560 मामलों में से 1,438 मामलों में, 1,686 अनुपालन विचलन पाए गए। पायी गयी अनियमितताएं चार श्रेणियों में अपेक्षाकृत रूप से उच्च थी यथा दस्तावेजों के बिना स्टॉक में शुल्क प्रदत्त माल का अपात्र क्रेडिट, पूंजीगत माल पर न लिए गए क्रेडिट पर अनियमित दावा, पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट और अंत शेषों पर अनियमित दावा। यह मानते हुए कि विभाग ने इन मामलों के 79 प्रतिशत का सत्यापन किया था, विचलन दर

से पता चला कि विभाग द्वारा की गयी सत्यापन प्रक्रिया में अपर्याप्तताएं रहीं। 1,438 मामलों, जहां लेखापरीक्षा ने अनियमितताएं पाई, में से 1,132 मामलों का विभाग द्वारा सत्यापन किया गया था और विभाग ने ₹ 735.69 करोड़ की राशि की अनियमितताएं नहीं बताई थीं।

इन अनुपालन निष्कर्षों के मद्देनज़र, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है।

- ट्रान 1 की तालिका 7 (ए) बी (बीजक के बिना शुल्क भुगतान किए गए भण्डार पर क्रेडिट) में दर्शाये गए और उन मामलों, जहां तालिका 5 (ए) (विरासतीय विवरणी के अंतिम क्रेडिट शेष) के तहत परिवर्ती क्रेडिट दावा विरासतीय विवरणी के अंतिम शेष से अधिक था, उच्च जोखिम वाले दावों का सत्यापन सुनिश्चित करना।
- इस लेखापरीक्षा के दौरान बताए गए अनुपालन विचलनों के लिए दावों के समयबाधित होने से पहले उपचारात्मक उपाय शुरू करना।

(पैराग्राफ 6.9.2)

अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति

इस अध्याय में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्ति का विहंगावलोकन दिया गया है।

1.1 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन माल तथा सेवा कर के उदग्रहण तथा संग्रहण वाले मुद्दों से मुख्य रूप से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह और विरासतीय सेवा कर के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है। सीमा शुल्क के उदग्रहण तथा संग्रहण पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अलग प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गये हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गये अप्रत्यक्ष करों की चर्चा नीचे की गई है:

क) माल एवं सेवा कर: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वह कर है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों के अलावा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर होता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017⁸ से लागू हुआ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा), सेवा कर, सीमा शुल्क के घटको प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) तथा राज्यों के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर जारी रखा गया है क्योंकि ये उत्पाद वर्तमान में जीएसटी से बाहर रखे गये हैं, तथा जिन्हे बाद में जीएसटी के भीतर लाया जाएगा। तंबाकु उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी दोनों के अधीन हैं। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है अर्थात् कर राज्यों को देय है जहां माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया गया है। जीएसटी के अलावा, एक उपकर नामित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, कुछ मालों अर्थात् तंबाकु उत्पादों, कोयला, सोडा वाटर, मोटर कार आदि पर उदग्रहित किया जाता है।

⁸ जम्मू एवं कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से लागू

जीएसटी के तीन घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

- **केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अन्दर माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्र सरकार को देय।
- **राज्य/संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी):** राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अन्दर माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को देय।
- **एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी):** माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा उदग्रहित किया जाता है। समान्तर आईजीएसटी भारत में किए गये आयातों पर भी उदग्रहित किया जाता है। आईजीएसटी को संघ एवं राज्यों के बीच उस तरीके से बांटा जाएगा जैसा कि संसद द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रावधान किया जाए।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उदग्रहित किया जाता है जिसे जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। तंबाकू तथा पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के उदग्रहण की संसद के पास शक्तियां हैं। (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची सं.1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर (विरासतीय): कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर उदग्रहित किया जाता था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में परिकल्पित था कि नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट के अलावा, किसी एक व्यक्ति से किसी अन्य को कर योग्य क्षेत्र में दी गयी अथवा दिए जाने के लिए सहमति वाली तथा ऐसे तरीके में संग्रहण की जाने वाली, जैसा भी निर्धारित⁹ किया जाए पर सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर पर कर उदग्रहित किया जाएगा। 'सेवा' को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (44) में परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु

⁹ धारा 66बी को 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा समाविष्ट किया गया था; धारा 66डी में नकारात्मक सूची की मदों की सूची शामिल हैं।

(उसमें से छोड़ी गई मदों के अलावा) गतिविधि तथा किसी घोषित सेवा¹⁰ को शामिल करना था।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशों तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों का दो वैधानिक बोर्डों के माध्यम से समन्वय करता है। नामतः केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी¹¹), तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जिन्हें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अन्तर्गत गठित किया गया था। जीएसटी के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामले सीबीआईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीआईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। जीएसटी के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से, सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का जीएसटी के 21 जोनों में पुर्नगठन किया जिनकी अध्यक्षता दिनांक 16 जून 2017 के परिपत्र द्वारा प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। जीएसटी के इन 21 जोनों के अन्तर्गत 107 जीएसटी करदाता सेवा कमिश्नरियां हैं जो जीएसटी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यों को करती हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधान आयुक्त/ आयुक्त द्वारा की जाती है। डिवीजन तथा रेंजों को बाद में गठित किया गया जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक आयुक्त तथा अधीक्षकों द्वारा की जाती है। इन कमिश्नरियों के अलावा, 49 जीएसटी अपील कमिश्नरियां, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरियां तथा 22 निदेशालय हैं जो विशिष्ट कार्यों को करते हैं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रबंधन के लिए डीजी (प्रणाली) तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा मादक शराब अकादमी (एनएसीआईएन)¹² के लिए डीजी है।

¹⁰ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई घोषित सेवा की सूची है।

¹¹ पूर्व में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)

¹² पूर्व में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और मादक पदार्थ राष्ट्रीय अकादमी (एनएसीईएन)

1.3 राजस्व प्रवृत्ति

1.3.1 अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृत्ति

संघ सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। पूर्व जीएसटी व्यवस्था में, अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमा शुल्क शामिल थे। जीएसटी के लागू करने के पश्चात, जीएसटी में सेवाकर तथा पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों को सम्मिलित¹³ कर लिया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पेट्रोलियम उत्पादों पर उदग्रहित किया जाना जारी है तथा तंबाकू जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के अधीन है। भारत सरकार के सभी संसाधनों तथा संघ सरकार के कर राजस्व का 2016-17 से 2020-21 तक का विवरण तालिका सं. 1.1 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.1: भारत सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)				
कर घटक	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	24,59,510	25,98,705	25,67,917	23,64,148	22,23,988
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	9,47,174	10,50,685	11,37,718	10,02,738	8,49,801
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	10,79,929	9,59,374	9,42,747	9,16,445	8,66,167
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	4,30,654	5,88,273	4,86,388	4,41,383	5,06,721
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	1,752	373	1,063	3,582	1,299
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	37,897	50,349	94,979	1,00,049	47,743
ग. ऋण और अग्रिमों की वसूली	29,923	18,647	30,257	70,639	40,971
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	81,62,910	73,01,386	67,58,482	65,54,002	61,34,137
भारत सरकार की प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	1,06,90,240	99,69,087	94,51,635	90,88,838	84,46,839

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखा।

..** कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों की शुद्ध प्राप्तियों का हिस्सा शामिल है।

¹³ तंबाकू उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर, दोनों को उदग्रहित किया जाता है।

वि.व.20 की तुलना में वि.व.21 के दौरान ₹ 1,20,555 करोड़ (12.56 प्रतिशत) तक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई, अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई), जिसमें वि.व.17 में 21.33 प्रतिशत से निरन्तर कमी होकर वि.व.20 में 1.76 प्रतिशत तक हो गयी, उसमें वि.व.21 में बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी, जिसमें पिछले वर्ष (वि.व.20) की तुलना में क्रमशः ₹ 1,50,215 करोड़ और ₹ 25,467 करोड़ की वृद्धि हुई थी। तथापि, केन्द्रीय जीएसटी करों¹⁴ से प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वि.व.21 में ₹ 50,243 करोड़ (8.34 प्रतिशत) की कमी आई है।

कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का भाग वि.व.17 में 38.95 प्रतिशत से वि.व.20 में 36.92 प्रतिशत तक लगातार घट रहा था। हालांकि, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष कर का भाग वि.व.20 में 36.92 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में 43.90 प्रतिशत रहा।

1.3.1.1 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि- प्रवृत्ति और संघटन

तालिका 1.2 जीडीपी तथा सकल कर राजस्व के संबंध में वि.व.17 से वि.व.21 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका सं.1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्षकर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.17	8,61,812	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24
वि.व.18	9,13,486	1,67,73,145	5.45	19,19,184	47.59
वि.व.19	9,40,099	1,89,71,237	4.96	20,80,465	45.18
वि.व.20	9,56,574	2,03,51,013	4.70	20,10,058	47.58
वि.व.21	10,77,597	1,97,45,670	5.45	20,27,104	53.15

स्रोत: कर राजस्व-संघ वित्त लेखा, जीडीपी- सीएसओ¹⁵ का प्रैस नोट।

*अप्रत्यक्ष करों में, सीएक्स, एसटी, जीएसटी, सीमा शुल्क तथा अन्य वस्तु तथा सेवाओं पर कर राजस्व शामिल है।

¹⁴ जीएसटी राजस्व में केंद्रीय सेवा एवं माल कर, एकीकृत सेवा एवं माल कर, केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर और जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

¹⁵ केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2020 को जीडीपी पर जारी किया गया प्रैस नोट।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वि.व.17 में 5.68 प्रतिशत से घटकर वि.व.20 में 4.70 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, वि.व.21 के दौरान अप्रत्यक्ष करों से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि हुई थी जब यह बढ़कर 5.45 प्रतिशत हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का मुख्य कारण वि.व.21 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो वि.व.20 में ₹ 2,39,452 करोड़ से बढ़कर वि.व.21 में ₹ 3,89,667 करोड़ हो गई, जो 62 प्रतिशत की वृद्धि है।

सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वि.व.17 में वि.व.19 तक घटती प्रवृत्ति रही। तथापि, वि.व.20 में, सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुये वि.व.19 में 45.18 प्रतिशत से वि.व.21 में 53.15 प्रतिशत तक बढ़ गया।

यह बताये जाने पर (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि 2015-16 से 2016-17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में उच्च वृद्धि में अन्य बातों के साथ-साथ कर नीति/संरचना में बदलाव जैसे सेवा कर दर में वृद्धि और बुनियादी ढांचा उपकर¹⁶, स्वच्छ भारत उपकर¹⁷, स्वच्छ पर्यावरण उपकर¹⁸ और कृषि कल्याण उपकर¹⁹ जैसे नए उदग्रहण/उपकर की शुरुआत ने योगदान दिया गया। 2017-18 और 2019-20 के बीच अप्रत्यक्ष करों में कमी के लिए, मंत्रालय ने नीति से संबंधित कारकों जैसे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) आयात पर शुल्क दरों में कमी, निर्यात संवर्धन योजनाओं का प्रभाव, पेट्रोल और डीजल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में कमी (2017-18 और 2018-19 के दौरान) और जीएसटी व्यवस्था के तहत परिवर्ती क्रेडिट के प्रभाव का हवाला दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2019-20 के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कोविड-19 की शुरुआत के कारण वि.व. के अंत तक आयात की मात्रा में गिरावट शुरू हो गई।

¹⁶ बुनियादी ढांचा उपकर 1 मार्च 2016 से लागू हुआ।

¹⁷ 15 नवंबर 2015 से प्रभावी और 1 जुलाई 2017 को समाप्त कर दिया गया।

¹⁸ पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर और 1 जुलाई 2010 से लागू किया गया था।

¹⁹ कृषि कल्याण उपकर 1 जून 2016 को लागू हुआ और 1 जुलाई 2017 को समाप्त कर दिया गया

2020-21 के लिए, मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2020 के बाद से जीएसटी संग्रह कोविड-19 के कारण कम आर्थिक विकास से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। हालांकि, वि.व.21 की दूसरी छमाही में वी-आकार की वसूली के बाद जीएसटी संग्रह में तेजी आई थी। इसके अलावा, मार्च और मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया था, जिसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में अच्छी वृद्धि में योगदान दिया था। सीमा शुल्क के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सीमा शुल्क छूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं और बड़ी संख्या में छूटों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, सीमा शुल्क (व्यापार करारों के तहत प्रशासन की मूल नियमावली) नियम, 2020 (कैरोटार)²⁰ की शुरुआत, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)²¹ के व्यापक अनुप्रयोग आदि जैसे नीतिगत परिवर्तनों ने अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में मदद की थी।

1.3.2 अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

2020-21 के दौरान अप्रत्यक्ष कर राजस्व वि.व.20 में ₹ 9,56,574 करोड़ से वि.व.21 में ₹ 10,77,597 करोड़ से 12.65 प्रतिशत बढ़ गया।

तालिका 1.3 और चार्ट 1.1 वि.व.19 तथा वि.व.21 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है:

²⁰ अध्याय वीए और धारा 28डीए को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में वित्त अधिनियम, 2020 के खंड 110 के तहत शामिल किया गया था।


²¹ जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन बनाना और सीमा शुल्क मंजूरी में स्व-अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

कर घटक	2018-19	2019-20	2020-21
केंद्रीय जीएसटी कर ²²	5,84,338 ²³	6,01,784 ²⁴	5,51,541 ²⁵
सीमा शुल्क	1,17,813	1,09,283	1,34,750
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,30,993	2,39,452	3,89,667
सेवा कर	6,904	6,029	1,615
अन्य कर एवं शुल्क	51	26	24
अप्रत्यक्ष कर	9,40,099	9,56,574	10,77,597

(₹ करोड़ में)

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ वित्त लेखा।



जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय जीएसटी कर²⁶ राजस्व वि.व.20 की तुलना में वि.व.21 के दौरान 8.34 प्रतिशत (₹ 50,243 करोड़) तक घटा। जबकि इसी अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों के अन्य दो प्रमुख घटक अर्थात् सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 23.30 प्रतिशत

²²जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल थे।

²³ *₹ 13,944 करोड़ का आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में आईजीएसटी लेखा से केन्द्र द्वारा रखा गया जिसके केन्द्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता थी।

²⁴ ₹ 9,125 करोड़ का आईजीएसटी अधिनियम में उल्लंघन में आईजीएसटी लेखा से केन्द्र द्वारा रखा गया जिसके केन्द्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता थी।

²⁵ ₹ 7,251 करोड़ का आईजीएसटी अधिनियम में उल्लंघन में आईजीएसटी लेखा से केन्द्र द्वारा रखा गया जिसके केन्द्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता थी।

²⁶ जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल थे।

और 62.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, वि.व.21 के दौरान, केंद्रीय जीएसटी करों की हिस्सेदारी कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह का 51 प्रतिशत तक गिर गई। पिछले दो वर्षों, वि.व.19 और वि.व.20 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी करों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत पर स्थिर थी। वि.व.21 के दौरान केंद्रीय जीएसटी करों में कमी को मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के ऋणात्मक प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी कर राजस्व पिछले तीन वर्षों के दौरान घटकर वि.व.21 में 2.79 प्रतिशत हो गया, जो वि.व.20 में 2.95 प्रतिशत और वि.व.19 में 3.02 प्रतिशत था। अतः केन्द्रीय जीएसटी कर में उछाल एवम चिंता का क्षेत्र है जिस पर जीएसटी काउंसिल द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अप्रत्यक्ष करों के सभी प्रमुख घटकों में से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में, जो जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, केवल पांच पेट्रोलियम उत्पादों और तम्बाकू उत्पादों²⁷ पर लगाया जा सकता है, 2020-21 के दौरान ₹ 1,50,215 करोड़ (62.73 प्रतिशत) की काफी वृद्धि हुई, जो वि.व.20 में ₹ 2,39,452 करोड़ से बढ़कर वि.व.21 में ₹ 3,89,667 करोड़ हो गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि मार्च और मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी। इसलिए, अप्रत्यक्ष करों के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व वि.व.20 में 25 प्रतिशत से बढ़कर वि.व.21 में 36 प्रतिशत हो गया।

यह बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि जीएसटी कानूनों और प्रक्रिया के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रारंभ में, जीएसटी दरें पूर्व-जीएसटी कर मामलों और दरों की राजस्व तटस्थता के आधार पर निर्धारित की गई थीं। जीएसटी की शुरुआत के बाद से जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कई दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, जिसके कारण जीएसटी राजस्व में

²⁷ 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, तम्बाकू उत्पाद जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के अधीन है।

कमी आई है। दरों में काफी कमी की गई है, जहां जुलाई 2019 तक प्रति वर्ष लगभग ₹ 92,000 करोड़ की राहत दी गई थी। जहां तक वि.व.21 का संबंध है, मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह में कमी के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी और क्षेत्रीय लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया।

1.3.3 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियाँ

तालिका 1.4 जीएसटी प्राप्तियों के लिए बजट अनुमानों तथा तदनु रूप वास्तविकों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.4: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वि.व.	बजट अनुमान (बीई)				संशोधित अनुमान (आरई)				वास्तविक प्राप्तियाँ			
	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल
2017-18	कोई बीई नहीं, केवल आरई				2,21,400	1,61,900	61,331	4,44,631	2,03,261	1,76,688 ²⁸	62,612	4,42,561
2018-19	6,03,900	50,000	90,000	7,43,900	5,03,900	50,000	90,000	6,43,900	4,57,534	28,945 ²⁹	95,081	5,81,560
2019-20	5,26,000	28,000	1,09,343	6,63,343	5,14,000	--	98,327	6,12,327	4,94,070	9,125	95,553	5,98,748
2020-21	5,80,000	---	1,10,500	6,90,500	4,31,000	---	84,100	5,15,100	4,56,334	7,251	85,192	5,48,777

स्रोत: संघ वित्त लेखा तथा संबंधित वर्षों के लिए प्राप्ति बजट दस्तावेज।

जैसा कि उपरोक्त 1.4 तालिका से देखा जा सकता है, केन्द्रीय जीएसटी राजस्व³⁰ वि.व. 2018-19 तथा 2019-20 और 2020-21 के दौरान बजट अनुमानों से कम था। बजट अनुमानों की तुलना में कमी वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 22 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थी। 2018-19 और 2019-20 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ भी संशोधित अनुमानों से कम थे। हालांकि, 2020-21 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों से अधिक थी और संशोधित अनुमानों का 106.54 प्रतिशत था।

²⁸ ₹ 67,998 करोड़ राज्यों को दिये गये थे तथा शेष ₹ 1,08,690 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये थे।

²⁹ ₹ 15,001 करोड़ राज्यों को दिये गये थे तथा शेष ₹ 13,944 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये थे।

³⁰ सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी प्रति पूर्ति उपकर।

यह बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी (फरवरी 2022) के लिये परिवर्ती क्रेडिट (2017-18), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (2019-20) में ऋणात्मक वृद्धि और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी और क्षेत्रीय लॉकडाउन के कारण कम आर्थिक विकास के कारण (2020-21) प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

1.4 निष्कर्ष

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण वि.व.20 की तुलना में वि.व.21 के दौरान ₹1,20,555 करोड़ तक (12.56 प्रतिशत) बढ़ गए। अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई), जिसमें वि.व.17 में 21.33 प्रतिशत से निरन्तर कमी होकर वि.व.20 में 1.76 प्रतिशत तक हो गयी, उसमें वि.व.21 में बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। इसके अतिरिक्त, वि.व.21 के दौरान जीडीपी अनुपात के प्रति अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि रही जब यह वि.व.20 में 4.70 प्रतिशत से बढ़कर वि.व.21 में 5.45 प्रतिशत हो गयी। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी जिसमें पूर्व वर्ष (वि.व. 20) की तुलना में क्रमशः ₹ 1,50,215 करोड़ और ₹ 25,467 करोड़ तक वृद्धि हुई।

केन्द्रीय जीएसटी कर³¹ राजस्व, तथापि, वि.व.20 में ₹ 6,01,784 करोड़ से 8.34 प्रतिशत तक कम होकर वि.व.21 में ₹ 5,51,541 करोड़ रह गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय जीएसटी कर में भी वि.व.19 में 3.02 प्रतिशत और वि.व.20 में 2.95 प्रतिशत से कमी होकर वि.व.21 में 2.79 प्रतिशत रह गए।

³¹जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रावधान करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), संघ और राज्यों तथा अन्य किसी प्राधिकार या निकाय, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन निहित किया जाए, के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और विधानपरिषद वाली सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी प्राप्तियों के लेखापरीक्षा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिये अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखों पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच और उनकी प्रभावकारिता

प्राप्ति लेखापरीक्षा में मुख्यतः प्रणालियों और प्रक्रियाओं और उनकी प्रभावकारिता की जांच शामिल हैं:

- क. संभावित कर निर्धारिती की पहचान, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपवंचन का पता लगाना और उसकी रोकथाम;
- ख. दण्ड की उगाही और अभियोजन पक्ष की शुरुआत सहित उचित माध्यम से विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग;
- ग. अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सशक्त और सुधारने के लिए प्रस्तुत किये गये कोई मापदंड;

- ड. राजस्व जो बकाया हो सकता है बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया में राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही;
- च. उचित परिश्रम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्वयं-निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता स्वयं अपनी कर विवरणी तैयार करते हैं और विभाग को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रणाली को राजकोषीय विधि जिसमें माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 और विरासतीय कर अधिनियमों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रारंभिक संवीक्षा, विस्तृत संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से विवरणी की संवीक्षा करता है और करदाता द्वारा जमा किए गए कर की यथार्थता को सुनिश्चित करता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए बोर्ड की कार्यात्मक शाखा और विभिन्न क्षेत्र संरचनाओं के अभिलेखों के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी से संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, उसके सहयोगी संगठन और क्षेत्र संरचनाएं शामिल हैं। सीबीआईसी के संरचनात्मक ढांचे और विभागीय इकाइयों की संख्या की चर्चा इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में की गई है। सीबीआईसी और उसकी क्षेत्र संरचना की भूमिकाओं और कर्तव्यों की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है।

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय संघ के अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण के प्रशासन के लिए एक शीर्ष

निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के करारोपण व संग्रह, तस्करी की रोकथाम और अप्रत्यक्ष करों और सीबीआईसी के क्षेत्रांगत नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष और इसमें चार सदस्य होते हैं।

2.2.2 जोन

जोन लेखापरीक्षा योग्य उच्चतम क्षेत्रीय सत्व होते हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त जोन में सभी कमिश्नरियों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं। वे जोन में प्रत्येक कमिश्नरी द्वारा राजस्व संग्रहण की निगरानी और अधिनियमों/नियमों और समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन करते हैं।

2.2.3 कमिश्नरियां

कमिश्नरियां तीन वर्गों अर्थात् कार्यपालक कमिश्नरियां, कमिश्नरियां (लेखापरीक्षा) और कमिश्नरियां (अपील) में विभाजित होती हैं।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर कमिश्नरी (कार्यपालक कमिश्नरी) का प्राथमिक कार्य, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों और संसद के अन्य समबद्ध अधिनियमों जिनमें जीएसटी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण किया जाता है, के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना है। प्रशासनिक तौर पर प्रत्येक कमिश्नरी में एक तीन-स्तरीय ढांचा, प्रथम स्तर पर उसके मुख्यालय, द्वितीय स्तर पर चार से छह प्रभाग और तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के तहत औसतन चार से सात रेंज होती है।

प्रत्येक जोन में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हो सकती हैं जिनका आयुक्त (लेखापरीक्षा) अध्यक्ष होता है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी का मुख्य कार्य है, उसके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा करना, निगरानी समिति सभाओं का आयोजन करना, निर्धारितियों के विरुद्ध केस का अनुसरण करने में कार्यपालक आयुक्त की सहायता करना आदि।

आयुक्त (अपील), एक अपीलिय प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है और आयुक्त रैंक के निचले प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए सभी अधिनिर्णयन आदेशों के संबंध में अपीलों पर आदेश पारित करता है।

2.2.4 डिवीजन

प्रत्येक कार्यपालक कमिश्नरी में चार से छः डिवीजन होते हैं जिनकी अध्यक्षता उप/सहायक आयुक्त करते हैं। डिवीजन प्रमुख उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधियों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे, अंतिम निर्धारण, छूट/प्रतिदाय दावों की स्वीकृति और अर्ध-न्यायिक कार्य करने अर्थात् उनके कार्यनिर्वाह क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के अधिनिर्णयन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

2.2.5 रैंज

प्रत्येक डिवीजन में औसतन चार से सात रैंज होंगी। रैंज का प्रमुख अधीक्षक होता है जो व्यापार और उद्योग तथा विभाग के बीच सूचना का प्रथम कार्यालय होता है। निर्धारण की संवीक्षा, निर्धारितियों द्वारा दायर किए गए निर्दिष्ट विवरणी के आधार पर रैंज द्वारा की जाती है। रैंज अधिकारी, निर्धारण कार्य के अतिरिक्त करदाताओं द्वारा दायर की गई वैधानिक घोषणाओं की यर्थाथता को भी जांचते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद

2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी के अखिल भारतीय डेटा और बैक-एंड प्रणाली तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी के संबंध में इकाई स्तर (रैंज/डिवीजन) पर जेनेरिक जोखिम निर्धारण से अधिक व्यापक विषय वस्तु जोखिम निर्धारण में बदल गया। तदनुसार, नौ फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों के महानिदेशक (डीएसजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में ने जीएसटी के तहत दो प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् जीएसटी प्रतिदाय और परिवर्ती क्रेडिट का संसाधन की एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की।

जीएसटी प्रतिदाय के लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, लेखापरीक्षा ने अगस्त 2018 और जुलाई 2020 के बीच विभाग द्वारा प्राप्त 3,40,894 जीएसटी

प्रतिदाय आवेदनों से विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 12,283 प्रतिदाय मामलों का चयन किया। लेखापरीक्षा में ₹ 185.28 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ विभिन्न प्रणालीगत मुद्दों और अनुपालन विचलनों का अवलोकन किया गया। जीएसटी प्रतिदाय के संसाधन पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को इस रिपोर्ट के अध्याय V में शामिल किया गया है।

जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट की लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा ने सत्यापन के लिए सीबीआईसी द्वारा पहचाने गए 50,000 मामलों³² में से 7,560 (15 प्रतिशत) परिवर्ती क्रेडिट मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा में ₹ 977.54 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव के साथ 1,438 मामलों में 1,686 अनुपालन विचलन देखे गए। परिवर्ती क्रेडिट से संबंधित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर इस रिपोर्ट के अध्याय VI में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 तक जीएसटीएन के परिसर में जीएसटी विवरणी आँकड़ों की भी जांच की, जैसा करदाताओं द्वारा अगस्त 2021 तक फाइल किया गया था। लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा रखे गए जीएसटी आँकड़ों में महत्वपूर्ण विसंगतियां देखीं, जिन पर इस रिपोर्ट के अध्याय IV में चर्चा की गई है।

जीएसटी के अंतर्गत राजस्व प्रवृत्तियों और अनुपालन सत्यापन तंत्र के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को इस रिपोर्ट के अध्याय I और अध्याय III में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने जीएसटी लेखापरीक्षा से संबंधित ₹ 14.52 करोड़ के धन मूल्य के साथ 14 मसौदा पैराग्राफ और विरासतीय कर लेखापरीक्षा (सेवा कर) से संबंधित ₹ 73.84 करोड़ के धन मूल्य वाले 03 मसौदा पैराग्राफ भी जारी किए थे। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2020-21 से पहले की अवधि के दौरान पाया गया था। इन 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

³² अंतरंग डेटा

2.4 सीएजी की पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष का प्रतिवेदन शामिल नहीं) में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और माल तथा सेवा कर से संबंधित ₹ 3,091.87 करोड़ के 1,091 लेखापरीक्षा पैराओं को शामिल किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के विवरण को तालिका 2.1 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष		वि.व.16	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19 एवं वि.व.20	कुल
शामिल पैराग्राफ	सं.	255	300	239	297	1,091
	राशि	435.56	1018.79	401.26	1236.26	3,091.87
स्वीकृत पैराग्राफ	सं.	237	269	216	205	927
	राशि	384.78	548.56	200.39	1,101.12	2,234.85
प्रभावी वसूली	सं.	178	160	116	107	561
	राशि	110.97	372.15	58.37	43.24	584.73

मंत्रालय ने ₹ 2,234.85 करोड़ के 927 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 561 पैराग्राफों में ₹ 584.73 करोड़ की वसूली की।

2.5 इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

हमने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने से पहले उन्हें जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए मंत्रालय को छह सप्ताह का समय दिया था। हमने इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ₹ 1,162.82 करोड़ के धन मूल्य वाली दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) प्रतिवेदनो को शामिल किया है। इन एसएससीए पर एक निर्गम सम्मेलन 7 फरवरी 2022 को विभाग के साथ किया गया था। मंत्रालय ने जीएसटी प्रतिदाय की संस्थापना पर एसएससीए के संबंध में, ₹ 92.08 करोड़ के धन मूल्य के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा की

पहल पर विभाग द्वारा ₹ 52.93 करोड़ की वसूली की सूचना दी। परिवर्ती क्रेडिटों पर एसएससीए के संबंध में, मंत्रालय ने ₹ 309.82 करोड़ के धन मूल्य के साथ लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा के उदाहरण पर विभाग द्वारा ₹ 50.39 करोड़ की वसूली की सूचना दी। हमने 17 मसौदा पैराग्राफ (₹ 88.36 करोड़ के धन मूल्य के साथ) को भी शामिल किया है, जो 2020-21 से पहले पाए गए थे। मंत्रालय ने 12 मसौदा पैराग्राफों का उत्तर दिया और ₹ 8.60 करोड़ के धन मूल्य वाले नौ मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया। पांच मसौदा पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था।

उपर्युक्त के अलावा, हमने जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र, जीएसटी के तहत राजस्व प्रवृत्ति, और जीएसटीएन द्वारा रखे गए जीएसटी आँकड़ों में आँकड़ों विसंगतियों से संबंधित 11 मसौदा पैराग्राफ जारी किए। मंत्रालय ने आठ मसौदा पैराग्राफों का उत्तर दिया और सात मसौदा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों/सिफारिशों को स्वीकार किया। तीन मसौदा पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय III: जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति पर देय कर का स्वयं निर्धारण करेगा और प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी फाइल करेगा। इसलिए, जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर की तरह ही स्व-निर्धारण को बढ़ावा देना जारी रखता है।

स्व-निर्धारण की शुरुआत ने एक प्रभावी कर अनुपालन सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस तरह के तंत्र में सामान्यतौर पर तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं- विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और गैर-अपवंचन कार्य। यह अध्याय उपर्युक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र और बकाये की वसूली के संबंध में सरलीकृत जीएसटी विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन और विभाग के निष्पादन की स्थिति को सामने लाता है।

3.1 सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति

माल एवं सेवा कर संबंधी पिछली दो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों³³ में लेखापरीक्षा ने सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के सिस्टम-सत्यापित प्रवाह के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्षों में सरलीकृत विवरणी प्रणाली के रोल आउट में निरंतर विस्तार और निर्णय लेने में देरी के कारण, जीएसटी के रोल आउट होने के बाद से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आईटीसी के मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली सत्यापित प्रवाह को अभी तक लागू नहीं किया गया था। एक स्थिर और सरलीकृत विवरणी प्रणाली के अभाव में, जीएसटी को रोल आउट करने के मुख्य उद्देश्यों में से एक अर्थात् सरलीकृत कर अनुपालन प्रणाली को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका था। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरलीकृत विवरणी फॉर्म को रोल आउट करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है और इसे लागू किया जा

³³ 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 (माल और सेवा कर) और 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 (अप्रत्यक्ष कर- माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)

सकता है क्योंकि बार-बार स्थगित होने के परिणामस्वरूप विवरणी फाइलिंग प्रणाली के स्थिरीकरण में देरी हो रही थी और जीएसटी इको-प्रणाली में निरंतर अनिश्चितता थी।

2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और जीएसटीआर-1³⁴, जीएसटीआर-2 बी³⁵ और जीएसटीआर-3 बी³⁶; को जोड़ने के संबंध में विवरणी प्रणाली में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को नोट किया; और प्राप्तकर्ता करदाताओं के आईटीसी को जीएसटीआर-1/बीजक फर्निशिंग फैसिलिटी³⁷ (आईएफएफ)³⁸ में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित आपूर्ति तक सीमित किया।

जीएसटी में मूल रूप से परिकल्पित जीएसटी में विवरणी तंत्र और इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

जीएसटी में मूल विवरणी तंत्र में इलेक्ट्रॉनिक विवरणी फाइल करने, बीजक स्तर की जानकारी अपलोड करने, आपूर्तिकर्ता के विवरणी से प्राप्तकर्ता के विवरणी से आईटीसी से संबंधित जानकारी को स्वचालित रूप से भरा जाना, बीजक स्तर की जानकारी मिलान और मासिक विवरणी के स्वचालित रूप से सृजन की परिकल्पना की गई थी।

आईटीसी के सिस्टम सत्यापित प्रवाह को विवरणी जीएसटीआर 1, 2 और 3 के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी।

क. मूल रूप से यह परिकल्पना की गई थी कि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 के माध्यम से महीने के दौरान उनके द्वारा की गई जावक आपूर्ति का बीजक-वार विवरण फाइल करेंगे। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की

³⁴ जीएसटीआर -1 एक जावक आपूर्ति विवरण है जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 में प्रदान किया गया है।

³⁵ जीएसटीआर-2बी एक ऑटो-ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होता है जिसे जीएसटीआर-3बी में पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

³⁶ GSTR-3B एक स्व-मूल्यांकन सारांश विवरणी है जो बाहरी आपूर्ति और रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति के सारांश को कैप्चर करता है

³⁷ आईएफएफ चालान फर्निशिंग फैसिलिटी है, जो छोटे करदाताओं (जो तिमाही विवरणी फाइल करते हैं) को हर महीने अपना चालान अपलोड करने की अनुमति देता है।

³⁸ 1 जनवरी 2022 से प्रभावी। सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 40/2021-केंद्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 के माध्यम से।

गई जावक आपूर्तिकर्ता के विवरण को फॉर्म जीएसटीआर-2ए के माध्यम से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था।

ख. इसी प्रकार, कंपोजिशन करदाताओं, इनपुट सेवा वितरकों और अनिवासी करदाताओं के साथ-साथ सरकारी विभागों/एजेंसियों और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित आपूर्तिकर्ता के विवरण भी प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से उपलब्ध कराए जाने थे।

ग. इसके बाद, फॉर्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध विवरणों के आधार पर, करदाता को अन्य कॉमन आपूर्ति के विवरण को शामिल करने के बाद फॉर्म जीएसटीआर-2 प्रस्तुत करना था।

घ. प्राप्तकर्ता द्वारा अपने प्रपत्र जीएसटीआर-2 में जोड़े गए, सही किए गए या हटाए गए आवक आपूर्ति के विवरण को सामान्य पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जीएसटीआर-1ए के रूप में आपूर्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था। आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए संशोधनों को या तो स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 को उसके द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों की सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए।

ड. जीएसटीआर-1, 1 ए और 2 ए की तुलना में, जो बीजक स्तर के ग्रानुलर विवरणी हैं, जीएसटीआर-3 एक मासिक विवरणी है जिसमें जीएसटी देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री और खरीद का विवरण होता है। जीएसटीआर-3 के अधिकांश तत्वों को जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः सृजित किया जाना था, जबकि करदाता को जीएसटीआर-3 फाइल करते समय इलेक्ट्रॉनिक कैश बही खाता और इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट बही खाता में डेबिट प्रविष्टियों से दावा किए गए कर, ब्याज, जुर्माना, रिफंड की देयता के निर्वहन का विवरण शामिल करना था।

हालांकि, तैयार नहीं किए गए जीएसटी इको सिस्टम और विवरणी फॉर्म की जटिलता के कारण, मूल रूप से परिकल्पित प्रमुख विवरणी को स्थगित कर दिया गया था और एक नया सरल अस्थायी विवरणी, जीएसटीआर-3 बी, शुरू में दो महीने के लिए प्रस्तुत किया गया था। जीएसटीआर-3 बी को एक स्व-

निर्धारण सारांश विवरणी के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसने प्रति प्रभार के लिए उत्तरदायी जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति के सारांश कैप्चर कर लिया था। परिणामस्वरूप, आईटीसी को अब करदाताओं द्वारा फाइल इन स्व-निर्धारण सारांश विवरणी के आधार पर निपटाया जाएगा। बीजक स्तर पर आईटीसी के मूल रूप से परिकल्पित सिस्टम सत्यापित प्रवाह को स्थगित रखा गया था, इस प्रकार सिस्टम को आईटीसी धोखाधड़ी के लिए अधिक संभावना वाला बना दिया गया था।

नया विवरणी तंत्र

जीएसटी परिषद ने अपनी 27 वीं बैठक (मई 2018) में नई सरलीकृत विवरणी फाइलिंग प्रणाली के डिजाइन के लिए व्यापक सिद्धांतों को मंजूरी दी। मई 2019 में, करदाताओं को नए विवरणी फॉर्म का लुक और फील करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑफलाइन टूल का एक प्रोटोटाइप साझा किया गया था और जुलाई 2019 से, करदाता परिचित होने के लिए परीक्षण के आधार पर बीजक अपलोड करने में सक्षम थे।

जीएसटी परिषद ने अपनी 28 वीं बैठक (जुलाई 2018) में फैसला किया कि नए विवरणी तंत्र को 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। बाद में, अपनी 31 वीं बैठक में, जीएसटी परिषद (दिसंबर 2018) ने आरम्भ की तिथि को बढ़ा दिया और नए विवरणी फॉर्म को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया ताकि जनवरी 2020 से, सभी करदाता नए विवरणी तंत्र के अनुसार विवरणी फाइल करेंगे, और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, जिसे अस्थायी विवरणी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, को पूरी तरह से चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ने अपनी 37 वीं बैठक (सितंबर 2018) में नई विवरणी प्रणाली को लागू करने की तिथि को फिर से बढ़ा दिया और फैसला किया कि नई विवरणी प्रणाली को 1 अप्रैल, 2020 से प्रस्तुत किया जाएगा। जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक (मार्च 2020) में, नई विवरणी प्रणाली के कार्यान्वयन को सितंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था।

इसके बाद जीएसटी काउंसिल ने अपनी 42वीं बैठक (अक्टूबर 2020) में प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली को एक बार में लागू नहीं करने का फैसला

किया है। परिषद ने वर्तमान परिचित जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी योजना में नई विवरणी प्रणाली की विशेषताओं को वृद्धिशील रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है। यह परिकल्पना की गई थी कि नया दृष्टिकोण करदाता को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही खाता में उपलब्ध आईटीसी को सभी स्रोतों से देखने की अनुमति देगा, जैसे कि घरेलू आपूर्ति, आयात और प्रति प्रभार पर भुगतान आदि कर के भुगतान की नियत तिथि से पहले, और सिस्टम को करदाता और उसके सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फाइल आंकड़ों के माध्यम से विवरणी (जीएसटीआर-3 बी) को स्वतः भरने में सक्षम बनाएगा।

प्रस्तावित विवरणी फाइलिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. फॉर्म जीएसटीआर-3बी में विवरणी फाइल करने से पहले फॉर्म-जीएसटीआर-1 फाइल करना अनिवार्य होगा;
2. जीएसटीआर-1 की फाइलिंग अनुक्रमिक होगी;
3. विवरणी फाइल करते समय आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच कोई दो-तरफा संचार नहीं होगा;
4. आवक आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान, हटाया जाएगा, इसके बजाय फॉर्म-जीएसटीआर-2बी (जीएसटीआर -1, जीएसटीआर-5³⁹ और जीएसटीआर-6⁴⁰ से स्वतः भरा गया बीजक स्तर डेटा) प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा;
5. आईटीसी में प्रतिबंधों का विस्तार करने के लिए जहां ऐसी आपूर्तिकर्ता के इनपुट कर क्रेडिट का विवरण पंजीकृत व्यक्तियों को सूचित नहीं किया गया है।

तदनुसार, सरकार द्वारा विवरणी एन्हांसमेंट एंड एडवांस प्रोजेक्ट (आरईएपी) शुरू किया गया था जिसके तहत:

- जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-6 के आधार पर जीएसटीआर-2बी में स्वतः ड्राफ्ट किए गए इनपुट कर क्रेडिट विवरण अगस्त 2020 से करदाता को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें अन्य

³⁹ अनिवासी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत बीजकों का विवरण।

⁴⁰ अनिवासी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत बीजकों का विवरण।

पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त बी2बी आपूर्ति, माल के आयात, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) और प्रति प्रभार मैकेनिज्म (आरसीएम) आपूर्ति के आधार पर उपलब्ध आईटीसी से संबंधित सभी डेटा शामिल थे।

- आईटीसी की स्वतः भरी गई और जीएसटीआर-2बी और जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3बी विवरणी में देनदारियां दिसंबर 2020 से लागू की गई थीं।
- ₹ 500 करोड़ से अधिक बिक्री वाले करदाताओं के लिए 1 अक्टूबर 2020 से बी2बी लेनदेन और निर्यात बीजक के लिए ई-बीजक⁴¹ अनिवार्य कर दिया गया था। ई-बीजक से डेटा करदाता के जीएसटीआर-1 में स्वतः भरा गया है, जिसका उपयोग बदले में जीएसटीआर-3 बी विवरणी को स्वतः भरने के लिए किया जा रहा है।
- ₹ 5.00 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना के साथ त्रैमासिक विवरणी 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया था, जिसमें मासिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर विवरणी फाइल करने का विकल्प प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने विवरणी फाइलिंग प्रणाली की वर्तमान स्थिति की जांच की और यह राय है कि गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली और आईटीसी के सिस्टम-सत्यापित प्रवाह के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मूल रूप से परिकल्पित⁴² विवरणी प्रणाली करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित मासिक विवरणी (जीएसटीआर-3 का भाग ए) के लिए प्रदान की गई थी, जो उनके द्वारा घोषित कर देयता और उनके लिए उपलब्ध प्रणाली-सत्यापित आईटीसी के आधार पर थी। वर्तमान प्रणाली, हालांकि मासिक विवरणी में कर देयता और पात्र आईटीसी की स्वचालित रूप से भरा जाने के लिए प्रदान करती है, बिना किसी सीमा के स्वतः भरा गई राशि में बदलाव की अनुमति देती है, जिससे करदाताओं द्वारा या तो गलतियों

⁴¹ ई-बीजक जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को 1 अप्रैल 2021 से घटाकर 50 करोड़ कर दिया गया था।

⁴² सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39(1)। और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 60।

या जानबूझकर गलत विवरण के लिए जगह छोड़ दी जाती है। इसके अलावा, करदाता द्वारा जीएसटीआर-3 बी फाइल करने से पहले जीएसटीआर-1 फाइल करना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, मासिक विवरणी में कर देयता और उपलब्ध आईटीसी की स्वतः भरने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है जहां जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, जब तक जीएसटीआर-1 करदाता द्वारा फाइल नहीं किया जाता है, तब तक उसकी कर देयता उसके मासिक विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में स्वचालित रूप से भरे जाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसी तरह, जब तक जीएसटीआर-1 एक आपूर्तिकर्ता द्वारा फाइल नहीं किया जाता है, तब तक पात्र आईटीसी जीएसटीआर-2बी में स्वतः भरे जाने और प्राप्तकर्ता करदाता के मासिक विवरणी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

इस प्रकार, निवारक जांचों के आधार पर मूल रूप से परिकल्पित, गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं की गई है। इस कमी की भरपाई विभाग के अधिक पारंपरिक अंतर्वेधी कार्यों के माध्यम से की जा रही है, जिसके लिए कर-अधिकारी-करदाता इंटरफ़ेस की आवश्यकता होती है। अधिसूचना 94/2020 दिनांक 22 दिसंबर 2020 इस संबंध में एक उदाहरण है जहां केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली के नियम 21 ए में एक नया उप-नियम 2 ए डाला गया है, जिसके तहत यदि जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1/2बी के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां देखी जाती हैं, तो कर अधिकारी सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना करदाता के जीएसटी पंजीकरण को निलंबित कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि कम अंतर्वेधी वाली ई-कर प्रणाली प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने सूचित किया कि वर्तमान विवरणी फाइलिंग प्रणाली के अनुरूप होने के लिए वित्त विधेयक 2022 के तहत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 को वित्त विधेयक, 2022 में संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3 बी विवरणी से पहले जीएसटीआर-1 फाइल करने की अनिवार्य आवश्यकता का प्रावधान किया जा

सके। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 को अनुक्रमिक बनाने के लिए वित्त विधेयक 2022 में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है अर्थात् करदाता जीएसटीआर-1 फाइल करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि पहले की अवधि जीएसटीआर-1 विवरणी फाइल नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि, करदाता की लेखाबहियों के अनुसार आईटीसी और जीएसटीआर-3बी में स्वतः भरे गए आईटीसी के बीच वास्तविक अंतर को ध्यान में रखते हुए, स्वतः भर गए जीएसटीआर-3बी में मूल्यों को संपादन योग्य रखा गया है। जीएसटी पोर्टल जीएसटीआर-3बी के ऐसे क्षेत्रों को उजागर करता है और एक चेतावनी संदेश दिखाई देता है, जहां एक करदाता करदाताओं द्वारा गलतियों/गलत विवरण पर नजर रखने के लिए स्वतः भरा गए मूल्य की तुलना में अधिक आईटीसी का लाभ उठाता है।

लेखापरीक्षा ने मासिक विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में स्वतः भरे गए कर देनदारी और आईटीसी राशि को गैर-संपादन योग्य बनाने में मंत्रालय द्वारा उजागर की गई बाधाओं को नोट किया है। तथापि, लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय सरकारी राजस्व की सुरक्षा में कर कार्यालयों द्वारा किए गए कार्यों पर हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय, स्वतः भरे गए कर देयता/आईटीसी राशियों के संपादन को सीमित करने के लिए कदम उठाते हुए, आईटी प्रणालियों के माध्यम से लागू की जाने वाली निवारक जांचों पर अधिक निर्भर हो सकता है।

3.2 जीएसटी के तहत विवरणी की संवीक्षा

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 में कहा गया है कि उचित अधिकारी विवरणी और जानकारी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है। केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 99 के तहत, यदि कोई हो, तो देखी गई विसंगतियों को करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित स्पष्टीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है, तो कार्यवाही को छोड़ दिया जाएगा, करदाता को सूचित किया जाएगा और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि, हालांकि, करदाता

- सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है (उचित अधिकारी द्वारा विस्तार योग्य), या
- अपने विवरणी में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है जिसमें विसंगति स्वीकार की जाती है,

उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के तहत कर देयता का निर्धारण करने के लिए न्यायनिर्णयन कार्यवाही सहित उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर सकता है।

माल और सेवा कर पर 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 में, लेखापरीक्षा ने पाया था कि सीबीआईसी ने कर अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया/मैनुअल के आधार पर विवरणी की संवीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की थी। इसलिए, विभाग का एक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्य, जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है, जीएसटी कार्यान्वयन के तीन वर्ष बाद भी प्रभावी ढंग से शुरू नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने को सूचित किया⁴³ (अगस्त 2021) कि जीएसटी विवरणी की संवीक्षा के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है। हालांकि, विभाग विसामान्य व्यवहार की पहचान करने के लिए डेटा वैश्लेषिकी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली-आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा था। करदाताओं के विभिन्न विवरणियों के बीच विसंगतियों का विश्लेषण किया जा रहा है और चूककर्ता करदाताओं के संबंध में जीएसटीएन के साथ-साथ विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा रेड फ्लैग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन प्रतिवेदनों को सत्यापन के लिए कर अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगले छह महीनों के भीतर विवरणी संवीक्षा की जोखिम-आधारित मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर क्रेडिट गलत

⁴³ 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 पर माननीय लोक लेखा समिति के प्रश्नों के उत्तर में

तरीके से लिया गया है या किसी भी कारण से उपयोग किया गया है, धोखाधड़ी के कारण या कर से बचने के लिए तथ्यों के किसी भी जानबूझकर-गलत विवरण या छुपाने के अलावा, वह कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जिसे इतना भुगतान नहीं किया गया है या जिसे इतना कम भुगतान किया गया है या जिसे प्रतिदाय गलती से किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया है या उपयोग किया है, जिससे उसे कारण बताने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान धारा 50 के तहत, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उस पर देय ब्याज और प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले शास्ति के साथ क्यों नहीं करना चाहिए। उचित अधिकारी वि.व. के लिए वार्षिक विवरणी, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट कर क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, या गलत वापसी की तिथि से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष⁴⁴ के भीतर आदेश जारी करेगा।

वि.व.18, वि.व.19 और वि.व.20 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तिथिया क्रमशः 5/7 फरवरी 2020, 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 थीं। वि.व.18 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के बाद से लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं (जनवरी 2022) और वि.व.19 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के एक वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं। परिणामस्वरूप, कर के भुगतान न होने/कम भुगतान के मामलों में नोटिस जारी करने और राजस्व की वसूली के लिए उपलब्ध समय पहले ही उस सीमा तक समाप्त हो गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया से सहमत है और सिफारिश करती है कि विवरणी की संवीक्षा की एक प्रभावी जोखिम आधारित मानकीकृत प्रणाली (विस्तृत अनुदेशों/मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ) को यथाशीघ्र और निश्चित रूप से मंत्रालय द्वारा इंगित छह महीने की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि विभाग के पास कानून के अनुसार मामलों को समय-सीमा से पहले गैर-अनुपालन करदाताओं के विरुद्ध

⁴⁴ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत कर से बचने के लिए किसी भी जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छुपाने के मामलों में पांच साल।

कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस तरह की संवीक्षा में संवीक्षा के लिए विवरणी का जोखिम-आधारित चयन शामिल होना चाहिए, और संवीक्षा के परिणामों (आयकर के संबंध में संवीक्षा निर्धारण के समान) को भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनमानी को कम करने के लिए सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय में कैप्चर किया जाना चाहिए।

जब लेखापरीक्षा के बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2022) कि विस्तृत निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विवरणी की संवीक्षा सक्रिय रूप से विचाराधीन है और प्रस्तावित संवीक्षा प्रक्रिया में विवरणी के जोखिम-आधारित चयन की परिकल्पना की गई है और पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव है।

3.3 विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) प्रतिवेदनों के संबंध में निगरानी तंत्र

सीबीआईसी ने अप्रत्यक्ष कर डेटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करने और विभिन्न पणधारकों के साथ आउटपुट साझा करने के उद्देश्य से विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) का गठन किया⁴⁵ (जुलाई 2017)। डीजीएआरएम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का एक संबद्ध कार्यालय है और सदस्य (संवीक्षा) के माध्यम से अध्यक्ष, सीबीआईसी को रिपोर्ट करता है। महानिदेशालय जून 2018 में कार्यात्मक हो गया और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल और सेवा कर से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करता है।

डीजीएआरएम के कार्य

डीजीएआरएम जीएसटीएन और डीजी सिस्टम से प्राप्त जीएसटी विवरणी डेटा और सीबीडीटी से प्राप्त आयकर विवरणी (आइटीआर) डेटा पर व्यापक डेटा विश्लेषिकी के उपयोग के माध्यम से उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करता है। उच्च जोखिम वाले करदाताओं की सूची को कार्रवाई के लिए अंकड़ा

⁴⁵ कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से फाइल ए-11013/19/2017-Ad.-IV दिनांक 11.07.2017

प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) पोर्टल पर विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के माध्यम से सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं के साथ साझा किया जाता है।

कार्रवाई पूरी होने पर, सीबीआईसी फील्ड संरचनाएं संबंधित डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर फीडबैक अपलोड करती हैं, जिसमें पहचान किए गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं से पता लगाने और वसूली के बारे में विवरण शामिल हैं।

डीडीएम पोर्टल पर अपलोड की गई प्रतिवेदनों के संबंध में डेटा विश्लेषण पद्धति/मापदंड का लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किया गया था (सितंबर 2021)। विभाग ने वह प्रदान नहीं किया और सूचित किया (सितंबर 2021) कि निर्देशों को गोपनीय रूप से पीडीएफ प्रारूप में क्षेत्र संरचनाओं के साथ साझा किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा डीजीएआरएम द्वारा उपयोग किए जाने वाले जोखिम मापदंडों और कार्यप्रणाली की जांच नहीं कर सका।

जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ये रिपोर्टें पहचान किए गए करदाताओं के विरुद्ध क्षेत्र संरचनाओं द्वारा लक्षित प्रवर्तन के लिए प्रभावी खुफिया रिपोर्ट हैं और इसलिए, प्रकृति में गोपनीय हैं और इन्हें साझा नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। डेटा विश्लेषण पद्धति/मापदंडों को प्रस्तुत न करना सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत सीएजी की संवैधानिक और सांविधिक जिम्मेदारी को बाधित करता है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारण और राजस्व के संग्रह पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष रूप से उन मामलों के संबंध में जहां डीडीएम पोर्टल पर प्रतिक्रिया की सूचना दी जाती है और कार्रवाई पूरी हो जाती है, विस्तृत ग्रांनुलर डेटा को लेखापरीक्षा के साथ साझा किया जाना चाहिए, और गोपनीयता के कथित आधार पर रोक नहीं जा सकता है।

"जोखिम वाले करदाताओं" और अन्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

बोर्ड ने डीजीएआरएम द्वारा पहचाने गए जीएसटीआईएन के संबंध में अपने क्षेत्र संरचनाओं द्वारा कार्रवाई करने के तौर-तरीकों के संबंध में एक मानक

संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी (अप्रैल 2019)। एसओपी में यह प्रावधान है कि क्षेत्राधिकार सहायक/डिप्टी आयुक्त से जीएसटीआईएन प्राप्त करने के बाद, क्षेत्राधिकार रेंज करदाता से संपर्क करेगा, जैसा कि निम्नानुसार है:

1. यह रेंज करदाता को एक ई-मेल भेजेगी जिसमें उन कारणों को समझाया जाएगा कि उसे क्यों सूचित किया जा रहा है और जहां लागू हो, कर के भुगतान या विवरणी फाइल करने आदि में विसंगति की प्रकृति को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।
2. यदि करदाता से कोई नहीं या असंतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो रेंज करदाता को स्पीड पोस्ट द्वारा एक पत्र जारी करेगी। यदि अगले 15 दिनों के भीतर अभी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है, या यदि पत्र किसी भी कारण से डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया जाता है, तो रेंज अधिकारी इस मामले को सहायक/डिप्टी आयुक्त के ध्यान में लाएगा। तथ्यों को जाँचने के बाद, रेंज अधिकारी या निवारक शाखा उचित प्राधिकरण के बाद करदाता के कारबार के प्रमुख स्थान का दौरा कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 अप्रैल 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के लिए केवल एक आकस्मिक संदर्भ बनाती है:

"विवरणी की संवीक्षा (धारा 61), विवरणी फाइल न करने वालों का निर्धारण (धारा-62), अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण (धारा 63) और कुछ विशेष मामलों में सारांश निर्धारण (धारा 64) के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XII के प्रावधानों का इन करदाताओं की जांच करते समय पालन किया जाना चाहिए"

अधिकांश मामलों में (अर्थात फाइल न करने वालों के निर्धारण, अपंजीकृत व्यक्तियों के निर्धारण और विशेष मामलों में सारांश निर्धारण के अलावा), एसओपी के प्रावधान धारा 61 - विवरणी की संवीक्षा के तहत पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं (हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है) को संदर्भित करते हैं ।

लेखापरीक्षा की राय में, इस एसओपी को, सीजीएसटी अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को स्पष्ट रूप से प्रवाहित और स्पष्ट रूप से और पारदर्शी रूप से बताया जाना चाहिए, जिन्हें एसओपी के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, आईटी वर्कफ़्लो आधारित कार्यक्षमता के बजाय डीजीएआरएम द्वारा पहचाने गए जोखिम वाले करदाताओं के संबंध में करों और निगरानी कार्रवाई के लिए एक मैन्युअल/अर्ध-स्वचालित तंत्र का उपयोग उप-इष्टतम है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार कार्यों के लिए पारदर्शिता और दृश्यता के स्तर को काफी कम कर देता है और सूचना प्रौद्योगिकी की पूरी शक्ति का ठीक से लाभ उठाने में विफल रहता है। सीबीआईसी-डीडीएम मॉड्यूल पर केवल प्रतिक्रिया पोस्ट-फैक्टो अपलोड करने और आईटी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय में सभी कार्रवाइयों का संचालन नहीं करने की वर्तमान प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि 30 फरवरी 2019 के एसओपी को दिनांक 12 जुलाई 2021 के एसओपी द्वारा अद्यतन किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि एसओपी डीजीएआरएम द्वारा साझा किए गए जोखिम वाले करदाताओं की सूचियों को संसाधित करने के तरीके पर एक व्यापक टेम्पलेट प्रदान करता है। एसओपी एक वैधानिक आधार के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है, बल्कि सत्यापन के लिए डीजीएआरएम द्वारा पहचाने गए करदाताओं के साथ निपटने के लिए केवल एक व्यापक दिशानिर्देश है। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि एसओपी सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के लिए केवल एक आकस्मिक संदर्भ देता है और, सांविधिक प्रावधानों के बारे में स्पष्टता के अभाव में, जिसके तहत विभाग को कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है (विशेष रूप से, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा), जो विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अलग-अलग व्याख्याएं कर सकती है। इसके अलावा, जुलाई 2021 के अद्यतन एसओपी में भी स्पष्टता का अभाव है और अधिनियम के प्रावधानों के लिए केवल एक आकस्मिक संदर्भ बनाता है, जैसा कि 30 फरवरी 2019 के एसओपी में है।

लेखापरीक्षा दृढ़ता से सिफारिश करता है कि गतिविधियों के पूरे सेट को सीबीआईसी-जीएसटी प्लेटफॉर्म के भाग के रूप में शुरू से अंत तक स्वचालित होना चाहिए। पहचाने गए करदाताओं को ई-मेल स्वतः सृजित मॉड्यूल के माध्यम से होना चाहिए। करदाताओं से प्रतिक्रियाएं इसी तरह इस मॉड्यूल के साथ; ईमेल, स्वतः सृजित किए गए स्पीड पोस्ट पत्र, या स्वचालित एसएमएस के मामले का भाग (या मूल रूप से इंटर-फोर्ड) होना चाहिए, जो इस प्रणाली के माध्यम से हो सकते हैं; करदाता के कारोबार के प्रमुख स्थान के लिए औपचारिक यात्राओं (उचित ऑनलाइन प्राधिकरण के बाद) के परिणाम; और उसके बाद जोखिम वाले करदाताओं की पहचान के परिणामस्वरूप अंतिम प्रतिक्रिया/निष्कर्ष इस मॉड्यूल के माध्यम से वास्तविक समय में किया जाना चाहिए। इस तरह के एक शुरू से अंत तक स्वचालित मॉड्यूल पारदर्शिता और प्रभावी वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।

मंत्रालय को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन पूरा करने और ऐसी समय-सीमाओं के लिए स्वचालित ट्रेकिंग के लिए समय-सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए। ऐसी कोई विस्तृत समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस मुद्दे को फरवरी 2019⁴⁶ के बोर्ड के पत्र में भी उजागर किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि पांच क्षेत्रों में आयुक्त थे जिन्होंने एक भी प्रतिक्रिया अपलोड नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि डीजीएआरएम का वेब एप्लिकेशन पूरी तरह से स्वचालित है जहां जोखिम वाले सत्त्वों के विवरण वाली प्रतिवेदनों को क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझा किया जाता है और कार्रवाई पूरी करने के बाद, क्षेत्रीय संरचनाएं उप-शीर्ष/फीडबैक के शीर्ष में दर्शाए गए मुख्य माईलस्टोन प्राप्त करने के तुरंत बाद डीजीएआरएम पोर्टल पर जीएसटीआईएन-वार फीडबैक अपलोड करती हैं। इस प्रकार, एप्लिकेशन विभिन्न प्रतिवेदनों के तहत पहचाने गए जोखिम वाले करदाताओं पर की गई कार्रवाई की वास्तविक समय की निगरानी में मदद करता है। मंत्रालय ने क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के संबंध में बताया कि हालांकि दिनांक 30 अप्रैल

⁴⁶ डी.ओ.एफ. क्रमांक डीजीएसीआर/तकनीक/विश्लेषणात्मक/206/2018 दिनांक 22 फरवरी 2019

2019 के एसओपी में कोई समय-सीमा प्रदान नहीं की गई है, लेकिन समय-समय पर फीडबैक की जांच की जाती है और समय पर अनुपालन के लिए क्षेत्र को अनुस्मारक जारी किए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा अर्ध-स्वचालित तंत्र उप-इष्टतम रहता है और आईटी की पूरी क्षमता का ठीक से लाभ उठाने में विफल रहता है। कई कार्रवाइयां, जैसे पहचाने गए करदाताओं के साथ पत्राचार डीजीएआरएम पोर्टल के माध्यम से नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार, बढ़ी हुई दक्षता और पारदर्शिता के लिए सत्यापन (या संवीक्षा, जब इसे अधिसूचित किया जाता है) से संबंधित गतिविधियों के पूरे सेट को शुरू से अंत तक स्वचालन की आवश्यकता होती है।

निगरानी और फीडबैक तंत्र - लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के तहत साझा किए गए जीएसटीआईएन/पैन पर फीडबैक की निगरानी के लिए डीडीएम पोर्टल में फीडबैक व्यू मॉड्यूल बनाया गया है। यह रिपोर्ट-वार/जीएसटीआईएन-वार पता लगाने और वसूली की वर्तमान स्थिति प्रदान करता है। यह विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों की गुणवत्ता, कार्य करने में लगने वाले समय और क्षेत्र स्तर पर लंबित रहने की निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है।

विभाग से अनुरोध किया गया था कि वह डीडीएम पोर्टल पर अपलोड की गई 177 प्रतिवेदनों का विवरण प्रदान करें। उत्तर में, डीजीएआरएम ने 40 थीम-वार रिपोर्ट आईडी के तहत केवल 177 प्रतिवेदनों का सारांश प्रदान किया। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, डीजीएआरएम ने 4,82,587 जीएसटीआईएन अपलोड किए और 3,71,898 जीएसटीआईएन (77 प्रतिशत) के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं से फीडबैक प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने इन 177 प्रतिवेदनों के आधार पर ₹ 2,16,313 करोड़ के कर देय राशि के गैर/कम भुगतान का पता लगाया और करदाताओं से ₹ 1,96,355 करोड़ की वसूली की।

चूंकि 177 प्रतिवेदनों का ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा लिए गए समय और लंबित कार्रवाई, यदि कोई हो, के संदर्भ में फीडबैक तंत्र की प्रभावकारिता की जांच नहीं कर सकती थी। तथापि, 40 विषय-वार प्रतिवेदनों के सारांश की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

(i) 13 रिपोर्ट आईडी⁴⁷ के संबंध में, सितंबर 2021 तक 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में फीडबैक लंबित थे, जो 52 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक थे। इन 13 रिपोर्ट आईडी के तहत, डीजीएआरएम ने फरवरी 2019 से अगस्त 2021 के दौरान 47,301 जीएसटीआईएन अग्रेणित किए थे। इनमें से विभाग ने ₹ 12,676 करोड़ का पता लगाने और ₹ 8,736 करोड़ की वसूली के साथ केवल 12,242 मामलों के संबंध में फीडबैक प्रस्तुत किया था। 35,059 जीएसटीआईएन के संबंध में फीडबैक लंबित था। विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा विलंब की सीमा का पता नहीं लगा सकी।

(ii) 'जोखिम वाले निर्यातकों'⁴⁸ के लंबित सत्यापन की निगरानी' और 'आईटीसी धोखाधड़ी'⁴⁹ से संबंधित दो रिपोर्ट आईडी के संबंध में, प्रत्येक 95 प्रतिशत मामलों में फीडबैक लंबित था। इन दो प्रतिवेदनों में, डीजीएआरएम ने जनवरी 2021 के बाद से 7,062 जीएसटीआईएन और सितंबर 2021 के बाद से

⁴⁷ 13 प्रतिवेदनों के शीर्षक हैं: बिल एंटी में जीएसटीआईएन घोषित नहीं करने वाले आयातकों का विश्लेषण, शीर्ष 500 करदाताओं द्वारा कर भुगतान का विश्लेषण-पैन (नकद भुगतान के संदर्भ में), सीबीडीटी-सीबीआईसी-जीएसटीएन के बीच आँकड़ों के आदान-प्रदान करने के आधार पर करदाताओं का विश्लेषण, पैन से जुड़े कई पंजीकरण, असामान्य रूप से विषम कर व्यवहार के साथ करदाता का विश्लेषण, जीएसटीआईएन का विश्लेषण जिन्होंने जीएसटीआर -1 फाईल किया है लेकिन जीएसटीआर-3बी फाईल नहीं किया है या शून्य फाईल किया है और जीएसटीआर 2ए में भी नहीं दर्शाया गया है, पहले चरण का सत्यापन (एल1) या पहचाने गए जोखिम वाले निर्यातकों के दूसरे चरण (एल2) आपूर्तिकर्ता, करदाताओं की सूची के संबंध में, जिन्होंने गलत आईटीसी/अपात्र आईटीसी को पारित किया है, उन निर्यातकों का विश्लेषण जिन्होंने एल्यूटी/बांड के तहत माल/सेवाओं के निर्यात के बाद प्रतिदाय का दावा किया है और शुल्क के भुगतान के साथ सेवाओं का निर्यात किया है, जोखिम वाले निर्यातकों के लंबित सत्यापन की निगरानी, घोषित आवक आपूर्ति के साथ प्रति प्रभारी तंत्र में दावा किए गए आईटीसी की तुलना, सीजीएसटी प्राधिकारियों द्वारा लागू नए पंजीकरण का सत्यापन, जीएसटीआईएन का विश्लेषण जो कर योग्य के साथ साथ छूट प्राप्त आपूर्ति कर रहे हैं लेकिन किसी भी आईटीसी का उल्टाव नहीं किया है

⁴⁸ जोखिम वाले निर्यातकों के लंबित सत्यापन की निगरानी

⁴⁹ जीएसटीआईएन का विश्लेषण जो कर योग्य के साथ साथ छूट प्राप्त आपूर्ति कर रहे हैं लेकिन किसी भी आईटीसी का उल्टाव नहीं किया है

2,856 जीएसटीआईएन की सूची साझा की। क्षेत्रीय संरचनाओं ने सितंबर 2021 तक जोखिम वाले निर्यातकों के लंबित सत्यापन की निगरानी से संबंधित केवल 334 जीएसटीआईएन के संबंध में फीडबैक प्रस्तुत किया था। ब्यौरे के अभाव में, लेखापरीक्षा लंबित मामलों की सीमा का पता नहीं लगा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि, 'आईटीसी धोखाधड़ी' प्रतिवेदनों के संबंध में, डीजीएआरएम ने सभी क्षेत्रों से संबंधित कमिश्नरियों से अनुपालन में तेजी लाने के लिए कहा था (सितंबर 2021)।

सिफारिशें

1. विस्तृत अनुदेशों/मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर सांविधिक समर्थन के साथ विवरणी की संवीक्षा की एक प्रभावी जोखिम-आधारित प्रणाली के अभाव में, विभाग अपने अनुपालन सत्यापन कार्यों का निर्वहन करने के लिए डीजीएआरएम इनपुट पर निर्भर है। इस प्रकार, विभाग के निष्पादन पर आश्वासन देने के लिए, लेखापरीक्षा को विस्तृत प्रतिवेदनों के साथ-साथ डीजीएआरएम प्रतिवेदनों के संबंध में डेटा विश्लेषण पद्धति/मापदंड तक पहुंच की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन मामलों के संबंध में जहां फीडबैक पहले से ही प्रदान किए जा चुके हैं। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि डीजीएआरएम प्रतिवेदनों से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी तक ऐसी पहुंच बिना किसी देरी के प्रदान की जा सकती है ताकि सीएजी के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।
2. यद्यपि डीजीएआरएम रिपोर्ट और इन प्रतिवेदनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को डीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, इन प्रतिवेदनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई जैसे कि देखी गई विसंगति के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए करदाता के साथ पत्राचार और उस पर करदाताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए अभी भी मैन्युअल/ऑफलाइन की जा रही है। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि पारदर्शिता और प्रभावी वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा के लिए सीबीआईसी-जीएसटी प्लेटफॉर्म के भाग के रूप में

गतिविधियों के पूरे सेट को शुरू से अंत तक स्वचालित किया जाना चाहिए।

3. लेखापरीक्षा उन समय-सीमाओं को निर्धारित करने की सिफारिश करती है जिसमें विभाग के कार्यालयों को डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, जिसके प्रति प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

3.4. जीएसटी के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा

3.4.1 जीएसटी इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा⁵⁰ माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में करदाताओं द्वारा अनुपालन के स्तर का निर्धारण करने में मदद करती है। बोर्ड ने जुलाई 2019 में माल और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल (जीएसटीएएम) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी। विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रावधानों में विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक (डीजीएआरएम) द्वारा जीएसटी डेटा का उपयोग करके जोखिम निर्धारण के आधार पर करदाताओं के चयन की परिकल्पना की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए वि.व. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में जुलाई से जून तक और जीएसटी के संबंध में अप्रैल से मार्च तक है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए या प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, विवरणी और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के रूप में परिभाषित करती है या इसके तहत बनाए गए नियमों या कोई अन्य नियम जो अभी लागू है जिसमें घोषित बिक्री प्रदत्त करें, प्रतिदाय का दावा और प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्टीकता को सत्यापित किया जा सके और इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ उसके अनुपालन का निर्धारण करने के लिए।

⁵⁰सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65।

जीएसटी के लिए विभाग द्वारा 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है: -

तालिका 3.1: आंतरिक लेखापरीक्षा (जीएसटी) द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में की गई कुल पहचान

वर्ष	श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयां	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	कम उदग्रहण का पता चलना	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
2019-20	बड़ी इकाइयाँ	17,172	244	65.51	9.42	14
	मध्यम इकाइयाँ	18,050	296	15.31	8.06	53
	छोटी इकाइयाँ	19,920	318	14.72	1.81	12
	कुल	55,142	858	95.54	19.29	20
2020-21	बड़ी इकाइयाँ	17,929	2816	1623.95	291.94	18
	मध्यम इकाइयाँ	18,257	4405	510.44	138.05	27
	छोटी इकाइयाँ	19,728	4781	346.84	83.57	24
	कुल	55,914	12,002	2,481.23	513.55	21

स्रोत: विभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या क्रमशः नियोजित कुल इकाइयों की 1.56 प्रतिशत और 21.47 प्रतिशत थी। यद्यपि वि.व.21 में लेखापरीक्षा की गई इकाइयों के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी योजनाबद्ध और लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या के बीच एक बड़ा अंतर है।

वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में पाई गई राशि की कुल वसूली क्रमशः 20 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थी।

जब इसे इंगित किया गया (जनवरी 2022), तो मंत्रालय ने बताया (मार्च 2022) कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि के विस्तार के कारण, 2019-20 और 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए कम संख्या में करदाता उपलब्ध थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में अधिकारियों की कमी थी, विशेष रूप से निरीक्षकों के ग्रेड में जिनका कार्य बल अधिकांश लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत से कम था। दस्तावेज प्रदान करने में करदाताओं द्वारा असहयोग और कोविड-19

महामारी को भी मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में इकाइयों के कम कवरेज के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया था।

जहां तक आंतरिक लेखापरीक्षा में कम वसूली का संबंध है, मंत्रालय ने बताया कि कई करदाताओं, विशेष रूप से बड़ी इकाइयों ने अपील/मुकदमेबाजी के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कानूनी रूप से विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप कम वसूली हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण, कई व्यावसायिक इकाइयों को तरलता की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान कर अनुपालन के लिए निधि की कमी हुई।

स्व-निर्धारण कर व्यवस्था के युग में, आंतरिक लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य उपकरणों में से एक है। इसके अलावा, अनुपालन न करने वाले करदाताओं के प्रति विभागीय कार्रवाई सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसलिए, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा कमिशनरियों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। जब तक श्रमबल की कमी को दूर नहीं किया जाता, तब तक विभाग उच्च जोखिम वाले करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों की संख्या की योजना बनाने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रख सकता है।

3.4.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इकाइयों के लिए की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: आंतरिक लेखापरीक्षा (सीएक्स और एसटी) द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में की गई कुल पहचान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयां	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	कम उदाहरण का पता चलना	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली	लेखा परीक्षित इकाइयों का प्रतिशत
2018-19	बड़ी इकाइयाँ	9,204	6,159	5,149	1,419	28	67
	मध्यम इकाइयाँ	16,991	12,191	2,120	721	34	72
	छोटी इकाइयाँ	40,756	26,441	1,517	638	42	65
	कुल	66,951	44,791	8,786	2,778	32	67
2019-20	बड़ी इकाइयाँ	6,361	3,432	8,429	519	6	54
	मध्यम इकाइयाँ	12,075	6,678	1,698	365	21	55
	छोटी इकाइयाँ	35,383	21,649	1,210	412	34	61
	कुल	53,819	31,759	11,337	1,296	11.43	59
2020-21	बड़ी इकाइयाँ	4,075	1,421	5,532	185	3	35
	मध्यम इकाइयाँ	7,758	2,106	1,017	118	12	27
	छोटी इकाइयाँ	27,630	8,860	468	124	27	32
	कुल	39,463	12,387	7,017	427	6	32

स्रोत: विभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट.

यह पाया गया है कि इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा का कवरेज वि.व.19 में 67 प्रतिशत से घटकर वि.व.21 में नियोजित इकाइयों का केवल 32 प्रतिशत हो गया।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाई गई राशि के प्रतिशत के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा के उदाहरण पर प्रभावित वसूली में लगातार गिरावट आई थी। कुल वसूली वि.व.19 में 31.63 प्रतिशत से घटकर वि.व.21 में पाई गई राशि का केवल 6.10 प्रतिशत हो गई। बड़ी इकाइयों में कुल पता लगाने के प्रतिशत के रूप में वसूली वि.व.19 में 28 प्रतिशत से घटकर वि.व.21 में केवल तीन प्रतिशत हो गई।

जब बताया गया (जनवरी 2022), मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के कम कवरेज को कर्मचारियों की कमी और कोविड-19 महामारी के कारण समय की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया (मार्च 2022)।

जहां तक आंतरिक लेखापरीक्षा में कम वसूली का संबंध है, मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण, करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के

दौरान पता लगाई गई अपनी कर देयता का निर्वहन करने के लिए आवश्यक धन जमा करने में मुश्किल हुई। आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा में उठाए गए मामलों और कानूनी रूप से ऐसे पैरा का विरोध करने वाले करदाताओं से संबंधित राय में अंतर ने भी वसूली के कम प्रतिशत में योगदान दिया।

3.5. डीजीजीआई के अपवंचन-रोधी कार्य पद्धति

माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय-डीजीजीआई (पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीआईआई) के साथ-साथ माल और सेवा कर कमिश्नरियों की माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाएं हैं। जबकि कमिश्नरियां, अपने अधिकार क्षेत्र में इकाइयों के अपने व्यापक डेटाबेस और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ, शुल्क अपवंचन के प्रति रक्षा की पहली पंक्ति हैं, डीजीजीआई की पर्याप्त राजस्व की अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना जानकारी एकत्र करने में विशिष्टता हासिल हैं। इस प्रकार एकत्र की गई आसूचना को कमिश्नरियों के साथ साझा किया जाता है। डीजीजीआई द्वारा अखिल भारतीय प्रभाव वाले मामलों में भी जांच की जाती है।

नीचे दी गई तालिका 3.3 में डीजीजीआई और जीएसटी कमिश्नरियों के निष्पादन को दर्शाया गया है, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों और करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतानों की संख्या और मात्रा के संदर्भ में है।

तालिका 3.3 2016-17 से 2020-21 के दौरान डीजीजीआई और जीएसटी कमिश्नरियों का अपवंचन-रोधी निष्पादन


(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर			माल एवं सेवा कर			कुल		
	संख्या	राशि	वीपी*	संख्या	राशि	वीपी*	संख्या	राशि	वीपी*	संख्या	राशि	वीपी*
2016-17	2,122	5,773	382	8,085	17,846	2,067	--	--	--	10,207	23,619	2,449
2017-18	894	6,414	203	5,299	24,201	2,549	233	8,071	7,437	6,426	38,686	10,189
2018-19	993	4,218	380	5,507	32,902	2,771	3,784	31,273	8,646	10,284	68,393	11,797
2019-20	610	8,594	231	3,839	20,451	1,156	4,865	26,517	12,803	9,314	55,562	14,190
2020-21	122	2,860	231	1,173	8,993	1,193	3,822	31,908	12,963	5,117	43,761	14,387
Total	4,741	27,859	1,427	23,903	1,04,393	9,736	12,704	97,769	41,849	41,348	2,30,021	53,012

* स्वैच्छिक भुगतान

चार्ट संख्या 3.1 अपवंचन रोधी गतिविधियों के माध्यम से पता लगाए गए मामलों की संख्या

(₹ करोड़ में)



जैसा कि तालिका 3.3 से स्पष्ट है, जीएसटी के लिए, वि.व.20 की तुलना में, वि.व.21 के दौरान, पता लगाने की राशि में ₹ 26,517 करोड़ से ₹ 31,908 करोड़ तक की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर पता लगाने की राशि में, वि.व.19 के दौरान ₹ 68,393 करोड़ से वि.व.21 में ₹ 43,761 करोड़, 36 प्रतिशत तक की गिरावट है।

2018-19 में ₹ 11,797 करोड़, 2019-20 में ₹ 14,190 करोड़ और ₹ 14,387 करोड़ का स्वैच्छिक भुगतान संबंधित वर्ष में कुल पता लगायी राशि

का 17 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 33 प्रतिशत था, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान एक वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

3.5.1 वि.व.21 के दौरान अपवंचन-रोधी मामलों का स्वरूप

2020-21 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी से संबंधित डीजीजीआई द्वारा पता लगाए गए अपवंचन रोधी मामलों के स्वरूप को तालिका 3.4 में बताया गया है:

तालिका 3.4: डीजीजीआई द्वारा पता लगाए गए अपवंचन-रोधी मामलों का स्वरूप

क्र.सं	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		माल एवं सेवा कर	
	स्वरूप	प्रतिशत	स्वरूप	प्रतिशत	स्वरूप	प्रतिशत
1	गोपनीय निष्कासन	42	कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर का भुगतान न करना	74	इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ/गैर-उल्टाव	50
2	सेनवेट योजना का दुरुपयोग	19	प्रति प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	9	कर योग्य वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना	24
3	गलत वर्गीकरण	10	कर योग्य सेवा का कम मूल्यांकन करके सेवा कर का कम भुगतान	6	कर संग्रहण किया गया लेकिन सरकारी खजाने में भुगतान नहीं किया गया	4
4	कम मूल्यांकन	7	सेवा कर का संग्रहण किया गया लेकिन सरकारी खजाने में भुगतान नहीं किया गया	5	कर योग्य वस्तुओं और सेवा का कम मूल्यांकन करके कर का कम भुगतान	3
5	छूट अधिसूचना का गलत लाभ	6	सेनवेट क्रेडिट योजना का दुरुपयोग	2	प्रति प्रभार तंत्र के तहत कर का भुगतान न करना	3
6	अन्य	16	अन्य	4	अन्य	16

जैसा कि तालिका 3.4 से देखा जा सकता है, गोपनीय निष्कासन, सेनवेट योजना का दुरुपयोग और गलत वर्गीकरण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पता लगाई गई अपवंचन गतिविधियों के प्रमुख भाग को बनाते हैं। जहां तक सेवा कर का संबंध है, कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर का भुगतान न करना, प्रति प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर का भुगतान न करना और कर

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

योग्य सेवाओं के कम मूल्यांकन द्वारा सेवा कर का कम भुगतान अपवंचन गतिविधियों का प्रमुख भाग बनाते हैं जिसका पता लगाया गया।

इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत उपलब्धता/गैर-उल्टाव, कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना, और संग्रहित किया गया लेकिन सरकारी खजाने में भुगतान नहीं किया गया कर वि.व.21 के दौरान जीएसटी के तहत पता लगाए गए अपवंचन गतिविधियों के प्रमुख रूप थे।

3.5.2 नए मामलों की जांच और उनके निपटान

जीएसटी कानून उचित अधिकारी को शुल्क और करों के अपवंचन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और जांच करने का अधिकार देता है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान माल और सेवा कर और उनके निपटान से संबंधित जांच मामलों की संख्या का तालिका 3.5 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.5 - मामलों की जांच (नए मामले) और उसके निपटान

वि.व.	विवरण	एमपीआर के अनुसार प्रारंभिक शेष	जांच के लिए नए मामले लिए गए	कुल मामलों की सं.	निपटाए गए मामले	परिकलन के अनुसार अंत शेष	(₹ करोड़ में) एमपीआर के अनुसार अंत शेष
2017-18	मामलों की सं.	1 ⁵¹	217	218	23 (10.55%)	195	193
	शामिल शुल्क (₹ करोड़ में)	0.02	909	909	9.21 (1.01%)	900	900
2018-19	मामलों की सं.	193	2,980	3,173	491 (15.47%)	2,682	2,560
	शामिल शुल्क (₹ करोड़ में)	900	29,183	30,082	520 (1.73%)	29,562	29,109
2019-20	मामलों की सं.	1,618	2,381	3,999	309 (7.73%)	3,690	3,690
	शामिल शुल्क (₹ करोड़ में)	19,732	21,365	41,097	1,208 (2.94%)	39,889	39,889
2020-21	मामलों की सं.	3,690	3,857	7,547	990 (13.12%)	6,557	6,557
	शामिल शुल्क (₹ करोड़ में)	39,889	32,947	72,836	5,859 (8.04%)	66,977	66,977

(स्रोत: विभाग के एमपीआर अर्थात् सीईआई-सीई-5, सीईआई-एसटी-4 और सीईआई-जीएसटी-7)

⁵¹जीएसटी के रोल आउट के समय एमपीआर के अनुसार 1 का प्रारंभिक शेष।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वि.व.21 को छोड़कर जब यह 8.04 प्रतिशत थी, पिछले चार वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों में शामिल राशि बहुत कम (1.01 प्रतिशत से 2.94 प्रतिशत) रही। 2020-21 के दौरान, 2019-20 में केवल 8 प्रतिशत की तुलना में 13 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 2019-20 में ₹1,208 करोड़ और 2020-21 में ₹5,859 करोड़ की राशि शामिल थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने वि.व.19 के दौरान मामलों की संख्या (122) और शामिल शुल्क (₹453 करोड़) में क्रमशः पांच प्रतिशत और दो प्रतिशत की सीमा तक प्रारंभिक और अंत शेष में अंतर पाया। लेखापरीक्षा ने एमपीआर के अनुसार वि.व.19 के अंत शेष और एमपीआर के अनुसार वि.व.20 के प्रारंभिक शेष में 942 मामले (2,560-1,618) की अंतर और वि.व.19 के अंत शेष और वि.व.20 के प्रारंभिक शेष में ₹9,377 (29,109-19,732) की शुल्क अंतर को भी पाया।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय/बोर्ड से इन अंतर के कारणों को इंगित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2022)। मंत्रालय/बोर्ड का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.5.3 जांच के लिए लंबित मामलों की अवधि-वार लंबनता

मार्च 2021 को जांच के लिए लंबित मामलों की अवधि-वार लंबनता को तालिका 3.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.6 - मार्च 2021 को लंबित जांच का अंत शेष

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	कुल	6 महीने से कम	6 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मामलों की संख्या	67	15	2	16	34
	शामिल शुल्क (₹करोड़ में)	359	19	0.20	34	305
सेवा कर	मामलों की संख्या	496	133	60	130	173
	शामिल शुल्क (₹करोड़ में)	2,283	259	265	420	1,339
माल एवं सेवा कर	मामलों की संख्या	6,557	2,800	821	1,882	1,054
	शामिल शुल्क (₹करोड़ में)	66,977	22,514	8,000	17,549	18,913

(स्रोत: विभाग के एमपीआर (सीईआई-सीई-5, सीईआई-एसटी-4, सीईआई-जीएसटी-7))

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2021 तक ₹ 66,977 करोड़ के कर प्रभाव के साथ जीएसटी से संबंधित कुल 6,557 मामले जांच के लिए लंबित थे, जिनमें से 1,054 मामले (16.07 प्रतिशत) ₹ 18,913 करोड़ (28.24 प्रतिशत) के कर प्रभाव के साथ 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में, मार्च 2021 तक ₹ 359 करोड़ और ₹ 2,283 करोड़ के कर प्रभाव वाले 67 और 496 मामले जांच के लिए लंबित थे। ₹ 305 करोड़ और ₹ 1,339 करोड़ के कर प्रभाव वाले 34 और 173 मामले 2 वर्षों से अधिक समय से जांच के लिए लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से लम्बित मामलों में उपर्युक्त प्रवृत्तियों के कारणों को इंगित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2022)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.6 बकाया की वसूली

मूल आदेश (ओआईओ), अपील आदेश (ओआईए), अधिकरण के आदेशों, और अदालतों के आदेशों के आधार पर मांगों की पुष्टि के कारण करदाता से वसूली योग्य कोई भी राशि या पूर्व-जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदनों का अनुदान, बकाया हो जाता है।

बकाये की वसूली की प्रक्रिया चूककर्ता करदाता के प्रति मांग की पुष्टि के साथ शुरू होती है और इसमें कई अपीलीय मंच शामिल हैं जिनमें करदाता के साथ-साथ विभाग अपील कर सकता है।

जीएसटी में बकाये की वसूली से संबंधित मुख्य सांविधिक प्रावधान केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 79 में शामिल हैं। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को बकाये की वसूली के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देता है), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (जिन्हें दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में लागू किया गया है), और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 (जो विभाग को सेवा कर के बकाये

की वसूली के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देती है) में प्रावधान शामिल हैं।

3.6.1 बकाया राशि का वर्गीकरण

बकाये को दो मुख्य श्रेणियों अर्थात् वसूली योग्य और अप्राप्य में वर्गीकृत किया गया है। सभी स्थगन वाले बकाये को अप्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वसूली योग्य बकायों को आगे प्रतिबंधित (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)/ऋण वसूली अधिकरण/सरकारी परिसमापक मामले, स्थगन/स्थगन के विस्तार आदि के लिए लंबित आवेदन आदि), अप्रतिबंधित (ऐसे मामले जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11/वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिला कलेक्टर/अन्य सीमा शुल्क-सीई संरचनाओं आदि को भेजे गए प्रमाण पत्र) और बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त है (अर्थात्, बंद इकाइयां/चूककर्ता पता लगाने योग्य नहीं हैं/कंपनी की परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं आदि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मासिक निष्पादन प्रतिवेदनों (एमपीआर) के अनुसार, 17⁵² व्यापक श्रेणियों के तहत बकाया का रखरखाव किया जाता है।

3.6.2 बकाया की वसूली और निगरानी के लिए जिम्मेदारियां

बोर्ड बकाया की वसूली में क्षेत्रीय संरचनाओं के समग्र कार्यों और निष्पादन की निगरानी करता है और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। यह पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को ठीक करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए आवधिक निर्देश भी जारी करता है।

मुख्य आयुक्त अपने-अपने जोन के तहत वसूली प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निभाते हैं। कमिशनरियों को इस संबंध में

⁵²सीईएसटीएटी, उच्च न्यायालय, बंद/ चूककर्ता इकाइयां, बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है, आधिकारिक लिक्विडेटर मामले, आयुक्त अपील, अपील की अवधि से अधिक (लेकिन कोई अपील फाईल नहीं की गई), वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई इकाइयां, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 87, बीआईएफआर मामले, निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (i)- जिला अधिकारियों के साथ प्रमाण पत्र कार्रवाई, बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (ii), जेएस (आरए), समाधान आयोग (30 दिनों की समाप्ति के बाद समाधान आयोग में निर्णय लिए गए मामले)

डिविजन और रेंज अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उन्हें स्थगन आदेशों को समाप्त करने, सीईएसटीएटी/न्यायालय के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए दायर करने, चूककर्ताओं की संपत्ति की कुर्की के लिए कार्रवाई करने और बीआईएफआर/डीआरटी/ओएल आदि में लंबित मामलों का अनुसरण करने और मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से वसूली प्रकोष्ठों की प्रगति और निष्पादन को देखने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कार्यों का प्रयोग करना चाहिए।

प्रभागीय अधिकारियों (सहायक/डिप्टी आयुक्त) को रेंज अधिकारियों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा जाता है कि वे निर्धारित नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। रेंज सबसे निचले स्तर की क्षेत्रीय संरचनाएं हैं जिन्हें बकाया और अपील से संबंधित रिकॉर्ड को बनाए रखने, वसूली प्रक्रिया शुरू करने और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।

इसके अलावा, वसूली सेल, क्षेत्राधिकार आयुक्त के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत संचालित होता है। वसूली सेल के प्रमुख कार्य चूककर्ताओं को नोटिस देना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की संपत्ति की कुर्की और बिक्री करना है। बकाया के संबंध में आयुक्त को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना भी आवश्यक है।

3.6.3 बकाया राशि का लंबन

विभाग के एमपीआर के अनुसार वि.व.19, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान बकाया राशि की कुल लंबित राशि का विवरण तालिका 3.7 में दिया गया है:

सारणी 3.7: सीएक्स और एसटी के बकाये की कुल लंबित अवधि

(₹ करोड़ों में राशि)

कर	मार्च, 2019		मार्च, 2020		मार्च, 2021	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	51,957	86,551	44,548	83,351	38,071	80,301
सेवा कर	80,511	1,44,528	72,483	1,44,512	65,001	1,46,332
कुल	1,32,468	2,31,079	1,17,031	2,27,863	1,03,072	2,26,633

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाये की राशि वि.व.20 में ₹83,351 करोड़ से घटकर वि.व.21 के दौरान ₹80,301 करोड़ हो गई। तथापि, सेवा कर के बकाये की राशि वि.व.20 में ₹1,44,512 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर (एक प्रतिशत) वि.व.21 के दौरान ₹1,46,332 करोड़ हो गई।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से अनुरोध किया (जनवरी 2022) कि वह पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बकाये की वसूली में महत्वपूर्ण सुधार की कमी के कारणों को इंगित करे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.6.4 विभिन्न श्रेणियों के तहत बकाया राशि की लंबनता

तालिका 3.8 में नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों के तहत वि.व.19, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान सेवा कर के बकाये की लंबनता को दर्शाती है:

तालिका 3.8: विभिन्न श्रेणियों के तहत सेवा कर के बकाये की लंबित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021		प्रतिशत वृद्धि	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	वि.व.20	वि.व.21
1	सीईएसटीएटी	22,392	94,129.5	18,624	1,00,790.3	14,174	97,838.5	7	-3
2	उच्च न्यायालय	3,103	12,292.6	2,534	12,987.61	2,099	15,377.3	6	18
3	बंद / चूककर्ता इकाइयाँ	18,220	3,489.93	19,749	6,093.04	20,498	9,902.08	75	63
4	बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है	7,723	19,341.5	4,961	7,586.07	6,958	7,669.52	-61	1
5	आधिकारिक परिसमापक मामले	249	3,077.06	302	4,363.36	384	4,735.25	42	9
6	आयुक्त अपील	12,193	4,231.58	10,446	4,152.19	7,355	3,030.48	-2	-27
7	अपील की अवधि समाप्त (लेकिन कोई अपील फाईल नहीं की गई)	10,847	2,129.56	11,549	3,752.82	9,746	2,695.44	76	-28

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

8	वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई इकाइयां	187	2,321.35	181	1,825.65	178	1,899.47	-21	4
9	सर्वोच्च न्यायालय	179	2,024.28	174	1,609.52	168	1,672.92	-20	4
10	वित्त अधिनियम 1994 की धारा 87	3,041	577.21	2272	600.87	1892	622.65	4	4
11	बीआईएफआर मामले	158	542.44	132	392.46	116	546.44	-28	39
12	अन्य ⁵³	2,219	370.63	1,559	357.83	1,433	342.01	-3	-4
	कुल	80,511	1,44,527.6	72,483	1,44,511.7	65,001	1,46,332.1	-0.01	1.25

* स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, बकाया का अधिकांश (93 प्रतिशत) सीईएसटीएटी, उच्च न्यायालयों, बंद/चूककर्ताओं इकाइयों, बकाया जहां अपील अवधि समाप्त नहीं हुई थी और आधिकारिक परिसमापक मामलों आदि से संबंधित मामलों से संबंधित था। वि.व.21 के दौरान , "आयुक्त अपील" और "अपील अवधि समाप्त" श्रेणी के तहत बकाया में 27 और 28 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, बंद/चूककर्ता इकाइयां, बीआईएफआर मामले और उच्च न्यायालय श्रेणी के अंतर्गत बकाये में क्रमशः 63, 39 और 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से अनुरोध किया (जनवरी 2022) कि वह "बंद/चूककर्ताओं इकाइयों" से संबंधित बकाया राशि में उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों और उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अन्य प्रवृत्तियों का पता लगाए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

तालिका 3.9 में नीचे दी गई 17 श्रेणियों के तहत वि.व.19, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाये की लंबित राशि को दर्शाया गया है:

⁵³बट्टे खाते में डाले जाने के लिए लंबित बकाया, जेएस (आरए), धारा 142 (सी) (i) - जिला प्राधिकारियों के साथ प्रमाण पत्र कार्रवाई, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (ii) - जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लागू किया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (ii) - जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निपटान आयोग (30 दिनों की समाप्ति के बाद निपटान आयोग में निर्णय लिया गया है) और निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।

तालिका 3.9: विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाये की लंबित अवधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021		प्रतिशत वृद्धि	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	वि.व.20	वि.व.21
1	सीईएसटीएटी	18,866	58,841	15,215	54,728	12,175	49,160	-7	-10
2	बंद/चूककर्ता इकाइयाँ	9,796	7,826	9,564	10,209	9,949	10,540	30	3
3	उच्च न्यायालय	1,785	5,509	1,503	5,964	1,378	6,558	8	10
4	बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है	3,161	3,017	1,643	1,458	1,171	3,148	-52	116
5	आधिकारिक परिसमापक मामले	2,627	1,773	2,722	2,595	2,855	2,567	46	-1
6	वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई इकाइयाँ	2,091	1,878	2,043	2,360	1,919	2,225	26	-6
7	सर्वोच्च न्यायालय	385	2,084	303	1,362	280	2,059	-35	51
8	आयुक्त अपील	7,375	2,570	5,919	2,017	4,191	1,534	-22	-24
9	बीआईएफआर मामले	1,220	1,052	1,160	1,185	939	1,412	13	19
10	अपील की अवधि समाप्त (लेकिन कोई अपील फाईल नहीं की गई)	1,605	1,254	1,799	548	1,069	490	-56	-11
11	धारा 142 (सी) (ii) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर लागू किया गया	489	181	366	352	250	246	95	-30
12	अन्य ⁵⁴	2,557	567.22	2,311	574.21	1,895	362.00	1	-37
	कुल	51,957	86,552	44,548	83,352	38,071	80,301	-4	-4

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)

⁵⁴बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11, धारा 142 (सी) - जिला अधिकारियों के साथ प्रमाण पत्र कार्रवाई, जेएस (आरए), निपटान आयोग (30 दिनों की समाप्ति के बाद निपटान आयोग में तय किए गए मामले) और निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, बकाया का अधिकांश (90 प्रतिशत) सीईएसटीएटी, बंद/चूककर्ताओं इकाइयों, उच्च न्यायालय, बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई थी और आधिकारिक परिसमापक मामलों आदि से संबंधित मामलों से संबंधित था। वि.व. 21 के दौरान, "सीईएसटीएटी" और "आयुक्त अपील" श्रेणी के तहत बकाया में 10 और 24 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, "बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है", "सर्वोच्च न्यायालय" और "बीआईएफआर मामलों" श्रेणी के तहत बकाया में क्रमशः 116, 51 और 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से अनुरोध किया (जनवरी 2022) कि वह "बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है" से संबंधित बकाया में उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों और उपर्युक्त तालिका में इंगित किए गए अन्य रुझानों का पता लगाए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.6.5 क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि

बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष के बकाया की वसूली का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष के अंत में लंबित बकाये के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है अर्थात्, पिछले वि.व. के मार्च के अंत शेष के रूप में।

इस उद्देश्य के लिए, डीजीपीएम-टीएआर⁵⁵ पिछले वि.व. की वसूली योग्य श्रेणी के अंतर्गत बकाया राशि को लंबनता के आधार पर समेकित लक्ष्य की गणना करता है। बोर्ड से अनुमोदन के बाद डीजीपीएम-टीएआर सीसी⁵⁶ जोन के बीच समेकित लक्ष्यों का आवंटन करता है।

सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों की वसूली के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण तालिका 3.10 में नीचे दिए गए हैं :

⁵⁵ निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय - कर बकाया वसूली

⁵⁶ मुख्य आयुक्त

तालिका 3.10: बकाया की वसूली के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	मार्च तक वसूली योग्य बकाया (₹ करोड़ में)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का निर्धारित लक्ष्य	वसूली/उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत)	उपलब्धि में कमी (प्रतिशत)
2019-20	सीएक्स	9,709	6,096*	4,943*	81	19
	एसटी	6,558				
	कुल	16,267				
2020-21	सीएक्स	11,555	7,437*	5,057*	68	32
	एसटी	10,793				
	कुल	22,348				

* स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संयुक्त आंकड़े प्रदान किए गए हैं। अलग-अलग आंकड़े नहीं दिए गए थे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, बकाया की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों में उपलब्धि में कमी थी। वि.व.20 के दौरान, लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी 18.92 प्रतिशत थी, जो वि.व.21 में बढ़कर 32.01 प्रतिशत हो गई।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में कुल 21 क्षेत्रों में से क्रमशः आठ और 14 जोन ने बकाया की वसूली के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इन जोन में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 1.94 प्रतिशत से 92.96 प्रतिशत और 1.82 प्रतिशत से 85.58 प्रतिशत तक थी।

इसके अलावा, यह पाया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जोन के 21 जोन में से क्रमशः पांच और छः जोन द्वारा प्राप्त लक्ष्य, वि.व.20 और वि.व.21 में 50 प्रतिशत से कम थे (परिशिष्ट-II)।

जीएसटी बकाये से संबंधित सूचना/डेटा डीजीपीएम द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय संरचनाओं को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। डीजीपीएम ने आगे बताया कि डेटा प्रबंधन निदेशालय से तकनीकी खामियों के शीघ्र समाधान के लिए अनुरोध किया गया था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी 2022 में यह बताया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.6.6 पता लगाने योग्य नहीं बंद/चूककर्ता इकाई से बकाया

नीचे दी गई तालिका 3.11 "पता लगाने योग्य नहीं बंद/चूककर्ताओं इकाइयों" से उगाही किए गए बकाया में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 3.11: "पता लगाने योग्य नहीं बंद/चूककर्ताओं इकाइयों" से उगाही किए गए बकाया में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को लंबित बकाया	वि.व. 2019-20 में उगाही किया गया बकाया	अन्य संरचनाओं/श्रेणी को हस्तांतरित किए गए बकाये	31.03.2019 को लंबित बकाया के प्रतिशत में वसूली	31.03.2020 को लंबित बकाया	वि.व. 2020-21 में उगाही किया गया बकाया	अन्य संरचनाओं/श्रेणी को हस्तांतरित किए गए बकाये	31.03.2020 को लंबित बकाया के प्रतिशत में वसूली
	वि.व 20				वि.व 21			
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	7,826	62	1,347	0.8	10,209	37	609	0.4
सेवा कर	3,490	44	307	1.2	6,093	79	522	1.3
कुल	11,316	106	1,654	0.9	16,302	116	1,131	0.7

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, विभाग वि.व.20 और वि.व.21 दोनों के दौरान बंद इकाइयों/पता लगाने योग्य नहीं इकाइयों से लंबित बकाया का केवल एक प्रतिशत वसूल कर सका। वि.व. 20 के दौरान, विभाग 31 मार्च 2019 को लंबित ₹11,316 करोड़ (केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹7,826 करोड़ और सेवा कर में ₹3,490 करोड़) में से केवल ₹106 करोड़ (₹62 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और ₹44 करोड़ सेवा कर) की वसूली कर सका।

इसी प्रकार, वि.व.21 में विभाग 31 मार्च 2020 को लंबित ₹16,302 करोड़ (केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹10,209 करोड़ एवं सेवा कर में ₹6,093 करोड़) में से केवल ₹116 करोड़ (एक प्रतिशत) (₹37 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं ₹79 करोड़ सेवा कर) ही वसूल कर सका।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से अनुरोध किया (जनवरी 2022) कि वह बंद/चूककर्ताओं इकाइयों में बकाये की वसूली के कम प्रतिशत के कारणों का पता लगाए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.6.7 वसूली के लिए लंबित बकाया राशि का अवधि-वार विश्लेषण

वि.व.20 और वि.व.21 के अंत में वसूली के लिए लंबित बकाया मामलों का अवधि-वार ब्यौरा तालिका 3.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.12: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बकाये का अवधि-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च को अंत शेष			1 वर्ष या उससे कम		1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम		2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम		5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 साल से कम		10 वर्षों से अधिक	
	वर्ष	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2020	44,548	83,351	12,189	25,053	4,733	11,436	8,106	26,502	8,361	13,955	11,159	6,404
	2021	38,071	80,301	8,202	23,760	3,738	9,457	7,185	20,466	7,725	19,593	11,221	7,023
सेवा कर	2020	72,483	1,44,512	27,947	52,078	9,671	28,058	14,771	41,087	14,259	22,344	5,835	945
	2021	65,001	1,46,332	23,158	47,239	9,180	28,749	13,934	42,665	13,000	26,238	5,729	1,442

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में, 31 मार्च 2021 को, ₹ 80,301 करोड़ के कुल लंबित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया में से ₹ 26,616 करोड़ (35 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

इसी प्रकार, सेवा कर के संबंध में, 31 मार्च 2021 को, कुल लंबित सेवा कर बकाया ₹ 1,46,332 करोड़ में से ₹ 27,680 करोड़ (19 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित बकाया राशि की जांच की। निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.6.7.1 लंबी अवधि से लंबित बकाया मामलों का अवधि-वार विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका 3.13 में पिछले तीन वर्षों अर्थात् वि.व.19, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित सेवा कर बकाये की श्रेणी-वार लंबनता को दर्शाया गया है।

तालिका 3.13: पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित सेवा कर बकाया की लंबित अवधि

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	5 वर्षों से अधिक					
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
सीईएसटीएटी	5,529	21,169	4,569	19,798	4,166	21,033
बंद / चूककर्ता इकाइयाँ	11,331	469	10,648	616	10,094	3,266
आधिकारिक परिसमापक मामले	51	90	58	961	62	1,093
उच्च न्यायालय	738	994	773	729	788	818
सर्वोच्च न्यायालय	57	288	55	482	75	566
आयुक्त अपील	1,256	192	1,126	178	1,067	196
वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई इकाइयाँ	70	666	65	146	62	189
धारा 142 (सी) (i) - जिला अधिकारियों के साथ प्रमाण पत्र कार्रवाई	86	57.4	96	97.27	87	100
अपील की अवधि समाप्त(लेकिन कोई अपील फाईल नहीं की गई)	2,153	101	1,588	129	1,477	280
वित्त अधिनियम 1994 की धारा 87	1,017	99	679	74	481	69.26
बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया राशि	588	5.58	196	6.3	221	17
अन्य ⁵⁷	511	143.41	240	80.72	149	53.28
कुल	23,387	24,274.39	20,093	23,297.29	18,729	27,680.54

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)।

*10 करोड़ से अधिक का बकाया श्रेणी-वार दिखाया गया है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹21,033 करोड़ और ₹3,266 करोड़ का बकाया "सीईएसटीएटी" और "बंद/चूककर्ता इकाइयाँ" श्रेणियों के तहत 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जो मार्च 2021 तक श्रेणियों के तहत क्रमशः 76 प्रतिशत और 12 प्रतिशत बनता है।

नीचे दी गई तालिका 3.14 पिछले तीन वर्षों अर्थात् वि.व.19, वि.व.20 और वि.व.21 के दौरान पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया की श्रेणी-वार लंबनता राशि को दर्शाती है।

⁵⁷बीआईएफआर मामले, बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (ii) - जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लागू किया गया है और निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।

तालिका 3.14: पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	5 वर्षों से अधिक					
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
सीईएसटीएटी	6,154	11,243	5,066	10,388	4,553	16,257
बंद / चूककर्ता इकाइयाँ	6,473	3,817	6,461	5,265	6,916	6,009
उच्च न्यायालय	1,065	1,206	879	1,055	746	914
आधिकारिक परिसमापक मामले	2,250	1,175	2,279	1,166	2,235	1,328
वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई इकाइयाँ	1,587	1,132	1,580	1,277	1,516	911
आयुक्त अपील	1,150	171	953	146	904	144
बीआईएफआर मामले	922	432	857	429	710	312
सर्वोच्च न्यायालय	146	288	124	415	128	432
धारा 142 (सी) (i) - जिला अधिकारियों के साथ प्रमाण पत्र कार्रवाई	208	33	190	26	167	47
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (सी) (ii)- जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर लागू किया गया है	308	71	230	61	176	97
अपील की अवधि समाप्त (लेकिन कोई अपील फाईल नहीं की गई)	202	25	210	31	141	31
बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया राशि	476	57	501	65	517	60
अन्य ⁵⁸	302	45.98	190	32.13	237	75.35
कुल	21,243	19,695.98	19,520	20,356.13	18,946	26,617.35

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)। *10 करोड़ से अधिक का बकाया श्रेणी-वार दिखाया गया है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹16,257 करोड़ और ₹6,009 करोड़ का बकाया "सीईएसटीएटी" और "बंद/चूककर्ता इकाइयाँ" की श्रेणियों के तहत 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जो मार्च 2021 तक श्रेणियों के तहत क्रमशः 61 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बनता है।

⁵⁸बकाया जहां अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11, जेएस (आरए) और निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।

लेखापरीक्षा ने इसे जनवरी 2022 में इंगित किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

3.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के चार से अधिक वर्षों के बाद भी, निवारक जांचों के आधार पर मूल रूप से परिकल्पित गैर-हस्तक्षेप ई-टैक्स प्रणाली को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। विभाग को गैर-हस्तक्षेपीय ई-टैक्स प्रणाली और आईटीसी के प्रणाली-सत्यापित प्रवाह को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विस्तृत निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया/मैनुअल के आधार पर वैधानिक समर्थन के साथ विवरणियों की संविक्षा की एक प्रभावी प्रणाली अभी लागू की जानी बाकी है। लेखापरीक्षा ने डीजीएआरएम प्रतिवेदनों की निगरानी और फीडबैक तंत्र की भी जांच की और पाया कि डीजीएआरएम प्रतिवेदनों में पहचाने गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा स्थापित मैनुअल/अर्ध-स्वचालित तंत्र का उपयोग उप-इष्टतम है और आईटी की पूरी क्षमता का उचित लाभ उठाने में विफल रहता है और इस प्रकार, यह आवश्यकता है कि गतिविधियों के पूरे तंत्र को सीबीआईसी-जीएसटी प्लेटफॉर्म के भाग के रूप में शुरू से अंत तक स्वचालित होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अनुपालन सत्यापन प्रणाली अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन-रोधी कार्यों और संबंधित अवधि के दौरान बकाये की वसूली में विभाग के निष्पादन के संबंध में विभाग के निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा ने जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इकाइयों में नियोजित और वास्तव में लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाया। इसके अलावा, पिछले चार वर्षों के दौरान निस्तारित जांच मामलों में शामिल राशि बहुत कम रही। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बकाये की वसूली में महत्वपूर्ण सुधार की कमी को पाया।

3.8 सिफारिशों का सारांश

1. विस्तृत अनुदेशों/मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर सांविधिक समर्थन के साथ विवरणी की संवीक्षा की एक प्रभावी जोखिम-आधारित प्रणाली के अभाव में, विभाग अपने अनुपालन सत्यापन कार्यों का निर्वहन करने के लिए डीजीएआरएम इनपुट पर निर्भर है। इस प्रकार, विभाग के निष्पादन पर आश्वासन देने के लिए, लेखापरीक्षा को विस्तृत प्रतिवेदनों के साथ-साथ डीजीएआरएम प्रतिवेदनों के संबंध में डेटा विश्लेषण पद्धति/मापदंड तक पहुंच की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन मामलों के संबंध में जहां फीडबैक पहले से ही प्रदान किए जा चुके हैं। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि डीजीएआरएम प्रतिवेदनों से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी तक ऐसी पहुंच बिना किसी देरी के प्रदान की जा सकती है ताकि सीएजी के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।
2. यद्यपि डीजीएआरएम रिपोर्ट और इन प्रतिवेदनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को डीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, इन प्रतिवेदनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई जैसे कि देखी गई विसंगति के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए करदाता के साथ पत्राचार और उस पर करदाताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए अभी भी मैन्युअल/ऑफलाइन की जा रही है। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि पारदर्शिता और प्रभावी वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा के लिए सीबीआईसी-जीएसटी प्लेटफॉर्म के भाग के रूप में गतिविधियों के पूरे सेट को शुरू से अंत तक स्वचालित किया जाना चाहिए।
3. लेखापरीक्षा उन समय-सीमाओं को निर्धारित करने की सिफारिश करती है जिसमें विभाग के कार्यालयों को डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, जिसके प्रति प्रगति की निगरानी की जा सकती है।
4. स्व-निर्धारण कर व्यवस्था के युग में, आंतरिक लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य उपकरणों में से एक

है। इसके अलावा, अनुपालन न करने वाले करदाताओं के प्रति विभागीय कार्रवाई सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसलिए, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा कमिशनरियों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। जब तक श्रमबल की कमी को दूर नहीं किया जाता, तब तक विभाग उच्च जोखिम वाले करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों की संख्या की योजना बनाने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रख सकता है।

अध्याय IV: माल और सेवा कर शुद्धवर्क द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता

सूचना प्रौद्योगिकी माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के मूल में है। यह कानून के तहत आवश्यक कर अनुपालन के लिए मंच प्रदान करता है, करदाताओं के साथ इंटरफेस का गठन करता है और राजस्व के निर्धारण और संग्रह में कर प्रशासन की सहायता करता है। पंजीकरण, विभिन्न फार्म के माध्यम से विवरणी दाखिल करने और करदाताओं के साथ कर अधिकारियों के संपर्क जैसी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से ऑनलाइन हैं। इसलिए, विश्वसनीय डेटा कैप्चर करने की प्रक्रियाएं, इसे प्रासंगिक पणधारकों के साथ साझा करने की प्रक्रिया और ऐसे डेटा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना जीएसटी व्यवस्था का आधार है।

माल और सेवा कर शुद्धवर्क (जीएसटीएन) की आईटी लेखापरीक्षा के दो चरण पूरे हो चुके हैं। पंजीकरण, भुगतान और आईजीएसटी निपटान मॉड्यूल पर पहले चरण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 में प्रकाशित किए गए थे। दूसरे चरण के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 में प्रकाशित किया गया था और इसमें प्रतिदाय, विवरणी और ई-वे बिल के मॉड्यूल शामिल थे। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से, विभिन्न सत्यापन कमियों और डेटा विसंगतियों को पहले से ही उजागर किया गया था।

4.1 लेखापरीक्षा का दायरा और अनुसरण की गई पद्धति

लेखापरीक्षा को फरवरी 2021 में जीएसटीएन के दायरे के अंतर्गत में जीएसटी विवरणी डेटा हेतु पहुंच प्रदान की गई थी, जो वि.व.18 से वि.व.20 तक की अवधि से संबंधित थी, जैसा कि करदाताओं द्वारा अगस्त 2021 तक दाखिल किया गया था। कैप्चर किए गए डेटा की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा एक विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए निम्नलिखित विवरणी डेटा पर विश्लेषण किया गया था:

- जीएसटीआर-1 (सभी जावक आपूर्तियां सहित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये अन्य पंजीकृत करदाताओं को आपूर्ति के बीजक स्तर के विवरण,
- जीएसटीआर-3बी (मासिक विवरणी, जिसमें आपूर्तिकर्ता आपूर्ति और कर देयता के सारांश के साथ आवक आपूर्ति पर दावा की जाने वाली आईटीसी की घोषणा करते हैं और करों का भुगतान करते हैं)
- जीएसटीआर-9 (एक वार्षिक विवरणी, जिसमें पूरे वर्ष के व्यवहार्यों का सारांश होता है; मासिक विवरणी और वार्षिक विवरणी के बीच देनदारियों में अंतर के कारण यदि कोई कर का भुगतान हो, तो वह भी इस विवरणी के माध्यम से स्व-घोषणा के आधार पर किया जा सकता है)

विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि जीएसटी डेटा में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, संभवतः जीएसटी सामान्य पोर्टल में विभिन्न जीएसटी से संबंधित विवरणी और फार्म में करदाता द्वारा सत्यापन जांच की कमी के कारण, या डेटा प्रविष्टि के पश्चात हुए अपर्याप्त डेटा विश्लेषक के माध्यम से। इससे पहले लेखापरीक्षा द्वारा इस पर 2021 के सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1 के पैरा 3.8 में प्रकाशित जीएसटीएन (चरण-II) के आईटी लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश डाला गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उसी प्रतिवेदन में यह भी बताया गया था कि लेखापरीक्षा जीएसटी डेटा की गुणवत्ता पर आश्वासन नहीं दे सका, क्योंकि जीएसटीएन ने न तो डेटा प्रदान किया था, न ही उसने उक्त डेटा पर लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए डेटा विश्लेषण प्रश्नचिन्ह को चलाया था। फरवरी 2021 में जीएसटीएन द्वारा एक्सेस दिए जाने के बाद अब लेखापरीक्षा द्वारा डेटा विश्लेषण किया जा सकता है।

4.2 कर योग्य मूल्यों और कर देयता के बीच विसंगतियों की घोषणा - जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डेटा को कैप्चर कर लिया गया

सभी जीएसटी विवरणी फॉर्म में कर योग्य मूल्यों और कर बकाया को दर्ज करने के लिए फ़िल्ड होते हैं। जीएसटीआर-1 में टैक्स की दर भी दर्ज की जा सकती है। तथापि, लेखापरीक्षा ने केवल उचित मूल्यों को स्वीकार करने के

लिए जीएसटी सामान्य पोर्टल में सत्यापनों की कमी देखी। डेटा विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण मामले, निम्न पैराग्राफों में उजागर किए गए हैं।

4.2.1 जीएसटीआर-1 डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 3,424 जीएसटीआईएन के 4.63 लाख से अधिक अभिलेखों में दर्ज की गई कर राशि (आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का योग) कर योग्य मूल्य (जो जीएसटी की अधिकतम दर है) के 28 प्रतिशत से अधिक थी, जिसका विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका-4.1: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-1 में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन संख्या	कर योग्य मूल्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	प्रभावी दर
2017-18	10,752	987	135.59	249.81	539.95	184.62	719%
2018-19	1,36,259	1,280	276.36	333.84	6,980.77	1,311.58	3,121%
2019-20	3,16,771	1,157	204.61	126.98	332.86	304.01	373%
	4,63,782	3,424					

4.2.2 इसी प्रकार, जीएसटीआर-3बी डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 60,908 जीएसटीआईएन के 92,541 अभिलेखों में, दर्ज की गई कर राशि (आईजीएसटी + सीजीएसटी + एसजीएसटी) कर योग्य मूल्य के साथ असंगत थे। इन मामलों में, कुल वार्षिक कर राशि (जीएसटीआर-3बी के अनुसार) संबंधित कर योग्य मूल्य के 28 प्रतिशत से अधिक थी, जिसका विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका-4.2: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-3बी में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य मूल्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	प्रभावी दर
2018-19	30,028	19,104	9,270.50	2,406.75	1,738.48	1,738.54	63%
2019-20	23,913	15,968	4,932.01	848.12	1,113.99	1,113.99	62%
2017-18	38,600	25,836	16,675.54	3,561.88	2,377.13	2,311.20	49%
	92,541	60,908					

4.2.3 जीएसटीआर-9 डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,900 जीएसटीआईएन के 1,900 अभिलेखों में, 'कुल जावक आपूर्ति' में कर योग्य मूल्य कर राशियों (आईजीएसटी + सीजीएसटी + एसजीएसटी) के साथ अत्यधिक असंगत थे, जिसका विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका-4.3: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-9 में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य मूल्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	परिकलित प्रभावी दर
2017-18	900	900	3,324.21	7,48,804.98	1,150.69	1,409.66	22,603%
2018-19	566	566	4,253.38	852.99	3,87,412.96	1,330.77	9,160%
2019-20	434	434	2,848.50	788.12	570.48	937.19	81%
	1,900	1,900					

लेखापरीक्षा में डेटा विसंगतियों के मामलों की पहचान करने के लिए कार्यांतर डेटा वैश्लेषिक की कमी और ऐसे मामलों की समीक्षा करने और उनसे निपटने के लिए एक प्रणाली की कमी देखी गई।

जब लेखापरीक्षा ने इसकी ओर इंगित किया (जनवरी 2022), तो जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2022) कि कई वैधीकरणों को लागू नहीं किया गया था क्योंकि यह एक नई प्रणाली थी जिसमें बहुत सारी तकनीकी चुनौतियां थी और यह स्थिर और पूर्ण रूप से तैयार होने के चरण में थी। अधिक वैधीकरणों के बनने से प्रणाली जटिल बन जाती, जिससे कार्यकुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती, जिसके फलस्वरूप करदाताओं की खराब विवरणी-दाखिल होती और परिणामस्वरूप सरकार का राजस्व संग्रह कम होता।

जीएसटीएन ने आगे कहा कि कर योग्य मूल्यों और कर राशि के बीच सटीक सह-संबंध की प्रणाली में पूर्णांकन विधि और क्रेडिट/डेबिट नोटों के जारी होने में भिन्नता के कारण जांच नहीं की जाती है।

जीएसटीएन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने डेटा विसंगतियों के मुद्दे को हल करने के लिए प्रणाली नियंत्रण और कार्यांतर डेटा वैश्लेषिक के संयोजन का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, यदि यह सत्यापन को लागू नहीं करने का औचित्य है तो जीएसटीएन की प्रणाली स्थिरता के चरण से आगे बढ़ गई है, इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन द्वारा अपने उत्तर में जीएसटी डेटा विसंगतियों की पहचान, समीक्षा और उनसे निपटने के लिए कार्यांतर डेटा वैश्लेषिक की आवश्यकता पर कुछ नहीं कहा गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि विभाग के अनुपालन कार्य जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी कार्य अब उचित कार्रवाई के लिए उच्च जोखिम वाले

करदाताओं की पहचान करने के लिए जीएसटी डेटा विश्लेषण पर निर्भर करती हैं। डेटा विसंगतियों और विश्वसनीय डेटा की कमी को यदि समय पर संबोधित नहीं किया जाता है, तो उप-इष्टतम अनुपालन कार्यों और कर प्रशासन संसाधनों की संभावित बर्बादी हो सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.3 जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों में विसंगतियां

माल या सेवाओं पर उद्ग्रहित गए सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें समान हैं। इसलिए, विवरणी में करदाता द्वारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के तहत घोषित कर की राशि को बराबर होना चाहिए। तथापि, डेटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि करों की इन दो श्रेणियों की घोषणाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे। जिन अभिलेखों में सीजीएसटी और एसजीएसटी राशि के बीच का अंतर एक हजार रुपये से अधिक था, उनकी चर्चा नीचे की गई है।

4.3.1 जीएसटीआर-1 डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि, 55,130 जीएसटीआईएन के 8,28,813 अभिलेखों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी राशि के बीच एक हजार रुपये से अधिक का अंतर था, जिसका विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-1 में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य मूल्य	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी और एसजीएसटी में भिन्नता
2017-18	5,47,664	16,375	36,728.13	2,995.47	2,578.74	416.73
2018-19	2,13,517	20,186	36,315.58	9,853.96	4,254.95	5,599.01
2019-20	67,632	18,569	20,917.91	1,874.12	1,747.20	126.92
	8,28,813	55,130		14,723.55	8,580.89	6,142.66

4.3.2 जीएसटीआर-3बी डेटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 20,305 जीएसटीआईएन के 26,942 अभिलेखों में एक हजार रुपये से अधिक के सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच भिन्नता थी। कुल सीजीएसटी राशि ₹25,120.12 करोड़ की तदनुरूपी एसजीएसटी राशि की तुलना में ₹24,896.51 करोड़ थी, जिसका विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.5: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-3बी में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य मूल्य	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी और एसजीएसटी में भिन्नता
2017-18	22,256	17,694	2,05,533.58	13,019.86	13,069.58	49.72
2018-19	3,357	1,692	1,42,279.04	9,216.59	9,329.86	113.27
2019-20	1,329	919	41,576.73	2,660.04	2,720.64	60.60
	26,942	20,305		24,896.49	25,120.08	223.59

4.3.3 जीएसटीआर-9 डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल कर योग्य जावक आपूर्ति से संबंधित 11,366 अभिलेखों में, 11,366 जीएसटीआईएन के संबंध में एसजीएसटी और सीजीएसटी के विरुद्ध घोषित कर के बीच एक हजार रुपये से अधिक का अंतर था, जिसका विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका-4.6: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-9 में डेटा विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

वि.व.	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य मूल्य	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी और एसजीएसटी में भिन्नता
2017-18	5,368	5,368	4,95,806.26	24,233.25	25,033.01	799.76
2018-19	3,552	3,552	4,57,100.34	4,11,544.27	25,372.84	3,86,171.43
2019-20	2,446	2,446	1,94,893.07	10,981.13	11,576.22	595.09
	11,366	11,366		4,46,758.65	61,982.07	3,84,777.58

उपर्युक्त डेटा विसंगतियां जीएसटी अधिनियमों के उल्लंघन में संघ और राज्यों के लिए अविश्वसनीय डेटा और अंतरीय कर संग्रहण के अस्तित्व को दर्शाती हैं। उचित ठोस और नरम नियंत्रण की कमी, या महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं पर पर्याप्त कार्योत्तर विश्लेषण की कमी के कारण, कैप्चर किया गया डेटा कई मामलों में अविश्वसनीय था। ये विसंगतियां जटिलता और अनुपालन कार्यों के लिए आवश्यक उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें कर प्रशासन द्वारा निर्वहन करने की आवश्यकता होती है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (जनवरी 2022) इंगित किया, तो जीएसटीएन ने कहा कि (फरवरी 2022) सीजीएसटी और एसजीएसटी की वही राशि दर्ज होने के चेक को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जीएसटी के शुरुआती चरण के

दौरान, करदाताओं को पहले की कर-व्यवस्था से संबंधित नोट्स (क्रेडिट या डेबिट) जारी करने थे, जिसमें या तो एक सीजीएसटी घटक या केवल एक एसजीएसटी घटक की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त, इसमें कहा गया है कि जीएसटीआर-3बी में यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेक बनाया गया था कि सीजीएसटी घटक एसजीएसटी घटक के बराबर होना चाहिए। यह चेक 2018 में जीएसटी पोर्टल पर बनाया गया था और बाद में 2020 में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)⁵⁹ में जोड़ा गया था। इसने स्वीकार किया कि जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में ऐसा कोई चेक नहीं रखा गया है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि इस तरह के वैधीकरण को जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में सरकार/जीएसटी परिषद के निर्देशों के अधीन बनाया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.4 इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों में विसंगतियां

करदाता विभिन्न शीर्षों के तहत मासिक आधार पर दावा करते हैं जैसे कि जीएसटीआर-3बी में आईएसडी वितरकों⁶⁰ से प्राप्त माल/सेवाओं के आयात से, प्रति प्रभार⁶¹ आधार पर और अन्य आपूर्तियों के तहत हैं, और इसे फिर से जीएसटीआर-9 में वार्षिक आधार पर घोषित किया जाता है। इसी तरह, उत्क्रम आईटीसी और अपात्र आईटीसी को भी मासिक, और वार्षिक दोनों विवरणी में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआर-9 में एक वि.व. के दौरान प्राप्त परंतु अगले वि.व. में दावा किए गए या उत्क्रमित किए गए आईटीसी की घोषणा करने का प्रावधान है। जीएसटीआर-3बी में घोषित आईटीसी का कर

⁵⁹ तृतीय पक्ष एप्लीकेशन्स के लिए। ये तृतीय पक्ष एप्लीकेशन्स सुरक्षित जीएसटी प्रणाली एपीआई के माध्यम से जीएसटी प्रणाली से जुड़ सकते हैं।

⁶⁰ इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) का अर्थ है माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, का एक या दोनों कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर चालान प्राप्त करता है और केंद्रीय कर (सीजीएसटी), राज्य कर (एसजीएसटी)/ संघ राज्य क्षेत्र कर (यूटीजीएसटी) या एकीकृत कर (आईजीएसटी) के क्रेडिट को वितरित करने के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है, जो कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों जिनके पास आईएसडी के समान पैन है के आपूर्तिकर्ता के लिए, उक्त सेवाओं पर भुगतान किया जाता है।

⁶¹ प्रति प्रभार एक ऐसा तंत्र है जहां माल या सेवाओं का प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता के बजाय माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

भुगतान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह आईटीसी बहीखाता में जमा होता है और इसका उपयोग बकाया देनदारियों के निपटान के लिए किया जा सकता है। तथापि, जीएसटीआर-9 में घोषित आईटीसी का बहीखाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि न तो अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट किया जाता है, न ही कम आईटीसी स्वचालित रूप से बही खाते से उत्क्रमित होता है, जो अनिर्णीत कर देयता (जिसे जीएसटीआर-9 में निपटाया जा सकता है) के विपरीत है।

इसलिए, जीएसटीआर-3बी में दिखाए गए आईटीसी का कर भुगतान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तथापि, चूंकि जीएसटीआर-9 में अगले वि.व. में उपयोग और उत्क्रमण का विवरण प्रदान करने की गुंजाइश है, इसलिए यह निर्धारण के उद्देश्य से उपलब्ध आईटीसी के साथ समाधान के लिए उपयोगी हो सकता है।

जीएसटीआर-3 बी के मूल्यों और जीएसटीआर-9 के संबंधित मूल्यों की तुलना से पता चला है कि 39,59,790 जीएसटीआईएन (कुल 52,19,332 का 76 प्रतिशत जिन्होंने जीएसटीआर-9 दाखिल किया था), में एक या अधिक अभिलेख शामिल थे जहां जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3 बी के वार्षिक योग के बीच संबंधित आईटीसी मेल नहीं खाते थे (₹100 से कम के अंतर को अनदेखा किया गया था)। जिन मामलों में भिन्नता हैं, उनकी एक शीर्ष-वार तुलना पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.4.1 जीएसटीआर-9 के स्वचालित रूप से भरे हुए और गैर-संपादन योग्य फ़ील्ड 6ए में असंगतता

लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर-9 के फ़ील्ड 6ए (जीएसटीआर-3बी के माध्यम से प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट की कुल राशि) में ₹5,071 करोड़ की राशि के 26,478 अभिलेखों में विसंगतियां देखीं, जिन्हें ऑटो-पॉपुलेटेड और गैर-संपादन योग्य माना जाता था। तालिका 4.7 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका-4.7: जीएसटीआर-3बी के 4ए और जीएसटीआर-9 के 6ए के बीच आईटीसी मूल्यों में भिन्नता
(₹ करोड़ में)

तालिका में बेमेल	अभिलेख	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-9 मूल्यों का कुल योग	जीएसटीआर-3बी मूल्यों का योग	पूर्ण अंतर
जीएसटीआर-3बी (आर9 का 6ए बनाम आर3बी का 4ए) के माध्यम से प्राप्त कुल आईटीसी	26,478	23,371	23,97,235	24,02,197	5,071

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2022), तो जीएसटीएन ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि उपर्युक्त फील्ड में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी। जीएसटीएन ने कहा कि वे इस मामले की विस्तार से जांच करेंगे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.4.2 स्वचालित रूप से भरे गए परंतु संपादन योग्य, जीएसटीआर-9 के फील्ड में असंगतता

जीएसटीआर-9 की तालिका 6 के अन्य आईटीसी फील्ड स्वचालित रूप से भरे गए हैं। तथापि, करदाता को मूल्यों को संपादित करने की अनुमति है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जीएसटीआर-9 में मूल्य के किसी भी बदलाव का आईटीसी बहीखाता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका उपयोग कर के भुगतान के लिए किया जाता है। इसलिए, किसी भी सारभूत भिन्नता के मामले में, उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कर प्रशासन को एक चेतावनी दी जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई विसंगतियों का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका-4.8: जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 के आईटीसी डेटा के बीच आईटीसी मूल्यों में भिन्नता
(₹ करोड़ में)

तालिका में बेमेल	अभिलेख	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-9 मूल्यों का कुल योग	जीएसटीआर-3बी मूल्यों का योग	पूर्ण अंतर
अन्य आईटीसी दावा किए गए (आर9 के 6बी बनाम आर3बी के 4ए (5))	27,23,298	19,43,074	41,18,940	44,07,810	13,49,684
आरसीएम आईटीसी दावा किए गए (आर9 के 6सी + डी बनाम आर3बी के 4ए (3))	6,19,162	4,96,358	62,291	1,31,826	96,486
माल के आयात के कारण दावा किए गए आईटीसी (आर9 का 6ई बनाम आर3बी का 4ए(1))	2,01,857	1,46,713	4,14,064	4,03,333	81,665
आईएसडी के कारण दावा किए गए आईटीसी (आर9 के 6जी बनाम आर3बी के 4ए(4))	1,06,597	97,319	17,455	29,115	16,176
सेवाओं के आयात के कारण दावा किए गए आईटीसी (आर9 का 6एफ बनाम आर3बी का 4ए(2))	49,387	38,008	43,667	36,766	23,859
आईटीसी उत्क्रमण (आर9 के 7 आई बनाम आर3बी के 4बी)	7,99,145	6,29,733	2,33,233	7,23,489	7,78,995
अपान आईटीसी (आर9 का 8एफ बनाम आर3बी का 4डी)	7,92,049	5,85,214	1,57,568	91,424	1,90,477
कुल	52,91,495	39,36,419			25,37,342

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2022)। उत्तर में (फरवरी 2022), जीएसटीएन ने कहा कि संपादन योग्य फील्ड में, जीएसटीआर-9 दाखिल करते समय करदाता को 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के लिए चेतावनी दी गई थी। तथापि, करदाता को 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता वाले संपादन योग्य फील्ड में किसी भी मूल्य की सूचना देने से नहीं रोका गया था। इसमें आगे कहा गया है कि पहले से भरे गए वार्षिक विवरणी और उपयोगकर्ता दर्ज किए गए मूल्यों के बीच की भिन्नता का एक उपयुक्त एमआईएस जीएसटी नीति विभाग के परामर्श से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एमआईएस तैयार करने के लिए भिन्नता की एक उपयुक्त सीमा तय की जा सके।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.4.3 जीएसटीआर-9 में गलत गणना

लेखापरीक्षा ने आगे प्रणाली में गणनात्मक त्रुटियों को पाया। जीएसटीआर-9 में, फील्ड 6जे, जीएसटीआर-3बी (6ए में स्वचालित रूप से भरा गया) में किए गए वास्तविक दावे और जीएसटीआर-9 (6बी⁶² से 6एच तक, जिनका योग 6आई है) में दिखाए जा रहे दावों का अंतर है। सिस्टम 6जे को 6आई⁶³ और 6ए के अंतर के रूप स्वतः गणना करता है। इस प्रकार, 6जे (6आई-6ए) के बराबर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, 1,387 अभिलेखों में, डेटा के इन दोनों समूहों [अर्थात् 6जे-(6आई-6ए)] के बीच एक सौ रुपये से अधिक का अंतर था, जिसका विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका-4.9: जीएसटीआर-9 में गणनात्मक त्रुटियाँ

अभिलेख	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-9 का 6ए (₹ करोड़ में)	जीएसटीआर-9 का 6आई (कुल 6बी से 6एच तक) (₹ करोड़ में)	6जे (6आई-6ए) (₹ करोड़ में)	पूर्ण अंतर ⁶⁴ [6जे-(6आई-6ए)] (बेमेल) (₹)
1,387	1,011	15,30,989	13,81,973	-1,49,013	2,09,78,317

उपर्युक्त से इंगित हुआ कि जीएसटीआर-9 फॉर्म में विसंगतियां थीं, जिसने डेटा की विश्वसनीयता को कम कर दिया और कर प्रशासन द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अनुपालन कार्यों की जटिलता में वृद्धि हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2022), तो जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2022) कि इस मामले की विस्तार से जांच की जाएगी।

4.5 केंद्र या राज्यों को करदाताओं का आवंटन नहीं किया जाना

जीएसटी परिषद ने अपनी नौवीं बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच करदाताओं के विभाजन के लिए एक फार्मूला तैयार किया और इसके प्रभाव के लिए 20 सितंबर 2017 को परिपत्र 1/2017 जारी किया। करदाताओं को या तो केंद्र द्वारा या राज्यों द्वारा प्रशासित किया जाना है। जीएसटी मास्टर तालिका

⁶² 6बी से 6एच विभिन्न प्रकार के दावा किए गए आईटीसी हैं जो जीएसटीआर-9 में दिखाए गए हैं।

⁶³ 6 (आई), 6बी से 6एच का योग है, जो विभिन्न प्रकार के आईटीसी हैं जिन्हें अब जीएसटीआर-9 में दावा के रूप में घोषित किया जा रहा है।

⁶⁴ 1,387 अभिलेखों में पृथक बेमेल का योग पूर्ण अंतर है।

करदाताओं के आवंटन के अभिलेखों को कैप्चर करता है। डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 49,077 करदाताओं को न तो केंद्र को आवंटित किया गया था, न ही किसी भी राज्य को। इनमें से 14,322 सामान्य करदाता थे और 2,419 करदाताओं ने अपना जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल किया था।

तालिका-4.10: जीएसटी मास्टर में अनुमोदित प्राधिकारी को शून्य दिखाने वाला डेटा

पंजीकरण प्रकार (कोड)	अनुमोदित प्राधिकारी	वि.व 2017-18 में पंजीकरण	वि.व 2018-19 में पंजीकरण	वि.व 2019-20 में पंजीकरण	वि.व 2020-21 में पंजीकरण
आकस्मिक करदाता (सीए)	शून्य	10,724	9,631	8,228	4,973
संयोजन (सीओ)	शून्य	1,013	0	0	0
इनपुट सेवा वितरक (आईडी)	शून्य	186	0	0	0
सामान्य करदाता (एनटी)	शून्य	14,322	0	0	0

उपर्युक्त को देखते हुए, इस बात की संभावना है कि जिन करदाताओं को किसी प्राधिकरण को आवंटित नहीं किया गया है, उनको किसी भी कर प्रशासन द्वारा मॉनीटर नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.6 निष्कर्ष

जीएसटीएन द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय डेटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने कर योग्य मूल्य और घोषित कर देयता के बीच महत्वपूर्ण डेटा विसंगतियों को पाया। जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के बीच और जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-9 विवरणी में कैप्चर किए गए आईटीसी डेटा के बीच विसंगतियां भी पाई गईं। जीएसटी डेटा में महत्वपूर्ण विसंगतियों के कारण, लेखापरीक्षा जीएसटी राजस्व में लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि और रुझानों को खोजने और अखिल भारतीय स्तर पर कर देयता और आईटीसी बेमेल जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेटा की विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से अनुरोध किया (जनवरी 2022) कि वह इस तरह की डेटा विसंगतियों के कारणों को प्रदान करे और यह पता लगाए कि क्या ऐसी

डेटा विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटीएन या किसी अन्य स्तर पर कोई प्रणाली/तंत्र स्थापित किया गया है, और असंगत डेटा के मामलों में की जा रही कार्रवाई का पता लगाए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

4.7 सिफारिश

मंत्रालय को उपयुक्त वैधीकरण नियंत्रण (ऐसे नियंत्रण जो अनुचित डेटा प्रविष्टियों को रोकते हैं या करदाता को अनुचित डेटा या दोनों के लिए सतर्क करते हैं) को महत्वपूर्ण डेटा तत्वों (इस लेखापरीक्षा विश्लेषण में सम्मिलित को शामिल करते हुए) जहां डेटा (जैसे कर राशि; कर योग्य मूल्य; कर घटक, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी; वार्षिक और मासिक विवरणी के बीच आईटीसी और कर राशियों का सत्यापन) करदाता द्वारा दाखिल किया जाता है के संबंध में कार्योत्तर डेटा वैश्लेषिकी से संपूरित को आरंभ करने पर विचार करना चाहिए डेटा विसंगतियों के मामलों की समीक्षा और समाधान के लिए जीएसटीएन में एक प्रभावी समीक्षा और अनुवर्ती प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के मामले में, कर अधिकारियों को अशुद्धियों के प्रति सचेत किया जा सकता है और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी करदाताओं के मामलों, जिन्हें केंद्र या राज्य क्षेत्राधिकारों को आवंटित नहीं किया गया है, की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें जीएसटी परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कर प्रशासनों को आवंटित किया जा सकता है।

अध्याय V: जीएसटी के तहत प्रतिदाय दावों का प्रसंस्करण

5.1 प्रस्तावना

कर प्रतिदाय का प्रभावी प्रबंधन कर-निर्धारण प्रणालियों के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। परेशानी रहित, सरल और समय पर प्रतिदाय की प्रक्रिया करदाताओं को अत्यंत आवश्यक चलनिधि और नकदी प्रवाह प्रदान करके सुविधा प्रदान करती है। कर प्रशासकों को धोखाधड़ी और त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय दावों को रोकने और उनसे निपटने की जिम्मेदारी के साथ सेवा के अच्छे स्तर की करदाता की अपेक्षाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय⁶⁵ ने कहा है कि सुशासन के तहत न केवल करों का सतत संग्रहण शामिल है, बल्कि अतिरिक्त उद्ग्रहण का तुरंत प्रतिदाय भी शामिल है। नियमों और अधिसूचनाओं को एक सरल और स्पष्ट भाषा में तैयार किया जाना चाहिए और निर्वचन निष्पक्ष और सुसंगत होना चाहिए न कि हमेशा वह जो करदाताओं के लिए प्रतिकूल हो।

प्रतिदाय का अर्थ है वह राशि जो करदाता को लौटाई जाती है जो या तो अधिक भुगतान की गयी थी या नियम कानून के तहत देय नहीं थी। प्रतिदाय में न केवल कर शामिल है, बल्कि ब्याज, शास्ति, शुल्क, या भुगतान की गई कोई अन्य राशि भी शामिल है।

करदाताओं के लिए एकल इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 6 के क्रॉस-एम्पावरमेंट प्रावधानों के अनुसार उन्हें राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण⁶⁶ के अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता है। करदाताओं को प्रतिदाय दावे के लिए दस्तावेजों को सौंपे गए क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

⁶⁵ एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ ((1978) 2 ईएलटी 452 (एससी)) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तहत एल्यूमीनिम इंगोत्स को दी गई सशर्त छूट के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिदाय के संदर्भ में

⁶⁶ जीएसटी परिषद परिपत्र दिनांक 20 सितंबर 2017

5.1.1 प्रतिदाय का प्रसंस्करण

5.1.1.1 स्वचालन-पूर्व

जीएसटी कानून ने माल और सेवा कर पोर्टल में एक प्रतिदाय मॉड्यूल के माध्यम से प्रतिदाय दावों के लिए एक स्वचालित वातावरण की परिकल्पना की। तथापि, करदाताओं को फॉर्म आरएफडी-01ए में ऑनलाइन प्रतिदाय आवेदन फाइल करने, आवेदन का प्रिंटआउट लेकर इसे सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रतिदाय मॉड्यूल 25 सितंबर 2019 तक उपलब्ध नहीं था।

भुगतान तक प्रतिदाय आवेदनों का प्रसंस्करण हस्त रूप से किया गया था। 1 जनवरी 2019 से, प्रतिदाय आवेदन और समर्थक दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना आवश्यक था। तथापि, प्रतिदाय आवेदनों को विभाग द्वारा हस्त रूप से प्रसंस्कृत किया गया था। संवितरण प्रक्रिया ऑफलाइन थी जिसमें केंद्रीय कर प्राधिकरण एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी), केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और उपकर घटक का संवितरण करेगा, और स्वीकृत प्रतिदाय के राज्य माल और सेवा कर घटक (एसजीएसटी) संवितरण के लिए राज्य कर प्राधिकरण को स्वीकृति आदेश भेजेगा। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्राधिकरण एसजीएसटी/यूटीजीएसटी घटक का संवितरण करेगा और स्वीकृत प्रतिदाय के आईजीएसटी, सीजीएसटी और उपकर घटक के संवितरण के लिए केंद्रीय कर प्राधिकरण को स्वीकृति आदेश भेजेगा।

5.1.1.2 स्वचालन-पश्चात

26 सितंबर 2019 से भुगतान तक की पूरी प्रतिदाय प्रक्रिया स्वचालित हो गई है। करदाताओं को फॉर्म आरएफडी-01 में ऑनलाइन आवेदन फाइल करना होगा और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आरएफडी-01 में आवेदन अपलोड करने की तारीख को आवेदन जमा करने की तारीख माना जाता है।

5.1.1.3 प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण और भुगतान के लिए दोहरा सशक्तिकरण

करदाताओं के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को केंद्रीय या राज्य कर प्राधिकरण को आवंटित किया गया है, जो जीएसटी परिषद द्वारा 9 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी 21 वीं बैठक में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया गया है। संबंधित राज्य के मुख्य आयुक्त/कमीशनर वाणिज्यिक करों और क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर मुख्य आयुक्तों/कमीशनरों की एक राज्य स्तरीय समिति ने मौजूदा करदाताओं को राज्य या केंद्रीय कर प्राधिकारियों⁶⁷ को आबंटित किया। नए पंजीकृत व्यक्तियों को उपर्युक्त परिपत्र द्वारा नियत केन्द्रीय कर प्राधिकरण अथवा राज्य कर प्राधिकरण को प्रतिदाय का दावा फाइल करना अपेक्षित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्राधिकारियों को सीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर घटकों की प्रतिदाय को स्वीकृति देने का अधिकार है और केंद्रीय प्राधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार⁶⁸ के तहत करदाताओं द्वारा दावा किए गए एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के प्रतिदाय को स्वीकृति देने का अधिकार है।

5.1.1.4 प्रतिदाय का भुगतान

स्वचालन-पूर्व अवधि में एसजीएसटी/सीजीएसटी कर घटकों का भुगतान संबंधित राज्य या केन्द्रीय कर प्राधिकारियों द्वारा किया गया था, जो प्रतिदाय को स्वीकृति देने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिदाय आदेशों के आधार पर किया गया था। केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय आदेश को भुगतान करने के लिए सात कार्य दिवसों के भीतर संबंधित प्रतिस्थानी कर प्राधिकरण को सूचित किया जाना था। सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर के संबंध में स्वीकृत प्रतिदाय राशि का भुगतान केन्द्रीय कर प्राधिकरण द्वारा किया जाना था जबकि एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के संबंध में स्वीकृत धनवापसी राशि का भुगतान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा किया जाना था।

⁶⁷ जीएसटी परिषद परिपत्र दिनांक 20 सितंबर 2017

⁶⁸ अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2017

स्वचालन के बाद की अवधि में, सभी घटकों अर्थात् सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और उपकर का भुगतान⁶⁹ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से ई-पीएओ द्वारा इस क्षेत्राधिकार प्राधिकरण (केंद्रीय या राज्य) की परवाह किए बिना, जिसने प्रतिदाय आवेदन को प्रसंस्कृत किया था, किया जा रहा है।

प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों का विवरण **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

5.1.2 जीएसटी प्रतिदाय के प्रकार

प्रतिदाय विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाते हैं जैसे शून्य-दर आपूर्तियों⁷⁰ पर भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय, उत्कामी शुल्क संरचना के कारण संचित इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का प्रतिदाय, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष राशि का प्रतिदाय आदि। 26 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 (स्वचालन-पश्चात) की अवधि के दौरान सीबीआईसी क्षेत्राधिकार के तहत प्राप्त प्रतिदाय आवेदनों और करदाताओं के संबंध में किए गए भुगतानों का श्रेणीवार विवरण **तालिका 5.1** में विस्तृत है:

⁶⁹ सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 18 नवंबर 2019

⁷⁰ आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु 'शून्य दर आपूर्ति' को परिभाषित किया गया है, अर्थात्: क) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; या ख) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति

तालिका 5.1: 26 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त आवेदनों और किए गए भुगतानों का श्रेणीवार विवरण (3 नवंबर 2021 तक)

क्र. सं.	प्रतिदाय की श्रेणी	प्राप्त आवेदन		जारी की गई पावती		जारी किए गए स्वीकृति आदेश		पीएफएमएस के माध्यम से जारी भुगतान	
		मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	कर के भुगतान के बिना माल और सेवाओं का निर्यात	58,838	26,603	27,447	16,488	26,031	14,727	25,509	14,672
2	उत्क्रमी शुल्क संरचना ⁷¹ के कारण जमा आईटीसी	71,147	7,505	29,559	5,213	28,357	4,627	27,174	4,507
3	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष	22,893	2,599	22,567	2,509	21,629	2,253	18,963	2,245
4	कर के भुगतान के साथ सेवाओं का निर्यात	4,270	3,167	1,100	1,441	1,021	1,137	944	1,118
5	कर के भुगतान के बिना एसईजेड इकाई/डेवलपर को की गई आपूर्ति	3,794	1,666	1,214	901	1,164	769	1,144	847
6	कर के भुगतान के साथ एसईजेड इकाई/डेवलपर को की गई आपूर्ति	3,591	370	773	305	737	294	674	293
7	डीमड निर्यात ⁷² का आपूर्तिकर्ता	1,510	329	544	272	519	252	491	252

⁷¹ 'उत्क्रमी शुल्क संरचना' एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां खरीदे गए इनपुट पर कर की दर जावक आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होती है। उत्क्रमी शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आवक आपूर्ति पर भुगतान किया जाने वाला कर जावक आपूर्ति पर देय कर से अधिक होता है।

⁷² 'डीमड निर्यात' का तात्पर्य भारत में विनिर्मित वस्तुओं (और सेवाएं नहीं) की आपूर्ति से है जिन्हें सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 147 के तहत डीमड निर्यात के रूप में अधिसूचित किया गया है। आपूर्तियां भारत से बाहर नहीं जाती हैं। डीमड निर्यात डिफॉल्ट रूप से, नियमित निर्यात के विपरीत शून्य-दर आपूर्ति नहीं हैं। इसलिए डीमड निर्यात के लिए आपूर्ति के रूप में अधिसूचित सभी आपूर्ति करों के उद्ग्रहण के अधीन होगी। तथापि, डीमड निर्यात के रूप में समझी जाने वाली आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय या तो आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य है। प्रतिदाय के लिए आवेदन आपूर्तिकर्ता या डीमड निर्यात आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाना है।

क्र. सं.	प्रतिदाय की श्रेणी	प्राप्त आवेदन		जारी की गई पावती		जारी किए गए स्वीकृति आदेश		पीएफएमएस के माध्यम से जारी भुगतान	
		मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
8	निर्धारण, अंतिम निर्धारण और अपील के कारण प्रतिदाय	989	223	399	129	367	96	314	96
9	कर का अतिरिक्त भुगतान	3,969	1,574	1,936	1,151	1,775	112	776	90
10	डीमंड निर्यात प्राप्तकर्ता	441	65	111	47	107	45	102	45
11	राज्य के भीतर आपूर्ति पर भुगतान किया जाने वाला कर जो बाद में अंतर-राज्यीय माना जाता है या इसके उलट	105	11	47	5	45	4	33	4
12	कोई अन्य	13,715	5,773	5,191	3,547	4,754	369	2,771	357
	कुल	1,85,262	49,885	90,888	32,008	86,506	24,685	78,895	24,526

स्त्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर संकलित

5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की गयी थी:

- प्रतिदाय प्रदान करने के संबंध में जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रणालियों की प्रभावकारिता;

- (iii) क्या प्रतिदाय के मामलों के प्रसंस्करण और भुगतान में विभागीय अधिकारियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

5.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र, नमूना और पद्धति

लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रसंस्कृत और भुगतान किए गए जीएसटी प्रतिदाय मामलों को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने स्वचालन-पूर्व अवधि में राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेशों पर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) फील्ड संरचनाओं (केन्द्रीय क्षेत्राधिकार) द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी प्रतिदाय के संवितरण की भी जांच की।

माल एवं सेवा कर शुद्धवर्क (जीएसटीएन) ने अगस्त 2018⁷³ से जुलाई 2020 की अवधि से संबंधित प्रतिदाय आवेदनों का अखिल भारतीय आँकड़ों प्रदान किया था। चूंकि 26 सितंबर 2019 (पूर्व-स्वचालन) से पहले प्रसंस्कृत मामलों के लिए सीमित आँकड़ों उपलब्ध था, इसलिए प्रतिदाय आवेदनों को श्रेणी-वार क्रमबद्ध किया गया था और स्तरीकृत नमूने के आधार पर नमूना तैयार किया गया था।

26 सितंबर 2019 (स्वचालन-पश्चात) को या उसके बाद फाइल किए गए प्रतिदाय आवेदनों के लिए, कई जोखिम मापदंडों जैसे कि दावा की गई प्रतिदाय राशि, प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब, दावा किए गए अनुपात के लिए स्वीकृत प्रतिदाय और जारी किए गए कमी पूरक ज्ञापन का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था। जोखिम स्कोर के आधार पर, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रतिदाय आवेदनों का चयन किया गया था। स्वचालन-पश्चात की कुल संसृति का भी विश्लेषण किया गया था और कुल संसृति की तुलना में पाए गए विचलनों को जहां भी संभव हो शामिल किया गया है। चयनित और लेखापरीक्षित नमूना मामलों को तालिका 5.2 में दिया गया है:

⁷³ जीएसटीएन ने अगस्त 2018 से आँकड़ों प्रदान किया जब प्रतिदाय माँड्यूल को कर विभाग के बैक एण्ड सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया था।

तालिका 5.2: चयनित और लेखापरीक्षित नमूना मामले

विवरण	चयनित		लेखापरीक्षित	
	मामलों की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़ में)
स्वचालन-पूर्व अवधि	5,797	6,695	5,451	6,320
स्वचालन-पश्चात अवधि	6,486	7,673	6,482	7,669
कुल	12,283	14,368	11,933	13,989

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर संकलित।

विभाग⁷⁴ ने लेखापरीक्षा को ₹374.77 करोड़ की दावा राशि के साथ 346 प्रतिदाय फाइलें (छह प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं कीं। स्वचालन के बाद की अवधि में चार मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि अतिरिक्त विवरण और जानकारी⁷⁵ प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मामले की फाइलें प्रस्तुत न करने के कारणों में फाइलों का गलत स्थान पर रखना, पोस्ट लेखापरीक्षा के लिए फाइलें प्रस्तुत करना और विभाग के अपवंचन रोधी शाखाओं आदि को बताया गया था।

एसएससीए प्रतिवेदन का मसौदा वित्त मंत्रालय को 27 दिसंबर 2021 को टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। 7 फरवरी 2022 को आयोजित एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, एसएससीए प्रतिवेदन पर मंत्रालय का उत्तर 25 फरवरी 2022 को प्राप्त हुआ था।

5.4 अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

आवेदन की प्राप्ति का दस्तावेजीकरण और इसके अंतिम भुगतान तक प्रतिदाय दावे का प्रसंस्करण आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह अधिनियम और नियमों के निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन पर ध्यान देने के लिए एक लेखापरीक्षा ट्रेल स्थापित करने में मदद करता है।

⁷⁴ 37 कमीशनरी

⁷⁵ बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु पश्चिम और बेलगाम कमीशनरी

बोर्ड ने अपने परिपत्र⁷⁶ में सीबीआईसी फील्ड संरचनाओं से प्राप्ति की निगरानी, प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण और अंतिम प्रतिदाय और अंतिम स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए तीन रजिस्ट्रों⁷⁷ को बनाए रखने की आवश्यकता की थी। बोर्ड ने लेखापरीक्षा के दौरान पूरी और व्यापक जानकारी और पूर्ण अभिलेखों को प्रदान करके सहयोग करने का निर्देश⁷⁸ दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 99 कमीशनरी में से, 15 कमीशनरी⁷⁹ ने रजिस्ट्रों में सभी निर्धारित कॉलम नहीं बनाए थे या इनका समावेश नहीं किया था। अभिलेखों को बनाए न रखे जाने के कारण, लेखापरीक्षा कोडल प्रावधानों और निर्धारित समय-सीमाओं के अनुपालन को सत्यापित नहीं कर सकी। समकक्ष राज्य प्राधिकारियों को प्राप्त और अग्रेणित किए गए प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों के रजिस्टर चार कमीशनरी⁸⁰ द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा के बाद के लिए भेजे गए मामले और ऐसे मामलों की लेखापरीक्षा कब की गई थी के रजिस्टर के बारे में विवरण, पांच कमीशनरी⁸¹ की लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पांच कमीशनरी⁸² द्वारा मांग के बकाये की सूची भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

जीएसटीआर-2ए में सूचना का ऑनलाइन एक्सेस लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था और इसलिए, प्रतिदाय की जांच करते समय आईटीसी की सटीकता या अन्यथा का पता नहीं लगाया जा सकता था। उन मामलों के आँकड़ों जिनमें जाली आईटीसी का लाभ उठाया गया था और प्रतिदाय का उपयोग करते हुए इसके नकदीकरण को लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया

⁷⁶ सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 15 नवंबर 2017

⁷⁷ पावती जारी करने तक प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति को रिकॉर्ड करने के लिए तालिका 1 प्रारूप में पंजीकृत करें, अंतिम प्रतिदाय जारी करने के लिए तालिका 2 और अंतिम स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए तालिका 3

⁷⁸ डीओ पत्र फ.सं. 232/विविध डीएपी/2018-सीएक्स-7, 26 अप्रैल 2018

⁷⁹ रायगढ़, ठाणे, भिवंडी, दिल्ली उत्तर, दिल्ली पूर्व, दिल्ली दक्षिण, जबलपुर, गुंटूर, विशाखापट्टनम, पटना I, पटना II, लुधियाना, शिमला, गुरुग्राम और पंचकुला

⁸⁰ विशाखापट्टनम, रायगढ़, ठाणे और भिवंडी कमीशनरी

⁸¹ गुंटूर, विशाखापट्टनम के उत्तरी प्रभाग, भिवंडी, रायगढ़ और ठाणे कमीशनरी

⁸² रायगढ़, ठाणे, भिवंडी, गुंटूर और विशाखापट्टनम कमीशनरी

गया था और इसलिए, उन प्रणाली दोषों और खामियों जिनके कारण इस तरह की धोखाधड़ी हुई थी, की पहचान नहीं की जा सकी।

पंचकुला कमीशनरी के अंबाला प्रभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2021) कि अब सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से रजिस्ट्रों का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने पटना-1 कमीशनरी के संबंध में कहा (फरवरी 2022) कि प्रतिदाय रजिस्टर को बनाए रखा गया था और अद्यतन किया गया था (पूर्व-स्वचालन) और इसे अगली लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाएगा। शेष कमीशनरी के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित थे। (फरवरी 2022)।

5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से तैयार किए गए थे:

- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017
- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
- सीबीआईसी द्वारा समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/अनुदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.6 प्रणालीगत मामले

5.6.1 स्वचालित प्रतिदाय मॉड्यूल में कमियां

यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभिज्ञात है कि ग्राहक सेवा स्तरों और धोखाधड़ी गतिविधियों की रोकथाम और शमन के बीच संतुलन होना चाहिए। कर प्रतिदाय के कारण विधिसंगत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण में सेवा के अच्छे मानकों को प्राप्त करने और भुगतान से पहले और भुगतान के बाद के गलत और धोखाधड़ी वाले दावों का पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए

चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जाली या अमान्य सत्तवों सहित धोखाधड़ी वाले प्रतिदाय, यदि असंसूचित और असंसाधित होते हैं, तो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रतिदाय की सापेक्ष सरलता अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकती है।

विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) के कार्यालय ने 9,757 करदाताओं वाली एक सूची जारी (जुलाई 2020) की थी, जिन्होंने उनके द्वारा प्राप्त किए गए जाली आईटीसी का मुद्दीकरण किया था। इसमें ऐसे 3,208 करदाताओं की सूची भी शामिल थी जो जाली बीजक जारी कर रहे थे। वि.व.2018-19 और 2019-20 में, आईटीसी धोखाधड़ी⁸³ की कुल राशि ₹ 23,193.66 करोड़ थी, जबकि वि.व.2020-21⁸⁴ में, लगभग 8000 मामलों का पता चला था, जिसमें ₹ 35,000 करोड़ से अधिक के जाली आईटीसी शामिल थे। ₹ 214 करोड़ के छलपूर्ण आईटीसी को पारित करने और इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी के प्रतिदाय का दावा करने में शामिल तीन फर्मों के खिलाफ नागपुर में धोखाधड़ी के मामलों में से एक का पता चला था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-1 विवरणी फाइल करने के साथ करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी का मिलान करने और राशि का भुगतान किए जाने के बाद आँकड़ों विश्लेषण के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों की पहचान करने के लिए एक तंत्र मौजूद है। तथापि, लेखापरीक्षा की राय में, वास्तविक समय/निकट वास्तविक समय आँकड़ों विश्लेषिकी का उपयोग करके ऐसी धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां नहीं थीं जिससे प्रतिदाय की स्वीकृति से पहले कर अधिकारियों को सतर्क किया जा सके। सीबीआईसी ने अपने परिपत्र⁸⁵ में कहा है कि पिछले महीनों में माल के निर्यात पर आईजीएसटी के प्रतिदाय के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण या अपात्र ऋण के मुद्दीकरण के कई मामलों का पता चला है। जांच करने पर पाया गया कि ऐसे कई मामलों में

⁸³ Data.gov.in

⁸⁴ भारतीय पत्र सूचना कार्यालय, सीजीएसटी जोन और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने वित्त वर्ष 2020-21 जुलाई 2021 में ₹ 35,000 करोड़ से अधिक के जाली आईटीसी से जुड़े लगभग 8,000 मामलों दर्ज किए। <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1735095>

⁸⁵ परिपत्र दिनांक 23 जनवरी 2020

निर्यातकों का बड़ी संख्या अस्तित्वहीन थी। इन सभी मामलों में यह पाया गया कि निर्यातकों द्वारा जाली बीजकों के आधार पर आईटीसी प्राप्त किया था और इस तरह के जाली आईटीसी का उपयोग करके निर्यात पर आईजीएसटी का भुगतान किया गया था।

इससे पता चला कि कुछ मामलों में, नए जीएसटी पंजीकरणकर्ता, विश्वसनीय पूर्ववर्तियों के बिना, पंजीकरण के स्थान की सीमित जांच या सत्यापन के साथ प्रतिदाय प्राप्त कर रहे थे। लेखापरीक्षा में जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी राशि के साथ प्रतिदाय आवेदन में दिखाए गए शुद्ध आईटीसी के पर्याप्त मिलान की कमी और विवरणी फाइलिंग की स्थिति का पता लगाए बिना प्रतिदाय प्रदान करने की भी कमी देखी गई।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत अखिल भारतीय आँकड़ों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- सितंबर 2019 से जुलाई 2020 तक की अवधि से संबंधित 2,656 मामलों (31,173 मामलों⁸⁶ में से) के संबंध में, जहां स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹6,121.87 करोड़ थी, ऑनलाइन फाइल किए गए प्रतिदाय आवेदन में दिखायी गयी शुद्ध आईटीसी, जीएसटीआर 2ए⁸⁷ में दिखाई गई राशि से ₹11,851.48 करोड़ अधिक थी।
- 56,513 करदाताओं को, जिन्होंने प्रतिदाय आवेदन फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1⁸⁸ या जीएसटीआर 3बी⁸⁹ या दोनों फाइल नहीं

⁸⁶ जीएसटीआर 2ए उत्क्रमी शुल्क संरचना, शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात और जीएसटीएन में शुल्क के भुगतान के बिना एसईजेड द्वारा निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 31,173 प्रतिदाय मामलों में उपलब्ध था।

⁸⁷ जीएसटीआर 2ए स्वचालित रूप से जीएसटी पोर्टल में प्रत्येक करदाता के लिए जनित होता है। जब कोई विक्रेता अपना जीएसटीआर-1 फाइल करता है, तो जानकारी क्रेता के जीएसटीआर 2ए में कैचर की जाती है, जिसमें उन माल और/या सेवाओं की जानकारी शामिल होती है जिन्हें विक्रेता के जीएसटीआर 1 से किसी दिए गए महीने में खरीदा गया है। करदाता को इनपुट कर क्रेडिट विवरण के लिए जीएसटीआर-2ए को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है।

⁸⁸ माल और सेवा कर विवरणी 1 (जीएसटीआर 1) एक विवरणी है जिसे प्रत्येक पंजीकृत करदाता को हर महीने / तिमाही में फाइल करने की आवश्यकता होती है। इसमें कर अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई माल और सेवाओं की सभी बिक्री और आपूर्ति का विवरण होना चाहिए।

किए थे, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(10) के तहत अनिवार्य है, ₹6,113.63 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था।

- 51,064 करदाताओं में से 29,839, जिन्हें ₹8,037.19 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था, ने वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) के भाग VI में फाइल किए गए प्रतिदाय दावों और प्रतिदाय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि विभाग गैर-अनुपालन की पहचान करने के लिए अपने स्वयं के ऑकड़ोंबेस का लाभ उठा सकता था और सहसंबद्ध कर सकता था, परंतु ऐसे मामलों को रेड फ्लैग दिखाने और उचित अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता ने अधिनियम और प्रतिदाय की स्वीकृति और भुगतान से पहले नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, विस्तृत जांच करने के लिए सतर्क करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की कमी थी।

लेखापरीक्षा में कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि यद्यपि दावों की सत्यता स्थापित करने के लिए संदिग्ध प्रतिदाय दावों को पर्याप्त/प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने प्रतिदाय की स्वीकृति देते समय उचित सावधानी के साथ इन मामलों की जांच नहीं की थी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि जीएसटी के कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों के दौरान, विभाग का ध्यान प्रवर्तन के बजाय सुविधा पर था। तथापि, 2019 के बाद से, डीजीएआरएम विभिन्न रेड फ्लैग रिपोर्ट जनित कर रहा है जो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए फील्ड संरचनाओं को अग्रेणित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कि आईटीसी को जीएसटीआर-2ए से अधिक प्राप्त किया गया था, के बारे में मंत्रालय ने कहा कि प्रतिदाय अन्य बातों के साथ-साथ आईएसडी द्वारा वितरित क्रेडिट, आयात, आरसीएम आपूर्तियां और

⁸⁹ जीएसटीआर-3बी एक स्व-घोषित सारांश जीएसटी विवरणी है जो हर महीने फाइल किया जाता है। माल या सेवाओं की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर, आदि जैसे विवरणों को इस तरह के विवरणी में घोषित किया जाना आवश्यक है।

अज्ञात बीजकों (प्रतिदाय दावे के साथ उपयुक्त अधिकारी को अज्ञात बीजकों की प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर जो प्रतिदाय 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध थे) जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी से अधिक हो सकता है। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कि दावा किए गए और प्राप्त प्रतिदाय के विवरण वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, के बारे में मंत्रालय ने कहा कि वि.व.2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 की तालिका 15ए से 15डी में दावा किए गए और प्राप्त प्रतिदाय के विवरण को सीजीएसटी (सातवां संशोधन) नियम, 2019 के माध्यम से वैकल्पिक बना दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि सीजीएसटी नियमों में सातवां संशोधन 29 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया था, जबकि 2017-18 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख 5/7 फरवरी 2020 थी। जहां तक जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध राशि की तुलना में प्रतिदायित आईटीसी की राशि का संबंध है, लेखापरीक्षा ने व्यक्तिगत प्रतिदाय दावों की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेखापरीक्षा का विचार है कि ऐसे दावों को स्वचालित रूप से रेड-फ्लैग करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए, जहां जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध क्रेडिट दावा किए गए प्रतिदाय से कम है, ताकि विभाग प्रतिदाय की स्वीकृति से पहले ऐसे दावों की विस्तार से जांच कर सके। जहां तक विवरणी फाइलिंग की स्थिति की जांच किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति का संबंध है, मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

उदाहरणात्मक मामलों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.6.1.1 उचित संवीक्षा के बिना प्रतिदाय की स्वीकृति

सीबीआईसी ने 12 मई 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आईजीएसटी प्रतिदाय या अप्रयुक्त संचित आईटीसी का प्रतिदाय प्राप्त करके जाली चालानों पर प्राप्त आईटीसी के भुनाने के जोखिम पर फील्ड संरचनाओं को चेतावनी दी।

(क) मुंबई पश्चिम कमीशनरी के तहत प्रतिदाय मामलों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा में शून्य-दर आपूर्ति की श्रेणी के तहत 18 प्रतिदाय आवेदन मिले,

जो दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान नौ करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें जून 2019 से जून 2020 की अवधि के बीच पंजीकरण प्रदान किया गया था। ये मामले निम्नलिखित कमियों के कारण संदिग्ध प्रतीत होते हैं:

- जिन नौ करदाताओं को ₹12.01 करोड़ के प्रतिदाय की स्वीकृति दी गई थी, वे एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान थीं, जिनके ई-केवाईसी और आधार को प्रमाणित नहीं किया गया था। फरवरी 2020⁹⁰ में प्रस्तुत किया गया प्रतिदाय प्री-एप्लीकेशन फॉर्म, जो करदाताओं के आयकर विवरण, निर्यात आँकड़ों और आधार संख्या आदि को कैप्चर करता है, किसी भी करदाताओं द्वारा भरा और प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रभारी अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को दावों का सत्यापन सौंपे बिना प्रतिदाय स्वीकृत कर दिया।
- आठ करदाताओं को दिए गए पंजीकरण को ₹11.60 करोड़ के प्रतिदाय प्राप्त करने के बाद करदाता⁹¹ द्वारा किए गए आवेदन (जुलाई 2020 से दिसंबर 2020) को उचित अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था और शेष एक मामले में, पंजीकरण को विभाग द्वारा स्वतः रद्द कर दिया गया था। विभाग ने रद्दीकरण को स्वीकार⁹² करने से पहले नियम 96बी के तहत आवश्यक निर्यात प्राप्तियों की प्राप्ति को न तो सत्यापित किया और न ही करदाता को आठ मामलों में ₹2 करोड़ से अधिक के बिक्री के बावजूद फॉर्म जीएसटीआर 9 में वार्षिक विवरणी दाखिल करने का निर्देश दिया जो धारा 44 के तहत आवश्यक था।
- दावा किया गया प्रतिदाय आईटीसी पर आधारित था, जो 15 आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की गई खरीद पर था, जिन्होंने जाली

⁹⁰ फरवरी 2020 के सिस्टम और आँकड़ों प्रबंधन के महानिदेशक का न्यूज़लेटर

⁹¹ धारा 29 (1) प्रदान करता है कि यदि व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, मालिक की मृत्यु सहित किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया जाता है, अन्य कानूनी सत्त्व के साथ समामेलित किया जाता है, विघटित या अन्यथा निपटाया जाता है; या व्यवसाय के संविधान में कोई परिवर्तन होता है; या कर योग्य व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है या स्वेच्छा से पंजीकरण से बाहर निकलने का इरादा रखता है तो करदाता द्वारा रद्द करने के लिए माना जाता है।

⁹² अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020

बीजक दिए थे। विभाग ने इनमें से 10 आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया था और अन्य पांच ने विवरणी फाइल करना बंद कर दिया था। आपूर्तिकर्ताओं ने केवल तीन से चार महीने के लिए विवरणी फाइल किया और करदाताओं को प्रतिदाय प्राप्त होने के बाद विवरणी फाइल करना बंद कर दिया।

- सीए के प्रमाण पत्र⁹³ में संस्थान द्वारा अधिदेशित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) नहीं थी। सीए पर नवंबर 2014 में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा सहायक दस्तावेजों या उनकी सटीकता को सत्यापित किए बिना किसी ग्राहक को निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शास्ति लगाई गई थी।
- परेषण के स्थान पर विचार किए बिना छह मामलों में, विदेशी क्रेता वही था। उन छह मामलों में सीमा शुल्क हाउस एजेंट (सीएचए) और ट्रांसपोर्टर वही थे। इससे पता चला कि ट्रांसपोर्टरों, सीएचए और सीए ने इन दावों को चुनने के लिए मिलीभगत के साथ काम किया।

सभी मामलों में अंतिम प्रतिदाय को छोड़कर अंतिम प्रतिदाय दिया गया था, 14 मामलों में प्रतिदाय असामान्य रूप से सात दिनों या उससे कम समय में प्रदान किए गए थे।

- पांच मामलों में, पावती के आधे घंटे के भीतर दर प्रतिदाय को स्वीकृति दे दी गई थी, और इन पांच मामलों में से दो में, देर आधी रात को स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे।
- दो मामलों में आवेदन प्राप्त होने के दिन में ही प्रतिदाय प्रदान किया गया था। अवकाश के दिन भी स्वीकृति आदेश जारी किए गए। दो अन्य मामलों में प्रतिदाय आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और

⁹³ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) (एम) के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा जारी फॉर्म जीएसटी आरएफडी -01 के अनुलग्नक -2 में एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जहां दावा किया गया प्रतिदाय ₹ 2 लाख से अधिक है, जो यह प्रमाणित करने के उद्देश्य से होता है कि इस तरह का कर और ब्याज किसी अन्य व्यक्ति से वसूला नहीं गया था।

आधी रात को आधे घंटे के भीतर अंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

₹166.64 करोड़ के इतने बड़े निर्यात कारबार और ₹12.01 करोड़ के प्रतिदाय दावे वाले करदाताओं के अपने कारबार को अचानक बंद करने की संभावना नहीं है, जब तक कि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रतिदाय लेना और गायब हो जाना न हो। करदाताओं, इनपुट प्रदाताओं और सीए के पूर्ववृत्त जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी किया था, संदिग्ध थे। इस प्रकार, उचित सत्यापन के बिना ₹12.01 करोड़ के प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा में इस पर इंगित किए जाने पर (मई से जुलाई 2021) मुंबई वेस्ट कमिश्नरी ने कहा (अगस्त 2021) कि स्वीकृति देने वाला अधिकारी एक सीमित पहुंच वाला अधिकारी है और यदि प्रतिदाय का दावा करने वाले करदाता के आपूर्तिकर्ता, स्वीकृति प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं, तो ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के पूर्ववर्तियों को देखना असंभव हो जाता है। अगस्त 2020 से एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था जिसमें सैकड़ों पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे जो या तो निष्क्रिय, गैर-फाइलर थे या प्राथमिकता के आधार पर करदाता के आवेदन पर थे।

कमिश्नरी ने आगे कहा कि जब हम इन प्रतिदाय की समयसीमा को देखते हैं तो प्रतिदाय आवेदन कम संदिग्ध लग रहा था। प्रतिदाय आवेदनों को एक अलग तरीके से फाइल किया गया था और लगभग एक वर्ष की अवधि में फैलाया गया था जो एक मामले के तथ्यों को दूसरे से सहसंबंधित करना कठिन बनाता है। करदाता खुद को अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम थे और विभागीय अधिकारी के लिए ये विवरण एक-दूसरे के साथ सहसंबंधित करना संभव नहीं था। सभी प्रतिदाय दावों को स्वीकृति देने और कानून के प्रावधानों के ढांचे के भीतर उचित परिश्रम का प्रयोग किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कई रेड फ्लैग के बावजूद असामान्य रूप से कम समय में प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी। यद्यपि प्रत्यायोजन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, यह लेखापरीक्षा में जांच किए गए प्रतिदाय मामलों के आवेदन इतिहास से देखा गया था कि सभी प्रभागीय अधिकारी सामान्यतौर पर प्रतिदाय दावों के विस्तृत सत्यापन को सुनिश्चित

करने के लिए अपने अधीनस्थों को प्रतिदाय दावों के सत्यापन का काम सौंपते हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी संदिग्ध प्रतिदाय में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। विभाग ने विदेशी मुद्रा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति की पुष्टि किए बिना पंजीकरण को रद्द करने को स्वीकार कर लिया। करदाताओं ने फॉर्म जीएसटीआर 10 में अंतिम विवरणी भी फाइल नहीं किया था जिसे नियम 45 के अनुसार पंजीकरण रद्द करने के तीन महीने के भीतर फाइल करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, कमीशनरियों का उत्तर लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को उजागर करता है कि उच्च जोखिम वाले मामलों को रेड फ्लैग देने के लिए एक प्रभावी तंत्र को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिदाय की स्वीकृति से पहले उचित अधिकारी को सतर्क किया जा सके।

एक उदाहरण के मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) एक करदाता ने दिसंबर 2019 की कर अवधि के लिए 'कर के भुगतान के बिना माल का निर्यात' की श्रेणी के तहत ₹57.60 लाख के प्रतिदाय के लिए आवेदन किया (11 फरवरी 2020) और 12 फरवरी 2020 को कमीपूरक ज्ञापन जारी किया गया था। करदाता ने 14 फरवरी 2020 को आवेदन फिर से प्रस्तुत किया। पावती उसी दिन जारी की गई थी और निरीक्षक या अधीक्षक को सत्यापन कार्य सौंपे बिना 21 फरवरी 2020 को पांच कार्य दिवसों के भीतर अंतिम स्वीकृति दी गई। आईटीसी प्रतिदाय दो फर्मों द्वारा जारी किए गए खरीद चालान पर आधारित था, जिनमें से दोनों ने 21 नवंबर 2019 को पंजीकरण कराया था। विभाग ने उनका पंजीकरण (नवंबर 2019 और दिसंबर 2020) रद्द कर दिया, यह दर्शाता है कि वे नकली/जाली आपूर्तिकर्ता थे।

(ख) ₹96.03 लाख के प्रतिदाय के लिए एक और आवेदन 14 अगस्त 2020 को उसी करदाता द्वारा कर अवधि जुलाई 2020 के लिए दायर किया गया था। आवेदन को 16 अगस्त 2020 (रविवार) को स्वीकार किया गया था। पावती से आधे घंटे से कम समय के भीतर प्रतिदाय को स्वीकृति दे दी गई थी। संचित आईटीसी, जिसे वापस कर दिया गया था, पांच आपूर्तिकर्ताओं से की गई खरीद पर आधारित था। दो

आपूर्तिकर्ताओं ने अगस्त 2020 में अपने पंजीकरण को आत्मसमर्पण कर दिया था, अन्य दो का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था (अगस्त 2020 में रद्द कर दिया गया था), जबकि एक मामले में, पंजीकरण विभाग (जून 2020) द्वारा स्वतः रद्द कर दिया गया था। इन सभी कमियों से संकेत मिलता है कि प्रतिदाय की स्वीकृति और भुगतान से पहले उचित सत्यापन नहीं किया गया था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (दिसंबर 2021) बताया, तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का विरोध किया और कहा (फरवरी 2022) कि 26 अक्टूबर 2018 के परिपत्र के संदर्भ में दस्तावेजों के आधार पर प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि बोर्ड ने कई निर्देश जारी किए थे कि प्रतिदाय को उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक समयबद्ध मामला है। हालांकि प्रतिदाय दावे को स्वीकृति देने की समय सीमा 60 दिनों की है, लेकिन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, कठिन कोविड समय में और व्यापार को बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करने के लिए, क्षेत्रीय संरचनाओं को प्रतिदाय दावे को तेजी से पूर्ण करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रतिदाय को स्वीकृति देने के लिए मंत्रालय के जनादेश को पूरा करने के लिए, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान अधिकारियों को एआईओ तक दूरस्थ पहुंच प्रदान की गई थी। अधिकारियों ने घर से भी कार्य किया और रविवार और रात में भी अन्य छुट्टियों पर प्रतिदाय दावों को पूर्ण करने के लिए संघर्ष किया। उक्त अवधि के दौरान, कोविड-19 के प्रकोप के कारण, कार्यालय न्यूनतम संख्या की सभी स्थानों पर के साथ कार्य कर रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जबकि प्रतिदाय को सख्त समयसीमा के अनुसार उच्च प्राथमिकता पर स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है, प्रतिदाय के त्वरित प्रसंस्करण और उच्च जोखिम वाले प्रतिदाय दावों के सत्यापन के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। सचित्र मामलों में, प्रतिदाय को असामान्य रूप से लघु समय में स्वीकृति दी गई थी, भले ही नए करदाता, विक्रेताओं की छोटी संख्या, प्रतिदाय पूर्व-एप्लिकेशन फॉर्म जमा न करना, व्यवसाय के मुख्य स्थान की तुलना में क्रय बीजक में दिया गया अलग-अलग पता, जीएसटीआर-

2ए में परिवहन, सीमा शुल्क हाउस एजेंट आदि जैसे निर्यात के लिए आवश्यक सेवाओं का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, जैसे कई रेड फ्लैग थे, निर्यात बीजक से दिख और पता चला है कि प्रतिदाय आदि को स्वीकृति देने वाले प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए, उपर्युक्त मामलों में प्रतिदाय आवेदनों की शुद्धता के सत्यापन के लिए उचित परिश्रम नहीं किया गया था।

सिफारिश 1: आयकर, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कॉर्पोरेट मामलों⁹⁴ के मंत्रालय जैसी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रणालियों से आँकड़ों को एकीकृत करके करदाताओं की एक व्यापक प्रोफाइलिंग को लागू करने की आवश्यकता है। नकली आईटीसी के प्रतिदाय से बचने के लिए प्रतिदाय से संबंधित मॉड्यूल में उच्च जोखिम वाले करदाताओं/ प्रतिदाय के लगभग वास्तविक समय रेड-फ्लैगिंग की एक प्रणाली लागू की जा सकती है।

लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि विभाग ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर इस तरह के धोखाधड़ी वाले प्रतिदाय को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय को 31 मार्च 2020 से संबंधित अवधि के जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी तक सीमित कर दिया गया था। 1 जनवरी 2022 से सभी करदाताओं के लिए जीएसटी प्रतिदाय दावे दाखिल करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया था। सीजीएसटी नियम, 2017 को 24 सितंबर 2021 से संशोधित किया गया था ताकि उसी बैंक खाते में प्रतिदाय का प्रावधान किया जा सके, जो आवेदक के नाम और पैन में है और जिस पर पंजीकरण प्राप्त किया गया है और प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में, बैंक खाते को भी आधार से जोड़ा गया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उच्च जोखिम वाले करदाताओं को चिन्हित करने का काम पहले से ही डीजीएआरएम द्वारा विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर रेड फ्लैग प्रतिवेदनो के माध्यम से किया जा रहा था। जहां तक प्रतिदाय मॉड्यूल में उच्च जोखिम वाले करदाताओं/प्रतिदाय दावों के वास्तविक समय को मंद करने के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिशों का संबंध है, मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले को जीएसटीएन और महानिदेशक (सिस्टम्स) के साथ उठाया जाएगा।

⁹⁴ उच्च शक्ति समिति अक्टूबर 2014 की रिपोर्ट (समग्र कर पहल के लिए सूचना प्रणाली ड्राइविंग)

(ग) लखनऊ कमिश्नरी में लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभाग ने सम्पादित किया कि प्रतिदाय का दावा प्रथम दृष्टया संदिग्ध आईटीसी दावे पर आधारित था, लेकिन उसने राजस्व के हितों की रक्षा के लिए विस्तृत जांच नहीं की।

मामले को नीचे दर्शाया गया है:

लखनऊ कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जुलाई से अगस्त 2019 की अवधि के लिए कर के भुगतान के बिना वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात पर ₹1.84 करोड़ के संचित आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया (20 फरवरी 2020)। 5 मार्च 2020 को ₹1.66 करोड़ का अंतिम प्रतिदाय का भुगतान किया गया था। उचित अधिकारी ने जीएसटीआर 2ए में दिखाए गए आईटीसी के लिए 7 अप्रैल 2020 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिस पर करदाताओं के आपूर्तिकर्ताओं ने जीएसटी राशि का भुगतान नहीं किया था, यह दर्शाता है कि वे वास्तविक नहीं थे। करदाता ने एससीएन का उत्तर नहीं दिया, और निर्णायक प्राधिकरण ने ₹18.41 लाख की आईटीसी को अस्वीकार करने और ₹18.41 लाख (स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत) की शेष प्रतिदाय राशि की आईटीसी की वसूली को खारिज करने का आदेश पारित किया।

लेखापरीक्षा ने अनुलग्नक ए में शामिल बीजको के विवरण के साथ प्रतिदाय दावे की जांच की, जिस पर करदाता द्वारा ₹1.83 करोड़ की आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने ₹36.52 करोड़ के क्रय मूल्य वाले 572 बीजको से संबंधित ₹1.83 करोड़ का आईटीसी लिया था। हालांकि, करदाता के आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआर 3बी ने केवल ₹1.38 करोड़ की आपूर्ति दिखाई। सूरत कमिश्नरी ने जांच पर लेखापरीक्षा (अगस्त 2021) को सूचित किया कि दो आपूर्तिकर्ता व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर नहीं पाए गए थे, और तीसरे आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण जनवरी 2019 में रद्द कर दिया गया था। उचित अधिकारी इस राशि को अस्वीकृत करने में विफल रहा, जिसके लिए वसूली को विभाग द्वारा लागू करने की आवश्यकता है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (जुलाई 2021/ दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेने के बाद इस मामले में वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तथापि, मंत्रालय ने

उन कारणों का उत्तर नहीं बताया है कि विभाग दावा की गई अतिरिक्त प्रतिदाय राशि को अस्वीकृत करने में विफल क्यों रहा। यहां तक कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण द्वारा जीएसटी पोर्टल के साथ एक सरसरी सत्यापन और क्रॉस-चेक के परिणामस्वरूप करदाता के फर्जी दावे का पता लगाया जा सकता था क्योंकि करदाता द्वारा दावे प्रस्तुत करने से पहले ही तीन प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

5.6.1.2 अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर प्रतिदाय की स्वीकृति, जिससे धोखाधड़ी के दावे होते हैं

फॉर्म आरएफडी-01ए में प्रतिदाय के आवेदन में आपूर्तिकर्ता बीजको का विवरण (फॉर्म अनुलग्नक ए) शामिल होना चाहिए, जिस पर आईटीसी का लाभ उठाया जाता है, प्रासंगिक कर अवधि जिसके लिए परिपत्र⁹⁵ में निर्धारित प्रारूप में प्रतिदाय का दावा किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि करदाता ने जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय के साथ अनुलग्नक ए अपलोड किया है, विभाग द्वारा प्रतिदाय किया जाना है।

फरीदाबाद कमिश्नरी के तहत, छह तंबाकू आपूर्तिकर्ताओं ने (दिसंबर 2018 से जून 2019) ₹ 27.38 करोड़ के प्रतिदाय दावा दाखिल किया और विभाग ने (मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक) ₹ 26.43 करोड़ की राशि के प्रतिदाय/अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति दी:

तालिका 5.3: अपूर्ण दस्तावेजों पर दावा किए गए प्रतिदाय का विवरण

क्र.सं.	वर्ग	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1	इएक्सपीडब्लूओपी ⁹⁶	18-03-2019	4.96
2	इएक्सपीडब्लूओपी	27-06-2019	6.11
3	आईएनवीआईटीसी ⁹⁷	15-07-2019	4.16
4	इएक्सपीडब्लूओपी	08-08-2019	2.58
5	एसइजेडडब्लूओपी ⁹⁸	29-11-2019	4.33
6	इएक्सपीडब्लूओपी	18-07-2019	4.29
कुल			26.43

⁹⁵ परिपत्र दिनांक 4 सितंबर 2018

⁹⁶ कर के भुगतान के बिना निर्यात

⁹⁷ उलटा शुल्क संरचना

⁹⁸ कर के भुगतान के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दावेदार नए पंजीकरणकर्ता थे और उन्होंने अनिवार्य अनुलग्नक ए को अपलोड किए बिना जीएसटी पंजीकरण लेने के कुछ दिनों के भीतर प्रतिदाय के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए इनपुट बीजक और आईटीसी के विवरण की आवश्यकता होती है। विभाग द्वारा इस अनुलग्नक को प्रस्तुत किए बिना प्रतिदाय स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, प्रतिदाय स्वीकृत करने से पहले विभाग द्वारा उचित परिश्रम नहीं किया गया था।

प्रतिदाय के वितरण के बाद, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक (डीजीजीआई) के भौतिक सत्यापन के माध्यम से विभाग के ध्यान में आया कि इन दावेदारों ने फर्जी दस्तावेजों पर प्रतिदाय के लिए आवेदन किया था। प्रतिदाय दावों को बिना किसी गहन जांच के संसाधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी के दावेदारों को प्रतिदाय/अंतिम प्रतिदाय का भुगतान किया गया था।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि एक करदाता के मामले में, करदाता कि प्रतिदाय राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। शेष पांच मामलों की डीजीजीआई द्वारा जांच की जा रही थी।

ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

एक करदाता, एक निर्दिष्ट आदतन अपराधी, को एक नकली फर्म के संचालन और ₹26.53 करोड़⁹⁹ के नकली आईटीसी को पारित करने के लिए एससीएन जारी किया गया था। विभाग ने 1 जून 2018 को इसका पंजीकरण रद्द कर दिया था। करदाता ने राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय (डीआरआई) के समक्ष 7 जून 2018 और 6 जुलाई 2018 के अपने बयानों में, बनावटी मालिक के रूप में अपनी मां के नाम पर एक नकली और गैर-मौजूदा फर्म का मालिक होने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने अलग-अलग फर्म बनाकर और दो अलग-अलग पैन नंबरों के साथ अलग-अलग बैंक खाते खोलकर विभाग को धोखा दिया था। उन्हें जाली मूल प्रमाण पत्र बनाकर भी ड्राबैंक प्राप्त हुई, जिसके लिए एससीएन मार्च 2019 में जारी किया गया था।

⁹⁹ पीआईबी प्रेस नोट दिनांक 10 फरवरी 2021।

करदाता के इस तरह के पूर्ववृत्त के बावजूद, जुलाई 2018 में उनकी एकमात्र प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठान (4 मार्च 2018 को) को दिए गए पंजीकरण को रद्द नहीं किया गया था और मई 2019 के दौरान ₹20.07 करोड़ की अंतिम प्रतिदाय जारी किया गया था। अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के दौरान ₹1.55 करोड़ की अंतिम प्रतिदाय का भुगतान किया गया था, भले ही यह स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों पर ड्राबैंक का दावा करने में शामिल था। इसने सीबीआईसी के विभिन्न अंगों के बीच उचित समन्वय की कमी का संकेत दिया। सूचना साझा करने की कमी ने व्यक्तियों को प्रणाली का शोषण करने और नकली आईटीसी पर प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था।

जब बताया गया (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

5.6.1.3 ऐसे करदाता को दिए गए प्रतिदाय जो धोखाधड़ी के बाद पता नहीं चल पाए

फ्लार्ड-बाय-नाइट ऑपरेटर्स को रोकने के लिए जो आसान पंजीकरण प्रणाली (तीन कार्य दिवस और कोई क्षेत्र निरीक्षण नहीं) का लाभ उठाते हैं और प्रतिरूपण को रोकने और 'लैपटॉप की दुकानों'¹⁰⁰ के माध्यम से फर्जी बिलिंग की जांच करने के लिए, 23 मार्च 2020 की अधिसूचना¹⁰¹ जारी की गई थी जिसमें आधार सत्यापन के लिए प्रावधान किया गया था जिसमें (क) एक व्यक्ति; (ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; (ग) एक साझेदारी फर्म के प्रबंधन और अधिकृत भागीदारों; और (घ) एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता को पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 में निर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से गुजरना होगा। धारा 25 (6) को 1 जनवरी 2020 से संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति सत्यापन से गुजरेगा, या आधार नंबर के आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

इस अधिसूचना से पहले, आधार या ई-केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बिना पंजीकरण की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण विवेकहीन तत्वों का पंजीकरण

¹⁰⁰ NACIN प्रस्तुति दिनांक 22 अगस्त 2020।

¹⁰¹ अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020।

हुआ। इसके बाद, जब तक विभाग ने ऐसे तत्वों द्वारा (आँकड़ों वैश्लेषिकी या एंटी-अपवंचन गतिविधियों के माध्यम से) धोखाधड़ी के दावों का पता लगाया, तब तक वे अप्राप्य हो जाएंगे। इस प्रकार, इनमें से अधिकांश मामलों में धोखाधड़ी वाले प्रतिदाय की वसूली संभव नहीं थी। धोखाधड़ी के दावे का ऐसा ही एक उदाहरण मामला नीचे दर्शाया गया है:

1 अक्टूबर 2019 को दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी के तहत एक प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठान पंजीकृत की गई थी। मालिक ने अपने कानूनी नाम का उल्लेख "मोनू" के रूप में किया। इस प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठान को आधार कार्ड और ई-केवाईसी को विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। मार्च और अप्रैल 2020 में ₹ 89.28 लाख की राशि के तीन प्रतिदाय दावे दाखिल किए गए थे, और फुटवियर की आपूर्ति के लिए विपरीत शुल्क संरचना की श्रेणी के तहत प्रतिदाय प्राप्त की गई थी। करदाता ने सात आपूर्तिकर्ताओं से सामान क्रय किया था, जिनमें से सभी ने जनवरी 2020 में स्वयं को पंजीकृत किया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि केवल एक आपूर्तिकर्ता सक्रिय था। पांच आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण को स्वतः ही रद्द कर दिया गया था और एक आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था (जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 के बीच)। करदाताओं ने जुलाई 2020 से विवरणी दाखिल करना बंद कर दिया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिदाय दावे नकली आईटीसी बीजक पर आधारित थे।

इस पर लेखापरीक्षा (फरवरी 2021 और अप्रैल 2021/दिसंबर 2021) में बताया जा रहा है, मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि मामले की जांच एंटी अपवंचन शाखा द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, करदाता के तीनों बैंकों को बैंक खाता विवरण और केवाईसी विवरण प्रदान करने के लिए पत्र भेजे गए थे।

5.6.1.4 निर्यात आय की वसूली की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति में प्रतिदाय राशि की गैर-वसूली

अगस्त 2015 की अपनी प्रतिवेदन में प्रतिदाय आवेदन के लिए व्यवसाय प्रक्रिया¹⁰² पर संयुक्त समिति ने सिफारिश कि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्यातक के पास निर्यात की तारीख से एक वर्ष का समय होता है, जिसके भीतर निर्यात आय को भारत में प्रेषित करने की आवश्यकता होती है। बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि निर्यात आय प्राप्त नहीं हो जाती है। यह सिफारिश की गई थी कि प्रतिदाय आवेदन दाखिल करते समय बीआरसी जमा करने पर जोर नहीं दिया जा सकता है और कर अधिकारियों द्वारा कार्योत्तर सत्यापन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में वापसी अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर बीआरसी विवरण प्रस्तुत करने के अधीन होनी चाहिए या निर्यात की तारीख से आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई ऐसी अवधि के अधीन होनी चाहिए। यदि इस तरह के विवरण उस पोर्टल पर जमा नहीं किए जाते हैं जिस पर प्रतिदाय आवेदन किया गया था, तो पोर्टल को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित कर अधिकारियों के लिए एक चेतावनी/प्रतिवेदन उत्पन्न करनी चाहिए।

निर्यात प्राप्तियों की किसी भी छोटी प्राप्ति के मामले में, आनुपातिक प्रतिदाय की गई राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, बीआरसी को निर्यात के समय ही सत्यापित किया जा सकता है यदि भुगतान पहले से ही प्राप्त हो चुका है। यह भी सिफारिश की गई थी कि ई-बीआरसी मॉड्यूल को जीएसटी के तहत प्रतिदाय प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सकता है।

दिनांक 23 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत अंतःस्थापित सीजीएसटी नियमों के नियम 96 बी में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी दावेदार को माल के निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसे निर्यात माल के संबंध में विक्रय आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अनुमत अवधि के भीतर भारत

¹⁰² जीएसटी व्यवस्था में प्रतिदाय प्रक्रिया पर सिफारिशें देने के लिए अतिरिक्त सचिव (राजस्व) के सह-संयोजकत्व में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

में प्राप्त नहीं की गई है (अर्थात् 180 दिन), दावेदार प्रतिदाय राशि को लागू ब्याज के साथ विक्रय आय की वसूली न करने की सीमा तक जमा करेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदाय राशि ब्याज सहित अधिनियम की धारा 73 या 74 के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।

जीएसटीएन¹⁰³ ने विदेशी वसूली (ई-बीआरसी) और आयात-निर्यात कोड को साझा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2016) पर हस्ताक्षर किए। ई-बीआरसी एक बैंक द्वारा पुष्टि के रूप में जारी किया जाता है कि निर्यातक को माल या सेवाओं के निर्यात के विरुद्ध क्रेता से भुगतान प्राप्त हुआ है। डीजीएफटी ई-बीआरसी प्लेटफॉर्म को लागू करता है, जो बैंकों को डीजीएफटी सर्वर पर निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा प्राप्ति से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करने की अनुमति देता है। यह जानकारी डिजिटल प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रेषित की जाती है - ई-बीआरसी।

लेखापरीक्षा से पता चला है कि वापसी के अनुदान के बाद निर्यात से प्राप्त आय की प्राप्ति का पता लगाने के लिए कोई सत्यापन प्रणाली लागू नहीं की गई थी। हालांकि जीएसटीएन की ई-बीआरसी तक पहुंच थी, लेकिन इसे जीएसटी प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया था जैसा कि व्यापार प्रक्रिया पर संयुक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का विवरण भी करदाताओं से कार्योत्तर सत्यापन के लिए प्राप्त नहीं किए गया था। ई-बीआरसी को जोड़ना नकली निर्यातकों, निर्यातकों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो प्रतिदाय प्राप्त करते हैं लेकिन निर्यात आय को प्राप्त नहीं करते हैं और ऐसे मामलों में जहां निर्यात आय कर बीजक में दिखाई गई राशि से कम है।

दिसंबर 2020 तक आरबीआई के निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) को दो कमिश्नरियों में प्रति-सत्यापित किया गया था और यह पाया गया कि तीन मामलों¹⁰⁴ में, पांच शिपिंग बिलों के विरुद्ध ₹2.24 करोड़ की निर्यात आय

¹⁰³ पीआईबी प्रेस नोट दिनांक 28-अक्टूबर-2016 10:22 IST कि जीएसटीएन ने विदेशी मुद्रा प्राप्ति ऑकड़ों साझा करने के लिए डीजीएफटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

¹⁰⁴ जयपुर और उदयपुर कमिश्नरी

वसूली के लिए लंबित थी। इसके बावजूद न तो दावेदारों ने ऐसे निर्यात से संबंधित प्रतिदाय राशि जमा की थी और न ही विभाग द्वारा दावेदार से ऐसी राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.79 लाख की प्रतिदाय राशि की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2021/दिसंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, मंत्रालय (फरवरी 2022) ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और दो मामलों में ₹ 0.57 लाख की वसूली की सूचना दी। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जहां से अधिकारी यह पहचान कर सकें कि निर्यातित वस्तुओं के संबंध में विक्रय आय प्राप्त नहीं की गई है। एक मामले के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

सिफारिश 2: ई-बीआरसी मॉड्यूल को जीएसटीएन के साथ एकीकृत किया जा सकता है और ऐसे मामलों में जहां निर्यात आय निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, प्रतिदाय के अधिक भुगतान के लिए जांच की जा सकती है। इससे उन करदाताओं की पहचान करके संभावित धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी जिन्होंने नकली निर्यात पर प्रतिदाय की मांग की थी।

सिफारिश 3: आईसीईजीएटीइ, ई-बीआरसी और एक्सओएस स्टेटमेंट आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों को जोड़कर एक मजबूत रेड फ्लैग सिस्टम शुरू किया जा सकता है ताकि गैर-अनुपालन करदाताओं के संबंध में उचित अधिकारियों को उनके प्रतिदाय को अवरुद्ध करने और पहले से ही स्वीकृत अपात्र प्रतिदाय की वसूली शुरू करने के लिए सतर्क किया जा सके।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों के संबंध में कहा कि (फरवरी 2022) इस मामले को जीएसटीएन और डीजी (सिस्टम) के साथ उठाया जाएगा।

5.6.2 सीजीएसटी/एसजीएसटी पर आईजीएसटी को प्राथमिकता देने के लिए बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण स्वीकृति का गलत आदेश

सीबीआईसी के 4 सितंबर 2018 के परिपत्र में निम्नलिखित आदेश में दावेदार द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक बही-खाते से जमा आईटीसी की प्रतिदाय राशि के डेबिट का प्रावधान है -

- (क) एकीकृत कर, उपलब्ध शेष की सीमा तक;
- (ख) केंद्रीय कर और राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, समान रूप से उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक और किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही-खाते (जैसे, केंद्रीय कर) में उपलब्ध शेष राशि में कमी की स्थिति में, विभेदक राशि को अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही-खाते से डेबिट किया जाना है।

लेखापरीक्षा से पता चला है कि 14 कमिश्नरियों¹⁰⁵ से संबंधित 188 मामलों में, दावेदारों ने संबंधित शीर्षों में पर्याप्त शेष होने के बावजूद उपर्युक्त निर्धारित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही-खाते (ईसीएल) को डेबिट किए बिना ₹230.39 करोड़ के प्रतिदाय दावे दाखिल किए थे।

इस प्रकार, बोर्ड के परिपत्र का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिदाय की स्वीकृति का गलत क्रम और आईजीएसटी शीर्ष के तहत सीजीएसटी/एसजीएसटी शीर्ष को निधियों का करेगाम्ब से आबंटन किया गया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (जनवरी और फरवरी 2021), तो विभाग ने (जनवरी 2021 और मार्च 2021) इसे एक प्रक्रियात्मक चूक करार दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिदाय को कानून के अनुसार स्वीकृति दी गई थी और कोई राजस्व प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, यह कहा गया था कि उपर्युक्त परिपत्र में ही कहा गया था कि इसके गैर-अनुपालन को गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने (फरवरी 2022) सूचित किया कि उसका विचार जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने और प्रतिदाय प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित बनाने के बाद भी, विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि प्रणाली ने बोर्ड के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित आदेश में ईसीएल में डेबिट को मान्य और स्वीकार किया है।

¹⁰⁵ कोयंबटूर, कोच्चि, कोझिकोड, तिरुवंतपुरम, सलेम, रंगा रेड्डी, तिरुचिरापल्ली, चेनाई आउटर, पुणे I, गोवा, भिवंडी, कोल्हापुर, मुंबई पूर्व, गुंटूर

सिफारिश 4: विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदाय माँड्यूल में अपेक्षित सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है कि पात्र राशि निर्धारित आदेश में डेबिट की गई है।

लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि प्रतिदाय माँड्यूल में प्रतिदाय दाखिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही-खाते से डेबिट के आदेश के बारे में सत्यापन शुरू करने का मामला जीएसटीएन के साथ उठाया जाएगा।

5.6.3 प्रति क्षेत्राधिकार दावों पर जीएसटी प्रतिदाय का दोहरा भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 (1) निर्दिष्ट करती है कि राज्य माल और सेवा कर अधिनियम (एसजीएसटी) या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम (यूटीजीएसटी) के तहत नियुक्त किए गए अधिकारी सरकार कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं। इस संबंध में, 13 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 54 और 55 के प्रयोजनों के लिए अधिकृत अधिकारी होने के लिए अधिकृत करती है, जो सीजीएसटी नियमों के नियम 96 (आईजीएसटी के भुगतान के साथ माल का निर्यात) को छोड़कर इन धाराओं के तहत प्रतिदाय की स्वीकृति के उद्देश्य से उचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के संबंध में दावों के सीजीएसटी या आईजीएसटी घटकों की वापसी को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम¹⁰⁶ के तहत उचित अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत करदाताओं से संबंधित दावों के एसजीएसटी/यूटीजीएसटी घटकों की वापसी को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। लेखा के मुख्य नियंत्रक ने जीएसटी

¹⁰⁶ धारा 6 (1)

के मुख्य आयुक्तों, जीएसटी आयुक्तों, लेखा के मुख्य नियंत्रक और पीएओ को संबोधित अपने कार्यालय ज्ञापनों¹⁰⁷ में मंडलीय अधिकारियों को सलाह दी कि वे पुनः जारी करने के जोखिम को कम करने के लिए उचित अभिलेख बनाए रखें और प्रतिदाय आदेशों और भुगतान सलाहों को एक से अधिक बार जारी किए जाने की घटनाओं का प्रमाण देते हुए पीएओ के साथ मासिक आधार पर प्रतिदाय का सामंजस्य स्थापित करें।

जिस पीएफएमएस के माध्यम से प्रतिदाय का भुगतान शुरू किया जाता है, वह एक्सएल प्रारूप में संवितरण के आँकड़ों को डाउनलोड करने की अनुमति देता है जिसका विश्लेषण दोहरे भुगतान के मामलों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद यह पुष्टि की जा सकती है कि क्या भुगतान एक ही स्वीकृति आदेश से संबंधित है या नहीं, बिलों के साथ संलग्न स्वीकृति आदेशों के साथ पुष्टि की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से सितंबर 2019 (पूर्व-स्वचालन) की अवधि से संबंधित जीएसटी प्रतिदाय से संबंधित पीएफएमएस के आँकड़ों का विश्लेषण किया, जो 34 कमिश्नरियों¹⁰⁸ से प्राप्त हुआ था और भुगतान प्रक्रिया के मूल लेखापरीक्षा के साथ इसका पालन किया गया था। लेखापरीक्षा में ₹13.73 करोड़ के दोहरे भुगतान के 410 उदाहरण देखे गए, जिनमें से 19 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ₹1.03 करोड़ की वसूली की।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित चूक का अवलोकन किया:

- इन मामलों में, या तो राज्य क्षेत्राधिकार कार्यालयों से दो बार स्वीकृति आदेश प्राप्त हुए थे या एक ही आधार दस्तावेजों पर दो बार भुगतान शुरू किए गए थे। एक मामले में, केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरणों ने एक ही करदाता को उचित सत्यापन के बिना समान अवधि के लिए

¹⁰⁷ पीआर सीसीए / सीबीईसी / जीएसटी-आईटी / ईपीएओ प्रतिदाय / 33 / 2017-18 दिनांक 4 जून 2018 और पी. सीसीए / सीबीईसी / जीएसटी-आईटी / ईपीएओ प्रतिदाय / 33/ 2017-18 / 656 दिनांक 28 दिसंबर 2018।

¹⁰⁸ आगरा, अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, बेलगाम, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, भावनगर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई आउटर, चेन्नई दक्षिण, कोयंबटूर, गांधीनगर, गाजियाबाद, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोझिकोड, कच्छ, मदुरै, मुंबई पूर्व, मुंबई पश्चिम, मैसूर, मंगलौर, नोएडा, पुणे I, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, वडोदरा-I और वडोदरा-II।

प्रतिदाय राशि दे दी। कुछ मामलों में, एक ही अवधि के लिए भुगतान विभिन्न स्वीकृति आदेशों के आधार पर जारी किया गया था।

- 23 मामलों के संबंध में, करदाताओं ने उन्हें दो बार प्राप्त ₹17.10 करोड़ का स्वतः ही वापस कर दिया था।

यद्यपि करदाताओं ने विभाग को दोहरे भुगतान की सूचना दी थी, लेकिन यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि विभाग ने दोहरे भुगतान के कारणों की जांच और विश्लेषण किया ताकि प्रणाली में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। यह इन कमिशनरियों में सीजीएसटी और आईजीएसटी घटकों के प्रति-क्षेत्राधिकार दावों से संबंधित मैनुअल भुगतान प्रक्रिया में नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। इस संबंध में एक उदाहरण मामला इस प्रकार है:

(क) राज्य जीएसटी विभाग के अधिकार क्षेत्र को सौंपे गए एक करदाता ने राज्य और केंद्रीय क्षेत्राधिकार दोनों के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च 2018 के लिए प्रतिदाय का दावा किया था। दोनों क्षेत्राधिकार प्राधिकरणों ने भुगतान को स्वीकृति दे दी। केंद्रीय कर प्राधिकरण द्वारा दावे को स्वीकृति देना सीबीआईसी के निर्देशों के विपरीत था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.74 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इसके अलावा, करदाता को 11 जून 2019 को राज्य कर अधिकारियों द्वारा ₹62.73 लाख के सीजीएसटी और ₹59.95 लाख के आईजीएसटी की अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी। बेंगलूरु उत्तर केंद्रीय कर कमिशनरी ने भुगतान के लिए वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) को प्रेषित करने से पहले उचित सत्यापन के बिना दो अलग-अलग तारीखों पर सीजीएसटी/आईजीएसटी राशि के भुगतान के लिए दो बार बिल उत्पन्न किए। इसके परिणामस्वरूप ₹1.23 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने फरवरी 2021 और दिसंबर 2021 में यह बताया। मंत्रालय ने जनवरी 2018, फरवरी 2018 और मार्च 2018 से संबंधित प्रतिदाय दावों के लिए कहा कि, (फरवरी 2022) लेखापरीक्षा के हस्तक्षेप से पहले निर्धारिती से पूरी राशि वसूल की गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने जनवरी 2022 में गलत तरीके से स्वीकृत प्रतिदाय राशि पर ब्याज राशि का भुगतान भी किया था।

अक्टूबर 2018 और नवंबर 2018 की अवधि के लिए प्रतिदाय दावों के बारे में, मंत्रालय ने कहा कि असावधानी के कारण दोहरा प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, गलत तरीके से स्वीकृत राशि को निर्धारिती से तुरंत वसूल कर लिया गया था।

(ख) लेखापरीक्षा ने अहमदाबाद दक्षिण कमिश्नरी में देखा कि एक करदाता को तीन अवसरों पर दो बार ₹7.72 करोड़ की राशि का प्रतिदाय जारी किया गया था, जिसे उन्होंने स्वतः वापस कर दिया था। इसी तरह, एक अन्य करदाता को सितंबर 2019 में दो बार ₹43.74 लाख का प्रतिदाय दिया गया था, जिसे उन्होंने दिसंबर 2019 में स्वतः वापस कर दिया था।

विभाग ने न तो दोहरे भुगतान पर ध्यान दिया और न ही पीएफएमएस आँकड़ों के साथ प्रतिदाय बिलों में सामंजस्य के लिए तत्काल कार्रवाई की, भले ही करदाता उन्हें दो बार भुगतान किए गए प्रतिदाय को वापस कर रहे थे। विभाग ने इस तरह के दोहरे भुगतानों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रणाली चूक को सुधारने और सही करने के लिए उपयुक्त कदम भी नहीं उठाए। लेखापरीक्षा में ₹12.20 करोड़ के दोहरे भुगतान के 10 अवसर सामने आए, जिनमें से ₹8.16 करोड़ करदाताओं द्वारा स्वतः लौटाए गए, जबकि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ₹6.44 लाख की वसूली की गई और तीन मामलों में, ₹4.07 करोड़ की वसूली लंबित थी।

जब बताया गया (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि उत्तर आगे प्रस्तुत किया जाएगा।

सिफारिश 5: सुलह की कमी के कारण हुए दोहरे भुगतान मामलों की पहचान करने के लिए सभी कमिश्नरियों में पूर्व-स्वचालन अवधि से संबंधित पीएफएमएस आँकड़ों का एक व्यापक सत्यापन किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि इस मुद्दे को आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ उठाया जाएगा। दोहरे भुगतान के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को परामर्शी पत्र जारी किया जा रहा था।

5.6.4 प्रतिदाय दावों की पश्च-लेखापरीक्षा गैर-संचालन/विलंब

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य है, जिसमें एक इकाई के कामकाज का निरंतर और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने के नाते, निर्धारित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सीबीआईसी परिपत्र¹⁰⁹ के अनुसार, प्रतिदाय आदेश पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों के मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर पश्च-लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं, जिसमें सभी प्रतिदाय दावे के कागजात को मंडल उप/सहायक आयुक्त द्वारा भुगतान के एक सप्ताह के भीतर इसमें शामिल राशि का विचार किए बिना पश्च-लेखापरीक्षा के लिए कमिश्नरी मुख्यालय को भेजने की आवश्यकता होती है। दिशानिर्देशों के अनुसार, पश्च-लेखापरीक्षा भुगतान की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- जीएसटी लागू होने के बाद विभाग द्वारा प्रतिदाय मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत अनुदेश और दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।
- पश्च-लेखापरीक्षा के लिए भेजे गए प्रतिदाय मामलों का उचित प्रलेखन और पश्च लेखापरीक्षा के बाद की वर्तमान स्थिति सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं में नहीं रखी जाती है।
- 8,448 पूर्व-स्वचालन मामलों के विश्लेषण से पता चला कि 4,414 मामलों को पश्च-लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजा गया था। जहां तक 449 मामलों का संबंध है, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि मामलों को पश्च-लेखापरीक्षा के लिए भेजा गया था या नहीं, क्योंकि फाइल पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

2,363 मामलों में, पश्च-लेखापरीक्षा करने में 649 दिनों तक का विलंब हुआ।

¹⁰⁹ परिपत्र दिनांक 15 नवंबर 2017

पश्च-स्वचालन अवधि के संबंध में, किसी भी मामले का विभाग द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। बोर्ड के अनुदेशों के उल्लंघन के अलावा, पश्च-लेखापरीक्षा के गैर-संचालन/विलंबित संचालन में अधिक भुगतान के अनिर्धारित रहने या समय-बद्ध होने का जोखिम होता है।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने 23 कमिश्नरियों से संबंधित 426 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार कर लिया।

एक मामले में, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख के आधार पर उठाया गया था, न कि भुगतान सलाह जारी करने की तारीख के आधार पर। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने न तो भुगतान की तारीख प्रस्तुत की है और न ही भुगतान सलाह जारी करने में अत्यधिक विलंब का कारण बताया है। शेष 1,144 मामलों में, 45 कमिश्नरियों से संबंधित, उत्तर (फरवरी 2022) प्रतीक्षित था।

मुंबई पश्चिम कमिश्नरी में, ₹638.11 करोड़ के भुगतान के लिए संसाधित प्रतिदाय के 3,051 मामलों में से केवल 104 मामलों को पश्च-लेखापरीक्षा के लिए भेजा गया था। जीएसटी, मुंबई के मुख्य आयुक्त के निर्देशों (जनवरी 2020) के बावजूद पश्च-स्वचालन मामलों में से किसी को भी पश्च-लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजा गया था कि सभी प्रतिदाय आदेशों की समीक्षा आयुक्त द्वारा की जानी चाहिए और साथ ही मौजूदा नियमों के अनुसार पश्च-लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुक्त द्वारा किसी भी मामले की समीक्षा नहीं की गई थी।

इसके उत्तर में कमिश्नरी ने कहा कि 2017-18 से संबंधित सभी मामलों को पश्च-लेखापरीक्षा के लिए भेज दिया गया है और बाद की अवधि के लिए फाइलें भेजी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वचालन के बाद के मामलों की लेखापरीक्षा के लिए, कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं और जीएसटी प्रणाली के पास प्रभागीय अधिकारी के लिए इस कार्य को लेखापरीक्षा के बाद के अनुभाग में स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं है। जीएसटी प्रणाली समीक्षा के लिए समीक्षा अनुभाग से जुड़ी नहीं है।

इससे संकेत मिलता है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के तीन वर्षों के बाद भी, समीक्षा और पश्च-लेखापरीक्षा की एक उचित प्रणाली को प्रभावी ढंग से संस्थागत नहीं बनाया गया था ताकि विभाग समय पर गलतियों को सुधार सके।

सिफारिश 6: अनुदेशों, चेकलिस्ट और एसओपी के विस्तृत संहिताबद्ध मैनुअल पर आधारित एक मजबूत पश्च-लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की जा सकती है। प्रभावी निगरानी के लिए जीएसटी प्रणाली में प्रतिदाय के पश्च-लेखापरीक्षा के लिए एक उचित माँड्यूल पेश किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि क्षेत्रीय संरचनाओं को 15 नवंबर 2017 के परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि वे मौजूदा दिशानिर्देशों अर्थात् जीएसटी पूर्व व्यवस्था के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदाय दावों की पश्च-लेखापरीक्षा करें। स्वचालित व्यवस्था में प्रतिदाय आदेशों कि पश्च लेखापरीक्षा के बाद के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे थे। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि प्रणाली में समीक्षा माँड्यूल के अंतर्गत लेखापरीक्षा के बाद के माँड्यूल को प्रचालित करने के लिए महानिदेशक (प्रणालियों) के साथ भी इस मामले को उठाया गया है।

5.7 अनुपालन मुद्दे

लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय कर प्राधिकारियों द्वारा जीएसटी की वापसी से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम, संबद्ध नियमों, प्रक्रियाओं आदि के प्रावधानों के लिए व्यक्तिगत नमूना मामलों में अनुपालन की जांच की। लेखापरीक्षा में ऐसे 522 मामले देखे गए जहां समायोजित कुल बिक्री की गलत गणना, अपात्र परिवर्तित आईटीसी पर विचार करने, ऐसे दावों, जो समय पर रोक लगाए गए थे आदि के कारण ₹185.28 करोड़ की अतिरिक्त/अस्वीकार्य वापसी स्वीकृत की गई थी। लेखापरीक्षा में प्रतिदाय के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में विलंब भी देखा गया जिसके कारण प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब हुआ। विलंब से प्रतिदाय के लिए ब्याज का भुगतान भी अधिकांश मामलों में नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्रकृति और विचलन की सीमा के बारे में विवरण

तालिका 5.4 (स्वचालन-पूर्व अवधि) और तालिका 5.5 (पश्च-स्वचालन अवधि) में शामिल किए गए हैं:

तालिका 5.4: स्वचालन-पूर्व अवधि के दौरान देखे गए अनुपालन विचलन

क्र.सं.	प्रेक्षण की प्रकृति	स्वचालन-पूर्व				
		लेखापरीक्षा किए गए मामले		लेखापरीक्षित ¹¹⁰ नमूने में लेखा परीक्षा अवलोकन		विचलन दर (मामलों की संख्या के प्रतिशत के रूप में)
		सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
1	निर्गम में विलंब/पावती जारी न करना	5,451	6,320	374	468	6.86
2	समय पर स्वीकृत या भुगतान नहीं किए गए प्रतिदाय आदेश	5,451	5,771	412	401	7.56
3	शून्य-दर आपूर्ति के कारण अंतिम वापसी समय पर स्वीकृत नहीं की गई है/ बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है	3,237	4,500	281	360	8.68
4	विपरीत शुल्क संरचना के तहत प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति	1,345	1,060	46	21	3.42
5	अपात्र करदाता को अंतिम प्रतिदाय का अनियमित अनुदान	2,214	1,271	30	25	1.36
6	करदाता द्वारा प्रतिदाय आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए की प्रति जमा किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति	4,486	5,456	21	53	0.47
7	छूट प्राप्त आपूर्तों पर आईटीसी के उलट न होने के कारण धनवापसी का अतिरिक्त अनुदान	4,486	5,406	54	3	1.21
8	अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिदाय का अनियमित अनुदान	4,486	5,406	29	2	0.65
9	गलत समायोजित बिक्री को अपनाने के कारण अतिरिक्त धनवापसी	4,486	5,406	26	12	0.58

¹¹⁰ तालिका 5.4 में पंक्ति संख्या 4 से 9 अनुपालन विचलन को दर्शाती है जैसा कि पैरा 5.7 में बताया गया है

तालिका 5.5: पश्च-स्वचालन अवधि के दौरान देखे गए अनुपालन विचलन

क्र.सं.	प्रेक्षण की प्रकृति	पश्च-स्वचालन				
		केंद्र द्वारा संसाधित मामले		लेखापरीक्षित ¹¹¹ नमूने में लेखा परीक्षा अवलोकन		विचलन दर (मामलों की संख्या के % के रूप में)
		सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	%
1	निर्गम/पावती जारी न करने में विलंब	90,888	32,008	11,683	4,472	12.85
2	समय पर स्वीकृत या भुगतान नहीं किए गए प्रतिदाय आदेश	86,506	24,685	12,289	4,436	14.21
3	शून्य-दर आपूर्ति के कारण अंतिम वापसी समय पर स्वीकृत नहीं की गई है/ बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है	30,534	17,221	20,050	9,360	65.66
4	विपरीत शुल्क संरचना के तहत प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति	2,180	2,051	31	3	1.42
5	विवरणों दाखिल करने की स्थिति की जांच किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति	86,506	24,685	13,589	2,229	15.71
6	करदाता द्वारा प्रतिदाय आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए की प्रति जमा किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति	2,938	155	74	40	2.52
7	जब आईटीसी दिखाया गया था तो प्रतिदाय की स्वीकृति जीएसटीआर -2 ए से अधिक थी	31,173	27,405	2,656	6,122	8.52
8	कमी जापन जारी करने में विलंब	53,926	17,003	9,001	4,682	16.69
9	15 दिनों की स्वीकृति के बाद प्रतिदाय के संवितरण में विलंब।	78,895	23,742	2535	1,972	3.21
10	अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिदाय का अनियमित अनुदान	5,064	172	19	3	0.38
11	गलत समायोजित बिक्री को अपनाने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय	5,064	172	58	13	1.15

¹¹¹ तालिका 5.5 में पंक्ति संख्या 4 से 7 और 10 से 11 तक अनुपालन विचलन को दर्शाती है जैसा कि पैरा 5.7 में बताया गया है

5.7.1 प्रतिदाय प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में विलंब

5.7.1.1 पावती जारी करने में विलंब

स्वचालन-पूर्व

सीजीएसटी नियमों के नियम 90 के उप-नियम (1) और (2) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी के पास प्रतिदाय दावा दाखिल करने के पंद्रह दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण पाया जाता है। पूर्व-स्वचालन मामले के मामलों में, 15 दिनों की निर्धारित अवधि को सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन के मैनुअल रूप से प्रस्तुत करने की तारीख से गिना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पूर्व-स्वचालन अवधि से संबंधित 5,451 प्रतिदाय मामलों की जांच की और 53 कमिश्नरियों के तहत 485 मामलों (नौ प्रतिशत) में विलंब और चूक देखी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- 14 कमिश्नरियों के अंतर्गत 83 मामलों के संबंध में, जिनमें प्रतिदाय दावा ₹68.34 करोड़ था, कोई पावती जारी नहीं की गई थी, जबकि 369 दिनों तक के 291 मामलों में पावती जारी करने में विलंब हुआ था। 49 मामलों में, 60 दिनों से अधिक का विलंब हुआ। विलंब और पावती जारी न किए जाने से जांच किए गए नमूने का 6.99 प्रतिशत हिस्सा था।
- 16 मामलों के संबंध में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि पावती जारी की गई थी या नहीं क्योंकि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 32 कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ₹110.81 करोड़ के प्रतिदाय दावे से संबंधित 95 मामलों में आवेदन को मैनुअल रूप से प्रस्तुत करने की तारीख का पता नहीं लगा सकी क्योंकि आवेदनों की प्राप्ति की निगरानी के लिए उचित अभिलेख नहीं रखे गए थे।

लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) के उत्तर में, विभाग ने 21 कमिश्नरियों के तहत 113 मामलों में अवलोकन स्वीकार किया।

10 कमिश्नरियों¹¹² के तहत 41 मामलों में, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि करदाताओं द्वारा देर से दस्तावेज जमा करने

¹¹² दिल्ली दक्षिण और रायपुर कमिश्नरी।

या कम समय से दस्तावेज जमा करने के कारण पावती जारी करने में विलंब हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को या तो पावती जारी करनी थी या यदि दस्तावेज पूरे नहीं हुए थे, तो 15 दिनों के भीतर अपूर्णता ज्ञापन जारी किया जाना था। 28 कमिश्नरियों के तहत शेष 248 मामलों में, उत्तर (फरवरी 2022) प्रतीक्षित था।

ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) गुरुग्राम कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने 10 जून 2019 को शून्य-दर आपूर्ति के लिए एक वापसी आवेदन दाखिल किया, जिसके बाद 14 अगस्त 2019 को दस्तावेजों के साथ मैनुअल रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया। 4 सितंबर 2019 को एक अपूर्णता ज्ञापन जारी किया गया था और 5 नवंबर 2019 को करदाता द्वारा सुधारित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विभाग ने पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से 187 दिनों से अधिक के विलंब के बाद 26 मई 2020 को पावती जारी की, और उसी दिन ₹10.11 करोड़ के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया।

जब बताया गया (अगस्त 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 ए के तहत जारी दिनांक 3 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के माध्यम से कोविड महामारी के कारण, किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने की समय सीमा को उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, जो मार्च 2020 के 20 वें दिन से जून 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, और जहां इस तरह की कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने के लिए ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, इस तरह की कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने की समय सीमा जून 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी गई थी। इस प्रकार, उपर्युक्त प्रतिदाय दावे को स्वीकृति देने में कोई विलंब नहीं हुआ; हालांकि, लेखापरीक्षा आपत्तियों से सहमत है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि करदाता ने मूल रूप से अगस्त 2019 में प्रतिदाय आवेदन प्रस्तुत किया था। नवंबर 2019 के अपूर्णता ज्ञापन के उत्तर में, करदाता ने 6 फरवरी 2020 को

संशोधित प्रतिदाय आवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, विभाग को 6 फरवरी 2020 से 15 दिनों के भीतर अर्थात् 21 फरवरी 2020 पावती जारी करने की आवश्यकता थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन 23 मार्च 2020 से अर्थात् संशोधित प्रतिदाय आवेदन प्राप्त होने के एक महीने से अधिक समय के बाद लागू किया गया था।

(ख) हल्दिया कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने ₹65.56 लाख के प्रतिदाय का दावा करते हुए एक आवेदन दाखिल किया और 28 जनवरी 2019 को भौतिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत किए। पावती 15 दिनों के भीतर के बजाय 3 दिसंबर 2019 को 309 दिनों के बाद जारी की गई थी। उसी दिन ₹59 लाख का अंतिम प्रतिदाय दिया गया था और 19 दिसंबर 2019 को ₹6.55 लाख का अंतिम प्रतिदाय दिया गया था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (जनवरी 2021/ दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और कहा कि (फरवरी 2022) भविष्य में इस तरह के मुद्दों को अधिक सावधानी से निपटाया जाएगा। इसके अलावा, करदाताओं की अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

पश्च स्वचालन

सितंबर 2019 से जुलाई 2020 की अवधि के दौरान पश्च-स्वचालन जीएसटीएन आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 90,888 मामलों में से 11,683 मामलों में, लगभग 13 प्रतिशत मामलों का गठन करते हुए, 147 दिनों तक के विलंब के साथ पावती जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, 3,724 मामलों में प्रतिदाय को 45 दिनों¹¹³ की निर्धारित अवधि से अधिक स्वीकृत किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

¹¹³ 18 नवंबर 2019 का परिपत्र- कर अधिकारियों को एआरएन के सृजन की तारीख के 45 दिनों के भीतर अंतिम स्वीकृति और भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई थी, ताकि वितरण 60 दिनों के भीतर पूरा हो सके।

तालिका 5.6: पावती में विलंब (स्वचालन के बाद) के कारण प्रतिदाय दावे की स्वीकृति में विलंब

प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1 दिन से 15 दिन	2,634	1,176
16 दिन से 45 दिन	933	420
46 दिन से 75 दिन	110	32
75 दिनों से 230 दिनों के लिए परे	47	21
कुल	3,724	1,649

स्त्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित।

72 कमिश्नरियों में पश्च स्वचालन के 554 मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹567 करोड़ की दावा राशि के साथ 170 दिनों तक पावती जारी करने में विलंब देखा।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021) में इस बात पर ध्यान दिए जाने पर विभाग ने 197 मामलों में अवलोकन स्वीकार किया और उत्तर दिया कि तकनीकी गड़बड़ियों और त्रुटियों के परिणामस्वरूप विलंब हुआ है। विभाग ने दो कमिश्नरियों से संबंधित दो मामलों में तर्क दिया कि कोविड 19 महामारी के दौरान दूरस्थ पहुंच प्रदान नहीं की गई थी। एक कमिश्नरी के अंतर्गत 10 मामलों में, विभाग ने विलंब को स्वीकार कर लिया लेकिन विलंब के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। 52 कमिश्नरियों के अंतर्गत 325 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

सिफारिश 7: 15 दिनों के बाद पावती जारी होने के मामले में, उचित अधिकारी को इस तरह के विलंब के कारणों को निर्दिष्ट करना चाहिए और विभाग द्वारा इसकी ऑनलाइन निगरानी की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिश के उत्तर में कहा (फरवरी 2022) कि पावती जारी करना प्रतिदाय के प्रसंस्करण में सिर्फ एक कदम था, न कि प्रतिदाय के भुगतान का निर्धारण करने वाला अंतिम कदम। तथापि, स्वीकृति और अपूर्णता वाले ज्ञापन जारी करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए सीबीआईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं को अनुदेश जारी किए थे।

5.7.1.2 प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (5) और 54 (7) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर स्वीकृति आदेश जारी करेगा। जहां कहीं भी एक अपूर्णता ज्ञापन (जीएसटी-आरएफडी-03) जारी किया जाता है, 60 दिनों की अवधि को उक्त अपूर्णता ज्ञापन के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से गिना जाता है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 56 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत प्रतिदाय आदेश दिया गया कोई कर उस धारा की उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो उक्त उप-धारा के तहत ऐसे कर की प्रतिदाय की तारीख तक आवेदन की प्राप्ति, इस तरह की प्रतिदाय के संबंध में देय छः प्रतिशत ब्याज दर से अधिक नहीं है।

बोर्ड ने माना कि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख से आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा होने की तारीख तक ब्याज की गणना की जानी चाहिए। कर प्राधिकारियों को एआरएन के सृजन की तारीख के 45 दिनों के भीतर अंतिम स्वीकृति और भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई थी ताकि 60 दिनों¹¹⁴ के भीतर वितरण पूरा हो सके।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच आने वाले नोटिस, स्वीकृति या अनुमोदन आदि जारी करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020¹¹⁵ कर दिया है। आदेश जारी करने के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी, जहां एससीएन 20 मार्च 2020 और 29 जून 2020 के बीच जारी किया गया था, एससीएन या 30 जून 2020 को उत्तर प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के बाद¹¹⁶, जो भी बाद में था।

¹¹⁴ परिपत्र दिनांक 18 नवंबर 2019

¹¹⁵ पर 27 जून 2020

¹¹⁶ 9 जून 2020 में

अधिसूचनाएं मुख्य रूप से महामारी की असाधारण परिस्थितियों का ख्याल रखने के लिए थीं। अधिकारियों को 5 अप्रैल 2020 से जीएसटीएन तक दूरस्थ पहुंच प्रदान की गई थी ताकि अधिकारी घर से कार्य कर सकें। इसलिए, किसी आदेश की स्वीकृति या जारी करने में किसी भी विलंब के लिए, ठोस अभिलेख किए गए कारण होने की आवश्यकता थी।

पूर्व-स्वचालन

लेखापरीक्षा में 5,451 मामलों की जांच की गई और 412 मामलों में पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों से अधिक समय तक स्वीकृति आदेश/भुगतान सलाह जारी करने में विलंब देखा गया, जो जांच किए गए कुल मामलों का लगभग 8 प्रतिशत है। इन मामलों में ₹2.25 करोड़ का ब्याज नहीं दिया गया था। विवरण नीचे दी गई सारणी 5.7 में दिए गए हैं:

तालिका 5.7: प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब (पूर्व-स्वचालन)

प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	देय ब्याज (₹ करोड़ में)
60 दिनों तक	226	218	0.69
61 से 120 दिन	87	43	0.51
120 दिनों से अधिक	99	140	1.05
कुल	412	401	2.25

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने 18 कमिश्नरियों के तहत 149 मामलों में अवलोकन स्वीकार किया, और कहा कि भारी काम के बोझ और कर्मचारियों की कमी के कारण विलंब हुआ। मद्रुरै कमिश्नरी से संबंधित तीन मामलों में विभाग ने विलंबित प्रतिदाय के विरुद्ध ब्याज के भुगतान की सूचना दी थी।

11 कमिश्नरियों के तहत 52 मामलों में, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब करदाताओं द्वारा विलंब से जमा करने या दस्तावेजों को कम जमा करने के कारण हुआ था। छह मामलों में, विभाग ने कहा कि विलंब करदाताओं द्वारा जारी किए गए एससीएन को विलंबित/अनिरतर उत्तरों के कारण हुआ था। विभाग ने आगे कहा कि करदाताओं द्वारा कोई ब्याज की मांग नहीं की गई है। शेष 233 मामलों में, 25 कमिश्नरियों के तहत, उत्तर प्रतीक्षित था।

ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज राशि का भुगतान विभाग द्वारा स्वतः किया जाना है। नियमों में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि करदाताओं को औपचारिक रूप से ब्याज के भुगतान की मांग करन होगा। एक उदाहरण मामला नीचे दिया गया है:

अहमदाबाद उत्तरी कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने 8 अक्टूबर 2018 को ₹19.40 करोड़ की प्रतिदाय का दावा किया। पावती 26 अक्टूबर 2018 को जारी की गई थी और 12 नवंबर 2018 को ₹17.46 करोड़ का अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी। 18 अक्टूबर 2019 को ग्यारह महीने के बाद एक एससीएन जारी किया गया था। 26 अक्टूबर 2019 को एससीएन को उत्तर प्राप्त होने के बाद, ₹9.36 लाख की अस्वीकार्य राशि को छोड़कर 22 नवंबर 2019 को ₹1.84 करोड़ का अंतिम प्रतिदाय का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक वर्ष की अंतिम प्रतिदाय राशि की स्वीकृति/भुगतान में अत्यधिक विलंब हुआ। इसके अलावा, विभाग ने प्रतिदाय के विलंब से भुगतान के बावजूद करदाता को ब्याज का भुगतान नहीं किया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) को सूचित किया कि विलंब जीएसटी के कार्यान्वयन, भारी काम के बोझ, कर्मचारियों की कमी और दावों के सशक्त/गहन सत्यापन के कारण हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिदाय आवेदन अक्टूबर 2018 से संबंधित था, जबकि जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया था, अर्थात् प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति से 15 महीने से अधिक समय पहले। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय प्रतिदाय के करेगाम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किए जाने के पहलू पर उत्तर नहीं बताया है।

पश्च-स्वचालन

स्वचालन के बाद की अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 86,506 मामलों के संबंध में, ₹24,684.91 करोड़ की राशि के प्रतिदाय के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे। 15,631 मामलों में, जिसमें लगभग 18 प्रतिशत की राशि शामिल है, जिसमें ₹6,249.72 करोड़ की स्वीकृत राशि शामिल है, स्वीकृति

आदेश 45 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक जारी किए गए थे। लगभग 14 प्रतिशत के 12,289 मामलों के संबंध में, ₹4,434.63 करोड़ की प्रतिदाय राशि का भुगतान आवेदन की तारीख के 60 दिनों के बाद किया गया था। इसके अलावा, विभाग को विलंबित भुगतान के लिए ₹7.67 करोड़ का ब्याज देना आवश्यक था, लेकिन केवल ₹12.38 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया था।

तालिका 5.8: प्रतिदाय की स्वीकृति में देरी (पश्च-स्वचालन)

प्रतिदाय की स्वीकृति में देरी	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹करोड़ में)	पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की गई राशि (₹करोड़ में)	देय ब्याज की राशि (₹करोड़ में)	भुगतान किया गया ब्याज (₹करोड़ में)
1 से 60 दिन	10,544	3,850	3,849	3.82	0.01
60 दिन से 120 दिन	1,145	432	432	1.79	0.03
120 दिनों से अधिक	600	154	154	2.06	0.08
कुल	12,289	4,436	4,435	7.67	0.12

स्त्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित।

107 कमिश्नरियों में 6,482 मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 56 कमिश्नरियों में ₹192.06 करोड़ की राशि के 186 मामलों में प्रतिदाय के विलंब से भुगतान को देखा, जिसमें ₹38.46 लाख का ब्याज देय था। हालांकि, 11 मामलों में केवल ₹8,504 का ब्याज का भुगतान किया गया था।

इस पर (फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक) विभाग ने (जनवरी से मई 2021) विलंब के लिए मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ियों, कार्य सूची में नहीं दिखाए गए दावे, भारी कार्यभार, कर्मचारियों की कमी, समय पर स्वीकृति आदेश जारी करने के बावजूद दावेदार के बैंक खाते में राशि जमा करने में विलंब आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया। दो मामलों में, विभाग ने उत्तर दिया कि दावेदारों द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर देर से प्रस्तुत करने के कारण विलंब हुआ और किसी भी करदाताओं ने ब्याज की मांग नहीं की थी। 35 कमिश्नरी के तहत शेष 122 मामलों में उत्तर का इंतजार किया जा रहा था।

एक मामले में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कारण बताओ नोटिस स्वयं एआरएन तिथि के 60 दिनों के बाद जारी किया गया था, और एक अन्य मामले में, स्वीकृति में 57 दिनों का विलंब हुआ था। कानून में प्रावधान है कि

करदाता को कारण बताओ नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा। इसलिए विभाग एससीएन जारी होने के 15 दिनों के बाद एससीएन के तहत कवर की गई राशि को छोड़कर प्रतिदाय दावे को स्वीकृति दे सकता था। 35 कमिश्नरियों के तहत शेष 122 मामलों में, उत्तर (फरवरी 2022) प्रतीक्षित था।

दो उदाहरण के मामले नीचे दिए गए हैं:

(क) हैदराबाद कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने सितंबर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹ 4.94 करोड़ की प्रतिदाय (कर के भुगतान के बिना एसईजेड को आपूर्ति) के लिए 27 सितंबर 2019 को आवेदन किया। पावती 10 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी, जबकि ₹ 4.94 करोड़ का अंतिम भुगतान 2 मार्च 2020 को अर्थात् 97 दिनों के विलंब के बाद स्वीकृति दी गई थी। विलंब के बावजूद, करदाता के देय ₹ 0.79 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

उसी करदाता के एक अन्य मामले में, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए ₹ 18.30 करोड़ का प्रतिदाय 30 सितंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। पावती 10 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। ₹ 18.30 करोड़ का अंतिम भुगतान 2 मार्च 2020 को अर्थात् 94 दिनों (2 मार्च 2020) की विलंब के बाद स्वीकृत किया गया था। विभाग ₹ 2.83 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2021/दिसंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि स्वीकृति आदेश (आरएफडी-06) जारी नहीं किया गया था क्योंकि करदाता के बैंक खातों को अमान्य के रूप में दिखाया गया था; इसलिए, विभाग की ओर से कोई चूक नहीं हुई। कार्यालय के साथ-साथ करदाता ने सक्षम सेवा और सीबीआईसी मित्र के साथ कई ई-मेल के माध्यम से इस मामले को उठाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक खाते अमान्य होने पर भी स्वीकृति आदेश उत्पन्न हो जाता है और केवल भुगतान सलाह उत्पन्न नहीं होती है। इस मामले में, निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति आदेश स्वयं जारी नहीं किया गया था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (दिसंबर 2021) बताया, तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि उत्तर का पालन किया जाएगा।

(ख) वाराणसी कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने 4 जनवरी 2020 को सितंबर 2019 की अवधि के लिए ₹ 9.66 करोड़ के उपकर की प्रतिदाय के लिए आवेदन किया। पावती 15 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। हालांकि, 17 फरवरी 2020 को ₹ 8.69 करोड़ के लिए अंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया गया था और 38 दिनों का विलंब के बाद 1 मार्च 2020 को भुगतान सलाह जारी की गई थी। हालांकि, अंतिम प्रतिदाय 547 दिनों (2 सितंबर 2021) के अंतराल के बाद भी वितरण के लिए लंबित थी।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया (मई 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने स्वीकार किया कि अंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 38 दिनों का विलंब हुआ था। तथापि, मंत्रालय ने 547 दिन बीत जाने के बाद भी अंतिम प्रतिदाय के लंबित संवितरण के कारणों पर उत्तर नहीं बताया है।

सिफारिश 8: विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के लिए जिम्मेदार विलंब की अवधि जैसे एससीएन के उत्तर में विलंब या भुगतान के लिए गलत बैंक विवरण को बाहर रखा जा सके।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा कि लेखापरीक्षा सिफारिश को जीएसटी परिषद की विधि समिति के समक्ष रखने के लिए नोट किया गया था।

सिफारिश 9: निर्धारित समय सीमा से अधिक प्रतिदाय के प्रसंस्करण में विलंब के मामले में दावेदार को देय ब्याज राशि की स्वचालित रूप से गणना करने के लिए जीएसटी प्रणाली को संशोधित किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से प्रणाली में कैचर किया जा सकता है और निगरानी की जा सकती है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिश के उत्तर में कहा कि (फरवरी 2022) इस मामले को जीएसटीएन और डीजी (सिस्टम्स) के साथ उठाया जाएगा।

5.7.1.3 शून्य दर आपूर्ति के कारण अंतिम प्रतिदाय समय पर स्वीकृत नहीं की गई

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 91 (1) में प्रावधान है कि धारा 54 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार अंतिम प्रतिदाय इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने कर अवधि से ठीक पहले पांच साल की किसी भी अवधि के दौरान, जिससे प्रतिदाय का दावा संबंधित है, अधिनियम के तहत या मौजूदा कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है जहां कर चोरी की राशि ढाई सौ लाख से अधिक है। उप नियम (2) में यह भी प्रावधान है कि उचित अधिकारी, दावे की जांच और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की जांच के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि उप-नियम (1) के तहत प्रतिदाय के रूप में दावा की गई राशि धारा 54 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के कारण है, फॉर्म जीएसटी आरएफडी-04 में एक आदेश देगा, नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत पावती की तारीख से अधिकतम सात दिनों से की अवधि के भीतर अंतिम आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि को स्वीकृति देना।

पूर्व-स्वचालन

लेखापरीक्षा ने पूर्व-स्वचालन अवधि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के 3,237 मामलों की जांच की, जिसमें अंतिम प्रतिदाय देय थी। 281 मामलों में, पावती के सात दिनों के भीतर अंतिम प्रतिदाय का भुगतान नहीं किया गया था। 284 में से 234 मामलों में, अंतिम प्रतिदाय के भुगतान के बिना पूरे दावे को एक बार में वापस कर दिया गया था। ऐसे 134 मामलों में, ₹ 160.68 करोड़ की स्वीकृति राशि का भुगतान मैनुअल रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख के 60 दिनों के बाद किया गया था।

47 मामलों में, जहां अंतिम प्रतिदाय का भुगतान अलग से किया गया था, 187 दिनों तक अंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब हुआ था। पांच मामलों में, अंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 60 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने आठ कमिशनरियों के तहत 24 मामलों में अवलोकन स्वीकार कर लिया। आठ कमिशनरियों के तहत 32 अन्य मामलों में, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि करदाता को एससीएन के विस्तृत सत्यापन या जारी करने के कारण अंतिम प्रतिदाय जारी करने में विलंब हुई।

शेष 222 मामलों (27 कमिशनरियों) में, उत्तर (फरवरी 2022) की प्रतीक्षा की जा रही थी।

पश्च स्वचालन

स्वचालन के बाद के मामलों में, वस्तुओं और सेवाओं के शून्य-दर निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत 30,534 मामलों के संबंध में ₹ 17,220 करोड़ की अंतिम प्रतिदाय प्रदान की जानी अपेक्षित थी। तथापि, शेष 20,454 मामलों में पावती जारी किए जाने के बावजूद केवल 10,080 मामलों में ₹ 7,652.06 करोड़ की अंतिम प्रतिदाय प्रदान की गई थी, जो 3333 प्रतिशत मामलों का है। परिणामस्वरूप, विभाग के लिए ₹ 2251.72 करोड़ की प्रतिदाय से संबंधित 4,308 मामलों में 22 दिनों से अधिक की विलंब के बाद अंतिम प्रतिदाय को छोड़ने और प्रतिदाय प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 2,914 आवेदनों में अंतिम प्रतिदाय जारी करने में विलंब देखा, जैसा कि तालिका 5.9 में विस्तृत है।:

तालिका 5.9: अंतिम वापसी की स्वीकृति में विलंब (पश्च-स्वचालन)

वर्णन	दिनों में अधिकतम विलंब	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	अंतिम प्रतिदाय (₹ करोड़ में)
पावती और अंतिम धनवापसी दोनों के निर्गम में विलंब	119	510	340	281
अंतिम वापसी जारी करने में विलंब जहां पावती निर्धारित समय के भीतर जारी की गई थी।	119	1,619	1,349	1,071
15 दिनों से अधिक की पावती जारी की गई, हालांकि अंतिम वापसी पावती के 7 दिनों के भीतर जारी की गई थी।	134	785	643	448
कुल		2,914	2,332	1,800

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित।

46 कमिश्नरियों में विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 429 मामलों में, पावती के सात दिनों के भीतर अंतिम प्रतिदाय का भुगतान नहीं किया गया था। 429 मामलों में से 337 में, पूरे दावे को अंतिम प्रतिदाय के भुगतान को छोड़कर पावती के सात दिनों से परे एक बार में वापस कर दिया गया था।

जब इन विलंब को इंगित किया गया (दिसंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच), तो विभाग ने 16 कमिश्नरियों के तहत 64 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और मानव चूक और जनशक्ति की कमी को कारणों के रूप में उद्धृत किया। एक मामले में, विभाग ने विलंब के लिए सिस्टम की विफलता को जिम्मेदार ठहराया और तीन अन्य मामलों में, यह कहा गया कि जनशक्ति प्रतिदाय की ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं थी। चार मामलों में विलंब दूरस्थ पहुंच की अनुपलब्धता के कारण हुआ था।

ऐसे मामलों में जहां अंतिम प्रतिदाय स्वीकृत नहीं किए गए थे, एक मामले के संबंध में विभाग ने तर्क दिया था कि अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं था। एक कमिश्नरी के तहत नौ मामलों में, विभाग¹¹⁷ ने कहा कि दावा 60 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत किया गया था। एक कमिश्नरी के अंतर्गत दो मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और एक मामले में, विभाग ने बीआरसी को देर से प्रस्तुत करने के लिए विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया। शेष 317 मामलों में, उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

ऐसे मामलों में जहां विभाग लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत नहीं था, यह रेखांकित करना सार्थक होगा कि अंतिम प्रतिदाय (अंतिम प्रतिदाय के भुगतान को छोड़ने के बाद) पावती की तारीख से सात दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं की गई थी। विभाग को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 91 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 54 (6) के वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देने की आवश्यकता थी, जहां "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया है जो उचित अधिकारी के प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद

¹¹⁷ वड़ोदरा I कमिश्नरी

अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देना अनिवार्य बनाता है कि उप-नियम (1) के तहत प्रतिदाय के रूप में दावा की गई राशि आवेदक ने धारा 54 के प्रावधानों के कारण की है।

5.7.1.4 अपूर्णता ज्ञापन जारी करने में विलंब

यदि दस्तावेज पूरे¹¹⁸ हो जाते हैं तो 15 दिनों के भीतर प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति के लिए एक पावती जारी की जानी चाहिए और प्रतिदाय आवेदन में किसी भी कमी के मामले में, आरएफडी-03 में एक कमी ज्ञापन जारी किया जाना चाहिए।

पूर्व-स्वचालन मामलों में, करदाता को विभाग द्वारा सूचित की गई कमियों को दूर करने के बाद आवेदन को फिर से प्रस्तुत करना पड़ा। पुनः प्रस्तुत करने की तारीख को पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की तारीख के रूप में माना जाता था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय उत्पन्न आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) अपरिवर्तित रही।

पश्च-स्वचालन अवधि में, एक बार एक कमी ज्ञापन जारी होने के बाद, प्रतिदाय आवेदन को आगे संसाधित नहीं किया जाएगा, और कमियों को दूर करने के बाद एक नया आवेदन दाखिल किया जाना था। इस आवेदन एक नया एआरएन होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय¹¹⁹ ने कहा था कि उचित अधिकारी को समयसीमा से परे एक कमी ज्ञापन जारी करने की अनुमति देना वैधानिक समयसीमा से परे प्रतिदाय आवेदन की प्रक्रिया को सक्षम करने के समान होगा। इसके बाद इसे प्रतिदाय के लिए याचिकाकर्ता के प्रारंभिक आवेदन की अस्वीकृति के रूप में भी माना जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को कथित कमियों को दूर करने के बाद एक नया प्रतिदाय आवेदन दाखिल करना होगा। यह न केवल करदाता के प्रतिदाय की मांग करने के अधिकार में विलंब करेगा, बल्कि नियमों के तहत प्रदान किए गए प्रतिदाय के लिए मूल आवेदन दाखिल करने की प्रासंगिक तारीख से ब्याज का दावा करने के लिए निर्धारिती के अधिकार को भी बाधित

¹¹⁸ सीजीएसटी नियमों के नियम 90

¹¹⁹ जियान इंटरनेशनल बनाम दिल्ली के आयुक्त माल और सेवा कर [2020] 117 taxmann.com 968

करेगा। उचित अधिकारी ने इस विलंब के चरण में याचिकाकर्ता के प्रतिदाय आवेदन में किसी भी कमी को इंगित करने का अधिकार खो दिया है।

पूर्व-स्वचालन

लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि 13 कमिश्नरियों के तहत 26 मामलों में, दो से 34 दिनों के विलंब के साथ अपूर्णता ज्ञापन जारी किए गए थे। उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने के अलावा, इसने करदाताओं के प्रतिदाय की मांग करने के अधिकार में विलंब की।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (दिसंबर 2020 से मार्च 2021) बताया, तो विभाग ने 18 मामलों (सात कमिश्नरियों) में विलंब को स्वीकार कर लिया और कर्मचारियों की कमी के लिए विलंब (दिसंबर, 2020 से मार्च, 2021) को जिम्मेदार ठहराया। दो मामलों में, विभाग ने अवलोकन को स्वीकार नहीं किया और तकनीकी खामियों और करदाता द्वारा दस्तावेजों को विलंब से प्रस्तुत करने में विलंब को विलंब के कारणों के रूप में उद्धृत किया। छह मामलों में, उत्तर (फरवरी 2022) की प्रतीक्षा की जा रही थी। उपर्युक्त टिप्पणियों पर मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (फरवरी, 2022)।

पश्च-स्वचालन

पश्च स्वचालन की अवधि में, विभाग ने 53,926 कमी ज्ञापन जारी किए थे। 9,001 मामलों में, 17 प्रतिशत का गठन करते हुए, कमी वाले ज्ञापन 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद जारी किए गए थे, जिसमें 211 दिनों तक की विलंब हुई थी। विलंब का विश्लेषण इस प्रकार है:

तालिका 5.10: कमी ज्ञापन जारी करने में विलंब (स्वचालन के बाद)

दिनों में विलंब	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)
1 से 15 दिन	7,328	4,113
16 दिन से 30 दिन	965	253
30 दिन से 45 दिन	505	244
45 दिनों से अधिक	203	72
कुल	9,001	4,682

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित आँकड़ों

सिफारिशें 10: विभाग को प्रतिदाय दावों में कमी की स्थिति में कमी वाले मेमो को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने (फरवरी, 2022) कहा कि सीबीआईसी के क्षेत्रीय फॉर्मेशन को पावती और कमी ज्ञापन जारी करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर निगरानी तंत्र पर चुप है ताकि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मौजूदा अनुदेशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5.7.1.5 प्रतिदाय के वितरण में विलंब

फॉर्म आरएफडी-05 में भुगतान सलाह प्राप्त होने पर, जीएसटी प्रणाली दिन के अंत में सभी आरएफडी-05 फाइलों को शामिल करते हुए एक समेकित विवरण तैयार करती है। यह विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीएफएमएस को प्रेषित किया जाता है जो करदाताओं की मास्टर फ़ाइल के साथ बैंक खाते के विवरण को मान्य करता है। इसके बाद नामित आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) पीएफएमएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार करता है, अपने डिजिटल हस्ताक्षर को चिपकाता है और इसे पीआर सीसीए (सीबीआईसी) के ई-पीएओ

(प्रतिदाय) को अग्रेणित करता है। ई-पीएओ मान्यता प्राप्त बैंक¹²⁰ को भुगतान प्राधिकरण जारी करता है।

लेखापरीक्षा ने 26 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 की अवधि से संबंधित पीएफएमएस आँकड़ों का विश्लेषण किया, और पाया कि 78,795 (3.21 प्रतिशत) में से 2,535 अंतिम/अंतिम प्रतिदाय मामलों में स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद भुगतान किया गया था। विलंब का आयु-वार विश्लेषण नीचे विस्तृत है:

तालिका 5.11: पीएफएमएस के माध्यम से प्रतिदाय के भुगतान में विलंब

दिनों में विलंब	अंतिम प्रतिदाय		अंतिम भुगतान	
	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि (₹ करोड़ में)
15 दिन से 45 दिन	599	454	1,735	1,376
45 दिन से 60 दिन	54	43	57	28
60 दिनों से अधिक	74	69	16	3
कुल	727	565	1,808	1,407

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर संकलित

विभाग ने भुगतान सलाह जारी करने में विलंब, बैंक सत्यापन विफलता आदि को जिम्मेदार ठहराया है।

विलंब इस तथ्य का संकेत है कि दावे की स्वीकृति के बाद, विभाग ने कई मामलों में करदाता के खाते में समय पर राशि जमा करना सुनिश्चित नहीं किया।

5.7.1.6 राज्य कर प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय के विलंबित संवितरण

पूर्व-स्वचालन अवधि के दौरान, सीबीआईसी ने अपने परिपत्र¹²¹ के माध्यम से यह विनिदष्ट किया है कि केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय आदेश को कर या उपकर की प्रासंगिक स्वीकृत प्रतिदाय राशि के भुगतान के उद्देश्य से सात कार्य दिवसों

¹²⁰ एकल प्राधिकरण प्रतिदाय वितरण प्रक्रिया: 24 सितंबर 2019 को जीएसटीएन द्वारा जारी अवधारणा दस्तावेज।

¹²¹ सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 21 दिसंबर 2017।

के भीतर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (7) और प्रतिदाय की स्वीकृति के लिए सीजीएसटी नियमों के नियम 91 (2) के तहत निर्दिष्ट समयसीमा का पालन किया जाए।

लेखापरीक्षा ने छह कमिश्नरियों¹²² में रखे गए अभिलेखों का सत्यापन किया और पाया कि जांचे गए 5,451 मामलों में से, ₹ 23.89 करोड़ की प्रतिदाय राशि वाले 95 मामलों के संबंध में स्वीकृति आदेश (आरएफडी-06) राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा दो से 134 दिनों के बीच की विलंब के बाद केंद्रीय कर प्राधिकारियों को सूचित किए गए थे।

47 मामलों में, करदाताओं को राज्य प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति की तारीख से 9 दिनों से 749 दिनों तक की विलंब के बाद ₹ 8.75 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा उस प्राधिकरण (केन्द्रीय अथवा राज्य) की पहचान नहीं कर सकी जो विलंब के लिए उत्तरदायी था क्योंकि राज्य कर प्राधिकारियों से प्राप्तियों के अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि केन्द्रीय कर प्राधिकरण द्वारा भुगतान सलाह (प्रपत्र आरएफडी-05) जारी किए जाने के समय सीजीएसटी नियमों के 94 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से कुल विलंब पर विचार करते हुए ब्याज देय था, फिर भी कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया था और भुगतान सलाह में शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने प्रतिदाय ऑर्डर को संप्रेषित करने में राज्य कर प्राधिकरण को विलंब के लिए (जनवरी से मार्च 2021) के लिए जिम्मेदार ठहराया। जहां तक आरएफडी-06 में ब्याज का भुगतान नहीं करने का संबंध है, विभाग ने कहा कि प्रतिदाय दावा पत्र केंद्रीय कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे और दावेदारों ने ब्याज का दावा नहीं किया था। एक मामले में, विभाग ने कहा कि राज्य जीएसटी कार्यालयों द्वारा जारी प्रतिदाय स्वीकृति में ब्याज राशि के संवितरण का कोई उल्लेख नहीं है।

¹²² गांधीनगर, आगरा, रांची, जमशेदपुर, कोझिकोड, तिरुवनाथपुरम

विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ब्याज का भुगतान एक सांविधिक आवश्यकता थी और दावेदार को इसे अलग से दावा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, ब्याज भुगतान सलाह (आरएफडी-05) के समय देय है और स्वीकृति के समय नहीं। एक बार जब 60 दिनों से अधिक की प्रतिदाय के भुगतान में विलंब हो जाती है, तो संवितरण अधिकारी को भुगतान सलाह में ब्याज शामिल करना चाहिए। इनमें से किसी भी मामले में, राज्य नोडल अधिकारियों से प्रतिदाय आदेश प्राप्त करने की तारीख केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा, 14 मामलों के संबंध में, जहां केन्द्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा उसी दिन कमिश्नरियों को प्रतिदाय आदेश अग्रेषित किए गए थे, 32 दिनों से 687 दिनों के अंतराल के बाद दावेदारों को भुगतान किया गया था।

एक मामले में, जहां स्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से संवितरण में विलंब 687 दिन थी, विभाग ने कहा कि जब राज्य नोडल अधिकारी से आरएफडी-06 प्राप्त हुआ था, तो करदाता डिवीजन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र की ऑल-इन-वन (एआईओ) प्रणाली में परिलक्षित नहीं हुआ था। इसके बाद, जब करदाता ने प्रतिदाय दावे के लिए (जनवरी 2020) से संपर्क किया, तो आरएफडी-05 जारी किया गया (जनवरी 2020) क्योंकि करदाता तब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रतिबिंबित कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने नोडल अधिकारी को विसंगति की सूचना (मई 2018) देकर मामले का पालन नहीं किया। प्रतिदाय को केवल तभी संसाधित किया गया था (जनवरी 2020) जब दावेदार ने 585 दिनों के बाद विभाग से संपर्क किया, जो विभाग द्वारा निगरानी/अनुवर्ती की कमी को दर्शाता है।

ऐसा ही एक मामला नीचे उदाहरण के रूप में दिया गया है:

एक करदाता को राज्य कर प्राधिकरण द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को ₹ 99.08 लाख की प्रतिदाय मंजूर की गई थी। गांधीनगर कमिश्नरी द्वारा राज्य प्राधिकारियों और केन्द्रीय नोडल अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख और संवितरण के लिए मंडल अधिकारी को अग्रेषित करने की तारीख के संबंध में अभिलेख नहीं रखे गए थे। करदाता को अंततः 8 जनवरी 2020 को

₹ 99.08 लाख के आईजीएसटी का भुगतान प्राप्त हुआ, अर्थात राज्य अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने से 88 दिनों के बाद। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विलंब से प्रतिदाय के लिए देय ब्याज को करदाता को भुगतान के लिए भुगतान सलाह में शामिल नहीं किया गया था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (जनवरी 2021/दिसंबर 2021) बताया, तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि प्रतिदाय में विलंब एसजीएसटी प्राधिकरण से स्वीकृति आदेश प्राप्त करने में विलंब के कारण हुई थी। इसके अलावा, एसजीएसटी प्राधिकरण द्वारा विलंब पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए थे। तदनुसार, इस कार्यालय ने करदाता के ब्याज की गणना और भुगतान नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संबंधित करदाता ने तत्काल प्रतिदाय दावे के लिए किसी भी ब्याज का दावा नहीं किया था।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 56 करदाता द्वारा दावे पर निर्भर किए बिना विलंब से प्रतिदाय आदेशों के मामलों में ब्याज का भुगतान करने के लिए अनिवार्य बनाती है।

5.7.2 गलत समायोजित कुल बिक्री को अपनाने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय

सीजीएसटी नियमों के नियम 89 (4) के अनुसार, कर के भुगतान के बिना माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर आपूर्ति के मामले में, क्रेडिट की प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दी जाएगी:

प्रतिदाय राशि = (वस्तुओं की शून्य-दर आपूर्ति का बिक्री + सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति का बिक्री) x शुद्ध आईटीसी ÷ अयोजित कुल बिक्री

इसी तरह, नियम 89 (5) में प्रावधान है कि विपरित शुल्क ढांचे के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दी जाएगी:

अधिकतम प्रतिदाय राशि = {(वस्तुओं और सेवाओं की विपरित दर आपूर्ति का बिक्री) x शुद्ध आईटीसी ÷ अयोजित कुल बिक्री} - वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी विपरित दर आपूर्ति पर देय कर

"समायोजित कुल बिक्री" (एटीटी) का अर्थ है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री, जैसा कि धारा 2 की उप-धारा (112) के तहत परिभाषित किया गया है, प्रासंगिक अवधि के दौरान शून्य-दर आपूर्ति के अलावा अन्य छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर।

लेखापरीक्षा से पता चला कि 35 कमिश्नरियों के अंतर्गत 84 प्रतिदाय मामलों के संबंध में, समायोजित कुल बिक्री की गलत राशि पर विभाग द्वारा प्रतिदाय स्वीकृत करते समय विचार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.90 करोड़ की प्रतिदाय की अतिरिक्त स्वीकृति हुई।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) में इंगित किए जाने पर, विभाग ने ₹ 2.49 करोड़ (14 कमिश्नरियों) की अनियमित प्रतिदाय के साथ 22 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और 12 मामलों (10 कमिश्नरियों) में ₹ 1.56 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष 47 मामलों (19 कमिश्नरियों) में, उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

नीचे कुछ उदाहरण मामलों पर चर्चा की गई है:

(क) बेंगलुरु दक्षिण केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के लिए विपरित शुल्क संरचना' श्रेणी के तहत ₹ 4.59 करोड़ की प्रतिदाय का दावा किया। दावे में करदाता द्वारा घोषित समायोजित कुल बिक्री ₹ 11.90 करोड़ था। तथापि, संगत अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी ने ₹ 14.76 करोड़ रुपए के समायोजित कुल बिक्री का संकेत दिया है। समायोजित कुल बिक्री को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिदाय हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (जुलाई 2021/दिसंबर 2021) बताया, तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का विरोध किया और कहा (फरवरी 2022) कि जीएसटीआर-3 बी के मूल्य इस अवधि के लिए वास्तविक जावक कर योग्य आपूर्ति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, लेकिन केवल जीएसटीआर-1 द्वारा परिलक्षित होते हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 (4) (ई) में समायोजित कुल कारोबार का निर्धारण करने के लिए किसी विशेष विवरणी, अर्थात् जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-3 बी को निर्दिष्ट नहीं

किया गया है। तथापि, जीएसटीआर-3बी एक मासिक सारांश प्रतिफल है जो तालिका 3.1 में अलग-अलग जावक और आवक आपूर्तों के विवरण को कैचर करता है। इसके अलावा, करदाता की कर देयता भी जीएसटीआर-3बी में घोषित कारोबार के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसलिए, जीएसटीआर-3बी में घोषित बिक्री समायोजित कुल बिक्री को अपनाने के निर्धारण के लिए एक आधार हो सकता है।

(ख) तिरुपति कमिश्नरी के तहत एक करदाता को अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए 'कर के भुगतान के बिना निर्यात' की श्रेणी के तहत ₹ 4.67 करोड़ की प्रतिदाय की स्वीकृति दी गई थी। प्रतिदाय को संसाधित करते समय, कर प्राधिकारियों ने गलत तरीके से समायोजित कुल बिक्री से ₹ 31.53 करोड़ के निर्यात को बाहर रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ की प्रतिदाय का अतिरिक्त अनुदान मिला।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अप्रैल 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 1.23 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान की गई प्रतिदाय राशि ब्याज के साथ ब्याज के साथ ₹ 24.22 लाख करदाता से वसूल की गई थी।

(ग) चेन्नई दक्षिण कार्यकारी के तहत एक करदाता को अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की कर अवधि के लिए ₹ 5.51 करोड़ (अप्रैल 2020) के आईजीएसटी की प्रतिदाय को स्वीकृति दी गई थी। जीएसटीआर-1 के अनुसार जावक आपूर्ति का समायोजित कुल कारोबार ₹ 1,806.02 करोड़ था, जबकि प्रतिदाय को संसाधित करते समय, जीएसटीआर 3बी से ₹ 1,199.07 करोड़ के समायोजित कुल कारोबार को अपनाया गया था। समायोजित कुल बिक्री को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिदाय हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे (दिसंबर 2020/दिसंबर 2021) में इंगित किया, तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 37.16 लाख के ब्याज के साथ ₹ 1.43 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान की गई प्रतिदाय राशि का भुगतान करदाता द्वारा किया गया था।

5.7.3 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिदाय का अनियमित अनुदान

5.7.3.1 कर के भुगतान के बिना शून्य-दर आपूर्ति के मामले में अपात्र क्रेडिट पर अनियमित प्रतिदाय

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) में कहा गया है कि आईटीसी खाद्य और पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, सामान्य बीमा, वस्तुओं या सेवाओं की सेवाओं या व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली दोनों जैसी आपूर्ति पर उपलब्ध नहीं है।

19 कमिश्नरियों के तहत 'जीएसटी के भुगतान के बिना निर्यात' (ईएक्सडब्ल्यूओपी) से संबंधित 48 दावों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने अपात्र वस्तुओं और सेवाओं और क्रेडिटों पर आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया था जो ₹ 4.76 करोड़ के दावे की अवधि से संबंधित नहीं था। तथापि, विभाग ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन मामलों में प्रतिदाय को प्रदान किया है।

लेखापरीक्षा में बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने आठ कमिश्नरियों के तहत 10 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और तीन कमिश्नरियों के तहत तीन मामलों में ₹ 2.72 लाख की वसूली की सूचना दी। तीन मामलों में, तीन कमिश्नरियों के तहत, विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। शेष 35 मामलों (13 कमिश्नरियों) में, उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बेंगलुरु उत्तर केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 (मई 2020) की अवधि के लिए अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया था। करदाता द्वारा दावा किए गए शुद्ध आईटीसी में ₹ 11.12 करोड़ के कर योग्य मूल्य की आपूर्ति शामिल थी, जिस पर ₹ 1.85 करोड़ का आईटीसी क्रेडिट सोडेक्सो सुविधा प्रबंधन सेवा से संबंधित था, जिसने कर्मचारियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए खाद्य कूपन जारी किए थे। हालांकि, विभाग ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लिए धारा 17 (5) (बी) का उल्लंघन करते हुए

अपात्र आईटीसी के कारण अधिक प्रतिदाय के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ की प्रतिदाय प्रदान की।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (जुलाई 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और सूचित किया (फरवरी 2022) कि अप्रैल 2018 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹ 90.39 करोड़ का एससीएन जारी किया गया था।

5.7.3.2 विपरीत कर श्रेणी के तहत अस्वीकार्य क्रेडिट और अपात्र इनपुट सेवाओं को शामिल करने के कारण अनियमित प्रतिदाय

विपरीत शुल्क संरचना के मामले में धन के प्रतिदाय के लिए पात्र राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र में उपयोग किए जाने वाले शब्द "शुद्ध आईटीसी" को नियम 89 (5) के स्पष्टीकरण के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके लिए उप-नियम 89 (4 ए) या 89 (4 बी) या दोनों के तहत प्रतिदाय का दावा किया जाता है"।

मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीएल ट्रांसटोनेलस्ट्रॉय एफकॉन्स संयुक्त उद्यम बनाम भारत संघ के मामले में कहा (सितंबर 2020) कि प्रतिदाय एक वैधानिक अधिकार था, और प्रतिदाय के लाभ का विस्तार केवल अप्रयुक्त क्रेडिट के लिए किया गया था, जो इनपुट वस्तुओं पर कर की दर के कारण जमा हुआ था, जो इनपुट सेवाओं के कारण संचित अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को छोड़कर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा हुआ था। वैध वर्गीकरण और विधायी शक्ति का एक वैध अभ्यास। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 के अपने निर्णय में बरकरार रखा था। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) में यह निर्धारित किया गया है कि आईटीसी खाद्य और पेय पदार्थों, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, सामान्य बीमा की सेवाओं, वस्तुओं या सेवाओं या व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली दोनों जैसी आपूर्तियों पर उपलब्ध नहीं है।

विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत 3,525 प्रतिदाय मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 31 कमिश्नरियों के तहत 77 मामलों को देखा, जहां कमिश्नरियों में आईटीसी शामिल था, जिन्होंने प्रतिदाय प्रदान करते समय इनपुट सेवाओं और अन्य अपात्र आईटीसी पर लाभ उठाया था। इनपुट सेवाओं और अन्य अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्राप्त आईटीसी को बाहर करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.92 करोड़ की अनियमित प्रतिदाय हुआ।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), तो विभाग ने 41 मामलों (19 कमिश्नरियों) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया, जिनमें से 32 मामलों (16 कमिश्नरी) में ₹ 46.67 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

(क) जबलपुर कमिश्नरी के तहत एक करदाता को विपरीत शुल्क ढांचे के कारण संचित आईटीसी की श्रेणी के तहत चार एआरएन के मामले में ₹ 20.70 करोड़ की प्रतिदाय मिली। इन सभी मामलों में, इनपुट सेवाओं, पूंजीगत वस्तुओं और "शुद्ध आईटीसी" से प्रासंगिक अवधि से संबंधित नहीं होने वाले बीजकों पर अस्वीकार्य आईटीसी को अस्वीकार किए बिना प्रतिदाय को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, तीन प्रतिदाय मामलों में (8 फरवरी 2019 के प्रतिदाय को छोड़कर), विभाग ने मासिक विवरणी (जीएसटीआर-01/जीएसटीआर-3बी) के अनुसार एटीटी के बजाय प्रतिदाय आवेदन में दिखाए गए समायोजित कुल बिक्री (एटीटी) पर विचार करते हुए प्रतिदाय को मंजूरी दी। अपात्र आईटीसी को अस्वीकार करने में चूक के साथ-साथ एटीटी के कम मूल्य को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹18.81 करोड़ की अधिक प्रतिदाय हुआ।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (मार्च 2021 / दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने ₹ 45.72 करोड़ (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक सभी नौ महीनों से संबंधित) की वापसी को सूचित किया (फरवरी 2022)। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि ब्याज और शास्ति की वसूली के लिए एक एससीएन जारी किया जा रहा है।

(ख) बेंगलुरु नॉर्थवेस्ट सेंट्रल टैक्स कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने विपरीत शुल्क ढांचे के तहत ₹ 1.85 करोड़ के संचित आईटीसी की प्रतिदाय का

दावा किया। "शुद्ध आईटीसी" में ₹ 2.98 करोड़ की पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं का क्रेडिट शामिल था, जो पात्र नहीं थे। इसे बाहर करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ की राशि की धन प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अगस्त 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि उत्तर को आगे प्रस्तुत किया जाएगा।

5.7.3.3 पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी की अनियमित प्रतिदाय

सीजीएसटी नियमों के नियम 89(4) में कर के भुगतान के बिना वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर आपूर्ति के मामले में संचित आईटीसी की प्रतिदाय के लिए फार्मूला निर्धारित किया गया है। "शुद्ध आईटीसी" का अर्थ है प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

इसके अधिक, सीजीएसटी नियमों के नियम 89(5) के अनुसार, विपरीत शुल्क ढांचे के कारण प्रतिदाय के मामले में, शुद्ध आईटीसी में पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा से पता चला है कि 13 कमिश्नरियों के अंतर्गत कर के भुगतान के बिना निर्यात और विपरीत शुल्क संरचना की श्रेणी के अंतर्गत प्रतिदाय के 25 मामलों के संबंध में, प्रतिदाय राशि की गणना करते समय उपयोग किए गए 'शुद्ध आईटीसी' में पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल था जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.83 करोड़ की अधिक प्रतिदाय हुआ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने 16 मामलों (8 कमिश्नरियों) में अभ्युक्ति स्वीकार किया और ₹ 84.07 लाख की वसूली की। 3 मामलों में, विभाग (2 कमिश्नरी) ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, यह तर्क दिया कि पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी प्रतिदाय के लिए पात्र था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "इनपुट" का अर्थ नियम 89 (4) के मद्देनजर पूंजीगत वस्तुओं के अलावा किसी अन्य माल से है। नवंबर 2017 के

सीबीआईसी परिपत्र¹²³ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी प्रतिदाय योग्य नहीं था। शेष छह मामलों (5 कमिश्नरियों) में, उत्तर प्रतीक्षित था।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

(क) कोच्चि कमिश्नरी के तहत एक करदाता को दिसंबर 2019 से जनवरी 2019 के दौरान विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत चार स्वीकृत आदेशों के माध्यम से ₹ 34.03 करोड़ की प्रतिदाय जारी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि "शुद्ध आईटीसी" में पूंजीगत वस्तुओं पर दावा किया गया अस्वीकार्य आईटीसी शामिल था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.23 लाख की अधिक प्रतिदाय हुई थी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (मई 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने जून 2021 में ₹ 56.23 लाख की वसूली और ₹ 14.52 लाख के ब्याज की सूचना दी (फरवरी 2022)।

(ख) गुंटूर कमिश्नरी के तहत एक करदाता को विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 74.98 लाख की प्रतिदाय मंजूर की गई थी। सीजीएसटी नियमों के नियम 89 (5) के तहत सूत्रों के अनुसार प्रतिदाय राशि की गणना करते समय, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त ₹ 1.03 करोड़ के आईटीसी को गलत तरीके से शुद्ध आईटीसी में शामिल किया गया था। पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी को गलत तरीके से शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹ 46.70 लाख की प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (मार्च 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि प्रासंगिक कर अवधि के लिए कुल आईटीसी में से पूंजीगत वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर आईटीसी को अलग करना बहुत मुश्किल था। उचित अधिकारी द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड ने प्रतिदाय आवेदन को भरते समय अनुलग्नक-बी में प्राप्त आईटीसी के प्रकार

¹²³ सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 16 नवंबर 2017

का उल्लेख करने का निर्देश दिया था (मार्च 2020)। मंत्रालय ने आगे कहा कि करदाता को एक एससीएन जारी किया गया था।

5.7.3.4 छूट प्राप्त आपूर्ति पर आईटीसी की वापसी न होने के कारण प्रतिदाय का अधिक अनुदान

जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (2) में कहा गया है कि जब कोई पंजीकृत व्यक्ति आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्ति और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति की आपूर्ति करता है, तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के इतने अधिक तक सीमित हो जाएगी जैसा कि उक्त कर योग्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई आपूर्तिकर्ता छूट प्राप्त आपूर्ति से संबंधित आईटीसी को वापिस नहीं देता है, तो ईसीएल में आईटीसी बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति होती है। छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए जिम्मेदार आईटीसी की गणना करने की प्रक्रिया सीजीएसटी नियमों के नियम 42 के अंतर्गत निर्धारित की गई है।

18 कमिश्नरियों¹²⁴ के अंतर्गत 54 मामलों में, लेखापरीक्षा में उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छूट प्राप्त आपूर्ति पर आईटीसी के न पलटने के कारण ₹ 2.93 करोड़ के प्रतिदाय का अधिक अनुदान पाया गया।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और तीन मामलों में ₹ 14.81 लाख की वसूली की सूचना दी। तीन मामलों¹²⁵ में, विभाग ने इस बात से संतोष व्यक्त किया कि जीएसटीआर-1 विवरणी में दिखाई गई छूट प्राप्त आपूर्ति माल या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति के प्रावधान के कारण नहीं थी, बल्कि यह मर्चेडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) लाइसेंस की बिक्री के कारण थी। इस प्रकार, सीजीएसटी नियम के नियम 42 के तहत वापसी तत्काल मामले में लागू नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमईआईएस एक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट है जो 28 जून 2017 की अधिसूचना के क्र.संख्या नंबर 122ए के तहत जीएसटी की शून्य

¹²⁴ शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात की श्रेणी के तहत और कर की विपरीत दर

¹²⁵ कोयंबटूर, जयपुर और लुधियाना

दर को आकर्षित करता है, जैसा कि बोर्ड द्वारा 1 मार्च 2018 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसलिए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (47) के तहत 'छूट प्राप्त आपूर्ति' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंस की बिक्री एक छूट प्राप्त आपूर्ति है। तदनुसार, दावेदार आईटीसी की वापसी के लिए उत्तरदायी था।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

गुरुग्राम कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए ₹ 83.08 लाख की राशि के प्रतिदाय के लिए आवेदन किया था, और डिवीजनल कार्यालय ने अप्रैल 2019 में कर के भुगतान के बिना श्रेणी निर्यात के तहत ₹ 66.83 लाख के प्रतिदाय को मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता के पास ₹ 63.60 लाख की शून्य दर/छूट प्राप्त आपूर्ति थी, लेकिन करदाता ने नियम 42 के अनुसार ₹ 8.83 लाख के आईटीसी को वापस नहीं किया था, जिसे विभाग द्वारा नोटिस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.02 लाख के प्रतिदाय का अधिक अनुदान मिला।

जब यह बताया गया (अप्रैल 2021), तो विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और ₹ 7.02 लाख की वसूली की सूचना दी।

पश्च-स्वचालन

₹ 7,242.66 करोड़ की प्रतिदाय राशि से जुड़े 9,970 मामलों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि हालांकि करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी में छूट प्राप्त आपूर्ति दिखाई थी, लेकिन उन्होंने ₹ 3,781.57 करोड़ की वापसी से जुड़े 8,482 मामलों (85 प्रतिशत) में अपेक्षित आईटीसी राशि को वापस नहीं किया था। इन मामलों में न केवल अधिक प्रतिदाय प्रदान करने का जोखिम है, बल्कि करदाताओं द्वारा आईटीसी के अधिक दावे के कारण राजस्व की हानि भी होती है, जिन्हें कानून के तहत छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए जिम्मेदार आईटीसी को वापस करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

16 कमिश्नरियों में 54 मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीसी की वापसी न के कारण प्रतिदाय का अधिक अनुदान ₹ 3.32 करोड़ था।

सिफारिश 11: करदाताओं की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जिसमें गैर-कर योग्य/छूट प्राप्त आपूर्ति की महत्वपूर्ण राशि है ताकि उनके द्वारा आईटीसी को समय पर वापसी की जा सके ताकि इसका उपयोग या प्रतिदाय के रूप में दावा न किया जा सके।

लेखापरीक्षा की सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि (फरवरी 2022) यह देखा गया है कि प्रारंभ में, कुछ करदाता छूट या शून्य दर आपूर्ति से संबंधित आईटीसी का दावा नहीं कर रहे थे और इसलिए, वे किसी भी आईटीसी की वापसी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस संबंध में कोई आईटीसी प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, जीएसटीआर-2बी से जीएसटीआर-3बी विवरणी की ऑटो-पॉपुलेशन के माध्यम से इसे संबोधित किया गया था, जिसके लिए करदाता को छूट और शून्य दर आपूर्ति के लिए जिम्मेदार आईटीसी की वापसी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डीजीएआरएम आईटीसी की वापसी न करने के ऐसे मामलों के संबंध में सितंबर 2021 से एक रेड फ्लैग रिपोर्ट जारी कर रहा है जहां करदाता कर योग्य और छूट/शून्य दर आपूर्ति दोनों प्रदान कर रहा है।

5.7.3.5 शुद्ध आईटीसी में व्यपगत क्रेडिट को शामिल करने के कारण अनियमित प्रतिदाय

सीबीआईटीसी की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2018 को या उसके बाद प्राप्त नामावली (एचएसएन) 5,516 (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के तहत आने वाले माल के संबंध में विपरीत शुल्क संरचना के कारण प्रतिदाय की अनुमति दी गई है। यह स्पष्ट किया गया था कि 31 जुलाई 2018 तक प्राप्त आवक आपूर्ति पर जुलाई 2018 के महीने के लिए कर के भुगतान के बाद ईसीएल में अप्रयुक्त पड़ी संचित आईटीसी, समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने 24 अगस्त 2018 के परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि केवल इनपुट पर लाभ प्राप्त आईटीसी समाप्त होगी, न कि इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर लाभ प्राप्त।

लेखापरीक्षा में हैदराबाद कमिश्नरी के अंतर्गत एक मामले में विपरीत शुल्क ढांचे के अंतर्गत व्यपगत क्रेडिट की वापसी न करने के कारण ₹ 15.41 लाख के अनियमित प्रतिदाय भुगतान का पता चला है। तीन अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि करदाता ने व्यपगत क्रेडिट की वापसी की थी,

लेकिन विभाग ने प्रतिदाय राशि जारी करने से पहले व्यपगत क्रेडिट की देरी से वापसी पर ₹ 60.27 लाख के देय ब्याज को समायोजित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) विभाग ने तीन मामलों (3 कमिश्नरी) में ₹ 32.47 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

कोयंबटूर कमिश्नरी के अंतर्गत एक करदाता के पास विपरीत शुल्क ढांचे के कारण ₹ 66.81 लाख की आईटीसी की अप्रयुक्त शेष राशि थी। प्रतिदाय में जुलाई 2018 से पहले की अवधि से संबंधित ₹ 63.65 लाख की संचित आईटीसी शामिल था, जो समाप्त हो गई थी। व्यपगत क्रेडिट को बाहर करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 68.64 लाख के प्रतिदाय का अधिक अनुदान मिला था, जो ₹ 31.40 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अप्रैल 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा कि व्यपगत क्रेडिट के लिए ₹ 66.81 लाख के लिए दो एससीएन और उचित ब्याज और शास्ति के साथ करदाता को स्वीकृत गलत प्रतिदाय के लिए ₹ 68.64 लाख जारी किए गए थे।

5.7.3.6 जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईटीसी पर विचार न करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) (ए) के अनुसार, प्रतिदाय के आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य होंगे जो यह स्थापित करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं कि प्रतिदाय आवेदक को देय है। प्रारंभ में संचित आईटीसी के प्रतिदाय की मैनुअल प्रोसेसिंग के दौरान, करदाताओं को बीजक की फोटो प्रतियां फाइल करने की आवश्यकता थी।

सीबीआईसी ने 4 सितंबर 2018 के परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि उचित अधिकारी बीजक जमा करने पर जोर नहीं देगा, यदि जीएसटीआर-2ए में बीजक का विवरण मौजूद है। यदि बीजक जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित नहीं होते हैं, तो उचित अधिकारी जाँच के लिए ऐसे बीजकों की कागाजी प्रति मांग सकता

है। नकली बीजक जारी करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के इरादे से, सीजीएसटी नियमों के नियम 36 के लिए एक उप-खंड (4) को 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से डाला गया था, जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किए गए बीजक/डेबिट नोटों के संबंध में जीएसटीआर-2ए के अनुसार पात्र क्रेडिट आईटीसी निर्दिष्ट प्रतिशत (20 प्रतिशत - 9 अक्टूबर 2019 और 25 दिसंबर 2019 के बीच, 10 प्रतिशत - 26 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 के बीच, और 1 जनवरी 2021 से 5 प्रतिशत) तक सीमित था।

बोर्ड ने 18 नवंबर 2019 के परिपत्र के पैराग्राफ 36 के माध्यम से प्रावधान किया है कि बीजक की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनके संबंध में आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और जिन्हें अनुलग्नक-बी में आईटीसी के लिए पात्र के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन जो फॉर्म जीएसटीआर-2ए में पॉपुलेटेड नहीं हैं उसे आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।

इसके बाद, सीबीआईटीसी ने 31 मार्च 2020 के परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि संचित आईटीसी का प्रतिदाय बीजक के अनुसार आईटीसी तक सीमित होगी, जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपलोड किया गया है, और आवेदक के फॉर्म जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित होता है।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि 11 कमिश्नरियों में 31 मार्च 2020 के बाद फाइल किए गए 20 प्रतिदाय आवेदनों में, संबंधित प्रतिदाय अवधि के लिए शुद्ध आईटीसी को जीएसटीआर-2ए में बीजक के प्रतिबिंब को अनिवार्य करने वाले उपरोक्त परिपत्र के जारी होने के बाद भी जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित आईटीसी तक सीमित नहीं किया गया था। अनुदेशों से विचलन के कारण अधिक प्रतिदाय ₹ 60.42 लाख था।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने दो मामलों में ₹ 11.26 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

मंत्रालय के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही थी (फरवरी 2022)।

5.7.3.7 प्रतिदाय अधिक था क्योंकि आईटीसी समय बाधित बीजकों से संबंधित था

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 4 में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति वि.व. के अंत के बाद सितंबर तक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि के बाद, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा, जिससे इस तरह के बीजक या डेबिट नोट संबंधित वार्षिक विवरणी से संबंधित हैं या प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा, जो भी पहले हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच मामलों में, करदाताओं ने समय-प्रतिबंधित बीजकों पर लिए गए आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया था। इन बीजकों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई थी और क्रेडिट को अनियमित प्रतिदाय के रूप से ₹ 74.59 लाख की सीमा तक वापस कर दिया गया था।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जनवरी 2020 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए प्रतिदाय का दावा किया था। प्रतिदाय के लिए विचार किए गए शुद्ध आईटीसी में एक वर्ष से अधिक पुराने समय-प्रतिबंधित बीजकों पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.41 लाख की अधिक प्रतिदाय हुआ।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2021 में यह बताया था। विभाग के उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.7.3.8 एसईजेड में रखी गई इकाइयों को आईटीसी का अनियमित प्रतिदाय

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 (3) में यह निर्धारित किया गया है कि केवल एसईजेड डेवलपर या एसईजेड को-डेवलपर या एसईजेड इकाइयों को माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र है और इस प्रकार, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एसईजेड इकाई को प्रतिदाय प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 में यह आवश्यक है कि एसईजेड इकाई/डेवलपर्स, गैर-एसईजेड आपूर्तिकर्ताओं से उनके द्वारा प्राप्त आपूर्ति पर

इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाएंगे और प्रतिदाय का दावा केवल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एसईजेड इकाई/डेवलपर को किया जाएगा। इस प्रकार, एसईजेड इकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकती है।

चेन्नई दक्षिण कार्यकारी कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए ₹ 58.41 करोड़ के आईजीएसटी के प्रतिदाय के लिए तीन दावे फाइल किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने ₹ 83.60 करोड़ के अनियमित रूप से प्राप्त/अस्वीकार्य आईटीसी का उपयोग करते हुए आईजीएसटी का भुगतान किया था। विभाग ने उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मई 2020 से जून 2020 के दौरान प्रतिदाय को मंजूरी दी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (दिसंबर 2020 / दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2022) और गलत प्रतिदाय पर ₹ 58.41 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया। तथापि, मंत्रालय से अनियमित रूप से संचित/प्राप्त ऋण के ₹ 25.19 करोड़ के उत्क्रमण के विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही थी।

5.7.4 प्रतिदाय आवेदनों में कमी के बावजूद प्रतिदाय को जारी करना

5.7.4.1 अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना प्रतिदाय की मंजूरी

सीजीएसटी नियमों के नियम 89 के उप-नियम (2) में प्रतिदाय आवेदन के साथ किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निर्धारित की गई है। जहां दस्तावेज पूरे नहीं हैं, वहां सीजीएसटी नियमों के नियम 90 (3) के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा एक कमी ज्ञापन जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 17 कमिश्नरियों¹²⁶ द्वारा 95 मामलों में ₹ 93.26 करोड़ के प्रतिदाय की स्वीकृत की गई थी, हालांकि, जीएसटीआर-2ए, अनुलग्नक-बी और अन्य दस्तावेजों जैसे अनिवार्य दस्तावेज करदाताओं द्वारा फाइल नहीं किए गए थे।

¹²⁶ कोयंबटूर, फरीदाबाद, पंचकुला, पालघर, शिमला, अलवर, जयपुर, कोलकाता दक्षिण, उदयपुर, अहमदाबाद दक्षिण, जोधपुर, गुंटूर, चेन्नई दक्षिण, सूरत, जालंधर, मुंबई सेंट्रल, कोलकाता उत्तरी

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) तो विभाग ने 10 कमिश्नरियों¹²⁷ के तहत 68 मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया। चार कमिश्नरियों¹²⁸ के अंतर्गत दस मामलों में विभाग ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अनुलग्नक-बी जिसमें करदाताओं से एचएसएन-वार सारांश का विवरण शामिल है, को प्राप्त किया गया था और क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं पाई गई थी। एक मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2021) कि दावेदार ने दस्तावेजों को ऑफ़लाइन प्रस्तुत किया, जिनकी तुलना ऑल-इन-वन (एआईओ) पोर्टल पर ऑनलाइन जीएसटीआर-2ए के साथ की गई थी। विभाग ने आगे कहा कि दावेदार, सिस्टम की त्रुटि के कारण दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सका। सात कमिश्नरियों के तहत शेष 16 मामलों में उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही थी (फरवरी से मई 2021)।

उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है, क्योंकि करदाताओं ने पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन अपलोड करने के दौरान संशोधित अनुलग्नक-बी में, वस्तुओं/सेवाओं के एचएसएन/सेवा लेखा संहिताओं (एसएसी) का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, स्वचालन के बाद की अवधि में दस्तावेजों को अपलोड करने में असमर्थता के कारण दस्तावेजों को ऑफ़लाइन प्रस्तुत करने से संकेत मिलता है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सिस्टम स्थिर नहीं हुआ था। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के विपरीत होने के अलावा अपेक्षित दस्तावेजों को ऑफ़लाइन स्वीकार करने से लेखापरीक्षा ट्रेल की कोई गुंजाईश नहीं रहती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.7.4.2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में डेबिट का पता लगाए बिना प्रतिदाय की अनियमित मंजूरी

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 (3) में प्रावधान है कि जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) से किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया है, तो दावे की सीमा तक की राशि को उक्त लेजर में

¹²⁷ अहमदाबाद दक्षिण, अलवर, कोयंबटूर, फरीदाबाद, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता दक्षिण, मुंबई सेंट्रल, सूरत, उदयपुर कमिश्नरी

¹²⁸ कोयंबटूर, पंचकुला, अहमदाबाद दक्षिण और उदयपुर कमिश्नरी

डेबिट किया जाएगा। इस प्रावधान का अनुपालन न करने से सरकारी राजस्व को हानि होगी क्योंकि करदाता को तब भी प्रतिदाय मिल सकता है जब ईसीएल में कोई शेष राशि या पर्याप्त शेष राशि की कमी न हो।

दो कमिश्नरियों¹²⁹ के तहत दो मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि करदाताओं ने प्रतिदाय आवेदन के साथ अपेक्षित आईटीसी लेजर को प्रस्तुत किया था, ₹ 4.17 करोड़ का डेबिट जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया था, आईटीसी लेजर में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.7.4.3 विवरणी फाइल करने की स्थिति की जांच किए बिना प्रतिदाय की मंजूरी

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (10) में प्रावधान है कि यदि किसी दावेदार ने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की है या जिसे किसी भी कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो उचित अधिकारी तब तक प्रतिदाय के भुगतान को रोक सकता है जब तक कि उक्त व्यक्ति ने विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दिया है या कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान नहीं किया है, जैसा भी मामला हो और देय प्रतिदाय को किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी अन्य राशि से कटौती करें जिससे कर योग्य व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, लेकिन जो इस अधिनियम के तहत या मौजूदा कानून के तहत अदत्त रहता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदाय को रोकना आवश्यक है कि करदाता ने प्रतिदाय स्वीकृत होने से पहले सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और यदि कोई कर देय है तो इसे प्रतिदाय राशि से वसूल किया जाता है। यदि करदाताओं द्वारा विवरणी फाइल किए बिना प्रतिदाय दिया जाता है, तो चूककर्ता करदाता से बकाया की वसूली न होने का जोखिम रहता है।

लेखापरीक्षा ने स्वचालन के बाद के मामलों के जीएसटीएन आँकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि 35,519 करदाताओं को ₹ 3,546.85 करोड़ के

¹²⁹ मुंबई सेंट्रल और नागपुर

प्रतिदाय की मंजूर की गई थी, भले ही जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी दोनों पहले की अवधि के लिए फाइल नहीं किए गए थे। 16,561 करदाताओं को ₹ 1,422.89 करोड़ के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी, भले ही उन्होंने जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया था (हालांकि जीएसटीआर-3बी फाइल किया गया था)। 4,793 करदाताओं को ₹ 1,444.49 करोड़ के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी, भले ही उन्होंने पहले की अवधि के जीएसटीआर-3बी (केवल जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया गया था) फाइल नहीं किया था।

चार कमिश्नरियों¹³⁰ में विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला है कि 11 प्रतिदाय मामलों में हालांकि, करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-1/3बी विवरणी फाइल नहीं किए गए थे, विभाग ने मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 8.51 करोड़ के प्रतिदाय को मंजूरी दी। उपर्युक्त मामलों में से छह मामलों में, दो कमिश्नरियों¹³¹ में दावेदारों ने प्रतिदाय स्वीकृत होने के बाद कुछ देय विवरणी फाइल किए थे। इसलिए, विभाग ने दावेदारों द्वारा देय विवरणी फाइल किए जाने को सुनिश्चित किए बिना दावेदारों के प्रतिदाय को मंजूरी दे दी।

लेखापरीक्षा में बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और एक मामले के संबंध में ₹ 0.10 लाख (विलंब फीस) की वसूली की सूचना दी। दो कमिश्नरियों से संबंधित आठ अन्य मामलों में, विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण, कई बार ऐसा हुआ कि अपडेट किए गए विवरणी, पोर्टल में दिखाई नहीं दे रहे थे और इस प्रकार, दावेदार पर भरोसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि प्रतिदाय के लिए आवेदन करने से पहले विवरणी समय पर फाइल किए गए होंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सरकारी राजस्व के अनुरक्षण के लिए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मुद्दों पर शीघ्रता से ध्यान देना चाहिए था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

¹³⁰ अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, भावनगर और धीमापुर

¹³¹ अहमदाबाद उत्तर और अहमदाबाद दक्षिण

5.7.5 विपरीत शुल्क संरचना के तहत प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति

विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत प्रतिदाय के 3,625 मामलों की लेखापरीक्षा में जांच की गई। शुद्ध आईटीसी में अपात्र क्रेडिटों को शामिल करने के कारण अधिक प्रतिदाय के संबंध में अभ्युक्तियों और गलत समायोजित कुल बिक्री पर विचार करने के संबंध में अभ्युक्तियों को इस रिपोर्ट के पैरा 5.7.2 में शामिल किया गया है। विपरीत शुल्क संरचना से संबंधित अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी पैरा में चर्चा की गई है।

5.7.5.1 व्यापारिक माल पर विपरीत शुल्क संरचना के तहत अपात्र प्रतिदाय

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) में यह निर्धारित किया गया है कि एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है, जहां क्रेडिट का संचय इनपुट पर कर की दर के कारण होता है, जो आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण होता है, जो निर्धारित शर्तों के अधीन होता है। सीबीआईटीसी ने 31 मार्च 2020 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया था कि संचित आईटीसी का प्रतिदाय उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां इनपुट और आउटपुट आपूर्ति समान हैं (व्यापारिक माल)। इस प्रकार, जहां इनपुट और आउटपुट आपूर्ति समान थी और कर की दर समान थी, वहां कोई विपरीत शुल्क ढांचा नहीं था और इसलिए, प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आपूर्ति के टर्न ओवर को अलग करने के लिए एक तंत्र की कमी को पाया, जहां इनपुट और आउटपुट, वास्तविक विपरीत दर आपूर्ति के टर्न ओवर से या प्रतिदाय आवेदन में इस संबंध में एक स्व-घोषणा करने के लिए, स्वीकार्य प्रतिदाय की गणना करते समय इस तरह के टर्न ओवर के बहिष्करण के उद्देश्य से समान थे। निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

17 मामलों में यह देखा गया कि बिक्री को शामिल करने के कारण 'विपरीत शुल्क संरचना' के अंतर्गत ₹ 1.19 करोड़ का अधिक प्रतिदाय हुआ था, जहां इनपुट और आउटपुट आपूर्ति समान थी।

लेखापरीक्षा में इस पर बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021/दिसंबर 2021) मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक

मामले में एससीएन जारी किया जा रहा है। शेष मामलों में उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही थी (फरवरी 2022)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

तिरुवनंतपुरम कार्यकारी कमिश्नरी के तहत एक करदाता को आठ प्रतिदाय आवेदनों में ₹ 11.73 करोड़ के प्रतिदाय को मंजूरी दी गई थी। अधिकतम पात्र प्रतिदाय की गणना के लिए विचार किए गए बिक्री में अनियमित रूप से 'प्राकृतिक रबड़' की जावक आपूर्ति शामिल थी, जिसकी जीएसटी दर 5 प्रतिशत थी। इस मामले में इनपुट पर कर की दर भी 5 प्रतिशत थी। चूंकि, आवक और जावक आपूर्ति समान थी, इसलिए विपरीत दर आपूर्ति वाले बिक्री में प्राकृतिक रबड़ की जावक आपूर्ति वाले बिक्री को शामिल करना गलत था। बिक्री में इस राशि को अस्वीकार करने की चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को छोड़कर ₹ 97.29 लाख के प्रतिदाय की अधिक मंजूरी हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (फरवरी 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (फरवरी 2022) कि एक एससीएन जारी किया जाएगा।

5.7.5.2 आईजीएसटी के भुगतान के साथ निर्यात पर विपरीत शुल्क संरचना के तहत अनियमित प्रतिदाय

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 (5) में प्रावधान है कि विपरीत शुल्क संरचना के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा:

अधिकतम प्रतिदाय राशि = {(वस्तुओं और सेवाओं की विपरीत दर आपूर्ति का बिक्री) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल बिक्री} - वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी विपरीत दर आपूर्ति पर देय कर

दमन कमिश्नरी द्वारा संसाधित चार मामलों में, विभाग द्वारा मानी जाने वाली विपरीत आपूर्ति के बिक्री में कर के भुगतान के साथ निर्यात शामिल थे। बिक्री को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (मार्च और अप्रैल 2021) विभाग ने दो मामलों में ₹ 6.53 लाख के ब्याज के साथ ₹ 25.98 लाख की वसूली की सूचना दी (अप्रैल और मई 2021)। शेष दो मामलों में उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2021)।

5.7.5.3 निर्यातक व्यापारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर माल का निर्यात सुनिश्चित किए बिना विपरीत दर आपूर्ति के प्रतिदाय की मंजूरी

विपरीत दर के कारण संचित आईटीसी के प्रतिदाय को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(3) के तहत स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 23 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना में निर्यात संवर्धन परिषद या किसी मान्यता प्राप्त वस्तु बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातक व्यापारी को एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा 0.1 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति का प्रावधान है, जो इस शर्त के अधीन है कि निर्यातक बीजक जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर माल का निर्यात करेगा; निर्यातक व्यापारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को दिए गए खरीद आदेशों की प्रतिलिपि आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार कर अधिकारी को प्रदान की जाती है; और माल को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से सीधे बंदरगाह या निर्यात के स्थान पर ले जाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में दो कमिश्नरियों¹³² द्वारा संसाधित तीन मामलों में यह पाया गया कि उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत व्यापारी निर्यातकों को की गई विपरीत आपूर्ति के संबंध में दावेदारों को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति की पुष्टि किए बिना ₹ 3.07 करोड़ का प्रतिदाय प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विपरीत दर आपूर्ति के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई।

लेखापरीक्षा में इस पर बताये जाने पर (फरवरी से मई 2021), विभाग ने कहा (फरवरी से मार्च 2021) कि निर्यात का प्रमाण दावेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) के तहत या 18 नवंबर 2019 के परिपत्र के तहत आवश्यक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अपेक्षित रिकॉर्ड, लेखापरीक्षा में जमा करने के लिए मांगे गए हैं।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि हालांकि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) के तहत उक्त रिकॉर्ड की आवश्यकता

¹³² अहमदाबाद दक्षिण और सूरत

नहीं थी, लेकिन संबंधित दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल या निर्यात के बिल जिसमें जीएसटीआईएन का विवरण और निर्यात सामान्य मैनिफेस्ट के प्रमाण के साथ पंजीकृत आपूर्तिकर्ता का कर बीजक शामिल है, जो 23 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार आवश्यक हैं। यह तथ्य कि अब दावेदार से इसे बुलाया जा रहा था, यह दर्शाता है कि इन दस्तावेजों को प्रतिदाय की मंजूरी देने से पहले विभाग द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.7.5.4 विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत मुआवजा उपकर का अनियमित प्रतिदाय

सीबीआईसी ने 30 मई 2018 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया कि बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत की गई शून्य-दर आपूर्ति के कारण मुआवजा उपकर के संचित आईटीसी का प्रतिदाय उपलब्ध है, भले ही निर्यातित उत्पाद, उपकर के उदग्रहण के अधीन न हो। मुआवजा उपकर के प्रतिदाय प्रदान करने का लाभ किसी अन्य श्रेणी के प्रतिदाय तक नहीं बढ़ाया गया था।

तीन मामलों¹³³ में लेखापरीक्षा ने पाया कि आउटपुट आपूर्ति को मुआवजा उपकर से छूट दी गई थी और इसलिए, इसका संचय प्रतिदाय योग्य नहीं था। तथापि, विभाग ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 3.20 लाख के मुआवजा उपकर को गलत तरीके से वापस कर दिया।

लेखापरीक्षा में इस पर बताये जाने पर (जनवरी 2021 और मार्च 2021), विभाग ने एक मामले में ₹ 2.60 लाख की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021)। दो मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.7.5.5 जावक आपूर्ति की प्रकृति को सत्यापित किए बिना प्रतिदाय की मंजूरी

सेवा लेखाकरण संहिता (एसएसी) 9954 (निर्माण सेवाएं) के तहत वर्गीकृत सेवाओं में प्रदान की गई सेवा के अनुसार अलग-अलग कर दरें होती हैं। सरकार को मिट्टी के कार्य, तेल की खोज से संबंधित निर्माण, कार्य संविदा सेवाओं और निर्माण सेवाओं के लिए कर की दरें क्रमशः 5, 12, 12 और 18 प्रतिशत हैं। निर्माण सेवाओं पर संचित आईटीसी का प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं है,

¹³³ कच्छ और उदयपुर

क्योंकि यह 18 प्रतिशत पर कर योग्य है, जबकि कार्य संविदा सेवाओं के लिए प्रतिदाय उपलब्ध है जिन पर 18 प्रतिशत से कम कर लगाया जाता है। इसलिए, यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या संचित आईटीसी विपरीत आपूर्ति के कारण था जब तक कि सेवा की प्रकृति का पता लगाने के लिए अधिक दस्तावेजों/कर बीजकों को सत्यापित नहीं किया जाता है।

दक्षिण अहमदाबाद कमिश्नरी के तहत एक करदाता एसएसी कोड 995428 (अन्य सिकरेगा इंजीनियरिंग कार्यों की सामान्य निर्माण सेवाएं जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं) के तहत सेवाओं की आपूर्ति कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने प्रतिदाय का दावा करते समय यह पता लगाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था कि क्या प्रदान की गई सेवा निर्माण सेवा या कार्य संविदा सेवा थी या नहीं। विभाग ने आउटपुट आपूर्ति पर देय जीएसटी की वास्तविक दर की पुष्टि किए बिना विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के अंतर्गत ₹ 5.00 करोड़ के प्रतिदाय दावे को मंजूरी दे दी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (मार्च 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत ब्याज/शास्ति के साथ ₹ 11.06 लाख की गलत वापसी की मांग करने वाला एससीएन करदाता को जारी किया गया था।

5.8 अन्य मामले

5.8.1 समय-प्रतिबंधित प्रतिदाय दावों की अनियमित स्वीकृति

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है कि संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है। विपरीत दर की आपूर्ति के कारण संचित आईटीसी के प्रतिदाय के मामले में, संबंधित तिथि उस अवधि के लिए धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि है जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा उत्पन्न¹³⁴ होता है। इसी तरह, कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात के मामले में जहां माल को समुद्र या हवा द्वारा निर्यात किया जाता है वहां, प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर जहाज या विमान जिस पर इस तरह के माल को लादा जाता है, भारत छोड़ देता है।

¹³⁴ 1 फरवरी, 2019 से संशोधन के अनुसार।

प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि और दो वर्ष की गणना के लिए कमी जापन जारी करने की तिथि के बीच की अवधि को बाहर रखने के लिए नियम 90 (3) में दिनांक 18 मई 2021 की अधिसूचना के तहत एक परंतुक शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा में 23 कमिश्नरियों के अंतर्गत 41 मामलों के संबंध में ₹ 28.16 करोड़ के अनियमित प्रतिदाय को पाया, जहां संबंधित तिथि के बाद दावे फाइल किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई थी।

लेखापरीक्षा में इस पर बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021), विभाग ने 16 मामलों (8 कमिश्नरियों) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए पांच मामलों (4 कमिश्नरियों) में ₹ 39.71 लाख की वसूली की सूचना दी। आठ मामलों (छह कमिश्नरियों) में, विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिदाय दावा दो वर्ष की निर्धारित समयावधि के भीतर फाइल किया गया था। शेष 17 मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2022)।

निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) अहमदाबाद कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 5 मई 2020 को ₹ 14.10 लाख के लिए प्रतिदाय दावा फाइल किया था, जो समय बाधित था। इसे अस्वीकृत करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.10 लाख की सीमा तक प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (मार्च 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि करदाता को एक एससीएन जारी किया गया था (जुलाई 2021)।

(ख) बेंगलुरु नॉर्थवेस्ट सेंट्रल टैक्स कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 26 मई 2020 को विपरीत शुल्क संरचना के कारण ₹ 2.05 करोड़ की संचित आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया था। दावे को 28 मई 2020 को वापस कर दिया गया था। जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए दावा समय बाधित था क्योंकि

जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए जीएसटीआर-3 बी विवरणी फाइल करने की प्रासंगिक तिथि 10 मार्च 2020 थी। इस मामले में, करदाता ने 26 मई 2020 को दावे को प्राथमिकता दी थी। इसलिए, जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए स्वीकृत प्रतिदाय अनियमित था। इस मामले में स्वीकृत अनियमित प्रतिदाय ₹ 2.05 करोड़ है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अप्रैल 2021/दिसंबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि दावा, 3 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के मद्देनजर समय सीमा के भीतर था, जिसमें 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक की अवधि के भीतर आने वाली किसी भी कार्रवाई के अनुपालन के लिए समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 23 के आधार पर जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए प्रतिदाय फाइल करने की नियत तिथि 10 मार्च 2020 को ही समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, करदाता जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं था।

(ग) नोएडा कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जनवरी 2020 से मार्च 2020 के दौरान विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के तहत सितंबर 2017 से नवंबर 2017 की अवधि से संबंधित ₹ 21.29 करोड़ की राशि के लिए चार प्रतिदाय आवेदन फाइल किए थे। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 1 फरवरी 2019 से हुए संशोधन के मद्देनजर, जिसने धारा 54 के नीचे एक स्पष्टीकरण (2) डाला था कि प्रासंगिक तिथि को उस अवधि के लिए माना जाता था "धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से जिसमें ऐसा दावा उत्पन्न होता है", पूरा दावा समय बाधित हो गया था क्योंकि संशोधन के बाद आवेदन को प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिदाय दावा फाइल करने के लिए समय सीमा में बदलाव का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है और इस प्रकार, पार्टी ने समय सीमा के भीतर प्रतिदाय दावा फाइल किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने संशोधन के बाद प्रतिदाय दावा फाइल किया था और इसलिए दावे को समय की पाबंदी के रूप में माना जाना चाहिए था।

इस संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.8.2 अपात्र करदाता को अंतिम प्रतिदाय का अनियमित अनुदान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के मामले में अंतिम आधार पर प्रतिदाय की मंजूरी का प्रावधान है। विपरीत शुल्क संरचना (आईएनवीआईटीसी) या 'कैश लेजर में अधिक शेष' (ईएक्सबीसीएल) के कारण संचित आईटीसी के कारण किसी भी दावे के मामले में अंतिम प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विपरीत शुल्क संरचना श्रेणी के अंतर्गत 12 कमिशनरियों में 26 मामलों में ₹ 23.73 करोड़ के अंतिम प्रतिदाय को अनियमित रूप से प्रदान किया गया था। चार मामलों में, उपर्युक्त जीएसटी अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करते हुए चार कमिशनरियों¹³⁵ द्वारा "कैश लेजर में अधिक शेष" श्रेणी के अंतर्गत ₹ 1.19 करोड़ के अंतिम प्रतिदाय को अनियमित रूप से प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस पर बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) विभाग ने छह कमिशनरियों¹³⁶ से संबंधित 14 मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया। दो मामलों (एक कमिशनरी¹³⁷) में, विभाग ने कहा कि 15 नवंबर 2017 के परिपत्र के अनुसार अंतिम प्रतिदाय 'कैश लेजर में अधिक शेष' की श्रेणी के तहत स्वीकार्य था, जो गलत है।

दो कमिशनरियों के तहत दो अन्य मामलों में, विभाग ने कहा कि प्रतिदाय दावों को मंजूरी देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (6) में केवल शून्य-दर आपूर्ति के

¹³⁵ अलवर, बोलपुर, जबलपुर और नोएडा

¹³⁶ अलवर, भोपाल, फरीदाबाद, जबलपुर, कोलकाता उत्तर और पालघर

¹³⁷ बोलपुर

मामले में अंतिम प्रतिदाय को प्रदान करने का प्रावधान है। शेष 12 मामलों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.8.3 डीम्ड निर्यात पर प्रतिदाय की गलत मंजूरी

डीम्ड निर्यात पर भुगतान किए गए करों के प्रतिदाय का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब 6 नवंबर 2017 के परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का मूल रूप से पालन किया जाता है। परिपत्र में प्रावधान किया गया है कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू)/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) इकाई को आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता के प्रभारी क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी अधिकारियों को फॉर्म-ए प्रस्तुत करना होगा, जिसे विकास आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है जिसमें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से खरीदे जाने वाले माल का उल्लेख किया गया है। मेसर्स मेगा ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड [2020 (42) जीएसटीएल 353] के मामले में आयुक्त (अपील) ने कहा कि अपीलकर्ता ईओयू के लिए प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं था, जिसे आपूर्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि यह सीबीआईसी परिपत्र के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा था।

गांधीनगर कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने माल के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिदाय दावा फाइल किया था। करदाता ने माल की खरीद के लिए फॉर्म-ए में अपेक्षित पूर्व सूचना जारी नहीं की थी, जिसके बावजूद भी विभाग द्वारा ₹ 1.12 करोड़ के दावे को मंजूरी दी गई थी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (जनवरी 2021/दिसंबर 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

5.8.4 प्रतिदाय की अस्वीकृति के बाद ईसीएल में आईटीसी क्रेडिट न करना

जहां सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 92 के तहत प्रतिदाय के रूप में दावा की गई किसी भी राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति की सीमा तक डेबिट की गई राशि को फॉर्म जीएसटी पीएमटी-03 में किए गए

आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से क्रेडिट किया जाएगा। एक प्रतिदाय को खारिज माना जाएगा, यदि अपील को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है या यदि दावेदार उचित अधिकारी को लिखित रूप से एक अंडरटेकिंग देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा। इसके अलावा, जहां फॉर्म जीएसटी आरएफडी-03 में किसी भी कमियों को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के तहत डेबिट की गई राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से क्रेडिट किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि स्वचालन के बाद की अवधि के 22,163 मामलों में, ₹ 5,085.66 करोड़ की राशि को अस्वीकार्य माना गया था और स्वीकृति राशि को उस सीमा तक कम कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमटी-03 केवल 3,686 मामलों में जारी किया गया था जिसमें ₹ 244.21 करोड़ की अस्वीकार्य राशि शामिल थी। इसलिए, ₹ 4841.35 करोड़ की अस्वीकार्य राशि से जुड़े 18,477 मामलों में पीएमटी-03 जारी नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को उनके दावों से कम की गई राशि का पुनः क्रेडिट नहीं मिला था।

16 कमिश्नरियों में विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 67 मामलों में, पीएमटी 03 को ₹ 91.13 लाख के पुनः क्रेडिट के लिए जारी नहीं किया गया था। इस पर बताये जाने पर (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) विभाग ने तीन मामलों (तीन कमिश्नरियों) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

52 मामलों में, विभाग (14 कमिश्नरियों) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए तर्क दिया कि पीएमटी 03 जारी करने के लिए, दावेदारों को एक घोषणा को फाइल करके प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की आवश्यकता थी कि वे अपील फाइल नहीं करेंगे, और पीएमटी 03 जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। शेष 12 मामलों (छः कमिश्नरियों) में, उत्तर प्रतिक्षित थे।

विभाग का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि यद्यपि कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं थी, करदाता को आदेश के प्रति अपील फाइल करने के लिए अधिकतम 120 दिनों की अवधि मिलती है। एक बार जब करदाता ने निर्धारित अवधि के भीतर अपील फाइल नहीं की थी, तो यह माना जा सकता है कि करदाता ने मंजूरी आदेश को स्वीकार कर लिया था और

विभाग पीएमटी-03 जारी करने और करदाता के क्रेडिट लेजर में राशि क्रेडिट करने के लिए बाध्य था। इसके अलावा, एक बार जब दावेदार आरएफडी -09 में अपने उत्तर में खारिज की गई राशि के साथ सहमत हो गया, तो दावेदार ने स्वयं खारिज की गई राशि के प्रति अपील पर जाने के लिए आधार खो दिया। इस प्रकार, इसने कानून की आवश्यकता को पूरा किया और पीएमटी-03 जारी करने की आवश्यकता थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

सिफारिश 12: *विभाग, ईसीएल को अस्वीकृत प्रतिदाय राशि को समय पर पुनः क्रेडिट करने के संबंध में एक प्रणाली शुरू करने पर विचार कर सकता है। करदाता द्वारा अपील किए जाने और करदाता के पक्ष में अंतिम निर्णय जाने की स्थिति में, ईसीएल को डेबिट करने के अध्यक्षीन राशि वापस कर दी जाएगी।*

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिश के संबंध में कहा (फरवरी 2022) कि इस मामले को जीएसटीएन के साथ उठाया जाएगा।

5.8.5 अन्य मामले

पूर्वगामी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अलावा, लेखापरीक्षा ने ₹ 4.44 करोड़ के मूल्य वाले 74 मामलों में अन्य अनियमितताओं को पाया। ये अनियमितताएं, एसईजेड को बिना निर्धारित अनुमोदन के निर्यात पर प्रतिदाय की गलत अनुमति, विलंबित वापसी पर ब्याज का भुगतान न करने, कारण बताओ नोटिस जारी न करने, डीआरसी-07¹³⁸ जारी न करने आदि की प्रकृति में हैं।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, (दिसंबर 2020 से सितंबर 2021) विभाग ने 18 मामलों (नौ कमिश्नरियों) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और छह मामलों (पांच कमिश्नरियों) में ₹ 6.42 लाख की वसूली की सूचना दी। 18 मामलों में, विभाग (11 कमिश्नरियों) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। शेष 38 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

¹³⁸ जीएसटी में मांग आदेश का डिजिटल सारांश

5.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी प्रतिदाय में जीएसटी के विभिन्न घटक शामिल होते हैं जैसे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, आदि। केंद्र या राज्य कर प्राधिकरण द्वारा संसाधित किए गए प्रतिदाय आवेदन संघ और राज्यों दोनों के राजस्व को प्रभावित करेंगे। इस अध्याय में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व पर निष्कर्षों के मौद्रिक प्रभाव का विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

5.10 निष्कर्ष

समय पर प्रतिदाय प्रक्रिया करदाताओं को बहुत आवश्यक तरलता और नकदी प्रवाह प्रदान करके सुविधा प्रदान करती है। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा प्रतिदाय प्रदान करने के संबंध में प्रणालीगत और अनुपालन संबंधी मुद्दों को पाया, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रणालीगत कमजोरियों में, स्वचालित प्रतिदाय मॉड्यूल में कमियां, उचित संवीक्षा के बिना करदाताओं को संदिग्ध प्रतिदाय की मंजूरी, पूर्ण दस्तावेजों के बिना प्रतिदाय की मंजूरी, वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के मामलों में निर्यात आय की वसूली की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति और जीएसटी प्रतिदाय के दोहरे भुगतान के उदाहरण शामिल हैं। जहां तक प्रतिदाय मामलों के प्रसंस्करण और भुगतान में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का संबंध है, यह देखा गया था कि प्रतिदाय मामलों की पश्य-लेखापरीक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अनुपालन पक्ष पर, लेखापरीक्षा ने प्रतिदाय के मामलों की महत्वपूर्ण संख्या को पाया जहां विभाग ने प्रतिदाय के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पावती जारी करने में देरी, कमी ज्ञापन और प्रतिदाय आदेशों की मंजूरी के मामले सामने आए। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में, विभाग ने देरी से प्रतिदाय के मामले में करदाताओं को ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, सांविधिक उपबंधों की पुष्टि में अनियमित/अधिक प्रतिदाय के मामले भी देखे गए।

इस अध्याय में शामिल 12 लेखापरीक्षा सिफारिशों में से, मंत्रालय ने नौ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहा कि आठ सिफारिशों के संबंध में जीएसटीएन/डीजी (सिस्टम) के साथ मामले को उठाया जाएगा। एक सिफारिश के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि इस मामले को क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ उठाया जाएगा और परामर्श को जारी किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 92.08 करोड़ के मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और लेखापरीक्षा के कहने पर ₹ 52.93 करोड़ की वसूली की है।

5.11 सिफारिशों का सारांश

1. आयकर, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कॉर्पोरेट मामलों¹³⁹ के मंत्रालय जैसी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रणालियों से आँकड़ों को एकीकृत करके करदाताओं की एक व्यापक प्रोफाइलिंग को लागू करने की आवश्यकता है। नकली आईटीसी के प्रतिदाय से बचने के लिए प्रतिदाय से संबंधित मॉड्यूल में उच्च जोखिम वाले करदाताओं/ प्रतिदाय के लगभग वास्तविक समय रेड-फ्लैगिंग की एक प्रणाली लागू की जा सकती है।
2. ई-बीआरसी मॉड्यूल को जीएसटीएन के साथ एकीकृत किया जा सकता है और ऐसे मामलों में जहां निर्यात आय निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, प्रतिदाय के अधिक भुगतान के लिए जांच की जा सकती है। इससे उन करदाताओं की पहचान करके संभावित धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी जिन्होंने नकली निर्यात पर प्रतिदाय की मांग की थी।
3. आईसीईजीएटीइ, ई-बीआरसी और एक्सओएस स्टेटमेंट आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों को जोड़कर एक मजबूत रेड फ्लैग सिस्टम शुरू किया जा सकता है ताकि गैर-अनुपालन करदाताओं के संबंध में उचित अधिकारियों को उनके प्रतिदाय को अवरुद्ध करने और पहले से ही स्वीकृत अपात्र प्रतिदाय की वसूली शुरू करने के लिए सतर्क किया जा सके।

¹³⁹ उच्च शक्ति समिति अक्टूबर 2014 की रिपोर्ट (समग्र कर पहल के लिए सूचना प्रणाली ड्राइविंग)

4. विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदाय मॉड्यूल में अपेक्षित सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है कि पात्र राशि निर्धारित आदेश में डेबिट की गई है।
5. सुलह की कमी के कारण हुए दोहरे भुगतान मामलों की पहचान करने के लिए सभी कमिशनरियों में पूर्व-स्वचालन अवधि से संबंधित पीएफएमएस आँकड़ों का एक व्यापक सत्यापन किया जा सकता है।
6. अनुदेशों, चेकलिस्ट और एसओपी के विस्तृत संहिताबद्ध मैनुअल पर आधारित एक मजबूत पश्च-लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की जा सकती है। प्रभावी निगरानी के लिए जीएसटी प्रणाली में प्रतिदाय के पश्च-लेखापरीक्षा के लिए एक उचित मॉड्यूल पेश किया जा सकता है।
7. 15 दिनों के बाद पावती जारी होने के मामले में, उचित अधिकारी को इस तरह के विलंब के कारणों को निर्दिष्ट करना चाहिए और विभाग द्वारा इसकी ऑनलाइन निगरानी की जानी चाहिए।
8. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के लिए जिम्मेदार विलंब की अवधि जैसे एससीएन के उत्तर में विलंब या भुगतान के लिए गलत बैंक विवरण को बाहर रखा जा सके।
9. निर्धारित समय सीमा से अधिक प्रतिदाय के प्रसंस्करण में विलंब के मामले में दावेदार को देय ब्याज राशि की स्वचालित रूप से गणना करने के लिए जीएसटी प्रणाली को संशोधित किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से प्रणाली में कैचर किया जा सकता है और निगरानी की जा सकती है।
10. विभाग को प्रतिदाय दावों में कमी की स्थिति में कमी वाले मेमो को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
11. करदाताओं की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जिसमें गैर-कर योग्य/छूट प्राप्त आपूर्ति की महत्वपूर्ण राशि है ताकि उनके द्वारा आईटीसी को समय

पर वापसी की जा सके ताकि इसका उपयोग या प्रतिदाय के रूप में दावा न किया जा सके।

12. विभाग, ईसीएल को अस्वीकृत प्रतिदाय राशि को समय पर पुनः क्रेडिट करने के संबंध में एक प्रणाली शुरू करने पर विचार कर सकता है। करदाता द्वारा अपील किए जाने और करदाता के पक्ष में अंतिम निर्णय जाने की स्थिति में, ईसीएल को डेबिट करने के अध्यक्षीन राशि वापस कर दी जाएगी।

अध्याय VI: जीएसटी के अन्तर्गत परिवर्ती क्रेडिट

6.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को केंद्र और राज्यों द्वारा लगाये तथा एकत्रित किये जाने विभिन्न करों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है जो माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है जहां कर आपूर्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। कर, एक समान कर आधार पर केन्द्र तथा राज्य द्वारा एक साथ लगाया जाता है तथा लगाने वाला कर, उस कर प्राधिकारी को देय होता है जिसका आपूर्ति के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) तथा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/संघ शासित क्षेत्र जीएसटी (यूटीजीएसटी) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है जबकि समन्वित जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। आउटपुट पर कर देयता के प्रति समंजन के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्रदत्त करों के इनपुट कर क्रेडिट, की उपलब्धता जीएसटी की एक प्रमुख विशेषता है। यह करों के उपर पुनः कर से बचाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता से क्रेता की ओर क्रेडिट का प्रवाह अबाध गति से हो। मौजूदा कानून¹⁴⁰ से जीएसटी में प्रशासन इनपुट टैक्स के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु इनपुट टैक्स के लिए परिवर्ती व्यवस्था को अधिनियमों में सम्मिलित किया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के तहत प्रदत्त उपयुक्त करों अथवा शुल्कों के संबंध में इनपुट टैक्स की हकदारी और दावा करने के तरीके का प्रावधान किया जा सके।

6.2 इनपुट टैक्स के लिए परिवर्ती व्यवस्थाएं

सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 द्वारा, मौजूदा कानून के तहत अर्जित किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को जीएसटी व्यवस्था में अग्रेणित करने में करदाता को समर्थ बनाया गया है। सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित इस धारा में इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

¹⁴⁰ केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा राज्य मूल्य वर्धित कर

आईटीसी के लिए परिवर्ती व्यवस्था के अन्तर्गत मौजूदा कानून जैसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेंट क्रेडिट), राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) इत्यादि अधिनियम की धारा 140 की विभिन्न संबंधित उप-धाराओं के अन्तर्गत जीएसटी में अग्रेणित किए जाने के लिए पात्र है। दावों को दो फार्म-ट्रान 1 और ट्रान 2 में नीचे दी गयी उपयुक्त तालिकाओं में प्रस्तुत किया जाना है।

तालिका 6.1: परिवर्ती क्रेडिट का दावा करने के लिए निर्धारित फार्म और तालिकाएं

फार्म	तालिका सं.	परिवर्ती क्रेडिट घटक
ट्रान 1	5(ए)	अंतिम विरासत विवरणी से क्रेडिट का अंत-शेष
ट्रान 1	6(ए)	पूँजीगत माल पर न लिया गया क्रेडिट
ट्रान 1	7(ए)ए	बीजक सहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
ट्रान 1	7(ए)बी	बीजक रहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
ट्रान 1	7(बी)	मार्गस्थ इनपुट/इनपुट सेवा पर क्रेडिट
ट्रान 1	8	केंद्रीय पंजीकृत ईकाई द्वारा क्रेडिट का स्थानांतरण
ट्रान 1	11	नियत दिनांक (1 जुलाई 2017) से पूर्व प्रदत्त कर एवम नियत दिनांक के पश्चात की गई आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट
ट्रान 2	4	बीजक रहित दावाकृत भण्डारो पर लिया गया क्रेडिट

संयोजन योजना (अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत) के अंतर्गत कर के भुगतान के लिए विकल्प देने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत कर दाता, नियत तिथी से 90 दिन के अंदर ट्रान 1 विवरणी फाईल करके परिवर्ती क्रेडिट का दावा करने योग्य है। प्रारंभ में ट्रान 1 विवरणी भरने की समय सीमा को 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाया गया था। हालांकि यह देखते हुए कि कई कर-दाता, तकनीकी कठिनाईयों के कारण नियत तारीख के अन्दर विवरणी भर नहीं सके जिसके कारण सीजीएसटी नियमावली, 2017¹⁴¹ के नियम 117 के अंतर्गत उप-नियम 1ए, को ऐसे करदाताओं को समायोजित करने हेतु शामिल किया गया। ट्रान 1 के भरने की नियत तिथि को आगे 31 मार्च 2020¹⁴² तक बढ़ाया गया जो ऐसे कर-दाताओं के लिए था जो तकनीकी कठिनाईयों के कारण ट्रान 1 फाईल नहीं कर सके या ऐसे मामले जिनकी जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसा की गयी।


¹⁴¹ अधिसूचना 48/2018 सीटी दिनांक 10 सितम्बर 2018 देखें।

¹⁴² सीबीआईसी आदेश सं. 01.2020-जीएसटी दिनांक 7 फरवरी 2020

6.3 प्रवृत्तियां तथा परिप्रेक्ष्य

विरासतीय व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बार का प्रवाह होने के नाते परिवर्ती क्रेडिट का लाभ दोनों करदाताओं जो या तो पुराने व्यवस्था से स्थानांतरित¹⁴³ हुए हैं या जीएसटी के अंतर्गत नए पंजीकृत हुए हैं द्वारा उठाया जा सकता है। कुल ₹10.13 लाख¹⁴⁴ करदाताओं ने अधिनियम के अंतर्गत ₹ 1,72,584.96 करोड़¹⁴⁵ के परिवर्ती क्रेडिट के लाभ का दावा किया था जिसमें से ₹ 3.46 लाख करदाता जो कि करदाताओं का 34 प्रतिशत है केंद्र की ओर थे। इन 3.46 लाख करदाताओं के परिवर्ती क्रेडिट दावे ₹ 1,34,029.23 करोड़ के थे जो अधिनियम के अन्तर्गत दावा किए गए कुल परिवर्ती क्रेडिट का 78 प्रतिशत थे। अधिनियम की धारा 140 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत इन करदाताओं द्वारा दावा किए गए क्रेडिट का वितरण चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: परिवर्ती क्रेडिट दावों का तालिका-वार विवरण



परिवर्ती क्रेडिट का दावा मुख्यतः दो स्रोतों से किया जाता है यथा विरासतीय विवरणी तथा लेखा पुस्तकें। दावों के 70 प्रतिशत का सार्थक बहुमत जो तालिका 5(ए) और 6(ए) में दर्शाया गया है जो विरासतीय विवरणी द्वारा प्रवाहित हुआ है क्योंकि वे विरासतीय नियम के तहत घोषित दावों को दर्शाता है और शेष 30 प्रतिशत जो अन्य तालिकाओं में दावों द्वारा दर्शाये गये हैं,

¹⁴³ मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत करदाता, अब सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 24 के अंतर्गत पंजीकृत


¹⁴⁴ आकड़े जीएसटीएन- माल एवं सेवाकर शुद्धवर्क से लिए गए (जुलाई 2021)

¹⁴⁵ स्रोत: जीएसटीएन (दिसम्बर 2021)

लेखा पुस्तकों से प्रवाहित हुए हैं चूंकि वे जीएसटी व्यवस्था में स्थानान्तरण के समय नयी घोषणा को दर्शाते हैं।

क) **जीएसटी संग्रहण पर परिवर्ती क्रेडिट के दावे का प्रभाव:** परिवर्ती क्रेडिट जिसे एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के नाते विरासतीय कर व्यवस्था से अग्रणीत किया गया है का जीएसटी के अंतर्गत कर दायित्व के प्रति समंजन हो जाएगा। विशेषकर परिवर्ती की अवधि के दौरान जिसका जीएसटी राजस्व की तुलना में, दावा किए गए परिवर्ती क्रेडिट के प्रभाव का व्यापक परिदृश्य जीएसटी राजस्व संग्रहण पर आँकड़ों प्रदान करता है। मासिक जीएसटी राजस्व¹⁴⁶ संग्रहण पर चार्ट 6.2 दर्शाता है कि परिवर्ती क्रेडिट के अधिकतम भाग का उपयोग संभावित रूप से जुलाई 2017 महीने के कर के भुगतान के लिए किया गया।

चार्ट 6.2: वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी राजस्व चित्रण



ख) **ध्यानाकर्षण क्षेत्र के रूप में परिवर्ती क्रेडिट:** इस संबंध में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) या बोर्ड ने 2018-19 की अवधि के लिए परिवर्ती क्रेडिट के सत्यापन के लिए ध्यानाकर्षण क्षेत्र के रूप में परिवर्ती क्रेडिट के दावा क्षेत्र को चुना और पूरे देश में विस्तृत सत्यापन के लिए शीर्ष 50,000¹⁴⁷ करदाता की पहचान की। इन 50,000 करदाताओं के

¹⁴⁶ जीएसटी राजस्व संग्रहण में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर शामिल हैं

¹⁴⁷ प्राप्त किए गए परिवर्ती क्रेडिट के लिए 50,000 करदाताओं का परिवर्ती क्रेडिट-स्रोत अंतरंग आँकड़ों सैट: अंतरंग केंद्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड के अधिकारियों के लिए इन्टरराशुद्ध प्लेटफार्म है।

परिवर्ती क्रेडिट दावे, केंद्र की ओर भाग के परिवर्ती क्रेडिट दावों का प्रमुख भाग है।

6.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

परिवर्ती क्रेडिट का दावा सीधे जीएसटी राजस्व को प्रभावित करता है चूंकि क्रेडिट करदाता की आउटपुट टैक्स देयता के प्रति समंजन के लिए पात्र है। इस प्रकार परिवर्ती क्रेडिट की लेखापरीक्षा को निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्न उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया:

- i. क्या परिवर्ती क्रेडिट के दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा अपनाया गया तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; और
- ii. क्या परिवर्ती क्रेडिट जो करदाता द्वारा जीएसटी व्यवस्था में लाये गए वो वैध और स्वीकार्य थे।

6.5 लेखापरीक्षा व्यापकता और नमूना

लेखापरीक्षा व्यापकता में करदाता द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अर्न्तगत नियत तिथि¹⁴⁸ से मार्च 2020 के अन्त तक दाखिल किए गए परिवर्ती क्रेडिट दावों के सीजीएसटी के घटक की समीक्षा शामिल थी। बोर्ड द्वारा चिह्नित किये गये शीर्ष 50,000 सीजीएसटी के परिवर्ती दावे (अंतरंग डाटा सैट) वह संख्या थी जिससे लेखापरीक्षा के लिए नमूने लिये गये। 50,000 मामलों एवम इनसे संबंधित आँकड़ों के समुह 8,514 मामलों के विश्लेषण के आधार पर एक आखिल भारतीय नमूना निम्न मापदण्ड के आधार पर लिया गया है:

- i. करदाता जिसने तालिका 5(ए) के अर्न्तगत परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था जो नियत तिथि से तुरंत पूर्ववर्ती अवधि के लिए दाखिल किए गए विरासतीय विवरणी के अनुसार उपलब्ध अंत सेनवैट क्रेडिट शेष से अधिक है।

¹⁴⁸ वह तारीख जिसको इस अधिनियम के प्रावधान लागू हुए अर्थात 1 जुलाई 2017

- ii. ऐसे करदाता जिनके सेनवैट दावों में नियत तिथि से तुरंत पहले वाले पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि दर्शायी गई थी।
- iii. विनिर्माताओं या सेवा प्रदाता के परिवर्ती दावे जिन्होंने तालिका 7(ए) के कालम 7बी के अंतर्गत परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया हो।
- iv. तदनुसूची विरासतीय आँकड़ों के बिना तालिका 5(ए) या 6(ए) में परिवर्ती दावे।

उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर, ये 50,000 मामले, दो स्तरों में श्रेणीकृत किए गए:

स्तर I: ऐसे करदाताओं की सूची जो किसी भी आँकड़ा विश्लेषण जांच को संतुष्ट करते हो, जो सत्यापन हेतु सम्भावित जोखिम प्रवण मामलों में शामिल हो;

स्तर II: ऐसे करदाता की सूची जो आँकड़ा विश्लेषण जांच को पूरा नहीं करते हैं, जो तुलनात्मक रूप में कम जोखिम प्रवण हैं।

8,514 मामलों का नमूना आकार ₹ 82,754.77 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता था और जो केन्द्रीय पक्ष में कुल क्रेडिट का लगभग 62 प्रतिशत था। 75 प्रतिशत नमूना आकार स्तर I से तथा 25 प्रतिशत स्तर II से लिया गया था। जोखिम और मूर्तरूपता के आधार पर स्कोरकार्ड अप्रोच का उपयोग प्रत्येक स्तर से अलग-अलग मामलों के चयन के लिए किया गया था। संबंधित कुल संख्या की तुलना में स्तरवार नमूना आकार और इसका प्रतिनिधित्व तालिका 6.2 में दिये गये हैं:

तालिका 6.2: संबंधित कुल संख्या की तुलना में स्तरवार नमूना आकार

विवरण	स्तर I	स्तर II
कुल संख्या*	28,813	20,240
नमूना आकार	6,392	2,122
कवरेज की प्रतिशतता	22.18	10.48

*एसे दावे जो ₹20 लाख से कम थे उनको 50,000 मामले से बाहर रखा गया।

8,514 दावों के नमूनों में से, 3,938 करदाता केंद्रीय कर अधिकार क्षेत्र तथा 4,573 करदाता राज्य जीएसटी अधिकार क्षेत्र¹⁴⁹ के अन्तर्गत है। नमूनों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उन नौ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के बीच वितरित किया गया जिनका प्रतिनिधित्व महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) करते हैं।

6.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

परिवर्ती क्रेडिट के दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनायी गयी कार्यप्रणाली में लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा सीमा का निर्धारण करने के लिए आँकड़ों का विश्लेषण था जिसके बाद क्षेत्रीय इकाइयों में रक्षित उस ट्रांस विवरणी से संबंधित रिकार्ड की समीक्षा करना; विभाग द्वारा अपनायी गयी सत्यापन प्रक्रिया; पता लगाए गए विचलन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई तथा परिवर्ती क्रेडिट के संबंध में प्रति क्षेत्राधिकार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया शामिल थी। इसमें चुनिंदा परिवर्ती क्रेडिट दावों की स्वतंत्र जांच भी सम्मिलित थी। एसएसओआईडी¹⁵⁰ द्वारा सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन के प्रयोगाधिकार का लाभ लेते हुए ट्रान विवरणी का सत्यापन किया गया जो अभिलेखों की अंतर्निहित समीक्षा से पूरित हैं जो लेखापरीक्षा कमिश्नरी या कार्यकारी कमिश्नरी के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार कार्यालय पर की गई है। इस रिपोर्ट में निहित परिणामों पर फरवरी 2022 में सीबीआईसी के साथ हुए निर्गम सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई।

मसौदा एसएससीए प्रतिवेदन 12 जनवरी 2022 को मंत्रालय को टिप्पणी हेतु जारी की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर 7 फरवरी 2022 को हुए निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग के साथ चर्चा की गयी। फरवरी 2022 में प्राप्त हुए मंत्रालय के उत्तर को अध्याय में जहां कही लागू हो, शामिल किया गया है।

¹⁴⁹ तीन मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

¹⁵⁰ सिंगल साईन आन आईडी (एसएसओआईडी) सीबीआईसी-जीएसटी एप्लीकेशन के लिए एक सुरक्षित प्रयोगाधिकार।

6.7 लेखापरीक्षा मापदंड

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रावधानों से सेनवैट क्रेडिट के अधिनियम को शासित करता है। सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित यह धारा और सीबीआईसी द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना/परिपत्र इस लेखापरीक्षा के लिए मापदंड बने।

6.8 कार्यक्षेत्र परिसीमन

परिवर्ती क्रेडिट की लेखापरीक्षा मुख्यतः विभाग द्वारा अनुरक्षित सत्यापन रिकार्ड की व्यापकता तथा करदाता द्वारा अनुरक्षित अन्तर्निहित अभिलेखों पर पहुँच पर निर्भर करती थी। चूंकि सत्यापन के लिए विभाग द्वारा चिन्हित जनसंख्या से नमूने का चयन हुआ था, जिस कारण यह परिकल्पित किया गया था कि सीबीआईसी की विभागीय क्षेत्रीय इकाइयाँ सत्यापन अभिलेखों और इससे संबंधी करदाताओं के आधारभूत अभिलेख उपलब्ध कराएंगी जिसने विभाग द्वारा किये जाने वाले सत्यापन के आधार को स्थापित किया, परिवर्ती क्रेडिट दावों के चयनित नमूनों की विस्तृत लेखापरीक्षा 9 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई।

माँग और अनुपालन के बावजूद सीबीआईसी विभागीय इकाइयाँ 954 दावों का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सकी। जिसके वजह से 11 प्रतिशत नमूना आकार जो ₹ 6,849.68 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का धोतक है, की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त 2,209 मामले जो कि ₹ 19,660.72 करोड़ के दावित क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करते थे उसके अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए चूंकि क्रेडिट की पात्रता को अवधारित करने वाले संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण सीमाक्षेत्र का महत्वपूर्ण परिसीमन हुआ। इसके साथ ही विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड व्यापक स्तर पर भिन्न थे और बहुत सारे अधिकार क्षेत्रों में सत्यापित मामलों के अभिलेखों का रखरखाव अपर्याप्त था।

क्षेत्राधिकारिक इकाइयों में सत्यापन रिकार्ड को प्रस्तुत न करने, आंशिक प्रस्तुत करने और अपर्याप्त रखरखाव के विवरण आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

6.8.1 रिकार्ड का प्रस्तुत न करना

अभिलेखों का क्षेत्राधिकार वार प्रस्तुत न करना तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सूचित अभिलेखों का प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का अंचल	नमूना		प्रस्तुत न करना	
	दावों की सं.	क्रेडिट की राशि	दावों की सं.	क्रेडिट की राशि
मेरठ	494	3,466.03	294	1,676.82
भोपाल	633	4,157.63	162	1,057.78
रांची	273	1,663.38	111	792.93
दिल्ली	333	2,071.34	70	593.34
लखनऊ	146	1,186.63	67	334.14
बंगलुरु	511	5,691.79	61	542.19
हैदराबाद	635	2,166.10	61	39.99
विशाखापट्टनम	406	1,871.16	48	204.62
मुंबई	435	23,987.95	21	500.03
चंडीगढ़	173	986.10	19	42.33
अन्य अंचल ¹⁵¹	4,475	35,506.66	40	1,065.51
कुल	8,514	82,754.77	954*	6,849.68

* टिप्पणी: इसमें से मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि 103 मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये हैं जो अलग से लेखापरीक्षित तथा प्रतिवेदित किये जाएंगे।

अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना, संख्या के रूप में नमूना आकार का 11 प्रतिशत था और दावा किए गए क्रेडिट की राशि के रूप में 8 प्रतिशत था। इन मामलों के लिए न ही विभागीय अभिलेख और न ही करदाता अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गए। शीर्ष 50 दावों जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हो सकी में ₹3,954.21 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट निहित है। इसमें से शीर्ष पाँच मामले की राशि ₹1,275.22 करोड़ थी।

मंत्रालय ने विस्तृत जवाब देते हुए (फरवरी 2022) इस बात को स्वीकार किया कि उसने 282 मामलों में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये, 250 मामलों में अभिलेखों को उपलब्ध न कराना स्वीकार नहीं किया और बताया कि शेष 422

¹⁵¹ कोलकाता- 13 मामले (₹ 449.95 करोड़), पुणे - 9 मामले (₹ 134.81 करोड़), चेन्नई - 5 मामले (₹ 17.06 करोड़), नागपुर - 5 मामले (₹ 22.17 करोड़), तिरुवनंतपुरम - 2 मामले (₹ 27.64 करोड़), वडोदरा - 4 मामले (₹ 410.31 करोड़), पंचकुला - 2 मामले (₹ 3.56 करोड़)

मामलों का समायोजन किया जा रहा था और यह आश्वासन दिया कि आने वाले समय में ये मामले उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

250 मामलों में से जिनमें मंत्रालय ने अभिलेखों के प्रस्तुत न करने को स्वीकार नहीं किया था, मंत्रालय का कहना था कि 95 मामलों में करदाता अभिलेखों के साथ सामने नहीं आये। यद्यपि विभाग ने करदाता से अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में कोशिश की, तथ्य यह रहता है कि वे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। शेष मामलों में या तो करदाता अलग क्षेत्राधिकार में आता था (52 मामले) या ऐसे मामले जो लेखापरीक्षा के लिए बाद में प्रस्तुत किये गये (103 मामले)। ऐसे मामले लेखापरीक्षा द्वारा बाद में समीक्षित किये जाएंगे।

6.8.2 अभिलेखों का आंशिक रूप से प्रस्तुत करना

अभिलेखों का क्षेत्राधिकारवार आंशिक प्रस्तुत करना तालिका 6.4 में दिया गया है। इन मामलों में क्रेडिट की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत अभिलेख¹⁵² प्रस्तुत नहीं किए गए।

तालिका 6.4: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सूचित अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुत करना

(₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का अंचल	नमूना		आंशिक उपलब्धता	
	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि
कोलकाता	1,232	3,188.24	917	2,157.56
पंचकुला	312	7,274.11	226	6,157.92
मेरठ	494	3,466.03	195	1,772.63
दिल्ली	333	2,071.34	167	1,164.26
गुवाहाटी	379	1,559.58	151	1,343.08
हैदराबाद	635	2,166.10	83	512.89
लखनऊ	146	1,186.63	79	852.50
विशाखापट्टनम	406	1,871.16	76	430.12
चेन्नई	582	7,024.07	67	1,099.35
अहमदाबाद	180	3,824.00	57	2,185.89
वडोदरा	234	3,454.18	53	867.98
अन्य क्षेत्र ¹⁵³	3,581	45,669.33	138	1,116.54
कुल	8,514	82,754.77	2,209*	19,660.72

*इसमें से मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि 333 मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनको अलग से लेखापरीक्षित तथा प्रतिवेदित किया जाएगा।

¹⁵² शुल्क प्रदत्त दस्तावेज, परिसम्पत्ति लेजर, भण्डार विवरण इत्यादि

¹⁵³ भोपाल - 50 मामले (₹ 53726 करोड़), चंडीगढ़ - 41 मामले (₹ 18406 करोड़), तिरुवनंतपुरम - 14 मामले (₹ 1435 करोड़), रांची - 25 मामले (₹ 31991 करोड़), जयपुर - 8 मामले (₹ 6096 करोड़)

अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुत करना संख्या के रूप में नमूना आकार का 26 प्रतिशत तथा दावा किये गये क्रेडिट की राशि राशि के रूप में 24 प्रतिशत था। इसमें से शीर्ष 50 मामलों द्वारा किये गये परिवर्ती क्रेडिट की राशि ₹ 11,347.81 करोड़ थी। आंशिक उपलब्धता के शीर्ष पांच मामले से संबंधित राशि ₹ 5,116.15 करोड़ थी।

उन मामलों में से जहां अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किये गये, 539 मामलों में लेखापरीक्षा ने अनियमितता पायी जिसमें परिवर्ती क्रेडिट दावे की राशि ₹ 6,606.34 करोड़ है जो संभावित जोखिम प्रकटन का सूचक है क्योंकि संबंधित आधारभूत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा द्वारा सभी परिकल्पित लेखापरीक्षा जाँच नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने विस्तृत उत्तर देते समय (फरवरी 2022), 980 मामलों में आंशिक प्रस्तुत करना स्वीकार किया, 638 मामलों में अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुत करने को स्वीकार नहीं किया और बताया कि शेष 591 मामलों में समायोजन किया जा रहा था और यह आश्वासन दिया कि सभी मामले आने वाले समय में प्रस्तुत किये जाएंगे।

638 मामलों में से जहाँ मंत्रालय ने अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुत करने को स्वीकार नहीं किया, मंत्रालय ने बताया कि 225 मामलों में करदाता अभिलेखों के साथ सामने नहीं आये। यद्यपि विभाग ने करदाता के साथ अभिलेखों को प्रस्तुत करने की कोशिश की लेकिन तथ्य यह है कि वे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। शेष मामलों में या तो करदाता किसी दूसरे क्षेत्राधिकार (80 मामले) में है या ऐसे मामले जो लेखापरीक्षा के लिए बाद में प्रस्तुत किये गये हैं (333 मामले)। ये मामले बाद में लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षित किये जाएंगे।

6.8.3 सत्यापन अभिलेखों का अपर्याप्त रखरखाव

परिवर्ती दावों का सत्यापन करने वाले तंत्र में क्षेत्राधिकारों के बीच अंतर था। कुछ क्षेत्राधिकारों में, लेखापरीक्षा कमिश्नरियों ने सत्यापन किया था जबकि अधिकतर क्षेत्राधिकारों में यह सत्यापन कार्यकारी कमिश्नरियों और लेखापरीक्षा

कमिश्नरियों दोनों द्वारा किया गया था। हालांकि, सीबीआईसी ने सीजीएस्टी परिवर्ती क्रेडिट के सत्यापन हेतु जांच समूह निर्धारित करते हुए मार्गदर्शन टिप्पणी¹⁵⁴ जारी की थी (मार्च 2018), इसमें विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निष्पादित सत्यापन प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण की प्रवृत्ति, सीमा और रखरखाव की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा कमिश्नरी और कार्यकारी कमिश्नरियों द्वारा अभिलेख के रखरखाव में काफी अंतर था और कई क्षेत्राधिकारों में अपर्याप्त था। 8,514 मामलों के नमूना आकार में से, जिनमें से 954 मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, विभाग ने 6,999 दावों का सत्यापन किया था। तथापि, 6,999 दावों में से 1,800 दावों से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। सत्यापन अभिलेखों की अप्रस्तुति के शीर्ष पांच मामलों में राशि ₹ 3,270 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सत्यापित 6,999 मामलों (आंशिक प्रस्तुत करने सहित) में से 1,132 मामलों (16.17 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाई; सत्यापन अभिलेखों के अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने सत्यापन अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के शीर्ष पांच मामलों पर प्रतिक्रिया दी (फरवरी 2022) और कहा कि चार मामलों में या तो सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है या सत्यापन प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा को प्रदान किया जा चुका है, जबकि एक मामले में मंत्रालय ने उचित समय पर जवाब देने का आश्वासन दिया।

अप्रस्तुतिकरण के अन्य मामलों के साथ साथ इन मामलों की अलग लेखापरीक्षा करने और प्रतिवेदित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

6.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह विचार करते हुए कि विस्तृत लेखापरीक्षा में प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य से मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रणालीगत और अनुपालन निष्कर्षों के रूप में वर्गीकृत किया गया

¹⁵⁴ अध्यक्ष सीबीआईसी संदर्भ - डीओएफ नं. 267/8/2018-सीएक्स, 8 दिनांक 14 मार्च 2018

है। जबकि, प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की चर्चा करते हैं, अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों से विचलनों की चर्चा करते हैं। जैसा कि उपर्युक्त पैरा 6.8 में बताया गया है, करदाताओं के अंतर्निहित अभिलेखों और विभागीय सत्यापन अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण में हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्ण परीसीमन हुआ। इस बाध्यता के विषयाधीन, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत परिवर्ती क्रेडिट मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा के परिणाम को आगामी पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

6.9.1 प्रणालीगत मुद्दे

प्रणालीगत मुद्दों में लक्ष्यों के प्रति कवरेज की व्यापकता, सत्यापन तंत्र में नीतिप्रक्रियागत अंतराल/, दोहरे नियंत्रण की चुनौतियां और वसूली प्रक्रिया की दक्षता के संदर्भ में विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र की समीक्षा शामिल थी।

विरासतीय और जीएसटी कानूनों दोनों के तहत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख ध्यान देने योग्य मुद्दों में से एक के रूप में परिवर्ती क्रेडिट सत्यापन को निर्दिष्ट किया था। बोर्ड ने परिवर्ती क्रेडिट दावों के मामलों की पहचान करते हुए, उन मामलों के सत्यापन को प्राथमिकता दी, जहां अक्टूबर 2016 और जून 2017 के बीच सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि दर्शाई गई थी। बोर्ड द्वारा जारी मार्च 2018 की मार्गदर्शन टिप्पणी में परिवर्ती क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए एक जाँचसूची शामिल थी और अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया था कि सीजीएसटी अधिकारियों के पास जीएसटी में करदाताओं के वर्तमान क्षेत्राधिकार पर जो भी हो (केंद्र या राज्य) ध्यान न देते हुए सीजीएसटी घटक के परिवर्ती क्रेडिट के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार है। सीबीआईसी क्षेत्राधिकार संरचनाओं ने मार्च 2019 तक पूरा होने वाले चार चरणों में सत्यापन आरंभ किया।

लेखापरीक्षा समीक्षा ने विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र में कमियों को दर्शाया। लक्ष्य पूर्ण करने की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी

सत्यापन प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी। सत्यापित मामलों के संबंध में, वसूली दर कम थी।

8,514 मामलों के लेखापरीक्षा नमूने में से, विभाग ने 1,515 मामलों (18 प्रतिशत) का सत्यापन नहीं किया और 1,042 मामलों (12 प्रतिशत) में वसूली कार्रवाई आरंभ भी नहीं की गई। इनमें से अधिकांशतः मामले अर्थात् 846 मामले सत्यापन के लिए लम्बित थे और वसूली कार्रवाई के लिए लंबित 562 मामले राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे जो यह दर्शाते हैं कि अधिनियम की धारा 6(1) के प्रावधानों को, दोहरे नियंत्रण स्थापित करते हुए मार्गदर्शन टिप्पणी में स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ अंचलो में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मेरठ और लखनऊ ज़ोन में, केंद्रीय कर कमिश्नरियों में/उनके बीच क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान न होने के कारण मामले सत्यापन हेतु लंबित थे।

6.9.1.1 सत्यापन की प्रगति

लेखापरीक्षा ने देखा कि 50,000 चिन्हित मामलों में से 8,849 मामले नवंबर 2021 तक सत्यापन हेतु लंबित थे। मंत्रालय ने इस विलंब के लिए करदाताओं द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना/आंशिक रूप से प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) की कार्रवाइयों के अंतर्गत इकाइयों का बंद/निष्क्रिय होना, उन मामलों में जहां दस्तावेज प्राप्त हुये थे और कारण बताओं नोटिस का जारी किया जाना और उनमें सत्यापन प्रगति पर होने को ज़िम्मेदार बताया। लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि सत्यापन में विलंब क्षेत्राधिकार मामलों से भी प्रभावित था:

(i) **अंतर क्षेत्राधिकार:** 8,849 मामलो में से जिनका अभी सत्यापन किया जाना है उनमें से 1,515 मामले लेखापरीक्षा नमूने में शामिल थे, जिनमें से 846 मामले, जो कि सत्यापन के लिए लम्बित मामलो का 56 प्रतिशत है, राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। यह मामला पांच अंचलों में प्रमुख रूप में था, जैसा कि तालिका 6.5 में दर्शाया गया है, जो यह दर्शाता है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत परिकल्पित दोहरे नियंत्रण प्रावधानों और विभाग की मार्गदर्शन टिप्पणी में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है कि सीजीएसटी अधिकारियों के पास सीजीएसटी के परिवर्ती क्रेडिट के सत्यापन का

क्षेत्राधिकार होगा, चाहे वर्तमान में करदाता का क्षेत्राधिकार कोई भी हो, इसे इन अंचलों में प्रभावीरूप से लागू नहीं किया जा सका।

तालिका 6.5: राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सत्यापन हेतु लंबित मामले

ज़ोन	दावे जिनका सत्यापन अभी किया जाना है	राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
दिल्ली	181	113
कोलकाता	668	400
मेरठ	119	93
भोपाल	98	53
पंचकुला	92	49
अन्य ज़ोन	357	161
कुल	1,515	846

(ii) **केन्द्रीय क्षेत्राधिकारिक संरचनाओं के मध्य समन्वय:** 21 ज़ोन में से 19 से सत्यापन के विलंब के कारणों पर सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। लखनऊ और मेरठ ज़ोन द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों से यह पता चलता है कि 318 मामले, जैसा कि तालिका 6.6 में वर्णित है, कमिश्नरी में या कमिश्नरियों के मध्य उस विभागीय इकाई, जिसे परिवर्ती क्रेडिट दावे को सत्यापित करना चाहिए था, पर निर्णय लेने हेतु समन्वय और स्पष्टता की कमी के कारण सत्यापित नहीं किए गए।

तालिका 6.6: क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के कारण सत्यापन के लिए लंबित मामले

ज़ोन	सीजीएसटी कमिश्नरी	सत्यापन हेतु लंबित मामले	क्षेत्राधिकार मुद्दे के कारण सत्यापित नहीं किए गए मामलों की संख्या		विलंबन की प्रतिशतता
			कमिश्नरी के भीतर	कमिश्नरियों के मध्य	
मेरठ	गाज़ियाबाद	181	81	10	50
मेरठ	नोएडा	318	133	44	56
लखनऊ	कानपुर	36	शून्य	31	86
मेरठ	जी बी नगर	29	12	7	66
	कुल	564	226	92	56

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2022) कि गाज़ियाबाद कमिश्नरी के सभी 81 मामलों को अधिकार क्षेत्र/मंडलों को पुनः आबंटित किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि कानपुर कमिश्नरी में कोई भी मामला सत्यापन हेतु अब लंबित नहीं है, और जीबी नगर कमिश्नरी में 29 में से 26 मामलो को

सत्यापित किया जा चुका है (शेष तीन मामले नोएडा कमिश्नरी को अग्रेणित कर दिए गए हैं)।

6.9.1.2 अपात्र दावों की वसूली हेतु अनुवर्ती उपाय

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप-नियम (3) के अंतर्गत गलत रूप से लिये गये और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता (ईसीएल)¹⁵⁵ में क्रेडिट किये गये परिवर्ती क्रेडिट की वसूली अधिनियम की धारा 73 या, जैसा भी मामला हो, धारा 74 के अंतर्गत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता का निर्धारण जाँच के परिणाम, निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और पाई गई अनियमितताओं के प्रति वसूली उपायों के आरंभन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वित्त मंत्रालय ने कहा (जून और नवम्बर 2021) कि परिवर्ती क्रेडिट दावों के सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹8,378 करोड़ के अनियमित आईटीसी का पता चला जिसमें से ₹3,135 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि पाई गई अनियमितताओं में से 4,172 करदाताओं से अभी वसूली की जानी शेष थी और वसूली की कम दर के मामले का विवाद करने वाले करदाताओं की अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद पता लगाने का अनुपालन नहीं करना और उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर करने को उत्तरदायी बताया।

4,172 मामलों में से जहाँ वसूली आरंभ नहीं की गई थी, 1042 मामलों को जो हमारे नमूने में शामिल थे उनमें से 562 मामले राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। विस्तृत लेखापरीक्षा में हमने देखा कि 32 दावे, जहाँ सत्यापन के परिणामतः ₹68.89 करोड़ के अपात्र क्रेडिट का पता चला, वहाँ सत्यापन के दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वसूली कार्रवाई आरंभ नहीं की गई। वसूली कार्रवाई आरंभ करने में अत्यधिक विलंब के कारण सरकार को देय राजस्व की वसूली में बाधा उत्पन्न होने की संभावना थी। एक सोदाहरण मामला नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा अहमदाबाद दक्षिण केंद्रीय कर कमिश्नरी के अंतर्गत एक करदाता के परिवर्ती क्रेडिट दावों के सत्यापन के परिणामस्वरूप

¹⁵⁵ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 49(2) के अंतर्गत उल्लिखित लेजर को संदर्भित करता है, जिसमें दावा की गई आईटीसी की राशि क्रेडिट की जाएगी।

शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, कृषि कल्याण उपकर तथा स्वच्छ उर्जा उपकर, जिनकी कुल राशि ₹ 23.58 करोड़ थी, के क्रेडिट के अपात्र अग्रेणित किए जाने का पता चला (सितम्बर 2018)। करदाता विभाग के तर्क से सहमत नहीं था और उसने दावाकृत अनियमित क्रेडिट को वापस नहीं किया। तथापि, विभाग ने सत्यापन किए जाने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इंगित किए गए अपात्र क्रेडिट को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

जब लेखापरीक्षा ने यह बताया (मार्च 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि सक्षम प्राधिकारी को मसौदा एससीएन प्रस्तुत किया गया था।

6.9.1.3 निष्कर्ष और सिफारिशें

कुल मिलाकर, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों में से 37 प्रतिशत मामले या तो लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए या आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए, जिसके कारण लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र काफी सीमित रह गया। इसके अतिरिक्त, अधिकांश क्षेत्राधिकारों द्वारा मूल सत्यापन अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किये गये।

एक प्रणाली के नज़रिये से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि विभाग ने 2018-19 के लिए प्राथमिकता के रूप में सत्यापन हेतु शीर्ष 50,000 मामलों की पहचान की थी, यह कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ था, और विभाग द्वारा 8,849 मामलों का सत्यापन अभी किया जाना था। पता लगायी गयी अनियमितताओं की वसूली की दर कम थी। अंतर क्षेत्राधिकारिक मामले और कुछ अंचलों में केंद्रीय कर क्षेत्राधिकारों में समन्वयन की कमी से सत्यापन और वसूली कार्रवाई आरंभ करने में बाधा आई। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं;

विभाग को चाहिये कि:

1. उन मामलों के अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना जिसके कारण परिकल्पित लेखापरीक्षा जांच पूर्ण नहीं की जा सकी। इनकी समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा बाद में की जाएगी।

2. क्षेत्राधिकारिक सरंचनाओं के सत्यापन अभिलेखों के अपर्याप्त रखरखाव के मुद्दे को देखना क्योंकि वे वर्तमान रूप में समीक्षा योग्य नहीं है।
3. राज्य प्रशासन के अधीन करदाताओं द्वारा दावा किए गए परिवर्ती क्रेडिट के सीजीएसटी भाग के उन अंचलों से सत्यापन में तेजी लाएं जहां अधिकांश गैरसत्यापित मामले राज्य कक्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

मंत्रालय ने सत्यापन की अद्यतन स्थिति प्रदान की और कहा (फरवरी 2022) कि 4,770 अन्य मामलों को सत्यापित किया गया था और 4,079 मामले सत्यापन के लिए लंबित थे, और कि अनियमित आईटीसी का पता लगाना ₹10,965.91 करोड़ तक बढ़ गया था, जिनमें से ₹3,596.10 करोड़ वसूल किए जा चुके थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बोर्ड परिवर्ती क्रेडिट दावों के शीघ्र सत्यापन की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा था।

6.9.2 अनुपालन मुद्दे

अनुपालन मुद्दे करदाताओं द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए परिवर्ती क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान 1 और ट्रान 2 फार्म, जैसा लागू हो, की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं¹⁵⁶ में परिवर्ती क्रेडिट का दावा करना अपेक्षित था। मोटे तौर पर, इन तालिकाओं में विरासतीय विवरणी ईआर 1 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) और एसटी 3 (सेवा कर) से अग्रेणित किए गए सेनवेट क्रेडिट के संबंध में क्रेडिट, पूंजीगत माल के संबंध में प्राप्त न किया गया सेनवेट क्रेडिट, भंडार में रखे गए इनपुट/अर्ध तैयार माल/तैयार माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट और पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के संबंध में क्रेडिट का प्रावधान किया गया है। लेखापरीक्षा के लिए पहचान किये गये नमूनों ने इन तालिकाओं में से प्रत्येक के तहत दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा समीक्षा ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 की उपधाराओं, धारा 142 (11) के साथ साथ धारा-50

¹⁵⁶ ट्रान 1-तालिकाएं: 5 (ए) - विरासतीय विवरणियोंका अंत क्रेडिट शेष; 6 (ए) - पूंजीगत माल पर न लिया गया क्रेडिट; 7ए (ए) - बीजकों के साथ शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट; 7ए (बी) - बीजकों के बिना शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट; 7 (बी) - मार्गस्थ इनपुट या इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट; 8 - केंद्रीय रूप से पंजीकृत इकाईयों द्वारा क्रेडिट का अंतरण; 11 - अग्रिमों पर प्रदत्त कर का क्रेडिट: ट्रान 2 -तालिका 4: बीजकों के बिना भंडारों पर दिया गया क्रेडिट

(1) ब्याज जो की भुगतान से संबंधित विनियमित विभिन्न श्रेणियों में करदाताओं के परिवर्ती क्रेडिट दावों में महत्वपूर्ण अनियमितताओं का खुलासा किया। लेखापरीक्षित नमूने में देखे गए अनुपालन विचलनों के स्वरूप और सीमा का सार तालिका 6.7 में दिया गया है:

तालिका 6.7: अभ्युक्तियों के स्वरूप और विचलन दरों का सार

अभ्युक्तियों का स्वरूप	लेखापरीक्षित नमूने		देखी गयी कमियां		लेखापरीक्षित नमूने की प्रतिशतता के रूप में कमियां	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
परिवर्ती किया गया अपात्र शुल्क - सभी तालिकाएं	7,560	75,905.09	299	52.57	3.96	0.07
अंत शेष पर अनियमित दावा- तालिका 5(ए)	5,164	61,547.78	335	502.20	6.49	0.83
पूँजीगत माल पर प्राप्त न लिए गए क्रेडिट पर अनियमित दावा- तालिका 6(ए)	3,279	2,740.53	402	231.02	12.26	8.43
दस्तावेजों के साथ भण्डार में शुल्क प्रदत्त माल का अपात्र क्रेडिट- तालिका 7 (ए) ए	4,151	7,262.27	148	56.48	3.57	0.78
दस्तावेजों के बिना भण्डार में शुल्क प्रदत्त माल का अपात्र क्रेडिट- तालिका 7(ए) बी	579	260.02	75	13.18	12.95	5.06
पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट -तालिका 7 (बी)	3,514	3,842.89	397	75.29	11.30	1.96
केंद्रीय रूप से पंजीकृत इकाइयों द्वारा अनियमित क्रेडिट- तालिका 8	254	*	7	20.97	2.76	
वैट और सेवा कर को आकर्षित करने वाली आपूर्ति पर प्रदत्त कर का अनियमित क्रेडिट-तालिका 11	373	465.67	23	25.83	6.17	5.55
कुल			1,686	977.54		

* क्रेडिट को पहले ही अंत शेष श्रेणी के तहत दर्शाया गया है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा में ₹ 977.54 करोड़ की राशि के 1,438 मामलों में 1,686 अनियमितताएं पाई गईं। निम्नलिखित श्रेणियों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में अनियमितताएं पाई गई थीं अर्थात्; दस्तावेजों के बिना भण्डार में शुल्क प्रदत्त माल का अपात्र क्रेडिट, पूँजीगत माल

पर प्राप्त न किये गये क्रेडिट पर अनियमित दावा, पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट और अंत शेष पर अनियमित दावा। जिन 1,438 मामलों में लेखापरीक्षा नमूने में अनियमितताएं पाई गई थीं, उनमें से 1,132 मामलों का विभाग द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका था। पाई गई अनियमितताओं की राशि 1,132 मामलों में जिन्हें विभाग द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका था ₹ 735.69 करोड़ थी।

अनुपालन विचलन के स्वरूप और व्यापकता का आगामी पैराग्राफों में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। प्रत्येक खंड में, भौतिकता पर एक परिप्रेक्ष्य के लिए, जीएसटीएन से निकाले गए संबंधित मामलों की कुल संख्या प्रदान करते समय हमने लेखापरीक्षा नमूने में कुल संख्या के शीर्ष 100 मामलों¹⁵⁷ का प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया है और इन मामलों में देखे गए विचलनों को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। इसके अलावा, जीएसटीएन में परिवर्ती क्रेडिट आँकड़ों के विश्लेषण के परिणाम को उचित रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा, हमने सामान्यतौर पर प्रत्येक खंड में देखी गई शीर्ष पांच अनियमितताओं के धन मूल्य को शामिल किया है और विचलन के स्वरूप और महत्व के मूल्यांकन के लिए निदर्शी मामलों को दर्शाया है।

6.9.2.1 अपात्र शुल्कों का अग्रोनयन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में मौजूदा कानूनों के तहत इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त पात्र शुल्कों को जीएसटी व्यवस्था में ले जाने का प्रावधान है। धारा के प्रयोजन के लिए पात्र शुल्कों को धारा के तहत स्पष्टीकरण 1 और 2 के तहत परिभाषित किया गया है। दिनांक 29 अगस्त 2018 के सीजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 31) के तहत एक पूर्वव्यापी प्रभाव वाला

अंतरित किए गए अपात्र शुल्क

कुल 299 करदाताओं ने ₹ 52.57 करोड़ की राशि के अपात्र शुल्क का दावा किया।
तालिका 5(ए) - ₹ 42.95 करोड़ के अपात्र शुल्क वाले 259 दावे।
तालिका 7(ए)ए - ₹ 2.64 करोड़ के अपात्र शुल्क वाले 15 दावे।
तालिका 7(बी) - ₹ 0.46 करोड़ वाले 16 दावे।
तालिका 8 - ₹ 0.23 करोड़ वाला एक दावा।
तालिका 11 - ₹ 6.27 करोड़ वाले 12 दावे।

¹⁵⁷ (कुछ खंडों में 100 मामलों से कम जहां दावे तुलनात्मक रूप से कम थे।)

संशोधन किया गया था, जिसने अधिनियम की धारा 140 के तहत 'सेनवेट क्रेडिट' की प्रयोज्यता को 'पात्र शुल्कों के सेनवेट क्रेडिट' तक सीमित कर दिया था, जैसा कि उसके अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण 3 में विशेष रूप से किसी भी उपकर को हटा दिया गया है जिसे स्पष्टीकरण 1 या 2 में निर्दिष्ट नहीं किया गया है और कोई भी उपकर जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में एकत्र किया गया है, को पात्र शुल्कों के क्रेडिट की अभिव्यक्ति से बाहर रखा गया है।

इस प्रकार, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के सेनवेट क्रेडिट जीएसटी में बदलने के लिए पात्र शुल्क नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने 7,560 परिवर्ती क्रेडिट दावों की जांच की जिसमें ₹ 75,905.09 करोड़ के कुल परिवर्ती क्रेडिट शामिल थे। इनमें अधिनियम की धारा 140 के तहत विभिन्न उप-धाराओं के तहत दावों को शामिल किया गया, जिन्हें ट्रान 1 विवरणी की विभिन्न तालिकाओं के तहत प्रस्तुत किया गया। इन मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 299 मामलों में गैर-अनुपालन पाया, जिसमें ₹ 52.57 करोड़ की राशि के अपात्र शुल्कों का दावा शामिल था। विचलन अग्रणीत अपात्र उपकर क्रेडिट; वैट पर दावा किये गये क्रेडिट; और व्यक्तिगत खाता लेखा (पीएलए)¹⁵⁸ शेषों पर दावा किए गए क्रेडिट की श्रेणी में थे।

जब यह बताया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 31.05 करोड़ की अपात्र राशि वाले 161 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से 121 मामलों में ₹ 13.41 करोड़ की वसूली की गई।

इस श्रेणी के अंतर्गत पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 15.83 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

भुवनेश्वर केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत भण्डार में रखे गए कोयले पर प्रदत्त शुल्क के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसकी राशि

¹⁵⁸ पीएलए केंद्रीय उत्पादशुल्क को जमा करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 8 की एक अनिवार्य आवश्यकता है; परिपत्र संख्या 249/83/96-सीएक्स दिनांक 11 अक्टूबर 1996।

₹ 3.07 करोड़ थी। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवर्ती क्रेडिट में ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7(ए)ए में कोयले पर ₹ 2.56 करोड़ का स्वच्छ ऊर्जा उपकर शामिल था, जो पात्र नहीं था।

जब यह बताया गया (जुलाई 2021), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता द्वारा दावा किए गए अपात्र क्रेडिट की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

6.9.2.2 अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंत शेष (ट्रान 1 की तालिका 5(ए))

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने ईसीएल में निर्धारित दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेणित पात्र शुल्कों के सेनवेट क्रेडिट की राशि लेने का हकदार होगा, जो मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा ऐसे तरीके में प्रस्तुत किया गया हो जैसाकि निर्धारित किया जाए। पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (i) जहां क्रेडिट की उक्त राशि अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अस्वीकार्य है; अथवा
- (ii) जहां उसने निर्धारित तिथि से ठीक पहले छह महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी विवरणी प्रस्तुत नहीं किए हैं; अथवा
- (iii) जहां क्रेडिट की उक्त राशि ऐसी छूट अधिसूचना के तहत विनिर्मित और निकासी किए गए माल से संबंधित है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है

इस धारा के तहत दावे के लिए ट्रान 1 विवरणी की तालिका 5 (ए) निर्दिष्ट की गई थी। अखिल भारतीय आधार पर, कुल 1,07,408 करदाताओं ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत विरासतीय विवरणी से अग्रेणित ₹ 89,407.95 करोड़ की राशि के सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इस श्रेणी के तहत शीर्ष 100 दावे इस श्रेणी में दावा किए गए कुल

परिवर्ती क्रेडिट का 48 प्रतिशत बनते थे। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के तहत 5,164 दावों की जांच की, जिनमें से 64 दावे शीर्ष 100 दावों में से थे।

लेखापरीक्षा ने ₹ 502.20 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 335 दावों में विचलन देखा, जिसमें शीर्ष 100 दावों में से नौ दावे शामिल थे। विचलन अग्रेणित अपात्र क्रेडिट; विरासतीय विवरणी दाखिल किए बिना दावा किए गए क्रेडिट; और अधिक क्रेडिट अग्रेणित की श्रेणियों में थे।

(i) अग्रेणित अपात्र क्रेडिट

नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए दाखिल विरासतीय विवरणी से अग्रेणित किए जाने वाले क्रेडिट की पात्रता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत निर्धारित की गई थी। पंजीकृत व्यक्ति किसी भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट का हकदार नहीं है जब तक कि एक शुल्क प्रदत्त दस्तावेज उसके कब्जे में न हो और उसे माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त न हों।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17 उन आपूर्तियों का स्वरूप निर्दिष्ट करती है जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं क) एक अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए आपूर्ति की गई निर्माणकार्य संविदा सेवाएं, सिवाय इसके कि यह निर्माण कार्य संविदा सेवाओं की आगे की आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा है और ख) माल या सेवाएं या दोनों एक कर योग्य व्यक्ति स्वयं द्वारा एक अचल संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त की जाती हैं जिसमें वह शामिल है जब ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग कारबार को आगे बढ़ाने के दौरान किया जाता है।

लेखापरीक्षा में 91 दावों में अनियमितताएं देखी गईं, जिनमें ₹ 174.18 करोड़ की राशि का अपात्र क्रेडिट परिवर्ती किया गया था। इस श्रेणी में परिवर्ती किए गए अपात्र क्रेडिट भवनों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण कार्य संविदा सेवाओं; स्वयं के लिए भवनों के निर्माण के लिए उपयोग किए गए इनपुट; करदाताओं द्वारा प्राप्त नहीं की गई सेवाओं या माल पर दावा किये गये क्रेडिट; और कालबाधित दस्तावेजों पर दावा किए गए क्रेडिट के कारण थे।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 66.64 करोड़ की अनियमित राशि वाले 26 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 11 मामलों में ₹ 17.78 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 82.31 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) भुवनेश्वर केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत ₹ 54.75 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को अग्रेणित किया था। जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एसटी 3 विवरणी के अनुसार उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष को ट्रान् 1 विवरणी की तालिका 5 (ए) के तहत जीएसटी में अग्रेणित किया गया था। दावे की संवीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट में टीएमटी बार जैसे इनपुट और सिकरेगा निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण कार्य संविदा सेवाओं जैसी इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट शामिल था। चूंकि करदाता निर्माण कार्य संविदा सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न नहीं था, इसलिए इन श्रेणियों में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए अपात्र इनपुट और सेवाओं के कारण ₹ 30.31 करोड़ का दावा किया गया क्रेडिट परिवर्ती होने के लिए पात्र नहीं था।

जब यह बताया गया (फरवरी 2021), तो मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता से अपात्र क्रेडिट की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

ख) बेलगाम केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक करदाता विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत सीमेंट का विनिर्माता था। करदाता ने अपनी विरासतीय विवरणी से अग्रेणित किए गए ₹ 21.45 करोड़ की राशि के सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने नवंबर 2015 से अपने विनिर्माण कार्यकलाप को पूरी तरह से बंद कर दिया था और तब से विनिर्मित उत्पादों की कोई निकासी नहीं हुई। हालांकि, करदाता ने 2016-17 के दौरान ₹ 19.07 करोड़ के पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर

सेनवेट क्रेडिट का दावा किया था। चूंकि कर योग्य कार्यकलाप के लिए विनिर्माता की फैक्टरी में माल या सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए ₹ 19.07 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट दावा शुरू में ही अपात्र था।

जब यह बताया गया (अक्टूबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि करदाता उत्पादन शुरू करने का इच्छुक था और तदनुसार क्रेडिट का दावा किया गया था। हालांकि, कुछ नीतिगत मुद्दों के कारण उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका। क्रेडिट पात्र है क्योंकि न तो मौजूदा कानून और न ही जीएसटी कानून ने सेनवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेनवेट क्रेडिट केवल तभी पात्र था जब माल या सेवाओं का उपयोग सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ए)(के)(एल)के अनुसार शुल्क योग्य माल के विनिर्माण या कर योग्य सेवाओं के प्रावधान के लिए किया गया हो। इस मामले में, चूंकि फैक्टरी को बंद कर दिया गया था और कोई विनिर्माण कार्यकलाप नहीं हो रहा था, माल और सेवाओं का उपयोग सेनवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए कर योग्य कार्यकलाप के लिए नहीं किया गया था।

(ii) विरासतीय विवरणी दाखिल किए बिना क्रेडिट का दावा

धारा 140 (1) के तहत परिवर्ती क्रेडिट केवल तभी स्वीकार्य है जब करदाता ने निर्धारित तिथि से ठीक पहले छह महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी विवरणी प्रस्तुत किए हों। इस श्रेणी के तहत परिवर्ती क्रेडिट दावों के अखिल भारतीय आँकड़ों के विश्लेषण (तालिका 5(ए)) से पता चला कि 34,824¹⁵⁹ करदाता, जिन्होंने जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विरासत विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया था, ने ₹ 43,548.32 करोड़ की राशि के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था।

¹⁵⁹ उन करदाताओं के लिए जीएसटीएन से निकाले गये आँकड़े जिन्होंने विरासतीय विवरणी दाखिल नहीं की थी/एसटी, सीई के तहत नियत तारीख के अन्दर दाखिल नहीं की थी परन्तु तालिका 5(ए) में परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था।

नमूना मामलों की विस्तृत जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने 30 दावे ऐसे पाए जहां करदाताओं ने विरासतीय विवरणी दाखिल किए बिना सेनवेट क्रेडिट को अग्रेणित किया था। इन मामलों में क्रेडिट के अनियमित परिवर्ती करने की राशि ₹ 60.32 करोड़ थी।

जब यह बताया गया, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 3.30 करोड़ की अपात्र राशि के तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया गया और दो मामलों में ₹ 21.71 करोड़ वसूल किये गये।

इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 21.71 करोड़ बनती थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 5 (ए) के तहत विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क (ईआर 1) और सेवा कर (एसटी 3) विवरणी से अग्रेणित सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट की ₹ 12.01 करोड़ की राशि का दावा किया था। नियत दिन से ठीक पहले के महीने के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत ईआर 1 और एसटी 3 विवरणी में अग्रेणित किए गए क्रेडिट की राशि क्रमशः ₹ 4.07 करोड़ और ₹ 7.94 करोड़ थी। करदाता ने नवंबर 2017 के महीने के दौरान उपरोक्त दावे के लिए ट्रान 1 विवरणी दाखिल किया था और यह राशि 27 दिसंबर 2017 को ईसीएल को क्रेडिट की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने जून 2017 के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए ट्रान 1 विवरणी दाखिल करते समय एसटी 3 विवरणी दाखिल नहीं किया था। उक्त अवधि के लिए एसटी 3 विवरणी, ट्रान 1 दाखिल करने की तारीख से लगभग 10 महीने बीतने के बाद सितंबर 2018 के महीने के दौरान दाखिल किया गया था। इसलिए, करदाता उस विवरणी के संबंध में जिसे परिवर्ती क्रेडिट का दावा करते समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। सेनवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं था, अपात्र परिवर्ती क्रेडिट की राशि ₹ 7.94 करोड़ था।

जब इसे बताया गया (अक्टूबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी।

(iii) विरासतीय विवरणी से अग्रेणित किया गया अधिक क्रेडिट

मौजूदा कानून के तहत नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए करदाता द्वारा प्रस्तुत विवरणी में शेष सेनवेट क्रेडिट धारा के तहत परिवर्ती होने के लिए पात्र था। विरासतीय व्यवस्था के तहत, प्रत्येक निर्धारिती को सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 (5) के तहत यथा निर्दिष्ट एसीईएस प्रणाली (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करना पड़ता था। इस संदर्भ में, एसीईएस प्रणाली में उन परिवर्ती क्रेडिट दावों को चिह्नित करने के लिए एक रैड फ्लैग सुविधा शामिल थी जहां करदाता द्वारा अग्रेणित क्रेडिट केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर के तहत दाखिल अंतिम विवरणी के साथ प्रणाली के अनुसार नहीं था।

इस श्रेणी के तहत दावों के अखिल भारतीय आँकड़ों में विश्लेषण ने ₹ 1,048.07 करोड़ की राशि के 828 मामलों¹⁶⁰ में संभावित अधिक दावे का खुलासा किया, जिसमें करदाताओं ने जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दाखिल विरासतीय विवरणी में शेष सेनवेट क्रेडिट से अधिक क्रेडिट को स्थानांतरित किया था।

नमूना मामलों की विस्तृत जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 214 दावों में करदाताओं ने नियत दिन से पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत विरासतीय विवरणी में क्रेडिट शेषों से अधिक ₹ 267.70 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को स्थानांतरित कर दिया था।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 71.64 करोड़ की अनियमित राशि वाले 97 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 36 मामलों में ₹ 6.28 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताओं की राशि ₹ 85.97 करोड़ थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

¹⁶⁰ विरासतीय विवरणी में सेनवेट क्रेडिट शेष से अधिक आईटीसी दावों वाले जीएसटीआईएन

मुंबई पूर्व केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत विरासतीय विवरणी से अग्रेणित सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जो ₹ 0.44 करोड़ की राशि थी। दावा किया गया क्रेडिट 27 दिसंबर 2017 को उनके ईसीएल में परिलक्षित हुआ था। दावे की संवीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता के ईसीएल को 16 जनवरी 2019 को पुनः ₹ 19.62 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट के साथ क्रेडिट किया गया था, जिसके लिए विरासतीय विवरणी के अनुसार क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ₹ 19.62 करोड़ की राशि का दावा किया गया क्रेडिट प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

जब इसे बताया गया (जुलाई 2021), तो मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता को अधिक क्रेडिट को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

6.9.2.3 पूंजीगत माल पर न लिया गया क्रेडिट (टान 1 की तालिका 6 (ए))

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (2) के अनुसार, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत एक विवरणी में अग्रेणित न किए गए पूंजीगत माल के सम्बन्ध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट का क्रेडिट अपने ईसीएल में लेने का हकदार होगा। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

न लिए गए सेनवेट क्रेडिट का अर्थ है वह राशि जो मौजूदा कानून के तहत कर योग्य व्यक्ति द्वारा पूंजीगत माल के संबंध में पहले से लिए गए सेनवेट क्रेडिट की राशि को सेनवेट क्रेडिट की कुल राशि से घटाने के बाद शेष रहती है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत उक्त पूंजीगत माल के संबंध में हकदार था।

पूँजीगत माल के अप्राप्त भाग के संबंध में क्रेडिट का दावा ट्रान 1 विवरणी की तालिका 6 (ए) में किया जाना था। कुल 19,244 करदाताओं ने ₹ 4,311.75 करोड़ की राशि के पूँजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इस श्रेणी के तहत शीर्ष 100 दावे इस श्रेणी के तहत दावा किए गए कुल परिवर्ती क्रेडिट का 58 प्रतिशत बनते थे। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी में 3,279 दावों की जांच की, जिसमें शीर्ष 100 दावों में से 64 शामिल हैं, जो इस श्रेणी के तहत दावा किए गए कुल परिवर्ती क्रेडिट के 33 प्रतिशत को कवर करते हैं।

लेखापरीक्षा में 402 दावों में अनियमितताएं देखी गईं, जिनमें शीर्ष 100 दावों में से 17 दावे शामिल थे, जिसमें ₹ 231.02 करोड़ की राशि का अनियमित परिवर्ती क्रेडिट शामिल था। विचलन अनियमित क्रेडिट का दावा करने के कारण; और पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के प्राप्त न किए गए भाग के रूप में पूँजीगत माल पर 100 प्रतिशत क्रेडिट का लाभ उठाने के कारण थे, जो अस्वीकार्य था।

(i) दावा किया गया अनियमित क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत परंतुक के अनुसार, परिवर्ती क्रेडिट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि क्रेडिट मौजूदा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2 (ए) के अनुसार, पूँजीगत माल का अर्थ उन माल से है, जिनका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया गया था:

1. अंतिम उत्पादों के विनिर्माता की फैक्टरी में उपयोग, लेकिन एक कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण या उपकरणों को शामिल नहीं।

2. आउटपुट सेवाएं प्रदान करने के लिए

इस प्रकार, पूँजीगत माल पर क्रेडिट केवल उन माल पर स्वीकार्य है, जिनका उपयोग मौजूदा कानूनों के तहत विनिर्माण या सेवाओं के उपलब्ध कराने में

किया गया था, और जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।

27 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 45.05 करोड़ के पूंजीगत माल पर अनियमित क्रेडिट का दावा किया था। विचलन उन पूंजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट के कारण थे, जो मौजूदा कानूनों के तहत क्रेडिट के लिए अपात्र थे।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 31.21 करोड़ की अनियमित राशि वाले 12 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और चार मामलों में ₹ 0.73 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 40.07 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) भुवनेश्वर केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत पूंजीगत माल पर अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। विनिर्माण इकाई के लिए अप्रैल 2017 के दौरान आयातित नाइट्रिक एसिड और अमोनियम संयंत्रों के घटकों और भागों पर क्रेडिट का दावा किया गया था। इन माल पर ₹ 29.07 करोड़ की राशि का दावा किया गया क्रेडिट दिसंबर 2017 के दौरान करदाता के ईसीएल को क्रेडिट किया गया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पूंजीगत माल को एक गोदाम में संग्रहीत किया गया था जैसा कि प्रविष्टि बिल में कहा गया और करदाता ने न तो उत्पादन की फैक्टरी में माल प्राप्त किया था और न ही मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत माल पर सेनवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए विनिर्माण कार्यकलाप के लिए उनका उपयोग किया था। इसलिए, उनकी विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ईआर-1) में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था और पूरी राशि का जीएसटी परिवर्ती प्रावधानों के तहत सेनवेट क्रेडिट के प्राप्त न किए गए हिस्से के रूप में दावा किया गया था। धारा 140 (2) के तहत परंतुक के अनुसार, करदाता सेनवेट क्रेडिट के प्राप्त न किए गए हिस्से के परिवर्ती होने के लिए केवल तभी पात्र था, जब क्रेडिट की मौजूदा कानून के तहत भी हकदारी बनती हो, जिसे इस मामले में पूरा नहीं किया गया था। इसलिए, विनिर्माण के लिए

उपयोग नहीं किए जाने वाले माल के संबंध में ट्रान 1 विवरणी की तालिका 6 (ए) के तहत करदाता द्वारा दावा किया गया परिवर्ती क्रेडिट अनियमित था। इस मामले में परिवर्ती किए गए अनियमित क्रेडिट की राशि ₹ 29.07 करोड़ थी।

जब इसे बताया गया (मार्च 2021), तो मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता राज्य के अधिकार क्षेत्र में था और अनियमित क्रेडिट की वसूली के लिए ड्राफ्ट कारण बताओ नोटिस अग्रेणित किया जाएगा।

ख) गुवाहाटी केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 6 (ए) के तहत पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसकी राशि ₹ 4.44 करोड़ थी। करदाता को सेवा कर प्रावधानों (AAACB2894GST036) के तहत तत्कालीन केंद्रीकृत पंजीकरण के तहत कवर किया गया था, जिसके लिए गुरुग्राम केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत आने वाली केंद्रीकृत इकाई (06AAACB2894G1ZR) द्वारा पहले ही सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (8) के अनुसार परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया जा चुका था। इसके अलावा, गुड़गांव इकाई द्वारा दावा किए गए क्रेडिट को तत्कालीन केंद्रीकृत पंजीकरण के तहत कवर की गई इकाइयों के बीच भी वितरित किया गया था। इस प्रकार, केंद्रीकृत पंजीकरणकर्ता की अन्य इकाइयां अधिनियम के परिवर्ती क्रेडिट प्रावधानों के लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं थीं। इस प्रकार, गुवाहाटी इकाई द्वारा दावा किया गया ₹ 4.44 करोड़ की राशि का परिवर्ती क्रेडिट, तत्कालीन केंद्रीकृत पंजीकरण के तहत कवर की गई इकाइयों में से एक होने के नाते, अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत अनियमित था।

जब यह बताया गया (अगस्त 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि करदाता को राजस्व की रक्षा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में धारा 140 (2) के तहत ₹ 159.22 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा करते हुए केंद्रीकृत पंजीकरण के तहत कवर किए गए उसी करदाता की अन्य पंजीकृत इकाइयों से संबंधित 19 अन्य मामलों को देखा गया। चूंकि

केंद्रीकृत इकाई ने पहले ही परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था और अधिनियम की धारा 140 (8) के अनुसार केंद्रीकृत पंजीकरण के तहत कवर की गई इकाइयों को क्रेडिट वितरित किया था, इसलिए अन्य पंजीकृत इकाइयों के इन अलग-अलग दावों में अनियमित क्रेडिट का संभावित जोखिम प्रकटन होता है।

(ii) पूंजीगत माल पर 100 प्रतिशत क्रेडिट का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट का प्राप्त न किया गया भाग उन माल के संबंध में क्रेडिट के शेष का घोटक है जिस पर क्रेडिट का हिस्सा पहले ही विरासतीय नियमों के तहत लिया गया था। सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 4 (2) (ए) के अनुसार, किसी वि.व. में किसी भी समय पूंजीगत माल के संबंध में क्रेडिट केवल उतनी राशि जो उसी वि.व. में ऐसे पूंजीगत माल पर प्रदत्त शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक न हो के लिए लिया जाएगा। इसलिए, इस धारा में उन पूंजीगत माल के संबंध में क्रेडिट के 50 प्रतिशत के परिवर्ती होने का प्रावधान है, जिस पर विरासतीय विवरणी के तहत क्रेडिट का दावा किया गया था। यह प्रतिबंध उन माल पर क्रेडिट के संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है जो या तो क्रेडिट के लिए अपात्र हैं या जिन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत सेनवेट क्रेडिट भाग पर मूल्यहास के लाभ का दावा किया गया था।

यह मत बोर्ड की मार्गदर्शन टिप्पणी के पैरा 5.1 में व्यक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा में 375 दावों में अनियमितताएं पाई गईं जिनमें करदाताओं ने पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के प्राप्त न किए गए हिस्से के रूप में पूंजीगत माल पर 100 प्रतिशत क्रेडिट का दावा किया था। इन दावों में शामिल अनियमित परिवर्ती क्रेडिट ₹ 185.96 करोड़ था।

जब यह बताया गया, तो विभाग ने ₹ 43.31 करोड़ की अनियमित राशि के साथ 124 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, और 28 मामलों में ₹ 2.78 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गईं शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 74.23 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

उदयपुर केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के

प्राप्त न किए गए हिस्से के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसकी राशि ₹ 15.56 करोड़ थी। दावे की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने पूंजीगत माल के संबंध में 100 प्रतिशत क्रेडिट का दावा किया था, जो मौजूदा प्रावधानों के तहत अनुमेय नहीं था।

जब इसे बताया गया (जुलाई 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि करदाता क्रेडिट के लिए पात्र था क्योंकि क्रेडिट का दावा पहले नहीं किया गया था।

उत्तर बोर्ड की मार्गदर्शन टिप्पणी के पैरा 5.1 के साथ असंगत है, जिसमें कहा गया है कि "यदि पहले कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था, तो इस तालिका के माध्यम से पूरी राशि का क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि करदाताओं के, जिन्होंने जीएसटी व्यवस्था में पूंजीगत माल पर क्रेडिट का 100 प्रतिशत अग्रणीत किया है, अभिलेखों की जांच की जाये है ताकि 2016-17 और 2017-18 (पहली तिमाही) के पिछले विरासतीय विवरणी में क्रेडिट के एक हिस्से (50 प्रतिशत) का लाभ उठाने को खारिज किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग को बोर्ड के मार्गदर्शन के पैरा 5.1 में निहित अनुदेशों को स्पष्ट करके इस मुद्दे पर एक समान स्थिति अपनाने की आवश्यकता है।

6.9.2.4 शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 7 (ए) ए और बी)

अधिनियम की धारा 140 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के तहत पंजीकरण करने के लिए दायी नहीं था या जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में लगा हुआ था या जो निर्माणकार्य संविदा सेवा प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 का लाभ उठा रहा था, वह नियत दिन को भण्डार में रखे गए इनपुट और भण्डार में रखे गए अर्ध तैयार अथवा तैयार माल में लगे इनपुट के संबंध में अपात्र शुल्कों के क्रेडिट को अपने ईसीएल में लेने का हकदार है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

- (i) इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए इस तरह के इनपुट या माल का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है;
- (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत इस तरह के इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाले बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं;
- (iv) इस तरह के बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेजों को नियत दिन से बारह महीने से पहले जारी नहीं किया गया था; और
- (v) सेवाओं का आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के तहत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं है:

बशर्ते कि जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति किसी विनिर्माता या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अलावा के कब्जे में, इनपुट के संबंध में शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाला बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, तो, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति ऐसी दर पर और ऐसे तरीके में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जाए, दी जाएगी जिसमें यह भी शामिल है कि उक्त कर योग्य व्यक्ति प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से इस तरह के क्रेडिट का लाभ देगा।

क) शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के साथ दावे

इस श्रेणी के तहत क्रेडिट का दावा ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) के कॉलम 7 ए के तहत किया जाता है। कुल 1,91,301 करदाताओं ने ₹ 30,562.94 करोड़ की राशि के नियत तारीख को भण्डार में रखे गए इनपुट, अर्ध-तैयार माल या तैयार माल पर प्रदत्त पात्र शुल्कों के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इसमें से, 13,989 प्रवर्जित¹⁶¹ करदाताओं द्वारा दावा किए गया क्रेडिट इस श्रेणी के तहत कुल क्रेडिट का 98 प्रतिशत बनता था।

¹⁶¹ करदाता जो मौजूदा केंद्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर कानूनों के तहत पंजीकृत थे और सीजीएसटी, 2017 के नियम 24 के तहत पंजीकृत हैं।

लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के तहत 4,151 दावों की जांच की, जिसमें प्रवर्जित करदाताओं के 2,004 दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने 148 दावों में विचलन देखा, जिसमें ₹ 56.48 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट शामिल थे, जिसमें 61 विचलन प्रवर्जित करदाताओं के दावों से शामिल थे। अनियमितताएं शुल्क प्रदत्त माल पर दावा किए गए क्रेडिट के स्वरूप में थीं जो या तो भण्डार में नहीं था या घोषित भण्डार से अधिक था; अनियमित क्रेडिट का कार्य संविदा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था; क्रेडिट का कालबाधित दस्तावेजों पर दावा किया गया था; क्रेडिट का अपात्र करदाताओं द्वारा दावा किया गया था; और क्रेडिट का समर्थक शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना दावा किया गया था।

प्रत्येक श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) शुल्क प्रदत्त माल जो या तो भण्डार में नहीं थे या घोषित स्टॉक से अधिक थे पर किया गया दावा क्रेडिट

माल पर प्रदत्त शुल्क का परिवर्ती क्रेडिट उपलब्ध होता है यदि पंजीकृत व्यक्ति के पास नियत दिन पर इस तरह का माल भण्डार में रखा था। करदाता को ऐसे माल पर प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का दावा करना चाहिए, जिसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ शुल्क भुगतान का साक्ष्य हो।

12 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने उन माल पर क्रेडिट का दावा किया था जो या तो नियत दिन पर उनके कब्जे में नहीं थे या नियत दिन पर भण्डार में माल से अधिक मात्रा में थे, जिसमें ₹ 14.78 करोड़ की राशि का अनियमित क्रेडिट शामिल था।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 12.04 करोड़ की अनियमित राशि वाले सात मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और चार मामलों में ₹ 0.08 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताओं की राशि ₹ 14.52 करोड़ थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) पुणे-1 केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत नियत तारीख को भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के संबंध में ₹ 13.60 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसके संबंध में करदाता के पास शुल्क प्रदत्त दस्तावेज थे। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों में परेषिती दावेदार से अलग था, जो यह दर्शाता है कि करदाता के कब्जे में वह माल नहीं था जिसके लिए नियत दिन क्रेडिट का दावा किया गया था। इस प्रकार, विभिन्न राज्य क्षेत्राधिकारों में अन्य परेषितियों के प्रति बीजकों के आधार पर ₹ 9.26 करोड़ का करदाता का दावा अनियमित था।

जब इसे बताया गया (अगस्त 2021), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता को डीआरसी-01ए¹⁶² जारी किया गया था।

ख) हावड़ा केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत नियत दिन पर भण्डार में रखे गए तैयार माल पर प्रदत्त शुल्क के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। करदाता ने निर्धारित तिथि को भण्डार में रखे गए माल का विवरण दाखिल किया था, जिसके संबंध में शुल्क प्रदत्त दस्तावेज उपलब्ध थे। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने निर्धारित दिन भण्डार की घोषित मात्रा से अधिक माल की मात्रा पर क्रेडिट का दावा किया था, जिसके परिणामस्वरूप अधिक क्रेडिट लिया गया। इन माल पर दावा किए गए शुल्क के अधिक क्रेडिट की राशि ₹ 1.37 करोड़ थी।

जब इसे बताया गया (अप्रैल 2021), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि करदाता से ₹ 0.04 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

¹⁶² उपयुक्त अधिकारी धारा 73 की उपधारा (1) अथवा धारा 74 की उपधारा (1), जैसा भी मामला हो, के तहत कर, ब्याज और शास्ति के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देने के पूर्व फार्म जीएसटी डीआरसी-01ए के भाग ए में उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति का विवरण सूचित करेगा।

(iii) **निर्माणकार्य संविदा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा किया गया अनियमित क्रेडिट**

एक पंजीकृत व्यक्ति जो मौजूदा कानून के तहत निर्माण कार्य संविदा सेवाएं प्रदान कर रहा था, वह निर्धारित तिथि को भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल पर क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र है, जो इस शर्त के अधीन है कि वह अधिसूचना 26/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून, 2012 का लाभ उठा रहा था। यह अधिसूचना उन सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध थी जो एक खरीदार को बिक्री के लिए इच्छित भवन या सिविल संरचना या इसके भाग के निर्माण में लगे हुए थे, जहां कर योग्य सेवाओं के मूल्य में भूमि का मूल्य शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे निर्माण कार्य संविदा आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने उपरोक्त अधिसूचना का लाभ नहीं उठाया था, निर्धारित तिथि पर रखे गए शुल्क प्रदत्त भण्डार के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया; ऐसे 11 दावों में दावा किए गए अनियमित क्रेडिट की राशि ₹5.49 करोड़ थी।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹5.09 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) विशाखापत्तनम केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत निर्धारित तारीख को रखे गए शुल्क प्रदत्त भण्डार के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इस श्रेणी के तहत ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7(ए) ए के तहत करदाता द्वारा दावा की गई क्रेडिट की राशि ₹ 1.75 करोड़ थी। जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने, विरासतीय सेवा कर प्रावधानों के तहत निर्माणकार्य संविदा सेवा प्रदाता के रूप में, अधिसूचना 26/2012 एसटी दिनांक 26 जून 2012 के लाभ का दावा नहीं किया था। इसलिए, करदाता नियत तिथि पर उसके द्वारा रखे गए शुल्क प्रदत्त भण्डार के संबंध में परिवर्ती क्रेडिट के लाभ का दावा करने के लिए अपात्र था। तदनुसार, धारा के तहत करदाता द्वारा परिवर्ती किए गए भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के घोटक ₹ 1.75 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था।

जब इसे जानकारी (अगस्त 2021) में लाया गया था, तो विभाग ने कहा (दिसंबर 2021) कि करदाता धारा के तहत क्रेडिट के लिए पात्र था क्योंकि करदाता निर्माण कार्य संविदा सेवाओं में लगा हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करदाता मौजूदा कानून के तहत दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना 26/2012-सेवा कर का लाभ नहीं उठा रहा था, जो निर्माण कार्य संविदा सेवा प्रदाताओं के लिए भण्डार पर परिवर्ती क्रेडिट का दावा करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि अभ्युक्ति की जांच की जा रही थी।

ख) कोच्चि केंद्रीय कर कमिश्नरी के तहत पंजीकृत एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) ए के तहत निर्धारित तिथि को भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसके लिए शुल्क प्रदत्त दस्तावेज कब्जे में थे। अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत करदाता द्वारा परिवर्ती किया गया क्रेडिट ₹ 0.98 करोड़ था। दावे के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता, सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2(ए)(ii) के तहत कर का भुगतान करके उप-संविदा आधार पर औद्योगिक या वाणिज्यिक निर्माणों के लिए निर्माणकार्य संविदा सेवाएं प्रदान कर रहा था। इस प्रकार, करदाता दिनांक 26 जून 2012 की अधिसूचना 26/2012 एसटी का लाभ नहीं उठा रहा था, जो अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत परिवर्ती क्रेडिट लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक था। इसलिए, करदाता द्वारा दावा किए गए ₹ 0.98 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था।

जब यह बताया गया (मार्च 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) की करदाता वर्तमान में राज्य जीएसटी क्षेत्राधिकार के तहत था, और मामले में उनके साथ पत्राचार चल रहा था।

(iii) समर्थक या पात्र दस्तावेजों के बिना दावा किए गए शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट

धारा के तहत क्रेडिट केवल शुल्क प्रदत्त बीजकों या उन अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर अनुमेय है, जो उन माल के संबंध में मौजूदा कानून

के तहत शुल्क के भुगतान के साक्ष्य को विधिवत रूप से दर्शाते हैं जिन पर क्रेडिट का दावा किया जाता है।

18 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने शुल्क के भुगतान को दर्शाते हुए निर्धारित शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना भण्डार में रखे गए माल पर प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का दावा किया था। इन मामलों में दावा किए गए अनियमित क्रेडिट की राशि ₹ 8.93 करोड़ थी।

जब इसे बताया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 3.46 करोड़ की अनियमित राशि वाले पाँच मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और एक मामले में ₹ 0.04 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 3.10 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

भोपाल केंद्रीय कर कमिश्नरी क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) ए के तहत नियत तारीख को भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल पर ₹ 1.26 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता के पास मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत उक्त माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाले बीजक या दस्तावेज नहीं थे। इस प्रकार, करदाता द्वारा दावा किया गया ₹ 1.26 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट अपात्र था क्योंकि करदाता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वहन नहीं किया था जिसके लिए दावा किया गया था।

जब इसे बताया गया (मार्च 2021) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि अभ्युक्ति की जांच की जा रही थी।

(iv) कालबाधित दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत दावों के लिए निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह थी कि बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज निर्धारित दिन से बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, 30 जून 2016 से पहले जारी किए गए दस्तावेजों या बीजकों पर क्रेडिट अधिनियम के तहत क्रेडिट के लिए पात्र नहीं थे।

53 दावों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने नियत दिन से 12 महीने से पहले जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर नियत दिन पर भण्डार में रखे गए माल पर प्रदत्त शुल्क के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इन दस्तावेजों पर दावा किए गए अनियमित परिवर्ती क्रेडिट की राशि ₹ 3.38 करोड़ थी।

जब यह बताया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 2.12 करोड़ की अनियमित राशि वाले 36 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, और 21 मामलों में ₹ 0.76 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 1.81 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

बेंगलुरु उत्तर पश्चिम केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने निर्धारित दिन पर भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के लिए ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 ए (ए) के तहत ₹ 65.08 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ शुल्क प्रदत्त दस्तावेज, जिनके लिए क्रेडिट का दावा किया गया था, निर्धारित तिथि से 12 महीने से पहले जारी किए गए थे। इसलिए, अधिनियम के तहत क्रेडिट का दावा करने के लिए ये कालबाधित थे। इन कालबाधित दस्तावेजों पर दावा किया गया अनियमित क्रेडिट ₹ 0.40 करोड़ था।

जब इसे बताया गया (अक्टूबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी और राजस्व की रक्षा के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(v) दावा किया गया अपात्र क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत क्रेडिट नियत दिन भण्डार में रखे गए इनपुट और भण्डार में रखे गए अर्ध-तैयार माल या तैयार माल में निहित इनपुट पर प्रदत्त पात्र शुल्कों के संबंध में अनुमेय होता है। इसलिए, इनपुट सेवाओं के संबंध में क्रेडिट की परिकल्पना धारा के तहत नहीं की गई है। इसके अलावा, माल पर क्रेडिट की पात्रता इस शर्त पर निर्भर करती है कि

अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए माल का उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने का इरादा है जिसके लिए इनपुट टैक्स पात्र है।

54 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 24.24 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट को शामिल करते हुए अपात्र क्रेडिट को परिवर्ती किया था। अपात्र क्रेडिट, इनपुट सेवाओं और अन्य अपात्र क्रेडिट पर दावा किए गए क्रेडिट का धोतक था, जिसमें अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाले करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट और अधिक दावा किए गए क्रेडिट शामिल हैं।

जब इसे बताया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने 26 मामलों में ₹ 2.60 करोड़ की अनियमित राशि के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 11 मामलों में ₹ 0.31 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 18.10 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक करदाता विरासतीय केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम के तहत एक पंजीकृत आयातक डीलर था। करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) के तहत ₹ 10.41 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जो ठेके पर काम करने वालों के परिसर में भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के रूप में था। करदाता ने दावा किया था कि इन माल की आपूर्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के ठेका कार्य प्रावधानों के अनुसार बीजक के माध्यम से उसके ठेके पर काम करने वालों को की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत ठेका कार्य प्रावधानों के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था, क्योंकि वह न तो एक पंजीकृत विनिर्माता था और न ही उसने ठेका कार्य विनिर्माण के लिए निर्धारित क्रियाविधियों¹⁶³ का पालन किया था। इसके अलावा, करदाता ने ठेके पर काम करने वालों के माध्यम से विनिर्मित होने का दावा करने वाले माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था और न ही उस प्रभाव की कोई निर्धारण विवरणी प्रस्तुत की थी। करदाता, पंजीकृत आयातक डीलर के रूप में, वास्तव

¹⁶³ अधिसूचना 214/86 सीई दिनांक 25 मार्च 1986 में ठेका कार्य विनिर्माण के लिए शर्तें और क्रियाविधियां निर्दिष्ट की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय उत्पादशुल्क कमिश्नरी से अनुमति आवश्यक है।

में करदाता द्वारा दाखिल उत्पाद शुल्क विवरणी में उल्लिखित सेनवेट बीजक या प्रविष्टियों के बिल के माध्यम से ठेके पर काम करने वालों को माल की आपूर्ति कर रहा था। इसलिए, नियत तिथि को ठेके पर काम करने वालों को परेषित शुल्क प्रदत्त माल के सेनवेट क्रेडिट को धारा 140 (3) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं है, और दावा किये गये अनियमित क्रेडिट की राशि ₹ 10.41 करोड़ थी।

जब इसे बताया गया (अक्टूबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि मामले को विस्तृत सत्यापन के लिए अपवंचन-रोधी विंग को सौंपा गया था।

ग) शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना दावा

एक पंजीकृत व्यक्ति जिसके पास शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेज न हों, तो वह भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के संबंध में भी क्रेडिट लेने के लिए पात्र था, यदि वह प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से इस तरह के क्रेडिट का लाभ देता है। माने गए क्रेडिट की यह योजना एक विनिर्माता या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अलावा केवल उन करदाताओं के लिए उपलब्ध थी, जिनके पास बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं था, जो नियत दिन भण्डार में रखे गए इनपुट के संबंध में शुल्क के भुगतान को दर्शाता हो। यह योजना नियत तिथि से छह महीने की अवधि के लिए लागू थी और सीजीएसटी नियमावली के नियम 117 (4) के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन क्रेडिट प्राप्त किया जाना था।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) के परंतुक के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को नियत दिन पर भण्डार में रखे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके संबंध में उसके पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान को दर्शाने का कोई दस्तावेज नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने वाले पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 (2) के खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार नियत दिन पर रखे गए भण्डार का विवरण अलग से निर्दिष्ट करना था। हालांकि, इनपुट टैक्स का लाभ ऐसे माल पर देय कर के 60 प्रतिशत तक सीमित था, जिन पर नौ प्रतिशत या उससे अधिक की दर से सीजीएसटी देय हैं, और नियत तिथि के बाद ऐसे माल की

आपूर्ति पर अन्य माल के लिए देय कर का 40 प्रतिशत था। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि ईसीएल को तब क्रेडिट की जाएगी जब इस तरह की आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर का भुगतान किया गया हो, जैसा कि ट्रान 2 विवरणी में घोषित किया गया है।

कुल 89,653 करदाताओं ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) के कॉलम 7 बी में घोषित शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इसमें से, 27,328 करदाताओं ने ट्रान 2 में जीएसटी के भुगतान पर माल की आपूर्ति की घोषणा की, जिसके प्रति ₹ 1,444.91 करोड़ की केंद्रीय कर राशि का परिवर्ती क्रेडिट करदाताओं के ईसीएल को दिया गया था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के तहत 579 दावों की जांच की।

लेखापरीक्षा में ₹ 13.18 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट वाले 75 दावों में विचलन देखा गया। विचलन ट्रान 1 और ट्रान 2 दोनों से क्रेडिट किए गए ईसीएल या ट्रान 2 दाखिल किए बिना ईसीएल में दिए गए क्रेडिट; घोषित न किए गए भण्डार पर दावा किये गये क्रेडिट या ट्रान 1 में घोषित से अधिक क्रेडिट के स्वरूप में था।

प्रत्येक श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) ट्रान 1 और ट्रान 2 दोनों से या ट्रान 2 दाखिल किए बिना ईसीएल को क्रेडिट किया गया इनपुट टैक्स

करदाताओं को निर्धारित तिथि पर रखे गए भण्डार का विवरण प्रस्तुत करना था, जिस पर ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) 7 बी में क्रेडिट का दावा किया गया था। माल के संबंध में पात्र क्रेडिट को जीएसटी के भुगतान पर इन माल की आपूर्ति को दर्शाते हुए ट्रान 2 विवरणी विधिवत रूप से दाखिल करने पर करदाता के ईसीएल को क्रेडिट किया जाना था। ईसीएल को दिया गया आनुपातिक क्रेडिट ट्रान 2 विवरणी में घोषित आपूर्ति पर प्रदत्त कर की दर पर आधारित होगा।

ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (ए) बी के तहत किए गए दावों के अखिल भारतीय विश्लेषण¹⁶⁴ और ऐसे दावों के प्रति ईसीएल को क्रेडिट किए गए केंद्रीय कर की राशि से पता चला कि ट्रान 1 की तालिका 7 (ए) बी के तहत घोषित 'पात्र शुल्क' को जीएसटी के भुगतान पर माल की आपूर्ति का विवरण देने वाले ट्रान 2 विवरणी प्रस्तुत करने से पहले ईसीएल को क्रेडिट किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन में उचित सत्यापन की कमी के परिणामस्वरूप 2,102 दावों में ट्रान 1 विवरणी के माध्यम से अनियमित क्रेडिट दिया गया था, जिसकी राशि ₹114.96 करोड़ थी। इनमें से, 1,792 करदाताओं ने ट्रान 2 विवरणी दाखिल किए बिना क्रेडिट प्राप्त किया था, और 310 करदाताओं के संबंध में ईसीएल को दो बार क्रेडिट किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,792 करदाताओं ने ट्रान 2 विवरणी दाखिल किए बिना ₹ 92.71 करोड़ का अनियमित प्रतिवर्ती क्रेडिट प्राप्त किया था, जो केवल ट्रान 1 के तहत किए गए भण्डार की घोषणा के आधार पर था। 310 करदाताओं के संबंध में, जिन्होंने ट्रान 2 दाखिल किया था, ट्रान 1 दाखिल करने पर दो बार ईसीएल को क्रेडिट किया गया था - ₹ 22.25 करोड़ और ट्रान 2 दाखिल करने पर ₹ 19.86, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.25 करोड़ का अनियमित क्रेडिट दिया गया। सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं में नमूना मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने ₹ 10.60 करोड़ के अनियमित क्रेडिट वाले 66 दावों में इन अनियमितताओं की पुष्टि की।

जब इसे बताया गया, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 5.82 करोड़ की अनियमित राशि वाले 36 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और 18 मामलों में ₹ 4.10 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 5.02 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) बंगलुरु उत्तर पश्चिम केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7(ए)बी के तहत भण्डार में रखे गए शुल्क प्रदत्त माल के संबंध में क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन

¹⁶⁴ ट्रान 1 की तालिका 7(ए) बी के अनुसार ईसीएल को क्रेडिट की गयी राशि पर विश्लेषण जीएसटीएन आँकड़ों और ट्रान 2 दाखिल करने पर वहन किया गया क्रेडिट अथवा वे मामले जहां ट्रान 2 दाखिल नहीं किया गया।

पर, यह देखा गया कि करदाता ने ट्रान 1 के माध्यम से ₹ 26.80 करोड़ मूल्य के माल पर ₹ 2.25 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था, जिसके प्रति कोई सर्माथक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दावा किया गया ₹ 2.25 करोड़ का इनपुट टैक्स करदाता द्वारा ट्रान 2 विवरणी दाखिल करने से पहले ही ईसीएल को क्रेडिट किया गया था। इसके अलावा, करदाता के ईसीएल को फिर से ₹ 1.06 करोड़ के साथ क्रेडिट किया गया था जब इन माल की जीएसटी के भुगतान पर आपूर्ति की गई थी और बाद में ट्रान 2 में घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ईसीएल को दोगुना क्रेडिट मिला, और ट्रान 2 दाखिल किए बिना वहन किया गया ₹ 2.25 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था।

जब इसे बताया गया (अक्टूबर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि ट्रान 1 से क्रेडिट जीएसटी पोर्टल मुद्दे के कारण इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्थानांतरित किया गया था। इस मामले में, क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया था और करदाता ने जीएसटीआर-3बी में राशि को वापस कर दिया था।

ख) गाजियाबाद कमिश्नरी के केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (3) के परंतुक के तहत भण्डार में रखे गए माल पर प्रदत्त पात्र शुल्कों के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। करदाता ने अध्याय शीर्षक 84 और 85 के तहत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक माल के भण्डार का विवरण घोषित किया था, जिसका मूल्य ₹ 7.21 करोड़ था। इन माल के संबंध में पात्र शुल्कों की ₹ 1.17 करोड़ की राशि का दावा ट्रान 1 की तालिका 7 (ए) बी के कॉलम 6 के तहत किया गया था, जिसे करदाता द्वारा ट्रान 2 दाखिल किए बिना 29 अगस्त 2017 को सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ईसीएल को क्रेडिट किया गया। दावे के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए ट्रान 2 दाखिल किया था, जिसमें जीएसटी के भुगतान पर इन माल की आपूर्ति की घोषणा की गई थी और आपूर्ति के कारण ₹ 0.30 करोड़ का तदनुसूची सीजीएसटी क्रेडिट मार्च 2018 के दौरान ईसीएल को क्रेडिट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ईसीएल को दोगुना क्रेडिट मिला, और ट्रान 1 के माध्यम से दिया गया ₹ 1.17 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था।

जब इसे बताया गया (सितम्बर 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी, और राजस्व की सुरक्षा की जाएगी।

(ii) ट्रान 1 में घोषित न किए गए या घोषणा से अधिक भण्डार पर दावा किया गया क्रेडिट

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियमावली 117 (2) (बी) के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत पात्र शुल्कों के परिवर्ती क्रेडिट का दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को ट्रान 1 में नियत दिन पर रखे गए भण्डार का विवरण अलग से निर्दिष्ट करना आवश्यक है। उक्त नियमावली के नियम 117 (4) (बी) (iii) में ऐसी आपूर्ति पर कर के भुगतान को दर्शाते हुए निर्धारित तिथि से बाद की छः कर अवधियों के दौरान प्रभावित ऐसे माल की आपूर्ति का विवरण देते हुए ट्रान 2 विवरणी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा में ₹ 2.58 करोड़ की राशि के क्रेडिट के अनियमित परिवर्ती करने से जुड़े नौ दावों में अनियमितताएं पाई गईं। अनियमितताओं में निर्धारित तिथि पर भण्डार में नहीं होने वाले माल पर क्रेडिट का दावा करना; और ट्रान 1 में घोषित भण्डार से अधिक आपूर्ति किए गए माल पर क्रेडिट का दावा करना शामिल था।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 1.11 करोड़ की अनियमित राशि वाले चार मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। इस श्रेणी के तहत पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 2.42 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) मुंबई पूर्व कमिश्नरी के केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक करदाता ने धारा 140(1), (2) और (5) के तहत ट्रान 1 की क्रमशः तालिका 5(ए), 6(ए) और 7(बी) के तहत ₹ 21.75 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। करदाता ने तालिका 7 (ए) बी में निर्धारित तिथि पर भण्डार में रखे गए किसी भी शुल्क प्रदत्त माल की घोषणा नहीं की थी, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता के ईसीएल को ट्रान 2 में घोषित शुल्क

प्रदत्त माल की आपूर्ति के आधार पर सीजीएसटी घटक के साथ क्रेडिट किया गया था। यह अधिनियम की धारा 140 (3) के प्रावधानों के विपरीत था। इसलिए, जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक की अवधि के दौरान दाखिल किए गए ट्रान 2 के आधार पर ईसीएल को प्रदान की गई ₹ 1.12 करोड़ की क्रेडिट की राशि अनियमित थी क्योंकि निर्धारित तिथि पर माल भण्डार में नहीं रखा गया था।

जब इसे बताया गया (जुलाई 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि अभ्युक्ति की जांच की जा रही थी।

ख) चेन्नई उत्तर कमिश्नरी के केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक करदाता ने निर्धारित तिथि को भण्डार में रखे गए माल पर पात्र शुल्कों के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। मोटर वाहन के जिन भागों पर क्रेडिट का दावा किया गया था, उनका मूल्य ₹ 0.99 करोड़ था। दावे के सत्यापन पर, यह देखा गया कि करदाता ने ट्रान 1 विवरणी में प्रस्तुत शेष भण्डार के विवरण में घोषित नहीं किए गए माल पर प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का दावा किया था और कुछ माल पर आपूर्ति को ट्रान 1 में घोषित भण्डार की मात्रा से अधिक दिखाया गया था। इन माल की जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक की अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान पर आपूर्ति की गई थी और ट्रान 2 विवरणी में घोषित किया गया था। इस प्रकार, करदाता ने रखे गए भण्डार से अधिक माल की आपूर्ति की घोषणा करके, ईसीएल में अधिक क्रेडिट प्राप्त किया। उन माल पर दावा किए गए क्रेडिट, जो नियत तिथि पर भण्डार में नहीं थे, के परिणामस्वरूप ईसीएल में ₹ 0.57 करोड़ का अधिक क्रेडिट हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जुलाई 2021), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचना दी (फरवरी 2022) कि करदाता को ₹ 0.64 करोड़ की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

6.9.2.5 पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाएँ

अधिनियम की धारा 140 (5) में प्रावधान है कि एक करदाता नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्कों और करों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, लेकिन शुल्क या कर जिसके संबंध में

आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान किया गया है, इस शर्त के विषयाधीन था कि बीजक या किसी अन्य शुल्क या कर आदाता दस्तावेज को ऐसे व्यक्ति की लेखाबही में नियत तिथि से 30 दिनों की अवधि में या आयुक्त द्वारा अनुमत 30 दिनों की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर दर्ज किया गया हो।

धारा 140 (5) के तहत क्रेडिट का दावा ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (बी) के तहत किया जाना था। इस श्रेणी के तहत, कुल 25,959 करदाताओं ने नियत तिथि को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर शुल्क या कर का भुगतान विद्यमान कानून के तहत गया था, ₹ 7,332.78 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इस श्रेणी के शीर्ष 100 मामलों में इस श्रेणी के तहत दावा किए गए कुल परिवर्ती क्रेडिट की 36 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। लेखापरीक्षा ने 3,605 दावों की जांच की, जिसमें ₹ 3,649.41 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट शामिल थे, जिसमें इस श्रेणी के तहत शीर्ष 100 दावों में से 67 दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा में ₹ 75.29 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट वाले 397 दावों में अनियमितताएं देखी गईं, जिसमें शीर्ष 100 दावों से सात दावों की अनियमितताएं शामिल थीं। अनियमितताएं, चालानों पर क्रेडिट प्राप्त करने, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर जिम्मेदार नहीं थीं; अपात्र या अतिरिक्त क्रेडिट संक्रमण; और पूंजीगत माल पर दावा किया गया अनियमित क्रेडिट के स्वरूप में थीं।

प्रत्येक श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

i) निर्धारित समय के भीतर समाधान नहीं किये गये बीजक/दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140 (5) में परिकल्पना की गई है कि इस श्रेणी के तहत क्रेडिट तब स्वीकार्य था जब बीजक या किसी अन्य शुल्क या कर का भुगतान करने वाला दस्तावेज निर्धारित दिन से 30 दिनों की अवधि के भीतर करदाता के खाते की पुस्तकों में दर्ज किया गया था। धारा 140(5) के अधीन परंतुक में

इस समय सीमा को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, कमिशनर ¹⁶⁵, द्वारा 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है।

इस श्रेणी के अधीन जीएसटीएन से निकाले गए परिवर्ती क्रेडिट आँकड़ों के अखिल भारतीय विश्लेषण से पता चला है कि 5,711 दावे निर्धारित समय के भीतर आपूर्ति के लेखांकन की अनिवार्य शर्त के अनुरूप नहीं हैं, भले ही समय सीमा को नियत तिथि से 60 दिनों के रूप में माना गया हो। इन दावों में सम्मिलित परिवर्ती क्रेडिट की राशि ₹ 127.91 करोड़ थी। विस्तृत लेखापरीक्षा ने 249 दावों में अनुपालन की पुष्टि की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.46 करोड़ का अनियमित क्रेडिट परिवर्तित किया गया।

जब यह बताया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 16.13 करोड़ की अनियमित राशि वाले 101 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 27 मामलों में ₹ 0.51 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में ₹ 17.30 करोड़ की शीर्ष पांच अनियमितताएं पाई गई थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिखाया गया है।

डिब्रूगढ़ केंद्रीय कर कमिशनरी के केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के अधीन एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं के संबंध में ₹ 3.18 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे की जांच करने पर, यह पाया गया कि करदाता ने कुछ इनपुट सेवाओं पर ₹ 2.89 करोड़ का क्रेडिट लिया था, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखाबद्ध नहीं किया गया था। क्षेत्राधिकार आयुक्त से इन कर भुगतान दस्तावेजों पर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए समय सीमा का विस्तार करदाता को प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, निर्दिष्ट समय सीमा में लेखाबद्ध नहीं किए गए दस्तावेजों पर किए क्रेडिट दावे प्रावधानों के प्रतिकूल थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ की राशि का अनियमित दावा हुआ।

¹⁶⁵ आयुक्त को निर्धारित तिथि से 30 दिनों से अधिक कर प्रदत्त दस्तावेजों के लेखांकन में देरी को पर्याप्त कारण दिखाने पर, एक और अवधि जो 30 दिनों से अधिक नहीं है, माफ करने की शक्ति है।

जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2021), तो मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि (फरवरी 2022) एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ii) पूंजीगत माल पर दावा किया गया अनियमित क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140 (5) में नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्कों और करों के परिवर्तन का प्रावधान है। अतः, प्रावधान नियत दिन या उसके बाद प्राप्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के परिवर्तन की परिकल्पना नहीं करता है।

40 मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने इस श्रेणी के अधीन ₹ 7.06 करोड़ की पूंजीगत माल पर प्रदत्त शुल्क को सेनवेट क्रेडिट में परिवर्तित कर दिया था।

जब इसे इंगित किया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने 13 मामलों में ₹ 2.20 करोड़ की अनियमित राशि वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और चार मामलों में ₹ 0.60 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी के अधीन ₹ 4.40 करोड़ की शीर्ष पांच अनियमितताएं पाई गई थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दिखाए गए हैं।

क) निर्धारित तिथि या उसके बाद प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (5) के अंतर्गत मद्रुरै केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधीन एक करदाता ने ₹ 4.54 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7(बी) के अंतर्गत दावे के सत्यापन पर, यह पाया गया कि करदाता ने पूंजीगत माल के अंतर्गत आने वाले रोलिंग प्रतिरोध जांच मशीन, मिक्सर फीडिंग सिस्टम और टायरों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनों के कुछ हिस्सों पर क्रेडिट का दावा किया था, तथापि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(5) केवल इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में प्रदत्त शुल्क अथवा कर का परिवर्तन प्रदान करती है। अतः, इन माल पर ₹ 1.64 करोड़ का दावा किया गया क्रेडिट अनियमित था। जब यह इंगित किया गया (अप्रैल 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि मामले को लेखापरीक्षा सर्कल को भेजा गया था जिसने करदाता के परिवर्ती

क्रेडिट दावे को सत्यापित किया और अंतिम उत्तर उनके प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) मंगलुरु केंद्रीय कर कमिश्नरी के केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के अधीन एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं के संबंध में ₹ 1.27 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने कागज बनाने वाली मशीनों, ट्रान्सफॉर्मरों, अन्य मशीनों और मशीनों के पुर्जों, जिन्हें पूंजीगत वस्तुएं घोषित किया था पर प्रदत्त शुल्क का सेनवेट क्रेडिट दावा किया था। चूंकि प्रावधान पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में प्रदत्त शुल्क का परिवर्तन प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए इन माल के संबंध में ₹ 1.05 करोड़ की राशि का परिवर्ती सेनवेट क्रेडिट दावा अनियमित था।

जब यह (मार्च 2021) इंगित किया गया, तो मंत्रालय ने (फरवरी 2022) कहा कि करदाता को डीआरसी-01ए जारी किया गया था और यदि करदाता द्वारा बकाया कर का भुगतान नहीं किया जाता है, एससीएन को नियत तिथि के भीतर जारी किया जाएगा।

(iii) अपात्र या अतिरिक्त क्रेडिट का दावा

अधिनियम की धारा 140 (5) करदाता द्वारा नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाएं पर पात्र शुल्कों अथवा करों का पारगमन प्रदान करती है। किंतु पात्रता आपूर्ति के उपयोग से निर्धारित की जाती है।

108 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने पारगमन के लिए अपात्र माल या सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का दावा किया था। इनमें कालातीत दस्तावे जिन पर सेनवेट क्रेडिट पर दावा किया गया; सेनवेट क्रेडिट नियमों के अंतर्गत आदित अपात्र माल या सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट; व्यवसाय आदि को प्रोत्साहन में अनुपयोगी आपूर्तियां सम्मिलित हैं। इन मामलों में ₹ 13.77 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल था।

जब यह इंगित किया गया, तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 4.19 करोड़ की अनियमित राशि वाले 41 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 10 मामलों में ₹ 0.76 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच

अनियमितताओं की राशि ₹ 2.72 करोड़ थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिखाए गए हैं।

क) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (5) के अंतर्गत विद्यमान कानून के अधीन प्रदत्त पात्र शुल्कों और करों के संबंध में क्रेडिट की अनुमति है। अगरतला केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के अधीन एक करदाता ने नियत तिथि को या उसके बाद प्राप्त माल के संबंध में ₹ 0.93 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने उन दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट का दावा किया था, जिनमें शुल्क भुगतान विवरण नहीं थे, यह दर्शाता है कि करदाता ने शुल्कभार को वहन नहीं किया था। अतः, करदाता द्वारा ₹ 0.93 करोड़ की राशि का क्रेडिट दावा किया गया पारगमन के लिए अपात्र था।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2021), तो विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अपात्र क्रेडिट के दावे की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

ख) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 4(1) के अनुसार, इनपुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट विनिर्माता की फैक्टरी में या आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर में इनपुट की प्राप्ति पर तुरंत लिया जा सकता है, परंतु विनिर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता नियम 9 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज के जारी होने की तिथि के एक वर्ष के बाद सेनवेट क्रेडिट नहीं लेगा।

हैदराबाद केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के अधीन एक करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(5) के अंतर्गत नियत तिथि को या उसके बाद प्राप्त माल के संबंध में ₹ 1.17 करोड़ के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, दावे के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि करदाता ने शुल्क भुगतान दस्तावेजों के संबंध में क्रेडिट का दावा किया था, जो सेनवेट क्रेडिट नियमों के अनुसार क्रेडिट दावा करने हेतु कालबाधित थे। इसके अतिरिक्त, माल की नियत तिथि से एक वर्ष पूर्व निकासी की गई थी, जो इस शर्त को पूरा नहीं करता है कि माल निर्धारित तिथि अथवा उसके बाद प्राप्त किए गए थे। अतः, इन चालानों पर ₹ 0.36 करोड़ की राशि का क्रेडिट दावा अनियमित था।

जब यह इंगित किया गया (मार्च 2021), तो मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2022) सूचित किया कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

6.9.2.6 वर्तमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण के साथ पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 8)

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (8) के अनुसार, विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त पंजीकृत व्यक्ति, जिसने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है, को अपने ईसीएल में एक विवरणी में अग्रेणित सेनवेट क्रेडिट राशि का क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जो उसने विद्यमान कानून के अंतर्गत नियत दिन से ठीक एक दिन पूर्व के साथ समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया है। उप धारा के अंतर्गत दावा किया गया क्रेडिट, समान स्थायी खाता संख्या (पैन), जिसके लिये विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण लिया गया था, किसी भी व्यक्ति को अंतरण हेतु पात्र है।

ट्रान 1 विवरणी की तालिका 8 के अधीन इस श्रेणी के अधीन क्रेडिट का अंतरण दावा किया जाना था। अधिनियम की धारा 140 (8) के अंतर्गत कुल 974¹⁶⁶ करदाताओं ने ₹ 16,284.83 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा और अंतरण किया था। परिवर्ती क्रेडिट के दावे और वितरण का 65 प्रतिशत हिस्सा इस श्रेणी के अधीन शीर्ष 20 अभिलेखों में शामिल था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अधीन 284 दावों में ₹ 10,435.49 करोड़ वाले परिवर्ती क्रेडिट का चयन किया और ₹ 10,032.55 करोड़ वाले 254 मामलों को लेखापरीक्षित किया।

अनियमित क्रेडिट अंतरण अथवा अतिरिक्त क्रेडिट दावे के कारण लेखापरीक्षा में ₹ 20.97 करोड़ के सात दावों में अनियमितताएं पाई गईं।

(i) अनियमित क्रेडिट अंतरण

धारा 140 (8) के अधीन, वर्तमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त समान स्थायी खाता संख्या (पैन) वाला कोई भी पंजीकृत व्यक्ति उप-धारा के

¹⁶⁶ जी.एस.संख्याटी.एन. से आहरित अखिल भारतीय परिवर्ती क्रेडिट आँकड़ों

अंतर्गत क्रेडिट दावा अंतरण हेतु पात्र है। लेखापरीक्षा ने पांच मामलों में पाया कि वर्तमान कानून के अधीन अन्य पंजीकृत व्यक्तियों, जो केंद्रीकृत पंजीकरण का हिस्सा नहीं थे, को करदाताओं ने क्रेडिट अंतरित किया था।

हैदराबाद केंद्रीय कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अधीन एक करदाता ने जून 2017 माह के लिए फाइल अपने विरासतीय सेवा कर विवरणी से ₹ 20.79 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष को जीएसटी में पारगमित कर दिया था। करदाता के पास विद्यमान सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण था, जिसमें हैदराबाद और चेन्नई में उसके दो पंजीकृत परिसर शामिल थे। तथापि, करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 8 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे से, अपने अन्य पंजीकृत परिसरों में ₹ 11.18 करोड़ अंतरित किए थे जो विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण के अंतर्गत आवरित नहीं थे। यह अनियमित था क्योंकि क्रेडिट अंतरण केवल विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अनुमेय है, जिनके पास समान पैन है।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2021), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि जीएसटी के आरंभ के साथ, पूर्ववर्ती केंद्रीकृत पंजीकृत व्यक्ति के पास संचित सेनवेट क्रेडिट को अपनी सभी घटक संस्थाओं में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई थी, जिनकी गतिविधियों का अब तक अनुवीक्षण था और करों का भुगतान केंद्रीय रूप से किया गया था। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि ये पूर्ववर्ती केंद्रीकृत पंजीकरण का भाग थे, प्रावधानों को इन घटकों में संचित क्रेडिट वितरित करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जो इकाइयां पूर्ववर्ती केन्द्रीकृत इकाइयों का भाग नहीं थीं, वे पूर्ववर्ती मूल्य वर्धित कर श्रृंखला का भाग नहीं थीं और इसलिए विरासतीय नियमों के अंतर्गत संचित क्रेडिट के लिए अपात्र थीं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 140 (8) में विशेष रूप से उल्लेखित है कि केंद्रीकृत इकाइयों द्वारा दावा किया गया क्रेडिट केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों को अंतरित किया जा सकता है, जिसके लिए विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त किया गया था।

(ii) अतिरिक्त क्रेडिट का दावा

धारा 140(8) के अंतर्गत क्रेडिट का पारगमन इस शर्त पर किया जाता है कि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत दिन के तीन माह के भीतर नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रस्तुत की थी, और उक्त विवरणी या तो एक मूल विवरणी अथवा एक संशोधित विवरणी है जहां क्रेडिट को पूर्व दावे से कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य होगा।

एक करदाता जो बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के भीतर विद्यमान कानून के अंतर्गत करयोग्य सेवाओं का केंद्रीय पंजीकृत प्रदाता है, ने अधिनियम की धारा 140(8) के अंतर्गत विरासतीय विवरणी से सेनवेट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। करदाता ने अपने ईसीएल में सेनवेट क्रेडिट को अग्रेणित किया था और आईटीसी को समान पीएएन नंबर वाली अपनी अन्य इकाइयों में वितरित किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि करदाता ने नियत तिथि से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विरासतीय विवरणी को संशोधित किया था। ₹ 112.38 करोड़ की राशि के सेनवेट क्रेडिट अंत शेष: सहित मूल विवरणी 14 अगस्त 2017 को तथा ₹ 118.99 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट अंत शेष सहित संशोधित विवरणी 28 सितम्बर 2017 को निर्धारित तिथि से नियत 90 दिनों के भीतर फाइल किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि करदाता के ईसीएल को संशोधित विवरणी से अग्रेणित राशि के साथ क्रेडिट किया गया था, जिसमें अधिक सेनवेट क्रेडिट राशि थी। यह नियम प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें यह नियत किया गया था कि संशोधित राशि केवल तभी अनुमेय है जब क्रेडिट को पूर्ववर्ती दावे से कम कर दिया हो। नियमों प्रावधानों से उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 6.61 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट हुआ।

जब यह इंगित किया गया (अक्टूबर 2021) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि (फरवरी 2022) एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

6.9.2.7 मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत आपूर्ति पर प्रदत्त कर के संबंध में क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 11)

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142 (11) (सी) के अनुसार, जहां मूल्य वर्धित कर अधिनियम (वैट) और वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर) के अध्याय V के अंतर्गत किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर उदग्राह्य है, कराधान व्यक्ति विद्यमान कानून के अंतर्गत नियत दिन के पश्चात आपूर्ति की सीमा तक मूल्य वर्धित कर अथवा सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी नियमों के नियम 118 में निर्दिष्ट किया गया है कि जिस पंजीकृत व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 142 (11) के प्रावधान लागू होते हैं, वह आपूर्ति के अनुपात में नियत दिन से पूर्व वैट अथवा सेवा कर भुगतान करता है लेकिन आपूर्ति नियत दिन के बाद की जाती है और जिस पर इनपुट कर क्रेडिट स्वीकार्य है, ट्रान 1 में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा।

इस तरह के उदाहरणों में ट्रान 1 की तालिका 11 में परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया जाना चाहिए था। कुल 3,034 करदाताओं ने वित्त अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत तिथि के बाद की गई आपूर्ति हेतु ₹ 968.89 करोड़ की राशि को अधिनियम की धारा 142(11)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त सेवा कर के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। तालिका के अधीन कुल परिवर्ती क्रेडिट दावों में इस श्रेणी के अधीन शीर्ष 20 दावे, कुल दावों का 51 प्रतिशत थे। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत 373 दावों की जाँच की, जिसमें ₹ 465.67 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट सम्मिलित था, जिसमें शीर्ष 20 दावों में से 12 दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने ₹ 25.83 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 23 दावों में अनियमितताएं पाईं, जिसमें शीर्ष 20 दावों में से तीन दावे सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा ने जीएसटी के अधीन गैर-उत्तरदायी आपूर्ति पर कर के अनियमित क्रेडिट दावे; निर्धारित तिथि से पहले पूरित आपूर्ति; सेवा कर के भुगतान बिना क्रेडिट दावा और समान आपूर्ति पर दो बार आहरित क्रेडिट के मामले पाए।

निम्नलिखित पैराग्राफ में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को दर्शाया गया है।

(ii) अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर पर अनियमित क्रेडिट

धारा 142 11(सी) के अंतर्गत उन आपूर्तियों, जहां वैट और सेवा कर नियमों के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया था, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर लगाया जाएगा, पर क्रेडिट अनुमेय है।

सिकंदराबाद केंद्रीय कर कमिश्नरी के अधीन आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 11 के तहत ₹ 3.33 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावा किया गया क्रेडिट लामबंदी अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर के संबंध में था, जिसके प्रति आपूर्ति निर्धारित तिथि के बाद की गई थी। हालांकि, आदेश संख्या 03/एआरए/2020 दिनांक 31 मार्च 2020 के तहत अग्रिम प्राधिकरण¹⁶⁷ ने निर्णय दिया था कि करदाता जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तित लामबंदी अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार, करदाता जीएसटी में परिवर्तित होने वाले लामबंदी अग्रिमों के प्रति नियत तिथि के बाद की गई आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान नहीं करेगा। हालांकि, हमने देखा कि करदाता ने लामबंदी अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर पर परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था जो नियत तिथि तक असमायोजित रहा, जोकि अनियमित है क्योंकि कर उस सीमा तक आपूर्ति पर दायी नहीं है। इस संबंध में करदाता द्वारा दावा किया गया अनियमित क्रेडिट ₹ 3.33 करोड़ था।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि अग्रिम निर्णय पर किया गया विश्वास गलत है क्योंकि उक्त निर्णय जीएसटी से संबंधित है, जबकि तत्काल मामला निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर पर परिवर्ती क्रेडिट का लाभ उठाने से संबंधित है, जिसके लिए जीएसटी के भुगतान पर निर्धारित तिथि के बाद आपूर्ति की गई थी।

इसलिए, विभाग को विशेष रूप से यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि करदाता द्वारा जीएसटी का भुगतान आपूर्ति की उस सीमा तक किया गया था जिस तक लामबंदी अग्रिम के रूप में प्रतिफल प्राप्त हुआ था।

¹⁶⁷ अग्रिम निर्णय का प्राधिकरण सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 96 के प्रावधानों के तहत गठित प्राधिकरण है, जिसे करदाताओं द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों पर निर्णय जारी करने का अधिकार दिया गया है।

(ii) निर्धारित तिथि से पहले की गई आपूर्ति पर दावा किए गए अनियमित क्रेडिट

निर्धारित तिथि के बाद की गई आपूर्तियों की सीमा तक अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर पर धारा 142 11 (सी) के तहत क्रेडिट की अनुमति दी गई है। हालांकि, लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जिसमें करदाताओं ने निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त अग्रिमों पर प्रदत्त सेवा कर के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसके लिए आपूर्ति भी निर्धारित तिथि से पहले पूरी कर ली गई थी।

12 मामलों में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाताओं ने ₹ 11.67 करोड़ की राशि के अपात्र क्रेडिट का दावा किया था। अनियमितताएं निर्धारित तिथि से पहले की गई आपूर्तियों पर दावा किए गए क्रेडिट और धारा के अंतर्गत अपात्र क्रेडिट के स्वरूप में थीं।

इस विषय में बताए जाने पर मंत्रालय/विभाग ने ₹ 7.95 करोड़ की अनियमित राशि वाले आठ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और एक मामले में ₹ 0.58 करोड़ वसूल किए गए। इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 10.76 करोड़ की थीं। दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

क) मुंबई दक्षिण केंद्रीय कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले एक करदाता ने तालिका 11 के तहत ₹ 45.55 करोड़ की राशि के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। सत्यापन पर, यह देखा गया कि करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट में इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट शामिल था, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया गया था। चूंकि इस मामले में आपूर्ति निर्धारित तिथि से पहले की गई थी, जिसके लिए मौजूदा नियमों के तहत भुगतान भी किया गया था, इसलिए क्रेडिट अनियमित था। इस मामले में पारगमन किया गया अनियमित क्रेडिट ₹ 5.82 करोड़ था।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2021), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि डीआरसी-01ए करदाता को जारी किया गया था और एक कारण बताओ नोटिस तैयार किया जा रहा था।

ख) बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्य संविदा आपूर्ति में लगे एक करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142 (11)(सी) के तहत निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त अग्रिमों पर भुगतान किए गए सेवा कर पर ₹ 4.07 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन से पता चला है कि कई मामलों में उन परियोजनाओं के संबंध में क्रेडिट का दावा किया गया था जिनके लिए आपूर्ति पहले से ही प्राप्त अग्रिमों की सीमा तक पूरी हो चुकी थी, जो उस सीमा तक सेवाओं के प्रावधान को पूरा करने का संकेत देती है। हालांकि, करदाता ने यह कहते हुए क्रेडिट का दावा किया कि आपूर्ति निर्धारित तिथि के बाद की जानी थी, जो अनियमित है। इस मामले में दावा किया गया अनियमित क्रेडिट ₹ 2.47 करोड़ था।

इस विषय में बताए जाने पर (अक्टूबर 2021), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने इस मुद्दे का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया।

(iii) सेवा कर के भुगतान के बिना क्रेडिट का दावा

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142 (11) (सी) के अनुसार, मौजूदा कानून के तहत प्रदत्त मूल्य वर्धित कर या सेवा कर पर क्रेडिट की अनुमति है।

10 दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने धारा के तहत सेवा कर के भुगतान के बिना ₹ 10.83 करोड़ की राशि का अपात्र क्रेडिट लिया था

इस विषय में बताए जाने पर मंत्रालय/विभाग ने ₹ 5.05 करोड़ की अनियमित राशि वाले छः मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। तथा दो मामलों में ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 10.23 करोड़ थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिखाया गया है।

मुंबई ईस्ट केंद्रीय टैक्स कमिश्नरी के अधीन निर्माण सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए एक करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142 (11) (सी) के तहत सेवा कर के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। जून 2017 के महीने के दौरान प्राप्त अग्रिमों पर ₹ 2.17 करोड़ के सेवा कर के संबंध में क्रेडिट का दावा किया गया था। हालांकि, संबंधित अवधि के लिए करदाता के सेवा कर विवरणी (एसटी 3) के सत्यापन से पता चला कि करदाता ने प्राप्त अग्रिमों के संबंध में इस अवधि के दौरान किसी भी सेवा कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। इसलिए, इस मामले में दावा किया गया क्रेडिट वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के प्रावधानों के तहत सेवा कर देयता का निर्वहन किए बिना था। अनियमित क्रेडिट का दावा ₹ 2.17 करोड़ का था।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 1.23 करोड़ का आईटीसी वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.41 करोड़ के शेष आईटीसी की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही थी जबकि शेष आईटीसी ₹ 0.53 करोड़ वैट भुगतान के प्रति किए गए एसजीएसटी क्रेडिट से संबंधित था।

6.9.2.8 अपात्र परिवर्ती क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117 (3) में निर्दिष्ट किया गया है कि फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 में आवेदन में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि को सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 2 में बनाए गए आवेदक के ईसीएल में जमा किया जाएगा। नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप-नियम (3) के तहत जमा की गई राशि की वसूली अधिनियम की धारा 73 या, जैसा भी मामला हो, धारा 74 के तहत आरंभ की जा सकती है। धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही में करदाता को अधिनियम की धारा 50 के तहत उस पर देय ब्याज के साथ क्रेडिट का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 50 (1) यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भी

हिस्से का भुगतान नहीं गया है, 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 60 मामलों में, करदाताओं द्वारा दावा की गई ₹ 95.20 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट की वसूली की गई थी। तथापि, अनियमित क्रेडिट पर ₹ 2.92 करोड़ की राशि के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर मंत्रालय/विभाग ने 29 मामलों में ₹ 1.30 करोड़ की ब्याज राशि के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 16 मामलों में ₹ 0.27 करोड़ की वसूली की गई। इस श्रेणी में पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 1.28 करोड़ की थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है।

जमशेदपुर केंद्रीय कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले एक करदाता ने ₹ 3.90 करोड़ की राशि के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जिसे 19 दिसंबर 2017 को ईसीएल में जमा किया गया था। इसमें से, करदाता ने 31 जनवरी 2020 को ₹ 1.28 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट वापस किया था। हालांकि विभाग ने करदाता को दावा किए गए अनियमित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन करदाता ने ब्याज देयता का विरोध किया और इसे वसूल नहीं किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने दिसंबर 2017 के महीने के दौरान ही सीजीएसटी भुगतान के लिए ₹ 1.28 करोड़ के अनियमित क्रेडिट का उपयोग किया था। इसलिए, दावा किए गए अनियमित क्रेडिट के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ जिस पर अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत ब्याज देयता थी। भुगतान नहीं किया गया ब्याज ₹ 0.49 करोड़ गिना गया।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2022) कि राजस्व की सुरक्षा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

6.9.2.9 निष्कर्ष और सिफारिशें

विस्तार से जांच किए गए 7,560 मामलों में से लेखापरीक्षा ने 1,438 मामलों में ₹ 977.54 करोड़ के 1,686 अनुपालन विचलन देखे, जो 22 प्रतिशत विचलन दर हैं। देखी गई अनियमितताएं निम्नलिखित श्रेणियों जैसे; दस्तावेजों के बिना भण्डार में शुल्क प्रदत्त माल का अपात्र क्रेडिट, पूंजीगत माल पर प्राप्त न किये गये क्रेडिट के संबंध में अनियमित दावा, पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट और अंतिम शेष पर अनियमित दावे, में अपेक्षाकृत अधिक थीं। लेखापरीक्षा में पाये गये अनियमितताओं वाले 1,438 मामलों में से, 79 प्रतिशत अर्थात् 1,132 मामलों को विभाग द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका था। विभाग के सत्यापन की सीमा को ध्यान में रखते हुए, विचलन दर ने संकेत दिया कि विभाग द्वारा निष्पादित सत्यापन प्रक्रिया में कुछ कमियाँ थीं।

इसके अलावा, आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ट्रान 1 की तालिका 7एबी के माध्यम से दावा किए गए परिवर्ती क्रेडिट दावों में से कई मामलों में अतिरिक्त क्रेडिट लिया गया था क्योंकि ईसीएल को ट्रान 1 और ट्रान 2 दोनों से गलत तरीके से भरा जा रहा था। अखिल भारतीय आँकड़ों के अखिल भारतीय विश्लेषण से उन मामलों की एक पर्याप्त संख्या पता चली जहां तालिका 5ए में परिवर्ती क्रेडिट दावे विरासतीय विवरणी के अंतिम शेष से अधिक थे।

उपर्युक्त अनुपालन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की सिफारिश करती है:

विभाग निम्नलिखित कर सकता है:


1. ट्रान 1 की तालिका 7(ए)बी (बीजक के बिना शुल्क भुगतान किए गए भण्डार पर क्रेडिट) में दर्शाये गए और उन मामलों, जहां तालिका 5(ए) (विरासतीय विवरणी के अंतिम क्रेडिट शेष) के तहत परिवर्ती क्रेडिट दावा

विरासतीय विवरणी के अंतिम शेष से अधिक था, उच्च जोखिम वाले दावों का सत्यापन सुनिश्चित करना।

2. इस लेखापरीक्षा के दौरान बताए गए अनुपालन विचलनों के लिए दावों के समयबाधित होने से पहले उपचारात्मक उपाय शुरू करना।

नई दिल्ली

दिनांक: 31 मार्च 2022


(सतीश सेठी)

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 31 मार्च 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

**परिशिष्ट-1: 2020-21 से पूर्व अवधि के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा
निष्कर्ष**

(पैरा संख्या 2.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

डीए पी सं.	राज्य	कमिश्नरी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	एसजीएसटी घटक (जीएसटी अभ्युक्तियों के लिए)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
सेवा कर								
सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ का पता लगाने में विभाग की विफलता								
1	कर्नाटक	बेंगलुरु उत्तर	50.14	0.04	0.04	लागू नहीं	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
सेवा कर के गैर/कम भुगतान का पता लगाने में विभाग की विफलता								
2	कर्नाटक	बेंगलुरु पूर्व	3.9	3.9		लागू नहीं	स्वीकृत	निरंक
3	महाराष्ट्र	मुंबई दक्षिण	19.8	-	-	लागू नहीं	स्वीकार नहीं किया गया	लागू नहीं
उप-जोड़			73.84	3.94	0.04	-	-	-
माल एवं सेवा कर								
ट्रॉन-1 में एसटी/कर/उपकर के सेनवेट क्रेडिट का गलत अग्रोषण								
1	महाराष्ट्र	बेलापुर	5.16	-	-	कोई एसजीएसटी घटक नहीं है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत अग्रोषित किए गए सेनवेट क्रेडिट से संबंधित है	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
5	मध्य प्रदेश	इंदौर	0.32	0.32	0.23	कोई एसजीएसटी घटक नहीं है क्योंकि यह	स्वीकृत	निरंक

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

डीए पी सं.	राज्य	कमिश्नरी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	एसजीएसटी घटक (जीएसटी अभ्युक्तियों के लिए)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत अग्रेषित किए गए सेनवेट क्रेडिट से संबंधित है		
6	मध्य प्रदेश	उज्जैन	0.12	-	-	कोई एसजीएसटी घटक नहीं है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत अग्रेषित किए गए सेनवेट क्रेडिट से संबंधित है	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
8	मध्य प्रदेश	जबलपुर	1.2	1.2	0.49	0.36	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
23	हरियाणा	गुडगांव	0.15	-	-	कोई एसजीएसटी घटक नहीं है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत अग्रेषित किए गए सेनवेट क्रेडिट से	स्वीकृत	लागू नहीं

डीए पी सं.	राज्य	कमिश्नरी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	एसजीएसटी घटक (जीएसटी अभ्युक्तियों के लिए)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						संबंधित है		
जीएसटी का भुगतान न होना								
2	महाराष्ट्र	बेलापुर	1.85	1.85		0.67	स्वीकृत	निरंक
4	दिल्ली	दिल्ली पश्चिम	0.48	0.34	0.34	0.24	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
जीएसटी के आईटीसी क्रेडिट का गलत लाभ								
3	गुजरात	अहमदाबाद दक्षिण	0.42	0.42	0.42	0.21	स्वीकृत	निरंक
जीएसटी के देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना								
7	मध्य प्रदेश	जबलपुर	0.16	0.16	0.16	0.08	स्वीकृत	निरंक
9	मध्य प्रदेश	जबलपुर	0.18	0.18	0.18	0.09	स्वीकृत	निरंक
1	झारखंड	जमशेदपुर	0.19	0.19	-	0.095	स्वीकृत	निरंक
जीएसटी के तहत प्रतिदाय दावे की अनियमित मंजूरी								
15	गोवा	गोवा	4.29	-	-	0.11	स्वीकृत नहीं किया गया। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि गलत आईटीसी के लिए एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया था, जिसकी पुष्टि ब्याज के साथ की गई थी। इसके अलावा, आरएफडी-08 में नोटिस जारी करने के लिए समय की कमी के कारण प्रतिदाय को मंजूरी देते	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिदाय दावे को सत्यापित करने के लिए 60 दिनों की अवधि प्रदान की गई है जिसमें आरएफडी 08 के तहत नोटिस जारी करना और करदाता के उत्तर पर विचार करते हुए प्रतिदाय को अंतिम रूप देना भी शामिल है। इसके

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

डीए पी सं.	राज्य	कमिश्नरी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	एसजीएसटी घटक (जीएसटी अभ्युक्तियों के लिए)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
							समय मांग को समायोजित करना संभव नहीं था, जो करदाता को नोटिस का जवाब देने की अनुमति देते हुए था और देरी से प्रतिदाय के मामले में करदाता के उत्तर और ब्याज की देयता पर विचार करते हुए आदेश पारित करते हुए था।	अलावा, धारा 54 (10) के अनुसार, करदाता द्वारा कर, ब्याज, शास्ति के किसी भी भुगतान के मामले में, विभाग राशि को रोक सकता है या करदाता द्वारा देय राशि को घटाकर आंशिक राशि का प्रतिदाय दे सकता है।
उप-जोड़			14.52	4.66	1.82	1.75	-	-
सभी में एक (एआईओ) सिस्टम आँकड़ों बेस में करदाताओं की गलत मैपिंग								
16	गोवा	गोवा	एनएम वी ¹⁶⁸	एनएम वी	एनएम वी	लागू नहीं	स्वीकृत	लागू नहीं
जीएसटी पोर्टल का समकालिक नहीं होना और 'विवरणी दाखिल करने' के लिए ऑल इन वन आँकड़ों								
24	गोवा	गोवा	एनएम वी	एनएम वी	एनएम वी	लागू नहीं	प्राप्त नहीं हुआ	लागू नहीं
कुल			88.36	8.6	1.86	1.745	-	-

¹⁶⁸ कोई धन मूल्य नहीं


परिशिष्ट-II: क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा वसूली के लक्ष्यों की प्राप्ति
(पैरा संख्या 3.6.5 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ज़ोन का नाम	लक्ष्य	उगाही किए गए बकाया	प्राप्त लक्ष्य (%)	प्राप्त लक्ष्य में कमी (%)
2019-20					
1	मेरठ सीई और जीएसटी	458	191.73	41.86	58.14
2	तिरुवनंतपुरम सीई और जीएसटी	235	74.23	31.59	68.41
3	भोपाल सीई और जीएसटी	862	225.33	26.14	73.86
4	रांची सीई और जीएसटी	575	90.45	15.73	84.27
5	कोलकाता सीई और जीएसटी	1,201	84.50	7.04	92.96
2020-21					
1	मेरठ सीई और जीएसटी	1,592	693.81	43.58	56.42
2	वडोदरा सीई और जीएसटी	294	121.89	41.46	58.54
3	गुवाहाटी सीई और जीएसटी	51	21.14	41.44	58.56
4	चंडीगढ़ सीई और जीएसटी	267	97.48	36.51	63.49
5	भोपाल सीई और जीएसटी	623	150.80	24.20	75.80
6	कोलकाता सीई और जीएसटी	1,065	153.59	14.42	85.58

परिशिष्ट-III: प्रतिदायों का भुगतान

(पैरा संख्या 5.1.1.4 देखें)



**परिशिष्ट IV: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव
(पैरा 5.9 देखें)**

(₹ लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	मामलों की सं.	शामिल की गयी एसजीएसटी राशि	स्वीकार की गई एसजीएसटी राशि	वसूल की गई एसजीएसटी राशि
आंध्र प्रदेश	13	86.44	31.22	1.95
5.7.3.1	3	1.93	0.73	0.73
5.7.3.2	1	0.01	0.01	0.00
5.7.3.3	2	25.88	23.05	0.00
5.7.3.4	1	0.07	0.07	0.07
5.8.1	1	1.26	0.00	0.00
5.8.5	5	57.30	7.36	1.15
अरुणाचल प्रदेश	1	0.01	0.01	0.00
5.8.5	1	0.01	0.01	0.00
असम	7	0.05	0.04	0.00
5.7.1.2	7	0.05	0.04	0.00
बिहार	5	0.04	0.00	0.00
5.7.1.2	5	0.04	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1	0.00	0.00	0.00
5.7.1.2	1	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	51	36.60	16.71	3.45
5.7.1.2	40	2.38	0.03	0.00
5.7.2	4	13.69	13.61	0.49
5.7.3.2	2	5.26	0.11	0.00
5.7.3.6	3	3.80	2.96	2.96
5.8.5	2	11.47	0.00	0.00
गुजरात	38	818.47	75.83	37.84
5.7.1.2	12	6.58	0.00	0.00
5.7.2	7	142.58	50.10	37.84
5.7.3.2	10	18.72	13.28	0.00
5.7.3.7	1	12.45	12.45	0.00
5.7.5.3	2	167.92	0.00	0.00
5.7.5.5	1	250.00	0.00	0.00
5.8.1	1	7.05	0.00	0.00
5.8.3	1	22.56	0.00	0.00
5.8.5	3	190.61	0.00	0.00
हरियाणा	47	376.60	2.15	1.28
5.6.1.1 से 5.6.1.3	1	3.25	0.00	0.00
5.7.1.2	22	0.94	0.00	0.00
5.7.2	7	308.97	0.00	0.00

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	मामलों की सं.	शामिल की गयी एसजीएसटी राशि	स्वीकार की गई एसजीएसटी राशि	वसूल की गई एसजीएसटी राशि
5.7.3.1	1	12.54	0.00	0.00
5.7.3.2	3	14.49	0.00	0.00
5.7.3.4	12	26.49	2.15	1.28
5.8.1	1	9.92	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1	0.03	0.00	0.00
5.7.1.2	1	0.03	0.00	0.00
जम्मू	1	0.00	0.00	0.00
5.7.1.2	1	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	48	343.53	4.22	0.45
5.7.2	3	10.20	0.07	0.07
5.7.3.1	22	78.65	0.39	0.38
5.7.3.3	6	9.91	2.78	0.00
5.7.3.6	8	7.74	0.98	0.00
5.7.3.7	1	0.89	0.00	0.00
5.8.1	4	157.47	0.00	0.00
5.8.2	4	78.66	0.00	0.00
केरल	142	136.60	23.89	1.46
5.7.1.2	83	6.35	3.79	0.00
5.7.3.1	1	0.69	0.69	0.00
5.7.3.2	1	2.73	0.00	0.00
5.7.3.4	40	51.46	0.72	1.46
5.7.3.6	6	7.91	1.55	0.00
5.7.5.1	5	28.75	0.00	0.00
5.8.1	4	17.95	17.14	0.00
5.8.5	2	20.76	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	22	966.88	950.43	0.00
5.7.1.2	9	0.38	0.00	0.00
5.7.2	4	11.61	0.00	0.00
5.7.3.2	3	868.90	868.90	0.00
5.7.3.3	2	1.74	1.74	0.00
5.8.1	1	1.57	0.00	0.00
5.8.2	2	79.79	79.79	0.00
5.8.5	1	2.89	0.00	0.00
महाराष्ट्र	73	552.80	0.94	0.00
5.6.2	6	310.33	0.00	0.00
5.7.1.2	54	5.85	0.00	0.00
5.7.3.1	3	8.10	0.00	0.00
5.7.3.3	1	0.94	0.94	0.00
5.7.3.5	1	0.65	0.00	0.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	मामलों की सं.	शामिल की गयी एसजीएसटी राशि	स्वीकार की गई एसजीएसटी राशि	वसूल की गई एसजीएसटी राशि
5.7.3.6	1	0.54	0.00	0.00
5.7.4.2	2	206.63	0.00	0.00
5.8.2	5	19.76	0.00	0.00
मिजोरम	1	0.02	0.00	0.00
5.7.1.2	1	0.02	0.00	0.00
नागालैंड	1	0.00	0.00	0.00
5.7.1.2	1	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	2	0.03	0.00	0.00
5.7.1.2	2	0.03	0.00	0.00
पंजाब	49	122.20	8.38	1.39
5.7.1.2	24	1.50	0.00	0.00
5.7.2	4	37.15	5.44	0.00
5.7.3.2	13	60.68	1.55	0.00
5.7.3.4	6	21.76	0.29	0.29
5.8.1	1	0.57	0.57	0.57
5.8.5	1	0.53	0.53	0.53
राजस्थान	19	72.35	12.21	2.71
5.6.1.4	1	2.71	2.71	2.71
5.7.1.2	2	0.00	0.00	0.00
5.7.2	2	0.72	0.00	0.00
5.7.3.2	4	7.67	6.34	0.00
5.7.3.3	1	1.99	1.99	0.00
5.7.3.4	4	8.10	0.00	0.00
5.8.1	2	1.31	1.17	0.00
5.8.5	3	49.85	0.00	0.00
तमिलनाडु	116	901.45	0.00	0.00
5.6.2	18	749.61	0.00	0.00
5.7.1.2	71	1.10	0.00	0.00
5.7.3.1	3	12.06	0.00	0.00
5.7.3.2	1	2.45	0.00	0.00
5.7.3.4	21	103.25	0.00	0.00
5.7.3.5	1	31.40	0.00	0.00
5.8.5	1	1.58	0.00	0.00
तेलंगाना	23	432.91	400.54	16.44
5.6.2	2	378.23	378.23	0.00
5.7.1.2	4	2.41	0.00	0.00
5.7.2	3	5.10	5.10	5.10
5.7.3.1	5	6.29	6.29	6.29
5.7.3.2	5	3.22	3.22	0.00
5.7.3.3	1	2.66	2.66	0.00

2022 की प्रतिवेदन सं. 5 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	मामलों की सं.	शामिल की गयी एसजीएसटी राशि	स्वीकार की गई एसजीएसटी राशि	वसूल की गई एसजीएसटी राशि
5.8.2	1	5.05	5.05	5.05
5.8.5	2	29.96	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	79	146.89	3.25	0.00
5.6.1.1 से 5.6.1.3	1	0.32	0.32	0.00
5.7.1.2	38	1.78	0.00	0.00
5.7.2	16	42.65	0.00	0.00
5.7.3.1	4	4.70	1.30	0.00
5.7.3.2	1	0.04	0.00	0.00
5.7.3.3	4	7.64	0.00	0.00
5.7.3.7	3	47.31	0.00	0.00
5.8.1	4	12.57	1.63	0.00
5.8.2	2	12.65	0.00	0.00
5.8.5	6	17.23	0.00	0.00
उत्तराखंड	1	13.96	0.00	0.00
5.7.2	1	13.96	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	54	85.44	83.86	47.04
5.7.1.2	34	0.56	0.00	0.00
5.7.2	4	3.41	3.41	0.03
5.7.3.2	7	1.53	0.51	0.00
5.7.3.4	1	0.39	0.39	0.00
5.7.3.6	1	1.14	1.14	1.14
5.8.1	5	78.11	78.11	45.57
5.8.5	2	0.30	0.30	0.30
कुल जोड़	795	5093.31	1613.68	114.01

शब्दावली

एसीईएस	सेन्ट्रल एक्साइस एवम सर्विस टैक्स ऑटोमेशन
एडीवीएआईटी	अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत वैश्लेषिकी
एआईओ	ऑल-इन-वन प्रणाली
एटीटी	समायोजित कुल बिक्री
बीआईएफए	बिजनेस इंटेलिजेंस एवं फ़ॉड वैश्लेषिकी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सीए	सनदी लेखाकार
सीएआरओटीएआर	सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियमावली
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सेनवैट	केंद्रीय मूल्य संवर्धित कर
सेस्टेट	सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सीएचए	सीमा शुल्क हाउस प्रतिनिधि
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीडीएम	आँकड़ा प्रबंधन निदेशालय
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीजीएआरएम	वैश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीजीजीआई	माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय
डीजीपीएम-टीएआर	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय -कर बकाया वसूली
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक नगद/खाता बही
ईजीएम	निर्यात सामान्य घोषणापत्र

ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईओयू	निर्यात उन्मुख इकाई
ईएक्सपीडब्ल्यूओपी	कर के भुगतान के बिना निर्यात
एफआईआरसी	विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीएसटीएएम	माल एवं सेवाकर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका
जीएसटीआईएन	माल एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर शुद्धवर्क
जीएसटीआर	माल एवं सेवा कर विवरणी
एचएसएन	नामावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईएफएफ	चालान प्रस्तुत करने की सुविधा
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
आईएनवीआईटीसी	इनवर्टेड इयूटी संरचना
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटीसी	इनपुट कर जमा
आईटीआर	आय कर विवरणी
एलडीपीई	कम घनत्व पोलिथाईलीन
एमईआईएस	भारतीय योजना के पण्य निर्यात
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	सहमति जापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट
एनएसीईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स अकादमी
एनएसीआईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण
ओआईए	अपील में आदेश
ओआईओ	मूल आदेश
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा अधिकारी
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा
क्यूआरएमपी	मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक विवरणी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आर सी एम	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
आरईएपी	विवरणी वृद्धि एवं अग्रिम परियोजना
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएसी	सेवा लेखाकरण कोड
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईज़ेडडब्ल्यूओपी	कर के भुगतान के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीएसटी	राज्य माल एवं सेवा कर
एसओपी	मानक परिचालन कार्यप्रणाली
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
यूडीआईएन	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
यूटी	संघ शासित क्षेत्र
यूटीजीएसटी	संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर
वैट	मूल्य वर्धित कर
एक्सओएस	निर्यात बकाया विवरण

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in